उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

B.Ed-SE-73

शान्तिपुरम् (सेक्टर-एफ), फाफामऊ, इलाहाबाद - 211013

संरक्षकः
डॉ0 वेदपति मिश्र
राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0, लखनऊ
निर्देशनः
श्रीमती राज कुमारी वर्मा
अपर परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0, लखनऊ
परामर्शः
श्री अश्वनी कुमार सिंह
वित्त नियंत्रक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0, लखनऊ
श्री राजीव कुमार
वित्त एवं लेखाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान उ0प्र0, लखनऊ
मॉड्यूल लेखन हेतु कोर टीमः

1	राज्य परियोजना निदेशक	सर्व शिक्षा अभियान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	अध्यक्ष
2	निदेशक	राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य
3	प्राचार्य	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ	सदस्य
4	श्री दिनेश चन्द्र दुबे	वरिष्ठ विशेषज्ञ (समेकित शिक्षा) सर्व शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य सचिव
5	डॉ0 आद्या शक्ति राय	एसोसिएट प्रोफेसर (विजुअल इम्पेयरमेण्ट), डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ	सदस्य
6	डॉ0 अरविन्द शर्मा	एसोसिएट प्रोफेसर (इन्टलेक्चुअल इम्पयरमेण्ट), डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ	सदस्य
7	डॉ0 मृत्युँजय मिश्र	एसोसिएट प्रोफेसर (हियरिंग इम्पेयरमेण्ट) डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ	सदस्य
8	श्री आर0एन0 सिंह	कंसलटेण्ट (समेकित शिक्षा) सर्व शिक्षा अभियान / यूनिसेफ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य

सम्पादन :
श्री दिनेश चन्द्र दुबे, वरिष्ठ विशेषज्ञ (समेकित शिक्षा), सर्व शिक्षा अभियान, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
श्री आर0 एन0 सिंह, कंसलटेण्ट (समेकित शिक्षा), सर्व शिक्षा अभियान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
लेखकमण्डल :
डॉ0वी0पी0 शाह असिसटेण्ट डायरेक्टर, अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली, डॉ0अमिताव मिश्र, प्रोफेसर (स्पेशल एजुकेशन), इग्नू नई दिल्ली, डॉ0 आद्या शक्ति राय, एसोसिएट प्रोफेसर (विजुअल इम्पेयरमेण्ट), डॉ0 मृत्युँजय मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर (हियरिंग इम्पेयरमेण्ट),डॉ0 कौशल शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर (हियरिंग इम्पयरमेण्ट),डॉ0 अर्जुन प्रसाद, स्पेशल एजुकेटर (हियरिंग इम्पयरमेण्ट),श्री कौशलेन्द्र कुमार, साइन लैग्वेज इण्टरप्रटर, सुश्री सरिता वाजपेई, रिसर्च स्कॉलर डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ,श्री नचिकेता राउत, एसोसिएट प्रोफेसर (स्पीच एण्ड हियरिंग) राष्ट्रीय बहु–दिव्यांगजन सशक्तीकरण संस्थान चेन्नई, मो0शमीम अंसारी, सीनियर लेक्चरार, (ऑडियोलाजी) अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान मुम्बई, श्री आर0एन0 सिंह,कंसलटेण्ट (समेकित शिक्षा), सर्व शिक्षा अभियान उ0प्र0, श्री राजीव रंजन,असिसटेण्ट प्रोफेसर, सी0आर0सी0 लखनऊ, श्री नितिन मुकेश,सिटी वोमेन्स कॉलेज लखनऊ, सुश्री गीता साहनी, साइन लैग्वेज इण्टरप्रटर, डीड्स ट्रस्ट मुम्बई एवम् श्री मनमीत सोनकर, कोर्स कोआर्डिनेटर, चेतना संस्थान, लखनऊ।
सहयोग :सुश्री शिल्पी श्रीवास्तव व सुश्री वीथिका घोष, राज्य परियोजना कार्यालय सर्व शिक्षा अभियान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

डॉ. वेदपति मिश्र
आई०ए०एस०
राज्य परियोजना निदेशक

अर्द्ध०शा० पत्रांक : रा०प०नि०/ /20

उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्
(सर्व शिक्षा अभियान मिशन)
राज्य परियोजना कार्यालय, विद्याभवन,
निशातगंज, लखनऊ–226007
दूरभाष : 2780384, 2781128
फैक्स : 0522–2781123, 2781534
ई–मेल : spdup@rediffmail.com
upefaspo@gmail.com

प्राक्कथन दिनांक 21·03·2017

सभी के लिए शिक्षा (Education For All) एक सार्वभौमिक सपना है। उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद इस सपने को साकार करने में सर्वोत्तम प्रयास कर रही है। अतः विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों (Children With Special Needs) को शिक्षा की मुख्यधारा में समावेशन अनिवार्य है। सर्व शिक्षा अभियान–शिक्षा का अधिकार अधिनियम में इन बच्चों को गुणवत्ता परक शिक्षा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया गया है। अनेक विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की तरह वाक् श्रवण दिव्यांग (Speech & Hearing Impairment) बच्चों का शिक्षा की मुख्यधारा में समावेशन एक कठिन कार्य है।अन्य विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की तरह इनमें भी सीखने की अपार क्षमतायें होती हैं।अध्यापक के द्वारा इन बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को चिन्हित कर शिक्षित–प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है।शिक्षण तकनीकी के क्षेत्र में परिवर्तन तथा अनेक वैधानिक प्रतिबद्धताओं के कारण यह आवश्यक है कि अध्यापकों को इन बच्चों के शिक्षण हेतु प्रशिक्षित किया जाय।

प्रायः समेकित शिक्षा के अन्तर्गत जनपदों के द्वारा अपने स्तर से प्रशिक्षण सामग्री/मॉड्यूल्स तैयार कर सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कराया जाता रहा है।इस प्रशिक्षण सामग्री में शैक्षणिक तकनीकी विकास के दृष्टिगत पर्याप्त विषय वस्तु का अभाव पाया गया। अतः जनपदों के द्वारा प्रशिक्षण में प्रयोग की जा रही प्रशिक्षण सामग्री/मॉड्यूल्स में पुनर्लेखन/सुधार किये जाने की आवश्यकता महसूस की गयी है।निःशक्तजन अधिकार अधिनियम(Rights of Persons With Disabilities Act), 2016 के अध्याय–3 के अन्तर्गत शिक्षकों को सांकेतिक भाषा (Sign Language), ब्रेललिपि (Braille Script) तथा बौद्धिक निःशक्तता (Intellectual Disability) से सम्बन्धित प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है।

अतः समेकित शिक्षा के अन्तर्गत पाँच दिवसीय सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल्स विकसित किये जाने हेतु राज्य स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उ०प्र०, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ व राजकीय विशेष विद्यालयों के प्रतिनिधियों, जिला समन्वयक(समेकित शिक्षा), इंटीनरेन्ट/रिसोर्स टीचर्स तथा परिषदीय विद्यालयों के अध्यापकों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। मॉड्यूल्स लेखन हेतु राज्य स्तरीय कोर टीम के गठन के उपरान्त लेखन–कार्य विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के शैक्षिक व चिकित्सीय पुर्नवास में कार्यरत विशेषज्ञों,राष्ट्रीय संस्थानों के विशेषज्ञ, विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ तथा प्रमुख गैर सरकारी संस्थानों के विशेषज्ञों आदि के द्वारा किया गया है। नव विकसित मॉड्यूल के द्वारा अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान कराया जायेगा, जिससे अध्यापक श्रवण दिव्यांग विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग कर सकेंगे। सम्प्रेषण हेतु सांकेतिक भाषा(Sign Language) सीख सकेंगे, शिक्षण–प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम को अनुकूलित कर कक्षा–कक्ष प्रबंधन कर सकेंगे।विद्यार्थियों को आडिट्री व स्पीच ट्रेनिंग दे सकेंगे। वैयक्तिक शैक्षणिक योजना (Individualized Education Plan) व शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार कर श्रवण दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षित–प्रशिक्षित कर सकेंगे।

समेकित शिक्षा के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण उपरान्त अध्यापकों द्वारा पाठ्य पुस्तकों के साथ इस प्रशिक्षण मॉड्यूल का प्रयोग कक्षा–कक्ष/विद्यालय में श्रवण दिव्यांग विद्यार्थियों के शिक्षण–प्रशिक्षण में किया जायेगा। जिससे इन विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा में समावेशन कर गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान की जा सकेगी।सर्व शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश के इस प्रयास में आपके सुझावों का स्वागत है।

(डॉ० वेदपति मिश्र)

अनुक्रमणिका

इकाई सं0	इकाई का नाम	पृष्ठ सं0
इकाई–1	विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे –एक परिचय	4
इकाई–2	वाक् श्रवण दिव्यॉगों के लिए शैक्षणिक, वित्तीय,अन्य सुविधायें/रियायतें तथा प्रमुख संस्थान	10
इकाई–3	समावेशित शिक्षाः प्रमुख राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय अधिनियम/ विधान	16
इकाई–4	सुगम्य वातावरणः भौतिक एवं अधिगम	28
इकाई–5	अधिगम के लिए सार्वभौमिक अभिकल्प एवं विभेदित अनुदेशन	33
इकाई–6	कान की संरचना, कार्य, श्रवण अक्षमता के कारण एवं रोकथाम	41
इकाई–7	श्रवण क्षतिग्रस्तताः शीघ्र पहचान के लिए हियरिंग स्क्रीनिंग	46
इकाई–8	विविध श्रवण परीक्षण एवं ऑडियोग्राम	51
इकाई–9	श्रवण यन्त्र के प्रयोग, देखभाल एवं रखरखाव (व्यक्तिगत एवं सामूहिक)	58
इकाई–10	श्रवण प्रशिक्षण–लिसनिंग एंड हियरिंग ट्रेनिंग	62
इकाई–11	भाषा विकास के विभिन्न सोपान–सामान्य एवं श्रवण वाक् दिव्यॉग बच्चों के संबंध में	69
इकाई–12	सम्प्रेषण के विभिन्न माध्यम	74
इकाई–13	श्रवण क्षतिग्रस्तता के मनोसामाजिक प्रभाव	81
इकाई–14	थेरेपेटिक सेवाएं–श्रवण वाणी, मनोचिकित्सा व मनोसामाजिक	85
इकाई–15	कक्षा–शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रदर्शन एवं प्रयोग	90
इकाई–16	पाठ्य पुस्तक अनुकूलन	98
इकाई–17	वैयक्तिक शैक्षणिक कार्यक्रम (आई0ई0पी0) एवं विविध शिक्षण विधियां	102
इकाई–18	कक्षा कक्ष प्रबन्धन–श्रवण दिव्यॉग बच्चों के अनुकूल वातारण के संदर्भ में	107
इकाई–19	श्रवण् दिव्यॉग बच्चों हेतु पाठ्य योजना	112
इकाई–20	श्रवण् दिव्यॉग बच्चों के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाएं	117
इकाई–21	समाजिक सम्प्रेषण में साइन लैंग्वेज	121
इकाई–22	शैक्षणिक सम्प्रेषण में साइन लैंग्वेज	127
इकाई–23	शैक्षणिक मापन एवं मूल्यांकन	133
इकाई–24	लेखन एवं वाचन कौशल का विकास	141
इकाई–25	ट्रांजिसनल प्लानिंग	148
इकाई–26	अभिभावक परामर्श	153

इकाई–1

विशेष आवश्यकता वाले बच्चे : एक परिचय
(Children with Special Needs an Introduction)

प्रस्तावना (Introduction) :

प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट होता है तथा वह दूसरे से भिन्न होता है। मनुष्य के रंग रूप उसके सोचने, समझने सिखने समायोजन के तरीके, उसकी क्षमताओं इत्यादि में विविधता होना नैसर्गिक है। संसार का कोई भी समाज बिना इन विविधताओं के नहीं है तथा समाज का विकास बिना इन विविधताओं के सम्मान के बिना संभव भी नहीं है। प्रस्तुत सत्र में प्रशिक्षु समान्य समूह से विचलन रखने वाले इस विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। सत्र की शुरुआत से पूर्व प्रशिक्षक, प्रशिक्षुओं को निम्न बिन्दुओं पर चर्चा के माध्यम से प्रसंग से जोड़ा जा सकता है:

- व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है?
- शारीरिक बनावट और रंग रूपों में विभिन्न देशों–प्रदर्शों के लोग कैसे भिन्न होते हैं?

उद्देश्य कथन (Objective)

उपरोक्त प्रश्नों पर चर्चा उपरान्त प्रशिक्षक इस सत्र में किए जाने वाले गतिविधियों से सभी को अवगत कराएँगे। साथ ही उन्हें यह बताएंगे कि इस सत्र के पश्चात वे:–

- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की अवधारणा बता सकेंगे।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को परिभाषित कर सकेंगे ।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विशेषताओ को बता सकेंगे ।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का वर्गीकरण कर सकेंगे।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (Children with Special Needs)

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सोचने, समझने, सीखने, समायोजन करने आदि की योग्यताएं सामान्य बच्चों से भिन्न हो सकती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों उन बच्चों को कहा जाता है जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यवहार तथा व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत अथवा सामान्य बच्चों से बहुत अधिक भिन्न होते हैं। अर्थात, ऐसे बच्चे या व्यक्ति जो सामान्य समूह से अलग कुछ विशिष्टता रखते हो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में आते हैं। भिन्नताओं के आधार पर इन बच्चों को कई समूहों एवं उपसमूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे– बुद्धि के आधार पर प्रतिभाशाली या मंदबुद्धि बच्चे, शारीरिक क्षमता के आधार पर चलन–क्रिया अक्षमता, दृष्टिबाधा, श्रवण–ह्रास, वाणी दोष वाले बच्चे, सामाजिक दृष्टि से कुसमयोजित अथवा समस्यात्मक बच्चे आदि।

इस प्रकार से ये बच्चे अपनी आयु या समूह के अन्य सामान्य बच्चो से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सांवेगिक विकास की दृष्टि से इतने पिछड़े हुए अथवा आगे निकले हुए होते है कि उन्हें सामान्य व्यक्तियों के लिए बनाये हुए इस समाज में बाधाओं तथा समायोजन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सामान्य व्यक्तियों की आवश्यकताओं से विचलन के कारण इन बच्चों या व्यक्तियों को अपनी क्षमताओं के सम्यक उपयोग तथा ठीक ढंग से अपने आपको समायोजित करने के लिए विशेष देख–भाल और शिक्षादृदीक्षा की आवश्यकता होती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों (शरीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक आदि) में व्यक्तित्व गुणों के आधार पर सामान्य से बहुत अधिक आगे बढ़े हुए या पिछड़े दोनों वर्गों के बच्चे आते हैं।

वास्तव में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों एक वृहद पद है, जिसके अंतर्गत विभिन्न असामान्यताओं से युक्त बच्चों के अनेक समूह समाहित रहते हैं। इन बच्चों को विशेष बच्चे भी कहा जाता है। विभिन्न शिक्षाविदो, अधिनियमों एवं मनोवैज्ञानिकों ने इसे अपने–अपने तरीके से परिभाषित किया है। कुछ परिभाषाएं निम्नवत हैं–

डन के अनुसार–

विशिष्ट बालक वह है जो बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक अथवा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं में इतना भिन्न है कि बहुसंख्यक बालकों के लिए बनाया गया विद्यालय कार्यक्रम उनको सर्वांगीण समायोजन व अनुकूलतम विकास के अवसर उपलब्ध नहीं करा पाता है तथा इसीलिए अपनी योग्यताओं के अनुरूप उपलब्धि प्राप्त कर सकने के लिए वे विशेष शिक्षण अथवा कुछ स्थितियों में विशेष सहायक सेवाएं अथवा दोनों चाहते हैं।

निशक्तजनों के अधिकारों हेतु संयुक्तराष्ट्र समझौता (UNCRPD) 2007 के अनुसार

"विकलांगता एक विकासशील अवधारणा है तथा विकलांगता विकृति सहित व्यक्तियों एवं प्रवृतिमूलक और पर्यावरण बाधाओं के बीच अन्तर्किया का परिणाम है जो दूसरों के साथ समाज में समानता के आधार पर प्रभावी सहभागिता को रोकता है।"

निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2014 के अनु सार–

"निःशक्त व्यक्ति से ऐसी दीर्घ कालिक शारीरिक , मानसिक , बौद्धिक या संवेदी हानि वाला व्यक्ति अभिप्रेत है जिससे अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा उत्पन्न होती है"

उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे वे बच्चे हैं जो अपने आयु वर्ग के समूह के बच्चों से के किसी भी चर के मापन के सापेक्ष औसत मानों से काफी दूर होते हैं। ये बच्चे किसी गुण विशेष के सन्दर्भ में सामान्य से अधिक दूरी पर स्थित होते हैं जिससे इन बालकों का अधिगम एवं अनुकूलन प्रभावित होता है। कुछ बच्चे मानसिक योग्यताओं तथा शक्तियों को लेकर बुद्धि एवं विवेक के बहुत ही ऊँचे स्तर पर विराजमान होकर प्रतिभाशाली एवं होनहार के रूप में दिखाई देते हैं जबकि कुछ बच्चों में इस प्रकार की मानसिक योग्यताओं की जरूरत से ज्यादा कमी पाई जाती है और वे अपने सामान्य साथियों से काफी पिछड़े हुए दिखाई देते हैं और अपने इस पिछड़ेपन के कारण मानसिक रूप से पिछड़े बालक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े बालक या धीमी गति से पढ़ने वाले बालक के रूप में उन्हें अपनी विशेष न्यूनताओं और क्षमताओं के आधार पर विभाजित किया

गया है । यही बात अन्य आयामों– संवेगात्मक, सामाजिक तथा नैतिक आदि को लेकर भी है। यहाँ भी कुछ बालकों को आप इन आयामों के सन्दर्भ में धनात्मक तथा ऋणात्मक दिशाओं में बहुत अधिक दूरी तय करते हुए पा सकते हैं। चूँकि इन सभी उपवर्गों से सम्बंधित बच्चों की प्रकृति भिन्न होती है इसलिए इनके लिए विशिष्ट प्रकार की शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विशेषताएं (Characteristics of Children with Special Needs)

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की प्रकृति और विशेषताओं को निम्नवत बिन्दुओं में प्रदर्शित किया जा सकता हैं–

• विशिष्ट बालक सामान्य या औसत बालकों से निश्चित रूप से काफी अधिक अलग एवं भिन्न होते हैं।

• सामान्य या औसत बच्चों से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की यह भिन्नता या विशेष दूरी विकास की दोनों दिशाओं धनात्मक और ऋणात्मक में से किसी भी एक में हो सकती है। उदारहण के लिए वे बुद्धि की दृष्टि से जहाँ औसत से अधिक बुद्धि वाले बच्चे हो सकते हैं वहीं बुद्धि की बहुत कमी भी उन्हें मानसिक रूप से पिछड़े बच्चे भी होते है जिन्हें मानसिक मंदित बच्चे कहा जाता है ।

• इन्हें वातावरण से समायोजित करने के लिए वातावरण को इनकी आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है।

• अपनी विशिष्ट योग्यताओं और क्षमताओं के विकास, उचित समायोजन तथा आवश्यक वृद्धि एवं विकास हेतु विशेष देख–रेख एवं शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता पड़ती है।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकार (Types of Children with Special Needs)

निःशक्त जन अधिकार अधिनियम, 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण हेतु है। संयुक्त राष्ट्र संधि और उसके आनुषंगिक विषयों पर आधारित यह अधिनियम निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1955 का स्थान ले चुका है। इसके तहत विकलांगता की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। विकलांगता की श्रेणियों का विवरण निम्नवत है–

(अ)– शारीरीक निरूशक्तता (Physical Disability):–

1–अस्थिविकलांगता(Locomotor Impairement)

अस्थि विकलांगता से ग्रसित बच्चे वह बच्चे हैं जिनकी अस्थियाँ (Bones), जोड़ और मांसपेशिया सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती है, ऐसे बालकों को सामान्यतः शारीरिक विकलांग, चलन निःशक्त बालक भी कहा जाता है। निःशक्त जन अधिनियम 1995 के अनुसार अस्थि विकलांगता से तात्पर्य हड्डियों, जोड़ों, मांसपेशियों की कोई ऐसी निःशक्तता से है, जिससे अंगों की गति में पर्याप्त व निबंधन न हो। इस प्रकार की विकलांगता में सेरेब्रल पॉल्सी, पोलियो, स्पिना–बाईफिडा, संधिशोध इत्यादि से प्रभावित बच्चों को भी समाहित कर लिया जाता है।

2–कुष्ठ उपचरित (Leprosy Cured)

ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कुष्ठ से रोगमुक्त हो गया है किंतु निम्नलिखित से पीड़ित है –

(i) हाथ या पैरों में सुग्राहीकरण का ह्रास के साथ साथ आँख और पलक में सुग्राहीकरण का ह्रास और आंशिक घात किन्तु व्यक्त विरूपता नहीं है।

(ii) व्यक्त विरूपता और आंशिक घात किन्तु उनके हाथों और पैरों में विनिर्दिष्ट चलन से सामान्य आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहने के लिए सक्षम है।

(iii) अत्यंत शारीरिक विकृति के साथ साथ वृद्ध जो उन्हें कोई लाभप्रद व्यवसाय करने से निवारित करती है।

3–प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (Cerebral Palsy)

प्रमस्तिष्क घात से कोई अविकासशील अवस्थाओं का समूह अभिप्रेत है जो अविकासशील तांत्रिक दशाओं से शरीर के चलन को पेशियों के समन्वयन को प्रभावित करती है, जो मष्तिष्क के एक या अधिक विनिर्दिष्ट चक्रों में क्षति के कारण उत्पन्न होता है साधारणतः जन्म के पूर्व, जन्म के दौरान या जन्म के तुरंत पश्चात होती है।

4–बौनापन (Dwarfism)

बौनापन से कोई चिकित्सीय या अनुवांशिक दशा अभिप्रेत हैजिसके परिणामस्वरूप किसी वयस्क व्यक्ति की की लंबाई चार फीट दस इंच (147 से0मी0) या उससे न्यून रह जाती है।

5–बहुदुष्पोषण (Muscular Dystrophy)

बहुदुष्पोषण से वंशानुगत या अनुवांशिक पेशी रोग का समूह अभिप्रेत है जो मानव शरीर को सचल करने वाली पेशियों को कमजोर कर देता है। बहुदुष्पोषण के रोगी व्यक्तियों के जीन में वह सूचना अशुद्ध होती है या नहीं होती है जो उन्हें उस प्रोटीन को बनाने से निवारित करती है जिसकी उन्हें स्वस्थ पेशियों के लिए आवश्यकता होती है, इसकी विशेषता अनुक्रमिक अस्थिपंजर, पेशी की कमजोरी, पेशी प्रोटीनों में त्रुटि और पेशी कोशिकाओं और टिशुओं की मृत्यु है।

6–तेजाब हमले के पीड़ित (Acid Attack Victim)

अम्ल या समान संछारित पदार्थ के फेंकने द्वारा हिंसक आक्रमण के कारण विरूपित कोई व्यक्ति अभीप्रेरित है।

7–अंधता (Totally Blindness)

अंधता से ऐसी दशा अभिप्रेत है जिसमें सर्वोत्तम सुधार के पश्चात व्यक्ति में निम्नलिखित स्थितियों में से कोई एक स्थिति विद्यमान होती है –

(i) दृष्टि का पूर्णतया अभाव

(ii) सर्वोत्तम सुधार के अच्छी आँख द्रष्टि संवेदनशील 3 / 60 या 10 /200 (स्नेलिन) से अन्यून या

(iii) 10 डिग्री से अन्यून किसी कक्षांतरित कोण पर दृश्य क्षेत्र की परिसीमाय

8–निम्न दृष्टि (Low Vision): निम्न दृष्टि से ऐसी स्थिति अभिप्रेरित है जिसमें व्यक्ति की निम्नलिखित स्थितियों में से कोई एक स्थिति होती है, अर्थात–

(i) बेहतर आँखों में सुधारकारी लेंसों के साथ साथ 6/18 से अनधिक या 20/60 से कम 3 /60 तक या 10/200 (स्नेलिन) दृश्य संवेदनशीलता या

(ii) 10 से अधिक 40 डिग्री तक की दृष्टि अंतरित किसी कोण के क्षेत्र में सीमाएं।

9–श्रवण वाधित (Hearing Impairment)

श्रवण बाधित बच्चे ऐसे बच्चे हैं जिनकी सुनने की क्षमता कम है या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। इन बालकों को बोलने और सुनने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। निःशक्त जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार श्रवण वाधित व्यक्ति दो तरह के होते है–

(अ) बधिर (Deaf) – दोनों कानों से संवाद आवृतियाँ में बेहतर कर्ण में 70 डेसीबल या अधिक की श्रवण अक्षमता।

(ब) हार्ड आफ हियरिंग (Hard of hearing) – दोनों कानों से संवाद आवृतियाँ में बेहतर कर्ण में 60 डेसीबल से 70 डेसीबल की श्रवण अक्षमता।

10–वाक् व भाषा निःशक्तता (Speech & Language Disability)

यह लेरैनजेक्टोमी या अफेसिया जैसी स्थितियों से उद्भूत स्थाई निःशक्तिता अभिप्रेरित है जो कार्बनिक या तंत्रिका सम्बन्धी कारणों से वाक् व भाषा के एक या अधिक संघटकों को प्रभावित करती है।

11–बौद्धिक निःशक्तता (Intellectual Disability)

बौद्धिक विकलांगता के अन्तर्गत ऐसे बालक आते हैं जिनमें औसत से कम मानसिक योग्यता पायी जाती है। अतः उनके सीखने की गति सामान्य से कम होती है। विद्यालय के औसत बच्चों की तुलना में शैक्षिक सम्प्राप्ति में पिछड़ जाते हैं। पूर्व में इस स्थिति को मानसिक मंदता भी कहा जाता था। इस श्रेणी में वह बालक रखे जाते हैं जिनकी बुद्धि स्तिर तथा सोचने समझने की क्षमता बहुत कम होती है तथा वे समाज के साथ समायोजन करने में असमर्थ होते हैं। मानसिक बाधित बालकों की विभिन्ना श्रेणियॉ होती है। जैसे– शिक्षा ग्रहण करने योग्य (Educable) प्रशिक्षण पाने योग्य (Trainable) तथा संरक्षण पाने योग्य (Custodial) बौद्धिक विकलांग।

12–विशिष्ट अधिगम अक्षमता (Specific Learning Disability)

अधिगम अक्षमता वाले बच्चों से तात्पर्य उन बच्चों से है जिनकी बौद्धिक क्षमता सामान्य बालकों के समान होती है लेकिन इन बालकों को पढ़ने, लिखने एवं गणित से संबंधित समस्या के समाधान करने में कठिनाई होती है। किर्क के अनुसार– *अधिगम अक्षमता का तात्पर्य वाक, भाषा, पठन, लेखन या अंकगणितीय प्रक्रियाओं के एक या अधिक प्रक्रियाओं में मंदता, विकृति अथवा अवरुद्ध विकास है जो संभवतः मस्तिष्क कार्य विरूपता और संवेगात्मक अथवा व्यवहारिक विक्षोभ का परिणाम है न कि मानसिक मंदता, संवेदी अक्षमता अथवा संस्कृतिक या अनुदेशन कारक के कारण।* डिस्लेक्सिया (Dyslexia), डिस्ग्राफिया (Dysgraphia), डिस्कैलकुलिया (Dyscalculia) , तथा डिस्प्रैक्सिया (Dyspraxia) इनके कुछ प्रकार हैं।

13–ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (Autism Spectrum Disorder)

ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक ऐसी तंत्रिका विकास की स्थिति अभिप्रेत है जो आमतौर पर जीवन के पहले तीन वर्षों में उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति के संपर्क करने की,

संबंधों को समझने की, दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को प्रभावित करती है और आमतौर पर यह अप्रयिक या घिसे–पिटे कर्मकांडों या व्यवहार से सहबद्ध होता है।

14–मानसिक व्यवहार (Mental Vehaviour)

मानसिक रूग्णता से चिंतन, मनोदशा, बोध, पूर्वाभिमुखीकरण या स्मरणशक्ति का विकार अभिप्रेत है जो जीवन की साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समग्र रूप से निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता की पहचान करने की क्षमता या योग्यता को प्रभावित करता है किंतु इसके अन्तर्गत मानसिक मंदता नहीं है जो किसी व्यक्ति से मस्तिष्क का विकास रुकने या अपूर्ण होने की स्थिति है, विशेषकर जिसकी विशिष्ठता बुद्धिमता का सामान्य से काम होना है ।

15–बहु स्क्लोरोसिस (Multiple Sclerosis)

बहु–स्केलेरोसिस से प्रवाहक, तंत्रिका प्रणाली रोग अभिप्रेत है जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं के धारों और रीढ़ की हड्डी की मायलिन सीथ क्षतिग्रस्त हो जाती है जिससे डिमाइलिनेशन होता है और मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं और रीढ़ की हड्डी की कोशिकाओं की एक दुसरे के साथ संपर्क करने की क्षमता प्रभावित होती है।

16–पार्किंसन के रोगी (Parkinson's Disease)

पार्किसन रोग से कोई तंत्रिका प्रणाली की प्रगामी रोग अभिप्रेत है, जिसके द्वारा कम्प, पेशी कठोरता और धीमा, कठिन चलन, मुख्यता मध्य आयु और वृद्ध व्यक्तियों से सम्बद्ध मस्तिष्क के आधारीय गंडिका के अध्यपतन तथा तांत्रिका संचलन डोपामाइन के ह्रास से सम्बद्ध है।

17–हीमोफीलिया (Hemophilia)

हीमोफिलिया एक अनुवंशकीय रोग अभिप्रेत है जो प्रायः पुरुषों को ही प्रभावित करता है किन्तु इसे महिला द्वारा अपने पुरुष बालकों को संप्रेषित किया जाता है, इसकी विशेषता रक्त के थक्का जमने की साधारण क्षमता का नुकसान होना है जिससे गौण घाव परिणाम भी घातक रक्तस्राव हो सकता है।

18–थेलसीमिया (Thalassemia)

थेलसिमिया से वंशानुगत विकृतियों का समूह अभिप्रेत है जिसकी विशेषता हीमोग्लोबिन की कमी या अनुपस्थिति है।

19–सिकल सेल रोग (Sickle Cell Disease)

इससे हेमोलेटिन विकास अभिप्रेत है जो रक्त की अत्यंत कमी, पीड़ादायक घटनाओं और जो सहबद्ध टिशुओं और अंगों को नुकसान से विभिन्न जटिलताओं में परिलक्षित होता है। हेमोलेटिक लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के नुकसान को निर्दिष्ट करता है जिसका परिणाम हीमोग्लोबिन का निकलना होता है।

20–बहु विकलांगता (Multiple Disability)

बहुनिशक्तता (उपर्युक्त एक या एक से अधिक विनिर्दिष्ट निशक्तता) जिसके अन्तर्गत बधिरता, अंधता जिसके कोई दशा जिसमें कोई व्यक्ति श्रव्य और दृश्य के सम्मलित ह्रास के कारण गंभीर सम्प्रेषण, विकास, और शिक्षण संबंधी गंभीर दशाएं अभिप्रेत है।

इकाई–2

वाक् श्रवण दिव्याँगों के लिए शैक्षणिक, वित्तीय,अन्य सुविधायें / रियायतें(Facilities / Concessions) तथा प्रमुख संस्थान

प्रस्तावना (Introduction) :

दिव्यांग–जन को समाज की मुख्य धारा से जुड़ने हेतु भारत सरकार के द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं बनायी गयी है। निःशक्तता की शीघ्र पहचान से लेकर रोजगार तक, शिक्षा से लेकर व्यवसायिक प्रशिक्षण तक, छात्रवृत्ति से लेकर पेंशन भत्ता, पुरस्कार एवमं प्रोत्साहन राशि आदि उपलब्ध कराये जाने के उददेश्य से अनेक योजनाएं केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के माध्यम से संचालित की जा रही हैं।

(1)निःशक्तता का शीघ्र पहचान एवं आकलन (Early Interventions of Disability)

(अ) आंगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा महिला एवं शिशु पोषाहार कार्यक्रम का संचालन तथा निःशक्तता की शीघ्र पहचान के प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(ब) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के कर्मियों का संवेदीकरण।

(स) जिला पुनर्वास केन्द्रों द्वारा 'पहचान–मेजरमेन्ट' शिविर का संचालन।

(द) सी0आर0सी0 द्वारा शिविर आयोजन।

(य) भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजन के पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPRPD) कार्यक्रम का संचालन।

(र) विद्यालय स्तर पर चेकलिस्ट के माध्यम से विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों/ दिव्यांगों का चिन्हाकन ।

(ल) राष्ट्रीय संस्थान व क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्रों द्वारा शीघ्र पहचान व हस्तक्षेप कार्यक्रम संचालन करना।

(प) जिला अस्पताल, रेफरल अस्पताल एवं प्राइवेट अस्पताल में हाई रिस्क रजिस्टर द्वारा बच्चों की पहचान व आकलन।

(2)उपकरण (Provision of Aids/ Appliances)

भारत सरकार के द्वारा निःशक्त व्यक्तियों/ दिव्यांगों के जीवन को सुगम्य बनाने हेतु सहायक उपकरण/यन्त्र व किट जैसी सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है जिससे दिव्यांगजन स्वतन्त्र रूप से जीवनयापन कर सकें। यह सुविधाएं निःशक्त व्यक्तियों को सहायक उपकरण/ यन्त्र के कय व फिटिंग हेतु सहायता या एडिप (ADIP) स्कीम के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जाती है। एडिप (ADIP) स्कीम का मुख्य उद्देश्य जरूरत मंद दिव्यांग व्यक्तियों को आधुनिक उपकरण/यन्त्र व किट उपलब्ध कराना है। जो दिव्यांगजन निःशक्तजन अधिनियम (1995) और राष्ट्रीय न्यास अधिनियम (1999) के अन्तर्गत शामिल है उन्हें यह सुविधाएं मिल सकती है।एडिप (ADIP) स्कीम विभिन्न राष्ट्रीय संस्थान, क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्र, सी0आर0सी0, डी0आर0सी0 एवम् गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। इस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त करने हेतु दिव्यांग व्यक्ति के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए–

(1)भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र।

(2)न्यूनतम 40 प्रतिशत या उससे अधिक मात्रा वाला निःशक्तता प्रमाण पत्र।

(3)आय प्रमाण पत्र।

12 वर्ष से कम उम्र के दिव्यांगों के लिए वर्ष में एक वार तथा 12 वर्ष से अधिक उम्र के दिव्यांगों के लिए 3 वर्ष की अवधि में एक वार सहायक उपकरण/यन्त्र उपलब्ध कराया जाता है। जिन दिव्यांगजन के माता पिता/ अभिभावक की मासिक आय 15 हजार रूपये प्रति माह है उन्हें निःशुल्क सहायक उपकरण/यन्त्र तथा जिन दिव्यांगजन के माता पिता/ अभिभावक की मासिक आय रू0 15,000 से रू0 20,000 है उन्हें सहायक उपकरण/यन्त्र की 50 प्रतिशत सहायता राशि उपलब्ध करायी जाती है। दिव्यांग यक्तियों की आवश्यकतानुसार विविध उपकरण इस योजना के अन्तर्गत प्रदान किये जाते है।

3–शिक्षा (Quality Education)

भारत सरकार के द्वारा दीनदयाल डिसेबल रिहैब्लिटेशन स्कीम (DDRS) के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों को निःशक्त व्यक्तियों के लिए शिक्षा तथा पुनर्वास कार्य में जुड़ी संस्थाओं को आर्थिक अनुदान दिया जाता है। निःशक्त व्यक्तियों के लिए समान अवसर, सामाजिक न्याय एवम् सशक्तीकरण करने तथा निःशक्तजन अधिनियम 1995 के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। शीघ्र देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम, विशेष विद्यालय, व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, आश्रित कार्यशाला, सर्वे, जागरूकता, सामुदायिक आधारित पुनर्वास, सेमिनार, मानव संसाधन विकास आदि कार्यों में शामिल संस्थाओं को प्रोजेक्ट के माध्यम से धनराशि उपलब्ध करायी जाती है।इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्य सरकारें अपने अधीन विशेष विद्यालय तथा समावेशित विद्यालय (कक्षा 1 से 10 तक) में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के माध्यम से योजनाएं क्रियान्वित कर रही है।

4–छात्रवृत्ति (Scholarship)

सामाजिक न्याय एवम अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निःशक्त व्यक्तियों के लिए प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक कोर्स हेतु निम्न छात्रवृत्ति व भत्ते दिये जा रहे है।

मद	गैर आवासीय छात्र	आवासीय छात्र
छात्रवृत्ति/माह	350	600
पुस्तक एवं स्टेशनरी	750	1000

उक्त के अतिरिक्त पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति तथा पी.एच.डी. के लिए राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप तथा विदेशों में अध्ययन करने के लिए नेशनल ओवरसीज स्कालरशिप तथा मानसिक रूग्ण बच्चों के लिए कोचिंग भत्ता रू0 240 प्रतिमाह प्रावधानित है। परिवहन भत्ता के रूप में प्रतिमाह 160 रूपये तथा 80 प्रतिशत से अधिक मात्रा वाले दिव्यांग को रू0 160 प्रतिमाह अनुरक्षक भत्ता (Escort Allowance) दिया जाता है। गम्भीर रूप से अस्थि दिव्यांग छात्रों के लिए रू0 160 प्रतिमाह सहायक भत्ता(Attendant Allowance) दिया जाता है। राष्ट्रीय विकलांगजन वित एवं विकास निगम (NHFDC) द्वारा व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे दिव्यांग छात्रों को नेशनल फंड एवं ट्रस्ट फंड के माध्यम से छात्रवृत्ति उपलब्ध है। प्रतियोगी परीक्षा के लिए विभिन्न दिव्यांग व्यक्तियों को निशुल्क कोचिंग सुविधा का प्रावधान है।

5–व्यवसायिक तथा कौशल प्रशिक्षण (Vocational & Skill Development Training)

दिव्यांग व्यक्तियों को व्यवसायिक रूप से सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार ने 230 व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की है जिसके माध्यम से रोजगार परक प्रशिक्षण

उपलब्ध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवम् नेशनल स्किल डेवलमेण्ट कार्पोरेशन (NSDC) द्वारा विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित है। विभिन्न राष्ट्रीय संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, सी0आर0सी0, डी0आर0सी0 एवम् स्वैच्छिक संस्थाओं को इस प्रकार के कार्यक्रम संचालन करने हेतु आर्थिक सहायता दी जा रही है। जिसकी विस्तृत जानकारी www.disabilityaffairs.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

6–रोजगार (Employment opportunity):

भारत सरकार एवमं राज्य सरकार के आधीन समूह क, ख, ग तथा घ पदों में दिव्यांगों को 4 प्रतिशत का आरक्षण दिया जा रहा है।

7–परिवहन में छूट (Concession in the Travelling/ Transportation):

अ–सड़क मार्ग (By Road Travel):

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य सड़क परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा है।

ब–रेल मार्ग (By Rail Travel):

रेल मंत्रालय के द्वारा विभिन्न प्रकार के दिव्यांगों के लिए एकल अथवा अनुरक्षक हेतु निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट है प्रावधानित है–

निःशक्तता का प्रकार	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	स्लीपर	सीजन टिकट
श्रवण बाधित	75	75	75	75
दृष्टि बाधित	75	75	50	50
चलन बाधित	75	75	75	75
मानसिक बाधित	75	75	75	75

स–हवाई मार्ग (By Air Travel):

भारत सरकार के वायुयान (Indian Air Lines) में दृष्टि दिव्यांगों के लिए घरेलू उड़ानों में 50 प्रतिशत की छूट है। अनुरक्षक को कोई छूट नहीं है। अस्थि दिव्यांगों के लिए कोई छूट नहीं है (व्हील चेयर सुविधा उपलब्ध है)।

8–संचार के साधन :

दृष्टि दिव्यांगों के लिए देश तथा विदेश में केवल सड़क मार्ग द्वारा ब्रेल में लिखे साहित्य को भेजने के लिए निशुल्क सुविधा है।

अ–टेलीफोन भत्ता(Telephone Allowance) :

दृष्टि दिव्यांगों को टेलीफोन शुल्क रेट में 50 प्रतिशत की छूट है।

ब–यात्रा भत्ता (Travel Allowance) :

दिव्यांग कर्मचारियों को मूल वेतन का 5: (अधिकतम रू0 100/ तक) यात्रा भत्ता दिया जाता है।

9–सीमा शुल्क (Custom Duty) :

दिव्यांगों के लिए विदेशों से मंगायी जाने वाले उपकरण पर सीमा शुल्क में छूट है।

10–आयकर (Income Tax) में छूट :

आयकर अधिनियम के Section 80 DD के अन्तर्गत दिव्यांग बच्चों के अभिभावक उनके चिकित्सीय एवं पुनर्वास खर्चे हेतु अधिकतम रू0 20,000/ तक छूट ले सकते है।

11–ऋण की सुविधा(Loan Facility):

राष्ट्रीय विकलांगजन वित एवं विकास निगम (NHFDC) के द्वारा दिव्यांग उद्यमियों को राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से कम ब्याज पर ऋण देने की सुविधा है विस्तृत जानकारी हेतु www.nhfdc.in पर उपलब्ध है।

12–चिकित्सीय प्रतिपूर्ति (Medical Reimbursement):

सभी प्रकार के दिव्यांगों को स्वास्थ सेवायें देने हेतु भारत सरकार ने *स्वालम्बन हेल्थ स्कीम* नामक बीमा योजना शुरू की है जिसमें पति पत्नी और दो बच्चे सीमित होते है। रू0 3100/– की वार्षिक प्रीमियम दर पर 2 लाख का बीमा होता है।

13–राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कार (State & National Level Awards):

भारत एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों में वार्षिक पुरस्कार देने की योजना है, जो निम्नलिखित हैं –

(1)श्रेष्ठ कर्मचारी (2)श्रेष्ठ संस्थान (3)श्रेष्ठ अनुसंधान
(4)बाधारहित वातावरण में श्रेष्ठ (5) रोल मॉडल
(6) श्रेष्ठ जनपद (7)श्रेष्ठ राज्य (8)श्रेष्ठ सर्जन
(9)श्रेष्ठ वेबसाइट (10)श्रेष्ठ स्पोटर्स पर्सन

14–एस0आई0पी0डी0ए0 (SIPDA) योजना :

निःशक्तज, अधिनियम 1995 के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु तथा सकारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार के दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा विभिन्न अनुदान देने का प्रावधान है।

15–निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं हेतु प्रोत्साहन राशि :

निजी क्षेत्रों में दिव्यांगजनों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है।

निःशक्तता के क्षेत्र में अधिनियम(Acts in the area of Disability)

(1)भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992
(2)निःशक्त जन अधिनियम 1995
(3)राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999
(4)निःशक्तजन अधिकार अधिनियम 2016

संवैधानिक निकाय (Constitutional Body) :

(1)भारतीय पुनर्वास परिषद
(2)निःशक्तजन आयुक्त (राज्य स्तर पर) एवं मुख्य आयुक्त (केन्द्र स्तर पर)
(3)राष्ट्रीय न्यास

प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान एवं विश्वविद्यालय (Main National Institutes & Universities for Rehabilitation of Divyangjan) :

(1)सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन –

1–अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, मुम्बई।
2– राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकन्दरबाद।
3–राष्ट्रीय बहुँविकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान, चेन्नई।
4–राष्ट्रीय गतिशील दिव्यागंजन संस्थान, कलकत्ता

5—पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांग संस्थान, नई दिल्ली।
6—राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन, सशक्तिकरण संस्थान देहरादून।
7—स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण एवम अनुसंधान संस्थान, ओलरपुर कटक।
8—भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नोएडा।

(2)स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन —

(1)अखिल भारतीय वाक एवं श्रवण संस्थान, मैसूर।
(2)राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवम् स्नायुविज्ञान संस्थान, बैगलुरू।
(3)अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुर्नवास संस्थान, मुबंई।

3—क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्र (Regional Rehabilitation Centre) :

(1)श्रीनगर, जम्मू कश्मीर
(2) सुन्दर नगर, हिमाचल प्रदेश
(3) लखनऊ, उत्तर प्रदेश
(4)भोपाल, मध्य प्रदेश
(5) गोवाहाटी, असोम
(6)पटना, बिहार
(7)अहमदाबाद, गुजरात
(8)कोजीकोर, केरल
(9)भुवनेश्वर, उड़ीसा
(10) विलासपुर, छत्तीसगढ
(11) नैल्लोर, आन्ध्र प्रदेश
(12) नागपुर, महाराष्ट्र।

4—व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र (Vocational Rehabilitation Centre) :

(1) हैदराबाद, तेलगाना
(2) गोवाहाटी, आसाम
(3) पटना, बिहार
(4) बड़ोदरा, गुजरात
(5)अहमदाबाद, गुजरात
(6)पूना, हिमाचल प्रदेश
(7)श्रीनगर, जम्मू कश्मीर
(8)बैगलूर, कर्नाटक
(9)तिरूवनन्नत पुरम, केरल
(10)जबलपुर, मध्य प्रदेश
(11)मुम्बई, महाराष्ट्र
(12) दिल्ली
(13)भुवनेश्वर, उड़ीसा
(14)कटक,उडीसा
(15)पांडुचरी
(16)लुधियाना, पंजाब
(17)जयपुर, राजस्थान
(18) चेन्नई, तमिलनाडु
(19) अगरतला, त्रिपुरा
(20) कानपुर, उ0प्र0
(21)लखनऊ, उ0प्र0
(22)रायगढ़, छत्तीसगढ़
(23) कोलकाता, पं0 बंगाल

5—पुनर्वास विश्वविद्यालय (Rehabilitation Universities) :

(1)डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ, उ0प्र0।
(2)जगतगुरू रामभद्राचार्य हैण्डिकैप्ड यूनिवर्सिटी, चित्रकूट, उ0प्र0।
(3)नेशनल यूनिवर्सिटी आफ रिहैब्लिटेशन एण्ड डिसेब्लिटी स्टडीज, केरल।

6—उपभोक्ता सर्वेक्षण इकाई:

(1)राष्ट्रीय विकलांगजन वित एवं विकास निगम (NHFDC), फरीदाबाद ।
(2)भारतीय कृत्रिम अंग निर्माणी निगम, (ALIMCO), कानपुर।

श्रवण दिव्यांगता (Hearing Impaired) क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में संचालित प्रमुख विद्यालय

(1) संकेत राजकीय मूकबधिर विद्यालय, उ0प्र0 के जनपद लखनऊ, बरेली, फरूखाबाद, आगरा, और गोरखपुर में संचालित
(2) एन.सी चतुर्वेदी स्कूल फार द डेफ, ऐशबाग, लखनऊ
(3) यू.पी.डेफ एण्ड डम्ब इंस्टीट्यूट, जार्ज टाउन, इलाहाबाद
(4) वाणीप्रदा संस्थान, लखनऊ
(5) नववाणी स्कूल हरउआ, वाराणसी
(6)विमल चन्द्र घोष स्कूल फार द डेफ, चौबे गली, वाराणसी
(7) मूक बधिर विद्यालय मेरठ कैण्ट
(8) आदर्श मूक बधिर विद्यालय, लखीमपुर खीरी
(9) ज्योति बधिर विद्यालय, कानपुर
(10) संत कबीर मूक बधिर विद्यालय बरेली
(11) प्राग नरायण मूक बधिर विद्यालय,सासनी गेट, अलीगढ़
(12) अखिल भारतीय विकलांग कल्याण समिति, अयोध्या, फैजाबाद

बहु–दिव्यांगों (Multiple Disabled) के लिए उत्तर प्रदेश में संचालित प्रमुख विद्यालय :

(1) दृष्टि सामाजिक संस्थान, सेक्टर –सी0, अलीगंज, लखनऊ
(2)स्कूल फार पोटेन्शियल एडवान्समेण्ट एण्ड रीस्टोरेशन आफ कान्फीडेन्स (SPARC) इण्डिया,सीतापुर रोड,लखनऊ
(3) विकलांग समाकलन संस्थान, करौदी, वाराणसी
(4) किरन सोसाइटी, माधोपुर, वाराणसी
(5) रचना विशेष विद्यालय,रासमण्डल, सदर, जौनपुर

==========

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

इकाई–3

समावेशित शिक्षाः प्रमुख राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय अधिनियम/ विधान (Inclusive Education:National & International Acts/ Legislations)

प्रस्तावना (Introduction) :

निःशक्तजनों या दिव्यांगों के अधिकारों तथा पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक अधिनियम नीतियाँ व विधान बनाये गये हैं। प्रमुख राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय अधिनियम/विधान तथा संधि का विवरण निम्नलिखित है–

(अ) राष्ट्रीय नीतियाँ व विधान (National Policies & Legislations)

1–राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Policy on Education), 1986

संसद के द्वारा मई 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पारित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के वृहद समर्थन पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने नीति में कुछ परिवर्तन करने के लिए अनुशंसा की। राष्ट्रीय नीति में कई नये एवं महत्वपूर्ण बिन्दुओं के सम्मिलित करने के उपरान्त संसद की संस्तुति के उपरान्त इसे नई शिक्षा नीति के नाम से जाना जाता है। यह निःशक्तजनों की शिक्षा से सम्बन्धित भारत सरकार के मानव संसाधन विकास (शिक्षा) मंत्रालय की एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण पहल साबित हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 12 भाग हैं, जिसमें सभी वर्ग की शिक्षा पर प्रावधान सुनिश्चित किये गये हैं। भाग 4 में शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े दूसरे वर्ग एवं क्षेत्र के अन्तर्गत विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों (Handicapped Children) की शिक्षा का प्रावधान है। शारीरिक तथा मानसिक रूप से निःशक्त जनों को शिक्षा देने का उद्देश्य यह होना चाहिये कि वे समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें, उनकी सामान्य तरीके से प्रगति हो तथा पूरे विश्वास एवं हिम्मत के साथ जीवन यापन कर सकें। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उपाय किये जाने हेतु प्रस्तावित है–

(1) निशःक्तता यदि हाथ पैर में मामूली सी है, तो ऐसे बच्चों की पढ़ाई, सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए।

(2) गम्भीर रूप से निःशक्त बच्चों के लिए छात्रावास वाले खास विद्यालयों की जरूरत होगी। इस तरह के विद्यालय, जहाँ तक सम्भव होगा, जिला मुख्यालयों में बनाये जायेंगे।

(3) निःशक्तजनों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी।

(4) शिक्षकों, खासतौर से प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी नया रूप दिया जायेगा जिससे वह निःशक्त बच्चों की कठिनाईयों को ठीक तरह से समझ कर उनकी सहायता कर सकें।

(5) निःशक्तजनों की शिक्षा के लिए स्वैच्छिक प्रयासों को हर सम्भव तरीके से प्रोत्साहित किया जायेगा।

2–भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम,1992 (Rehabilitation Council of India Act,1992)

अन्तर्राष्ट्रीय निःशक्तता वर्ष 1981 में निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास पर भारत सरकार का विशेष ध्यान गया। सरकार ने महसूस किया कि प्रशिक्षित मानव संसाधनों की कमी के

चलते देश में पुनर्वास सेवाओं का अपेक्षित विस्तार नहीं हो सका है। निःशक्तता के क्षेत्र में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम अलग–अलग एवं अस्थायी थे तथा पाठ्यक्रम का कोई स्तर नहीं था। पूर्व–स्नातक, एवं स्नातकोत्तर स्तर पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों के शिक्षण पाठ्यक्रमों में एकरूपता का अभाव था। अतः भारत सरकार ने सन् 1986 में पुनर्वास परिषद् (Rehabilitation Council) के गठन का निर्णय लिया, जिसको निम्नलिखित दायित्व दिये गये –

1–प्रशिक्षण नीति एवं कार्यक्रम (Training policies and programme) बनाना।
2–निःशक्तता के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यावसायिकों (Professionals) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मानकीकरण का कार्य करना।
3–इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाने वाले संस्थाओं को मान्यता देना।
4–पुनर्वास व्यासवसायिकों का केन्द्रीय पुनर्वास पंजिका में नाम दर्ज कर उसका रख–रखाव करना।

न्यायविद बहरूल इस्लाम समिति की संस्तुतियों के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि परिषद् को वैधानिक निकाय (Staturoy body) का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। इसको ध्यान में रखकर परिषद् को वैधानिक अधिकार देने तथा उसके कार्यों को प्रभावी ढ़ंग से सम्पादित करने के लिए दिसम्बर 1991 में संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे राष्ट्रपति ने 1 सितम्बर 1992 को मंजूरी दी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिनियम के रूप में जून 1993 को इसकी अधिसूचना जारी की। इसे भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम 1992 के नाम से जाना जाता है। यह देष की ऐसी स्वायत्तशासी संस्था है जहाँ निःशक्तता पुनर्वास के क्षेत्र के सभी योग्य व्यावसायिकों का केन्द्रीय पुनर्वास पंजिका में पंजीकरण किया जाता है। परिषद् का मुख्य उददेश्य निःशक्तजनों के शारीरिक चिकित्सकीय पुनर्वास (Physical-Medical Rehabilitation), शैक्षिक पुनर्वास (Educational Rehabilitation), व्यवसायिक पुनर्वास (Vocational Rehabilitation) तथ सामाजिक पुनर्वास (Social Rehabilitation) संबंधी आवश्यकताओं को प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा पूर्ण किया जाय। भारत सरकार द्वारा बनाये गये पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 को संसद में वर्ष 2000 के संशोधन संख्या–38 के तहत संशोधित किया गया, जिसे राष्ट्रपति द्वारा 4 सितम्बर, 2000 को संस्तुति प्रदान की गयी। अतः इसे भारतीय पुनर्वास परिषद (संशोधन) अधिनियम Rehabilitation Council of India(Amandment) Act,2000 के नाम से जाना जाता है।

भारतीय पुनर्वास परिषद् के उद्देश्य (Objectives of RCI)

निःशक्तता पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में उचित एवं उत्तम पुनर्वास सेवाओं की उपलब्धता के लिए जनशक्ति विकसित करने हेतु समर्पित भारतीय पुनर्वास परिषद् के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

(1) निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण नीतियों एवं कार्यक्रमों का विनियमन करना।
(2) निःशक्तता से सम्बन्धित व्यवसायिकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का मानकीकरण करना।
(3) निःशक्त व्यक्तियों से सम्बन्धित विभिन्न श्रेणियों के व्यवसायिकों हेतु शिक्षण एवं प्रशिक्षण के न्यूनतम मानक निर्धारित करना।
(4) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मानकों को देश भर में सभी प्रशिक्षण संस्थाओं में एक समान रूप से विनियमित करना।

(5) निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में डिग्री, डिप्लोमा, सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्थाओं / विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना और जहाँ कहीं सुविधाएं संतोषजनक न हो मान्यता रद्द करना।
(6) विश्वविद्यालय / संस्थाओं द्वारा परस्पर आधार पर प्रदान की गयी डिग्री, डिप्लोमा, सर्टीफिकेट को मान्यता प्रदान करना।
(7) मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता धारण करने वाले व्यक्तियों के केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर का रख–रखाव करना।
(8) भारत या विदेश की संस्थाओं से शिक्षण–प्रशिक्षण सम्बन्धित नियमित सूचनाएं इकठ्ठा करना, जो निःशक्त व्यक्तियों की पुनर्वास शिक्षा को प्रोत्साहित करती हों।
(9) निःशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों के सहयोग से सतत् पुनर्वास शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

3–निःशक्तजन (समान अवसर एवं अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (Persons With Disabilities (Equal Opportunities Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995)

दिनांक 1–5 दिसम्बर 1992 को पेइचिग में एशियाई और प्रशान्त क्षेत्र संबंधी आर्थिक और सामाजिक आयोग द्वारा निःशक्तजनों की एशियाई और प्रशान्त क्षेत्र दशाब्दी वर्ष 1993–2002 को आरंभ करने लिए अधिवेशन बुलाया गया। अधिवेशन में एशियाई और प्रशान्त क्षेत्र में निःशक्तजनों की पूर्ण भागीदारी और समानता संबंधी उदघाषणा को अंगीकार किया गया। भारत के द्वारा उक्त उदघोषणा पर हस्ताक्षर किये गये। इस उदघेषणा के कियान्वयन हेतु निःशक्तजन(समान अवसर एवं अधिकारों का संरक्षण आकर पूर्ण भागीदारी) अधिनियम,1995 भारत की संसद ने पारित किया। 1जनबरी 1996 को राष्ट्रपति द्वारा इस पर संस्तुति प्रदान की गयी।यह कानून निःशक्त व्यक्तियों को समान अवसर, समान अधिकार तथा राष्ट्र निर्माण में इनकी पूरी भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि एवं कदम है। यह कानून जम्मू–कशमीर के अतिरिक्त सम्पूर्ण भारतवर्ष में लागू है।इस अधिनियम के अन्तर्गत पुनर्वास को बढ़ावा देने सम्बन्धी सभी पहलुओं जैसे– शिक्षा, रोजगार एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण, आरक्षण, अनुसंधान और जनशक्ति विकास, विरोध मुक्त वातावरण, निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास, निःशक्तजनों को बेरोजगारी भत्ता, निःशक्त कर्मचारियों के लिए विशेष बीमा योजना तथा गम्भीर रूप से ग्रसित निःशक्त व्यक्तियों के लिए गृहों की स्थापना करना सम्मिलित है। निःशक्तजन(समान अवसर एवं अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम,1995 को 14 अध्यायों में विभाजित किया गया है। अधिनियम के अध्याय 1 में सात प्रकार की निशःक्तताओं तथा अध्याय 5 में शिक्षा का वर्णन है।

अध्याय 5: शिक्षा (Education)

सभी के लिए शिक्षा योजना के अन्तर्गत निःशक्तता की प्रत्येक श्रेणी को सम्मिलित किया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निःशक्त व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु निम्नलिखित प्रावधान लागू करने होंगे:–
(1) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक निःशक्त बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक उचित वातावरण में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो सके।
(2) इसके लिए निःशक्त विद्यार्थियों को सामान्य विद्यालय में एकीकृत शिक्षा के लिए अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

(3) विशेष शिक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सरकारी एवं गैर–सरकारी तंत्र को विशेष विद्यालयों की स्थापना हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा, जिससे देश के किसी भी भाग में रह रहे निःशक्त बच्चे शिक्षा का लाभ उठा सकें।
(4) ऐसे विद्यालयों में निःशक्त बच्चों हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था के लिए भी प्रयास किये जाने का प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें एवं स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अधिसूचना के तहत निम्नलिखित कार्य करने हेतु योजनाएं बनायी जा सकती है–
(1) ऐसे निःशक्त बच्चे जिन्होंने 5वीं कक्षा तक शिक्षा पूरी की हो परन्तु पूर्ण–कालिक आधार पर अपना अध्ययन जारी नहीं रख सकते, उनके लिए अंशकालिक कक्षाओं का संचालन करना।
(2) 16 वर्ष और उससे ऊपर की आयु समूह के बच्चों के लिए क्रियात्मक साक्षरता की व्यवस्था हेतु विशेष अंशकालिक कक्षाओं का संचालन करना।
(3) ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध जनशक्ति का उपयोग करके उन्हें समुचित शिक्षा देने के पश्चात अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना।
(4) निःशक्तजनों को खुले विद्यालयों एवं खुले विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना।
(5) इनके लिए अन्य क्रियात्मक इलेक्ट्रानिक एवं अन्य संचार साधनों के माध्यम से कक्षाओं और परिचर्चाओं का संचालन करना।
(6) प्रत्येक निःशक्त बच्चे/व्यक्ति की शिक्षा के लिए आवश्यक विशेष पुस्तकों एवं उपकरणों की निःशुल्क व्यवस्थाा करना।

इसके अतिरिक्त पूर्ववत् योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये सरकारी अधिसूचना जारी कर एक व्यापक शिक्षा योजना तैयार करेंगी, जिसमें निम्नलिखित से सम्बन्धित तथ्य सम्मिलित होंगे –
(1) निःशक्त बच्चों के लिए परिवहन सुविधाएं अथवा उनके मात–पिता / अभिभावकों को वैकल्पिक वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा, जिससे उनके निःशक्त बच्चे आसानी से विद्यालय जा सकें।
(2) व्यवसायिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण देने वाले विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं से वास्तु एवं अन्य बाधाओं को दूर करना।
(3) विद्यालय जने वाले निःशक्त बच्चों के लिए पुस्तकें, वर्दियों तथा अन्य सामग्रियाँ प्रदान करना।
(4) निःशक्त विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना।
(5) निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास हु उनके माता–पिता की शिकायतों को दूर करने के लिए समुचित मंच स्थापित करना।
(6) दृष्टिहीन एवं अल्प दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लाभार्थ पूर्णतया गणित सम्बन्धी प्रश्नों को हटाने के लिए परीक्षा पद्धति में उपयुक्त परिवर्तन करना।
(7) निःशक्त बच्चों की समस्याओं को देखते हुए उनके पाठ्यक्रम की पुनसंरचना करना।
(8) श्रवण शक्ति हास वाले विद्यार्थियों के लाभार्थ उनके पाठ्यक्रम के भाग के रूप में केवल एक भाषा लेने हेतु प्रेरित कर पाठ्यक्रम की पुनसंरचना करना।
(9) इसके साथ–साथ सभी शिक्षण संस्थाओं द्वारा नेत्रहीन एवं कम दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए लिखने हेतु सहायक की व्यवस्था करना।

4–निःशक्तजन राष्ट्रीय नीति (National Policy for Persons with Disabilities), 2006

दिसम्बर 2005 में प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में एक नीति प्रस्तुत की गयी, जिसे उसी समय मंजूरी भी मिल गयी थी। इसकी घोषणा 10 फरवरी 2006 को की गयी, अतः इसे *राष्ट्रीय निःशक्तता नीति 2006* के नाम से जाना जाता है। इस नीति के अन्तर्गत कुल 62 कथन हैं, जिसमें निःशक्तता की पहचान, शीघ्र हस्तक्षेप, चिकित्सा, शिक्षा, सहयक उपकरण, पुनर्वास, रोजगार, बाधामुक्त वातावरण, सामाजिक सुरक्षा, खेल–कूद मनोरंजन, सांस्कृतिक क्रिया–कलाप शोध आदि सम्बन्धित कार्यवाहियों को सम्मिलित किया गया है। निःशक्तजनों की शिक्षा (Education for Persons with Disabilities) का वर्णन कथन संख्या 20 से 27 तक में अंकित है–

कथन 20–निःशक्त व्यक्ति अधिनियम–1995 की धारा–26 को ध्यान में रखते हुए, कम से कम 18 वर्ष की आयु के सभी निःशक्त बच्चों को निःशुक्ल एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जानी है। अतः निःशक्त व्यक्तियों को समावेशी शिक्षा के माध्यम से सामान्य शिक्षा पद्धति की मुख्यधारा में लाये जाने की आवश्यकता है।

कथन 21–सर्व शिक्षा अभियान द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के अन्य बच्चों के साथ सभी निःशक्त बच्चों के लिए वर्ष 2010 तक कक्षा 8 तक की आरंभिक स्कूली शिक्षा देना है। एकीकृत शिक्षा योजना (आई0ई0डी0सी0) के अन्तर्गत 15–18 वर्ष की आयु के निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है।

कथन 22–सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निःशक्त बच्चों को कई तरह की शिक्षा विकल्प, शिक्षण साधन और उपकरण, गामक सहायता तथा अन्य सेवाएं भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। इसमें मुक्त शिक्षा पद्धति एवं खुली विद्यालीय शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, विशेष विद्यालय, जहाँ आवश्यक है वहाँ गृह आधारित शिक्षा, परिभ्रामी अध्यापक(Itinerant Teacher) मॉडल, उपचारी शिक्षा, अंशकालिक कक्षांए, समुदाए आधारित पुनर्वास एवं व्यवसायिक शिक्षा सम्मिलित है।

कथन 23–राज्य सरकारें, स्वायत्त निकायों और स्वेच्छिक संगठनों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली आई0ई0डी0सी0 योजना के अन्तर्गत विशेष शिक्षकों, पुस्तकें तथा लेखन सामग्री, यूनीफार्म, परिवहन भत्ता , दृष्टि अक्षम बच्चों के लिए शिक्षण भत्ता, छात्रावास भत्ता, उपस्कर लागत, वास्तुशिल्पीय बाधाओं का हटाना / परिवर्तन करना, अनुदेशन सामग्री की खरीद / उत्पादन, सामान्य शिक्षकों का प्रशिक्षण और संसाधन कमरों के लिए उपस्कर जैसी विभिनन सुविधाओं हेतु शत–प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

कथन 24–नियमित सर्वेक्षणों द्वारा निःशक्त बच्चों की पहचान, उपयुक्त विद्यालयों में इनका दाखिला और इन्हें अपनी शिक्षा सफलतापूर्वक पूरी करने तक शिक्षा देने के लिए सरकार की तरफ से सयुंक्त प्रयास किये जायेंगे। उपयुक्त तरीके की शिक्षण सामग्री तथा पुस्तकें, प्रशिक्षित एवं सुग्राहित शिक्षकों और ऐसे विद्यालय भवनों जो सुगम्य एवं बच्चों के अनुकूल हों, की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी।

कथन 25–भारत सरकार निःशक्त छात्रों को विद्यालय स्तर के बाद अध्यन हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करेगी।

कथन 26–सुविधारहित/अल्प सुविधा वाले क्षेत्रों में विद्यमान संस्थानों को अनुकूल बनाकर या संस्थानों की शीघ्र स्थापना करके विभिन्न प्रकार के उत्पादकारी क्रिया–कलापों के अनुरूप

निःशक्त व्यक्तियों में कौशल विकास बढ़ाने के लिए तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा की सुविधाओं को प्रोत्साहित किया जायेगा।

कथन 27–निःशक्त व्यक्तियों की उच्च एवं व्यवसायिक शिक्षा हेतु विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों तथा उच्च शिक्षा की अन्य संस्थानों में पहुँच प्रदन की जायेगी।

5–निःशक्तजन अधिकार अधिनियम 2016 (The Rights of Persons With Disabilities Act, 2016)

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 13 दिसम्बर 2006 को निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर अभिसमय(समझौता) को अंगीकृत किया है। अतः निःशक्त व्यक्तियों के सशक्तीकरण के लिए भारत की संसद के उच्च सदन द्वारा 1दिसम्बर 2016 को निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 पारित किया। 27 दिसम्बर 2016 को राष्ट्रपति द्वारा इस पर संस्तुति प्रदान की गयी। इस अधिनियम को 17 अध्यायों तथा 102 धाराओं में बाँटा गया है, अध्याय 3 के अन्तर्गत निःशक्त व्यक्तिों की शिक्षा का धारा 16 से लेकर 18 तक में वर्णन है। जो निम्नलिखित हैं–

निःशक्त व्यक्तियों की शिक्षा(The Education of Persons With Disabilities)

धारा 16–समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी प्रयास करेंगे कि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाएँ निःशक्त बालकों के लिए सम्मिलित शिक्षा प्रदान करने का पालन करे। इस संबंध में निम्नलिखित उपाय करेंगी, –

(1) उन्हें बिना किसी विभेद के प्रवेश देना और अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से खेल और आमोद–प्रमोद गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान करना।

(2) भवन, परिसर बनाना और पहुँच वाली विभिन्न सुविधाएं प्रदान करना।

(3) व्यक्तिगत अपेक्षाओं के अनुसार युक्तियुक्त जल, स्वच्छता व स्वास्थ्य सुविधा।

(4) पर्यावरण जो पूर्ण समावेशन के ध्यये के साथ सुसंगत शौक्षणिक और सामाजिक विकास को उच्चतम सीमा तक बढ़ाते हैं, में व्यक्तिपरक या अन्यथा आवश्यक समर्थन प्रदान करना।

(5) यह सुनिश्चित करना कि व्यक्ति को जो अंधा या बधिर या दोनों हैं संसूचना की समुचित भाषाओं और रीतियों तथा साधनों में शिक्षा प्रदान करना।

(6) यथाशीघ्र बालकों में विनिर्दिष्ट निःशक्तताओं की विद्या का पता लगाना और उन्हें प्राप्त करने के लिए उपयुक्त शैक्षणिक और अन्य उपाय करना।

(7) प्रत्येक निःशक्त छात्र के संबंध में उसकी भागीदारी, लाभ प्राप्ति स्तरों के निबंधनों में उसकी प्रगति और शिक्षा की पूर्णता को मानीटर करना;

(8) निःशक्तताओं वाले बालकों और अधिक सहारे की आवश्यकता वाले निःशक्त बालकों के परिचर के लिए भी परिवहन सुविधाएँ उपलब्ध कराना।

धारा 17– समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी धारा 16 के प्रायोजन के लिए निम्नलिखित उपाय करेंगे–

(क) निःशक्त बालकों की पहचान करने के लिए, उनकी विशेष आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने और जिन्हें वह पूरा कर सकेंगे उसके विस्तार तक स्कूल जाने वाले बालकों के लिए सर्वेक्षण संचालित करनाः परन्तु पहला सर्वेक्षण इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर संचालित होगा।

(ख) शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को पर्याप्त संख्या में स्थापित करना।

(ग) शिक्षकों को प्रशिक्षित और नियोजित करना जिसके अन्तर्गत निःशक्त अध्यापक भी है जो सांकेतिक भाषा और ब्रेल में अर्हित है और जो बौद्धिक रूप में निःशक्त बालकों के अध्यापन में प्रशिक्षित हैं।
(घ) सम्मिलित शिक्षा के समर्थन के लिए स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रवृत्ति और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना।
(ड़.) स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर शैक्षिक संस्थाओं के सहयोग के लिए संसाधन केन्द्रों को पर्याप्त संख्या में स्थापित करना।
(च) वाक् संप्रेषण या भाषा निःशक्तता वाले व्यक्तियों के दैनिक संप्रेषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संप्रेषण ब्रेल और सांकेतिक भाषा के साधनों और रूपविधानों को सम्मिलित करते हुए समुचित संबंधी और अनुकल्पी पद्धतियों के प्रयोग का संवर्धन करना।
(छ) संदर्भित निःशक्त छात्रों को अठारह वर्ष की आयु तक निःशुल्क पुस्तकें, अन्य विद्या सामग्री और उचित सहायक युक्तियाँ।
(ज) संदर्भित निःशक्त छात्रों के समुचित मामलों में छात्रवृत्ति प्रदान करना।
(झ) निःशक्तताओं वाले छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम और परीक्षा में उपयुक्त जैसे परीक्षा पत्र को पूरा करने के लिए अधिक समय, एक लिपिक या सचिव की सुविधा, दूसरी और तीसरी भाषा के पाठ्यक्रमों से छूट के लिए उपयुक्त उपांतरण करना।
(ञ) विद्या सुधारने के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना।
(ट) कोई अन्य उपाय जो विहित किए जाएं।

धारा 18– समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी प्रौढ़ शिक्षा में निःशक्त व्यक्तियों की भागीदारी को संवर्धित संरक्षण और सुनिश्चित करने के लिए और उनमें अन्य व्यक्तियों के साथ समान शिक्षा कार्यक्रम जारी रखने के लिए उपाय करेंगे।

6–राष्ट्रीय न्यास अधिनियम (National Trust Act), 1999

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय (मानसिक मंदता, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, स्वपरायणता एवं बहु–निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति का कल्याण) न्यास अधिनियम, 1999 कहा जाता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत, स्वलीनता, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, मानसिक मंदता तथा बहु–निःशक्त बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय न्यास बनाने की बात कही गयी है। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की तरफ से संसद में पारित किया गया जिसके उपरान्त दिनांक 30 दिसम्बर 1999 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर स्वीकृति प्रदान की। यह अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर के अतिरिक्त पूरे देश में लागू होता है। इस अधिनियम को मुख्यरूप से नौ अध्यायों में बाँटा गया है।

राष्ट्रीय न्यास द्वारा संचालित कार्यक्रम (Programs Implemented by the National Trust) :

स्वलीनता, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, मानसिक मंदता एवं बहु–निःशक्तता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए गठित इस न्यास के अन्तर्गत अनेकों कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रम निःशक्तजनों को सीधे तो कुछ परोक्ष रूप में लाभ पहुँचाते हैं इसके अतिरिक्त निःशक्त व्यक्तियों के लिए कई अन्य कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। अतः न्यास के अन्तर्गत संचालित किये जा रहे कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है–

(1) दिवसीय देख–रेख (2) सहयोग एवं पहुँच योजना (3) राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी (4) समुदाय आधारित सेवादाता प्रशिक्षण कार्यक्रम (5) मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम (6) विधिक

संरक्षकता (7) सूचना केन्द्र (8) सहयोगिक संरक्षकता (9) सामर्थ्य (10) सहयोगी (11) अरूनिम(Association for Rehabilitation under National Trust Initiative) (12) ज्ञान प्रभा (13) उद्यम प्रभा (14) निर्मय योजना (15) घरौंदा इत्यादि।

7–निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009:The Right of Children to Free and Compulsory Education(RTE) Act 2009

86वें संविधान संसोधन 2002 के द्वारा संविधान के खण्ड–3 में एक नया अनुच्छेद 21–क जोडा गया , जिसमें 6–14 आयुवर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना मौलिक अधिकार बना दिया गया है। 4 अगस्त 2009 को *बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम* को स्वीकृति प्रदान की गयी। यह 1 अप्रैल 2010 से जम्मू कशमीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारतवर्ष में लागू है।इससे देश के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त हो गया है। निःशक्तजनों के अधिकारों हेतु संयुक्त राष्ट्र समझौता (United Nations Convention on Rights of Persons with Disabilities) 2006, की अनेक प्रतिवद्धताओं का कियान्वयन किया जा रहा है। इस अधिनियम के अन्तर्गत 6–14 आयुवर्ग के शिक्षा से वंचित विभिन्न पिछड़े एवं धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के साथ–साथ विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों (दिव्यांगों) की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस अधिनियम में 7 अध्याय व 38 खण्ड है। इस अधिनियम के अध्याय 2 में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों (दिव्यांगों)की शिक्षा का प्रावधान किया गया है। निःशक्तजन (समान अवसर एवं अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1996 की धारा 2 में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को परिभाषित किया गया है। इन बच्चों को निःशक्तजन अधिनियम 1996 के अध्याय 5 के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार होगा।सर्व शिक्षा अभियान योजना के द्वारा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों (दिव्यांगों)को गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध करायी जा रही है।

(ब) अन्तर्राष्ट्रीय विधान/समझौता (International Legislations & Conventions

1–सभी के लिए शिक्षा पर विश्व घोषणा (The World Declaration on Education For All):

जैमटाईन (थाईलैण्ड) में 5–9 मार्च, 1990 को सभी के लिए शिक्षा पर विश्व अधिवेशन आयोजित किया गया जिसमें सभी देशों के प्रतिभागियों द्वारा सभी के लिए शिक्षा के निम्नलिखित लक्ष्यों को सामूहिक रूप से लागू करने की वचनबद्धता तय की गयी –

1–सम्पूर्ण विश्व में सभी उम्र के लोगों, महिलाओं एवं पुरूषों के लिए शिक्षा का एक मौलिक अधिकार है।

2–यह समझना कि सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रगति, सहनशक्ति एवं अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में समकालीन सहभागिता करते हुए शिक्षा एक सुरक्षित, स्वस्थ, अधिक उन्नतिशील एवं वातावरणीय सशक्तता में सहयोग सुनिश्चित करती है।

3–यह जानना कि शिक्षा व्यक्तिगत एवं सामाजिक सम्मिलित हेतु एक अनिवार्य कुंजी है, जबकि स्थिति पर्याप्त नहीं है।

4–यह पहचानना कि परम्परागत ज्ञान एवं देशज सासंस्कृतिक पैतृत्व का उनके अपने अधिकार की मूल्य एवं वैधता है तथा विकास को परिभाषित करने एवं बढ़ाने दोनों की क्षमता है।

5–यह स्वीकार करना कि सम्पूर्ण शिक्षा के वर्तमान प्रावधान में गम्भीर रूप से कमी आयी है तथा इसे उपयुक्त एवं बढ़ी गुणवत्ता का तथा व्यापक रूप से उपलब्ध बनाना होगा।
6–यह पहचान करना कि उच्च स्तरीय शिक्षा, वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्षरता एवं क्षमता को सुदृढ़ करने तथा स्व–निर्भर विकास के लिए बेहतर बेसिक शिक्षा आवश्यक है।
7–यह पहचान करना है कि वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ी को विस्तृत दृष्टि देने के लिए तथा बेसिक शिक्षा की कठिन चुनौतियों को दूर करने के लिए नवीनीकृत प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।

2– डकार रूप रेखा कार्यवाही (Dakar Framework for Actionl):

डकार (सेनेगल) में अप्रैल 2000 में आयोजित विश्व शिक्षा मंच के सभी प्रतिभागियों ने प्रत्येक नागरिक एवं प्रत्येक समाज की शैक्षिक, उपलब्धि हेतु लक्ष्यों का निर्धारण कर सभी के लिए शिक्षा के प्रति वचनबद्धता व्यक्त की। अतः डकार संरचना सभी के लिए शिक्षा के प्रति एक सामूहिक वचनबद्धता है। इसमें विभिन्न उद्देश्यों के अतिरिक्त वर्ष 2015 तक सभी के लिए शीघ्र बाल्यकालीन शिक्षा के साथ–साथ प्रारम्भिक शिक्षा सुनिश्चित करना सम्मिलित है। इसके अन्तर्गत सरकारों की भी बाध्यता होगी कि सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को पूरा किया जाय। अर्थात इसमें सभी के लिए शिक्षा पर विष्व घोषणा (जेमटाइन 1990) के दर्षन को पुनर्सतर्थन प्रदान किया गया। सभी के लिए शिक्षा के निम्नलिखित लक्ष्यों को सामूहिक रूप से लागू करने की वचनवद्धता निर्धारित की गयी है–

(क) शीघ्र बाल्यकाल देख–रेख एवं शिक्षा को व्यापक रूप से बढ़ाना एवं विस्तार करना, विशेषकर सबसे दुर्बल एवं अति पिछड़े बच्चों पर ध्यान देना।
ख) सुनिश्चित करना कि वर्ष 2015 तक सभी बच्चों, विशेषकर लड़कियों, कठिन परिस्थितियों से ग्रसित बच्चों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की गुणवत्तापूर्ण सुगम एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पूरी हो सके।
(ग) सुनिश्चित करना है कि उपयुक्त अधिगम की समान सुगमता एवं जीवन कौशल कार्यक्रम के द्वारा सभी युवा एवं वयस्क लोगों की शैक्षिक जरूरतें पूरी की जा सकें।
(घ) वर्ष 2015 तक प्रौढ़ शिक्षा के स्तर में 50 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की जा सकेगी, विशेषकर महिलाएं तथा सभी वयस्कों के लिए मौलिक एवं सतत् शिक्षा की समान सुगमता प्रदान करना।
(ड.) वर्ष 2005 तक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में लैंगिक विषमता को दूर करना तथा 2015 तक शिक्षा में लैंगिक समानता को हासिल करना, जिसमें लड़कियों की गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने की पूर्ण सुगमता सुनिश्चित करना होगा।
(च) सभी तरह से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ाना तथा सभी को बेहतर बनाना जिससे सभी शिक्षणीय, गणनीय एवं आवश्यक जीवन कौशल द्वारा मान्य एवं मापनीय अधिगम प्राप्त कर सकें।

सभी के लिए शिक्षा पर विश्व घोषणा के अनुपालन में प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद का गठन किया गया जिसके द्वारा सर्व शिक्षा अभियान का कियान्वयन किया जा रहा है।

3–निःशक्तजनों के अधिकारों हेतु संयुक्त राष्ट्र समझौता (United Nations Convention on Rights of Persons with Disabilities),2006

निःशक्तजनों के अधिकारों हेतु सन् 2001 में मेक्सिको ने संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा में चर्चा के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। संयुक्त राष्ट्र समिति ने अगस्त 2006 में समझौता की लिखित रूपरेखा तैयार की। इस प्रकार 13 दिसम्बर 2006 को संयुक्त राष्ट्र

सभा ने इस समझौते को सर्वसम्मति से अपनाया तथा यह निःशक्तजनों के अधिकारों से सम्बन्धित अन्तर्राश्ट्रीय मानव अधिकार समझौता बन गया। 30 मार्च 2007 को यह समझौता देशों के हस्ताक्षर के लिए रखा गया, जिसमें 81 देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किये और यह क्षेत्रीय एकीकरण संगठनों के हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय समझौता बन गया। परन्तु भारत ने इस दिन अपना समर्थन प्रस्तुत नही किया था। भारत में इस समझौते पर सम्बन्धित विभागों में चर्चा उपरान्त 1अक्टूबर 2007 को भारत ने अपना समर्थन प्रस्तुत किया।

3 मार्च 2008 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने उक्त समझौते को लागू कर दिया। इस समझौते में 50 अनुच्छेद तथा 18 एच्छिक (Optional) अनुच्छेद सम्मिलित हैं। जिनके तहत निःशक्तजनों या दिव्यांगों के अधिकारों को प्रत्येक स्तर पर लागू कराने के साथ ही उनके कल्याणार्थ आवश्यक व्यवस्थाएं किये जाने का प्रावधान है। *समावेशित शिक्षा* इसका मुख्य भाग है। इस समझौता में उल्लिखित अनेक विन्दु भारत की संसद द्वारा पारित निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 से मिलते जुलते हैं। इसके अनुच्छेद 9 में सुगमता तथा अनुच्छेद 24 में निःशक्तजनों की शिक्षा का वर्णन है।

अनुच्छेद 9– सुगमता (Accessibility)

निःशक्त व्यक्तियों के प्रत्येक स्तर पर सुगमता के लिए निम्नलिखित पर अमल करना होगा–

1–निःशक्त व्यक्तियों को ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में सामान्य लोगों की तरह सुगमता, भौतिक वातावरण यातायात, सूचना एवं सम्प्रेषण, सूचना एवं सम्प्रेषण सम्बनिधत तकनीकी सुविधाएं, अन्य सुविधाएं एवं उपलब्ध सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें। इसके लिए सुगम्यता में आ रही विभिन्न प्रकार की रूकावटों एवं बाधाओं को पहचान कर दूर करना होगा जिसमें निम्नलिखित चीजें सम्मिलित हैं–

(अ) इमारतों, सड़कों, यातायात के साधानों एवं दूसरी सुविधाएं जो इमारतों के अन्दर या बारह उपलब्ध है, जैसे – विद्यालय, रिहायसी मकान, चिकित्सकीय सुविधाएं एवं व्यवसायिक जगह इत्यादि।

(ब) सूचना, सम्प्रेषण तथा इलेक्ट्रानिक एवं आपातकालीन सेवाओं सहित अन्य सेवाओं में सुगमता।

2–इसके तहत सरकार को अन्य उपयुक्त उपाय भी करना चाहिए। जो निम्नलिखित है –

(अ) जनता को प्रदान की जा रही सेवाओं के विकास, प्रचार–प्रसार एवं जांच पड़ताल हेतु न्यूनतम मानक एवं रूप–रेखा तैयार करना।

(ब) यह सुनिश्चित करना कि आम जनता हेतु उपलब्ध अथवा संचालित सुविधाएं एवं सेवाएं निःशक्त व्यक्तियों हेतु सुगम तथा पहुँच के अन्दर हों।

(स) निःशक्त व्यक्तियों द्वारा सुगमता से सम्बन्धित जिन समस्याओं का सामना किया जा रहा हे, उस सन्दर्भ में सम्बन्धित लोगों को प्रशिक्षण देना।

(द) ऐसी ईमारतों जिसमें जनता के लिए सेवाएं प्रदान की जाती है, वहाँ पर लगे साईनबोर्ड से समझने हेतु स्पष्ट एवं ब्रेल लिपि में लिखा होना चाहिए।

(य) ऐसी ईमारतें जो आम जनता के लिए बनी हो, उसमें सहयोग एवं मध्यस्तता हेतु मार्गदर्शक, पढ़ने वाला, सांकेतिक भाषा अनुवादक इत्यादि की सुविधा होनी ाहिए जिससे निःशक्त व्यक्तियों को किसी तरह की रूकावट न हो।

(र) निःशक्त व्यक्तियों को सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से अन्य तरीके से सहयोग प्रदान करने को बढ़ावा देना।

(ल) नई सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी एवं प्रणाली जैसे इंटरनेट को निःशक्त व्यक्तियों तक पहुँचाने हेतु बढ़ावा देना।
(व) सूचना एवं प्रसारण सम्बन्धी तकनीकी प्रणाली की संरचना, उत्पादन, विकास एवं वितरण को हर स्तर पर बढ़ावा देना, जिससे ये तकनीकें सभी लोगों तक सस्ते दामों में पहुँच सकें।

अनुच्छेद 24– शिक्षा (Education)

सभी की शिक्षा के तहत निःशक्तजनों को समावेशित शिक्षा से जोड़ना आवश्यक एवं अनिवार्य है। निःशक्त व्यक्तियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा में आवश्यक बदलाव भी किया जा सकेगा। अतः सरकार को निःशक्तजनों को सामान्य विद्यालय में सामान्य लोगों के साथ शिक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित उपाय करना होगा–

1–सरकार निःशक्तजनों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करे तथा बिना किसी भेद–भाव के समान अवसर के आधार पर सभी स्तर पर समावेशित शिक्षा प्रणाली सुनिश्चित करे, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित चीजें सम्मिलित होंगी–

(अ) जनशक्ति का विकास, स्वयं की पहचान, स्वयं का मूल्यांकन एवं मानवधिकार के प्रति सम्मान का सशक्तिकरण, मौलिक स्वतंत्रता एवं मानवधिकार सुनिश्चित करना।
(ब) निःशक्तजनों द्वारा अपने व्यक्तित्व, गुण, क्रियात्मकता तथा शारीरिक एवं मानसिक योग्यता का विकास करना।
(स) निःशक्तजनों को स्वतंत्र समाज में प्रभावपूर्ण सहभागिता के योग्य बनाना।

2–उपरोक्त अधिकारों पर कियान्वयन करते हुए सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि–

(अ) निःशक्तता के कारण निःशक्तजनों को समान शिक्षा प्रणाली से अलग नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार निःशक्तता के कारण निःशक्त बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा अथवा माध्यमिक शिक्षा से अलग नहीं किया जा सकता है।
(ब) निःशक्तजन जिस समुदाय में निवास करते हैं, वहाँ अन्य लोगों के सामन सगुमतापूर्वक समावेशित, गुणवत्तापूर्ण तथा निःशुल्क प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।
(स) निःशक्तजन की जरूरत के अनुसार आवश्यक बदलाव किया जा सकेगा।
(द) सामान्य शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत निःशक्तजन शिक्षा में प्रभावपूर्ण बढ़ोत्तरी के लिए आवश्यक सहयोग प्राप्त कर सकेंगे।
(य) पूर्ण समावेशन के लक्ष्य के अन्तर्गत वातावरण में वैयक्तिक स्तर पर प्रभावी सहयोग हेतु उपाय किये जायेंगे, जिससे शैक्षिक एवं सामाजिक विकास में बढ़ोत्तरी हो सके।

3–सरकार निःशक्तजनों को समुदाय के एक सदस्य की तरह शिक्षा में पूर्ण एवं समान भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए जीवन के सामाजिक कौशलों को सिखाना सुनिश्चित करें। इसके लिए सरकार निम्नलिखित उपयुक्त उपाय करने की जिम्मेदारी लेगी –

(अ) ब्रेल सीखने, वैकल्पिक भाषा–वृद्धिकारक एवं वैकल्पिक प्रकार का सम्प्रेषण, गामक कौशल में आमुखीकरण तथा निःशक्त बच्चे के भाई–बहनों (हम उम्र) को सहयोग करने हेतु प्रेरित करना।
(ब) सांकेतिक भाषा सीखने के लिए प्रेरित करना तथा वाक श्रवण दिव्यांग समुदाय के भाशायी पहचान को बढावा देना।
(स) निःशक्तजन/ बच्चे जो दृष्टिदिव्यांग, बधिर या बधिरान्ध को सबसे उपर्युक्त भाषा एवं सम्प्रेषण के माध्यम का प्रयोग करते हुए शिक्षा देना सुनिश्चित करें तथा ऐसे वातावरण में शिक्षा दें जिससे शैक्षिक एवं सामाजिक विकास को बढावा मिले।

4–शिक्षा के अधिकार को पूर्णतः लागू करने के लिए सरकार उपयुक्त उपाय करते हुए ऐसे शिक्षकों की भर्ती करे जो सांकेतिक भाषा, ब्रेल इत्यादि में प्रशिक्षित हों तथा सभी स्तर पर

शिक्षा प्रदान करने में सम्मिलित व्यवसायिकों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर सके।इस प्रशिक्षण के अन्तर्गत निःशक्तता के विषय में जागरूकता, उपयुक्त वृद्धिकारक एवं वैकल्पिक सम्प्रेषण के माध्यम, प्रकार, शैक्षिक तकनीकों एवं निःशक्तजन के सहयोग हेतु शैक्षिक सामग्री सम्मिलित होनी चाहिए।

5–सरकार यह सुनिश्चित करें कि निःशक्तजनों को समान्य उच्च शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, प्रौढ. शिक्षा एवं सम्पूर्ण जीवन में किसी भी प्रकार की शिक्षा अन्य व्यक्तियों के समान विना किसी भेदभाव के सुगमतापूर्वक प्रदान की जा सके।इसके लिए सरकार उनकी आवश्यकतानुसार बदलााव लाना भी सुनिश्चित करे।

==========

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

इकाई–4

सुगम्य वातावरण:भौतिक एवं अधिगम
(Accessible Environment:Physical & Learning)

प्रस्तावना (Introduction) :

समावेशित शिक्षा की सफलता विद्यालय के वातावरण पर निर्भर है। Matha Lawrence, Ian, and Claire (2014) ने बताया कि विद्यालय वातावरण को दो भागों में बांटा जा सकता है–

(1) भौतिक वातावरण
(2) अधिगम वातावरण

भौतिक वातावरण के अन्तर्गत विद्यालय भवन कक्षाकक्ष, खेल का मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, शौचालय आदि शामिल है अधिगम वातावरण के अन्तर्गत कक्षा व्यवस्था पुस्तकालय एवम् प्रयोगशाला में बैठने की व्यवस्था, तथा अध्ययन क्षेत्र शामिल है। UNCRPD के अनुच्छेद – 9 में सुगम्यता की बात कही गयी है जिसमें सूचना एवम संचार प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक परिवहन एवम भवनों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बाधारहित बनाने पर जोर दिया गया है निःशक्तजन अधिनियम 1995 में धारा में 44, 45, 46 में परिवहन में भेदभाव न किये जाने, सड़कों पर भेद भाव न किये जाने और निर्मित वातावरण में भेदभाव न किये जाने का प्रावधान है। सुगम्य विद्यालय वह विद्यालय है जहाँ सभी व्यक्ति, बिना किसी बाधा के इसमें प्रवेश कर सके तथा शैक्षणिक सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकें।

भौतिक वातावरण में निम्नलिखित शामिल है–

(1)प्रवेश द्वार (2)सीढ़ी तथा रैम्प (3)पार्किंग (4)प्रकाश व्यवस्था (5)संकेतक चिन्ह (साइनेज) (6)सर्तक प्रणाली (7)प्रसाधन (8)कक्षाकक्ष की व्यवस्था (9)पुस्तकालय (10)प्रयोगशाला (11)सूचना पट्ट (12)गलियारा (13)शोरगुल (14)फर्नीचर (15)खिड़की (16)संसाधन कक्ष

अधिगम सुगम्य के अन्तर्गत निम्नलिखित शामिल है–

(1)पाठ्य पुस्तक (2)टी.एल.एम. (3)अनुदेशन (4)भाषा (5)आकलन एवम् मूल्यांकन (6)तकनीकी (7)सूचना प्रौद्योगिकी (8)बैठक व्यवस्था (9)श्यामपट्ट (10)प्रार्थना सभा (11)सभागार (12)अनुस्थिति

सुगम्य वातावरण न केवल दिव्यांग जनों के लिए बल्कि उससे सभी व्यक्ति लाभान्वित होते है। उदाहरण के लिए रैम्प व रैलिंग से व्हील चेयर एवम् ट्राईसाईकिल इस्तेमाल करने वाले दिव्यांग लाभान्वित नहीं होते है बल्कि वृद्धजन, अस्थाई चोट से ग्रस्त लोग भी लाभान्वित होते है। विद्यालय में भौतिक वातावरण की सुधार हेतु सरकारी स्तर पर कई प्रयास किये गये है। परन्तु अधिगम वातावरण में बदलाव को लेकर प्रयास की आवश्यकता है। अधिगम वातावरण व्यक्तिगत तथा सामूहिक होता है जो शिक्षक सहपाठी के दृष्टिकोण पर निर्भर रहता है। सार्वभौमिक ढांचा के सिद्धान्तों पर वातावरण के निर्माण होने पर विद्यालय में सभी बच्चे भौतिक तथा अधिगम वातावरण से लाभान्वित हो सकते है। सभी बच्चो के लिए समर्पित वातावरण निर्माण करने पर गतिशीलता तथा शैक्षणिक क्रियाकलाप सुगम्य हो जाता है।

सुगम्यता से सम्बन्धित प्रमुख समस्याएं(Problems Related to Accessibility):–

(अ) भौतिक वातावरण से सम्बन्धित समस्याएं(Problems Related to Physical Environment) –

(1)अधिकांश विद्यालय में प्रवेशद्वार संकीर्ण होता है तथा प्रवेश द्वार व रास्ता के बीच फर्श में ऊँचे–नीचे का अन्तर होता है।

(2)विद्यालय भवन में चढ़ने के लिए केवल सीढ़ियाँ होती है। कभी– कभी सीढ़ियाँ क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में पत्थर आदि का प्रयोग होता है।

(3)व्हील चेयर और ट्राईसाईकिल पार्किंग करने की व्यवस्था नहीं होती है।

(4)विद्यालय भवन व कक्षाओं में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था का न होना तथा कभी–कभी कक्षा में रोशनी अधिक होने पर ब्लैक बोर्ड चमकता है और इससे अल्प दृष्टि दोष वाले बालक तथा अन्य बच्चों को साफ दिखायी नहीं देता है।

(5)विद्यालय भवन में विभिन्न कक्षाओं पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा प्रसाधन स्थल पर संकेतक चिन्ह नहीं होते हैं जिससे श्रवण दिव्यांग तथा दृष्टि दिव्यांग बच्चों को समझने में दिक्कत होती है।

(6)आपातकालीन स्थिति में सर्तक प्रणाली नहीं होने से दिव्यांग बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे अलार्म बेल के साथ लाइट न होने से श्रवण दिव्यांग बच्चों को समझने में असुविधा होती है।

(7)प्रसाधन कक्ष विद्यालय भवन से दूर होते है दिव्यांगों को प्रसाधान कक्ष में पहुँचने में रैम्प आदि की व्यवस्था नहीं होती है तथा शौचालय उनकी आवयकतानुसार व पाश्चात्य शैली अनुसार या परिवर्तित (Modified Toilet)नहीं होते हैं।

(8)कक्षा कक्ष के प्रवेश द्वार व रास्ता के फर्श का ऊपर नीचे होना, जिससे चलन दिव्यांग बच्चों को प्रवेश करने में असुबिधा होती है। कक्षाकक्ष में बैठक व्यवस्था दिव्यांग बच्चों के अनुसार नहीं होती है तथा दिव्यांग बच्चों को किस पंक्ति में बैठाना है उसका ध्यान नहीं रखा जाता है जैसे अल्पदृष्टि और श्रवण बाधित बच्चों को आगे की पंक्ति में बैठाना आदि का ध्यान नहीं रखा जाता है। व्हील चेयर और ट्राईसाईकिल वाले छात्रों को कैसे बैठाया जाए इसका ध्यान नहीं रखा जाता है।

(9)विद्यालय भवन में पुस्तकालय में प्रवेश करने हेतु रैम्प और पुस्तकालय में व्हील चेयर वाले बच्चों के बैठने हेतु और दृष्टि दिव्यांग बच्चों के लिए ब्रेल पुस्तकें आदि की व्यवस्था नहीं होती है।

(10) प्रयोगशाला में जाने और दिव्यांग बच्चों की आवश्यकतानुसार प्रयोगशाला में पहुँच से दूर होता है।

(11) विद्यालय में सूचनापट पर पर्याप्त रोशनी नहीं होती है जिससे अल्पदृष्टि दिव्यांग व अन्य छात्रों को देखने में असुविधा होती है। दृष्टि दिव्यांग छात्रों को ब्रेल में सूचना उपलब्ध नहीं हो पाती है क्योंकि श्यामपट्ट उस तरह के नहीं होते है।

(12) विद्यालय भवन में गलियारा संकीर्ण अवस्था में होता है तथा फर्श में गड्ढ़े होने के कारण दिव्यांगजनों को असुविधा का सामना करना पड़ता है।

(13) विद्यालय भवन में शोरगुल को कम रखने की व्यवस्था नहीं होती है। प्रायः विद्यालय भवन सड़क के किनारे होने के कारण शोरगुल का वातावरण होता है। विद्यालय की दो कक्षाओं के बीच विभाजक (पार्टीसन) सहीं ढंग से न होने के कारण बच्चे शोर का अनुभव ज्यादा करते है।

(14) विद्यालय की कक्षाओं में फर्नीचर चलन दिव्यांग के अनुसार नहीं होता है साथ ही मेज कुर्सी में बच्चों की ऊँचाई का ध्यान नहीं रखा जाता है।

(15) विद्यालय की कक्षाओं में आवाज रोधी खिड़की नहीं होती है जिससे हेयरिंग ऐड लगाने वाले श्रवण तथा अल्प श्रवण दिव्यांग बच्चों को ध्यान आकर्षित करने में असुविधा होती है।
(16) समावेशित विद्यालयों में संसाधन कक्ष नहीं होते हैं जिससे दिव्यांग बच्चों को दिक्कत होती है। यदि संसाधन कक्ष होते हैं तो उसमें दिव्यांग बच्चों के अनुसार तथा मानक के अनुरूप सामग्री नहीं होती है।

(ब) अधिगम वातावरण से सम्बन्धित समस्याए (Problems Related to Learning Environment) –

(1)आवश्यकतानुसार दृष्टि दिव्यांग छात्रों के लिए ब्रेल पुस्तकों का न होना तथा कक्षाओं में चलने वाली पाठ्य पुस्तकों का श्रवण दिव्यांग बच्चों तथा मानसिक बच्चों के अनुसार अनुकूलित नहीं होती है।
(2)विद्यालय में टी.एल.एम. दिव्यांग छात्रों की आवश्यकतानुसार नहीं होता है। जैसे दृष्टि दिव्यांग छात्रों के लिए स्पर्श करने वाले सामग्री का न होना तथा अल्प दृष्टि वाले दिव्यांग छात्रों के लिए मोटे अक्षर और बड़ी आकृति की सामग्री का होना।
(3)कक्षा में प्रयोग होने वाली वार्तालाप विधि व्यख्यात विधि, श्रृव्य विधि के होने के कारण श्रवण दिव्यांग बच्चों को समझने में दिक्कत होती है।
(4)कक्षा में मौखिक अनुदेशन का प्रयोग होता है जिससे श्रवण दिव्यांग बच्चों को समझने में दिक्कत होती है। अनुदेशन के दौरान ब्लैक बोर्ड में लिखते हुए बोलना तथा श्रवण दिव्यांग छात्रों की तरफ न देखकर बोलने से उनको किसी विचार अवधारणा आदि को समझने में दिक्कत होती है। अनुदेशन में विभिन्न सामग्री जैसे श्रृव्य के साथ दृश्य सामग्री का प्रयोग न होना।
(5) प्रायः भाषा में जटिलता होने के कारण श्रवण दिव्यांगों को समझने में दिक्कत होती है। अनुदेशन में सांकेतिक भाषा का प्रयोग नहीं होता है।
(6)कक्षा में आकलन और मूल्यांकन सामान्य बच्चों के मानक के अनुसार किया जाता है। जिससे श्रवण बाधित बच्चों और अन्य दिव्यांग बच्चों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। विद्यालय में वैकल्पिक आकलन और मूल्यांकन नहीं होता है जैसे दृष्टि दिव्यांग हेतु मौखिक व श्रवण दिव्यांग हेतु सांकेतिक आकलन व मूल्यांकन का न होना।
(7)समावेशित कक्षाओं में तकनीकी का प्रयोग कम होना जैसे कहानी कथन, नाटकीयकरण, भ्रमण आदि।
(8)समावेशित कक्षाओं में कम्प्यूटर, मोबाइल, तथा अल्प लागत वाले प्रौद्योगिकी का प्रयोग नगण्य रूप से होता है।
(9)समावेशित कक्षाओं में श्रवण दिव्यांग बच्चों को गोलाकार/अर्धवृत्ताकार रूप से बैठक व्यवस्था नहीं होती है तथा कक्षा में उनको अगली पंक्ति में नहीं बैठाया जाता है।
(10)समावेशित कक्षाओं में श्यामपट्ट दिव्यांग बच्चों की ऊँचाई के अनुसार नहीं होता और श्यामपट्ट में लिखने के साथ चित्रों को बच्चों को लगाने की व्यवस्था नहीं होती है। जिससे श्रवण दिव्यांग बच्चा किसी अवधारणा या सम्प्रेषण को आसानी से समझ सके।
(11)प्रार्थना सभा और समागार में दिव्यांग छात्रों के जाने हेतु रैम्प तथा व्हील चेयर और ट्राईसाईकिल को रखने की उचित व्यवस्था का न होना तथा श्रवण दिव्यांग छात्रों के लिए प्रार्थना लिखित रूप में नहीं होती है।

विद्यालय को सुगम्य बनाने के समाधान(Rectifications to Making Accessible School)–

(अ) भौतिक वातावरण से सम्बन्धित समाधान(Rectifications Related to Physical Environment)–

1–विद्यालय के प्रवेश द्वार की चौड़ाई अधिक होनी चाहिए तथा रास्ता और प्रवेशद्वार की फर्श समतल होनी चाहिए।विद्यालय में गलियारा में पर्याप्त चौड़ाई हो और मोड़ कम होना चाहिए। फर्श समतल होना चाहिए जिससे व्हील चेयर तथा ट्राईसाईकिल वाले दिव्यांग तथा अन्य दिव्यांग छात्र आसानी से जा सके।

2–विद्यालय में सीढ़ी के साथ दिव्यांग छात्रों के लिए रैम्प की व्यवस्था होनी चाहिए।

3–व्हील चेयर और ट्राईसाईकिल को पार्किंग में खड़ा करने के लिए उचित व्यवस्था को बनाना चाहिए जिससे व्हील चेयर और ड्राईसाईकिल वाले दिव्यांग पार्किंग में अपनी व्हील चेयर और ट्राईसाईकिल आसानी से खड़ा कर सके।

4–विद्यालय परिसर तथा कक्षाओं में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जाये तथा कक्षाओं में प्रकाश व्यवस्था ऐसी हो जिससे अध्यापक का मुँह आसानी से दिखायी पड़े। ब्लैक बोर्ड पर प्रकाश की व्यवस्था ऐसी हो जिससे बच्चों को ब्लैक बोर्ड देखने पर उसमें चमक नहीं लगे।

5–विद्यालय में विभिन्न कक्षाएं, पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा प्रसाधान के स्थलों पर संकेतक चिन्हों का प्रयोग किया जाये जिससे श्रवण और अन्य दिव्यांग छात्रों को समझने में आसानी हो।

6–विद्यालय में सतर्क अलार्म के साथ लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे श्रवण दिव्यांग तथा अल्प दृष्टि दोष वाले दिव्यांग छात्र आपातकालीन स्थिति को समझ सके।

7–विद्यालय में प्रसाधनकक्ष परिसर में बनाये तथा शौचालय पश्चात्य शैली और उनकी आवश्यकतानुसार बनाये जिससे वह आसानी से इसका उपयोग कर सके।

8–समावेशित विद्यालय की कक्षाओं में प्रवेश करने हेतु फर्श को समतल बनाया जाये जिससे व्हील चेयर व ट्राई साईकिल वाले छात्र आसानी से अन्दर जा सके। श्रवण दिव्यांग बच्चों और अल्प दृष्टि दोष वाले छात्रों को आगे की पंक्ति में बैठाया जाय जिससे श्रवण दिव्यांग छात्र अध्यापक के मुँह को और अल्पदृष्टि दोष वाले छात्र ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षर को आसानी से देख सके।

(ब) अधिगम वातावरण से सम्बन्धित समाधान(Rectifications Related to Learning Environment)–

1–विद्यालय में दृष्टि दिव्यांग छात्रों हेतु ब्रेल पुस्तकों और श्रव्य पुस्तकों को उपलब्ध कराया जाय जिससे वह पुस्तक द्वारा स्वअध्ययन कर सके, पुस्तकालय में दिव्यांग छात्रों को बैठने की व्यवस्था व पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए।

2–प्रयोगशाला में सामान/उपकरण दिव्यांग छात्रों को पहुँच के अनुसार होने चाहिए जिससे वह सुगम्य तरीके से चीजों का प्रयोग कर सके।

3–विद्यालय में सूचनापट्ट पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करनी चाहिए तथा दृष्टि दिव्यांग छात्रों को पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि में लिखित सूचना भी होनी चाहिए जिससे वह आसानी से पढ़ सके।

5–विद्यालय में टी.एल.एम. दिव्यांग छात्रों की आवश्यकतानुसार स्पर्श, दृश्य, श्रृव्य तरह के हों, अल्प दृष्टि वाले दिव्यांग छात्रों हेतु बड़े अक्षर और बड़ी आकृति वाली सामग्री होनी चाहिए।

6–विद्यालय भवन के आसपास वाह्य शोरगुल कम करने के लिए पेड़ों को लगाया जाना,बाहरी दीवार पर आवाज रोधी सामग्री, आन्तरिक कक्षा में शोरगुल कम करने के लिए फर्श में मैट तथा खिड़कियों में शीशे का प्रयोग किया जाय। कक्षाओं के बीच विभाजन इस प्रकार किया जाए जिससे दोनों कक्षाओं में शोरगुल न जा सके।

7–विद्यालय की कक्षाओं में फर्नीचर दिव्यांग छात्र की आवश्यकतानुसार होना चाहिए जैसे बच्चें की दिव्यांगता तथा ऊँचाई का ध्यान रखकर बनाया जाए।
8–विद्यालय की खिड़कियों को ऐसा होना चाहिए जिससे बाहर की आवाज अन्दर न आ सके तथा कक्षा में पर्याप्त रोशनी आये।
9–विद्यालय में संसाधनकक्ष बनाया जाये जिसमें दृष्टि, श्रवण बाधित दिव्यांग छात्रों के अनुरूप सामग्री हो जिससे समय–समय पर उनका आकलन किया जा सके।
10–कक्षा में दृष्टि दिव्यांग छात्रों हेतु आडियो किताबे और ब्रेल किताबे प्रयोग किया जाए तथा श्रवण दिव्यांग हेतु पाठ्य पुस्तक को सांकेतिक वीडियो के रूप में बनाया जाना चाहिए।
11–कक्षा में दिव्यांग छात्रों हेतु शिक्षक अधिगम सामग्री को श्रृव्य, दृश्य गतिबोधात्मक रूप में प्रयोग किया जाए।
12–कक्षा में किसी आवधारणा को बताने के लिए प्रदर्शन विधि, नाटकीय रूप आदि का प्रयोग किया जाए।
13–कक्षा में अनुदेशन के लिए सहपाठी शिक्षण, सहयोगी शिक्षण, पुर्नबलन का प्रयोग, बहु इन्द्रियां प्रशिक्षण, चिंतनशील शिक्षण आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए।
14–कक्षा में सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए।
15–कक्षा में वैकल्पिक आकलन और मूल्यांकन का प्रयोग किया जाए जैसे दृष्टि दिव्यांग हेतु मौखिक तथा श्रवण दिव्यांग हेतु सांकेतिक मूल्यांकन आदि।
16–कक्षा में पाठ कहानी व नाटकीय रूप में पढ़ाया जाय।
17–कक्षा में कम्प्यूटर, मोबाइल तथा कम लागत वाली प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाना चाहिए।
18–श्रवण बाधित बच्चों को कक्षा में गोलाकार/अर्धवृत्ताकार रूप में बैठाया जाए। अल्पदृष्टि दोष तथा अन्य दिव्यांग छात्रों को आगे की पंक्ति में बैठाया जाए।
19–कक्षा में श्यामपट्ट दिव्यांग छात्रों की ऊँचाई के अनुसार तथा श्यामपट्ट में लिखने के साथ चित्रों को लगाने की व्यवस्था हो।
20–प्रार्थना सभा और सभागार में जाने हेतु फर्श समतल होना चाहिए तथा प्रार्थना सभा में श्रवण बाधित हेतु प्रार्थना लिखित रूप में सामने प्रदर्शित हो।

==========

इकाई–5

अधिगम के लिए सार्वभौमिक अभिकल्प एवं विभेदित अनुदेशन (Universal Design of Learning & Diffentiated Instruction)

प्रस्तावना (Introduction) :

समावेशी कक्षा में शिक्षण वास्तविक रूप से चुनौती पूर्ण कार्य है, चाहे आप सामान्य अध्यापक हो या विशेष अध्यापक। अनुदेशन की संरचना इस तरीके से करने की आवश्यकता है जिससे कि दिव्यांग छात्रों के साथ–साथ सभी छात्रों को लाभान्वित किया जा सके। विद्यार्थियों की विविध अधिगम शैली एवं आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण कार्य को लचीला एवं प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए जब आप श्रवण दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षण कार्य करते है तब आप श्याम–पट्ट एवं दृष्य सामग्री जैसे– चार्ट, फ्लो डाइग्राम, मॉडल के साथ–साथ धीरे–धीरे एवं स्पष्ट वाणी का प्रयोग करते हैं। क्या आपको यह नहीं लगता है कि यह रणनीति कक्षा के दूसरे विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद है ? हाँ, यह सभी बच्चों के लिए तथा खासतौर पर दिव्यांग बच्चों के लिए आवश्यक एवं उपयोगी है। अगर आपकी कक्षा में दृष्टि दिव्यांग छात्र है तब शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि दृष्य साधनों के अतिरिक्त मौखिक रूप से वर्णन करना तथा ऐसे मॉडल का प्रयोग करना जो दृष्टि दिव्यांग छात्रों के द्वारा स्पर्श करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। इस क्रिया से भी कक्षा से अन्य विद्यार्थियों को सहायता मिलती है। वह छात्र जो सीखने में मन्द हैं उनके द्वारा सरल सम्प्रत्यय को भी समझने में कठिनाई होती है। यदि सीखने में मन्द छात्रों को छोटे–छोटे सोपान एवं पुनरावृत्ति न कराकर शिक्षण कार्य किये जाये तो उनके द्वारा सरल सम्प्रत्ययों को भी समझने में कठिनाई होगी।

प्रभावी शिक्षक ऊपर वर्णित शिक्षण कौशलों का प्रयोग समावेशी कक्षा में करते हैं। समावेशी कक्षा में कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रभावी अनुदेशन की महत्ता को समझने की आवश्यकता है जिससे दिव्यांग छात्रों के साथ–साथ अन्य छात्रों को भी सीखने में आसानी होती है तथा वह दैनिक जीवन में प्रत्येक समप्रत्यय को क्रियान्वित कर सकते हैं।

अनुदेशन के प्रभावी उपागम(Approaches For Effective Introduction):

दिव्यांग छात्रों की मुख्य चुनौती अधिगम है। प्रभावी रूप से इन चुनौतियों को कक्षा शिक्षण में सरल बनाना शिक्षण का मुख्य उददेश्य है। निम्नवत सारणी की सहायता से दिव्यांग छात्रों की विशेष आवश्यकता को शिक्षकों द्वारा पूरा किया जा सकता है–

सारणी : 1 समावेशी कक्षा में शिक्षण चुनौतियों का समाधान –

दिव्यांगता	आपूर्ति के क्षेत्र	पाठ्य विषय को प्रस्तुत करने की शैली		
		श्रवणी सम्बन्धी	स्पर्श / गतिज सम्बन्धी	भावावेग सम्बन्ध
दृष्टि दिव्यांगता	दृष्टि	• मौखिक रूप से विषय वस्तु एवं सूचनाओं का प्रस्तुतीकरण • सस्वर वाचन	• भ्रमण • प्रदर्शन • ब्रेल	• छोटे–छोट समूह का गठन • एकल शिक्षण • नाटकीयकरण • विद्यार्थियों की अभिरूचि अनुसार शिक्षण
श्रवण दिव्यांगता	श्रवण एवं	दृश्य सम्बन्धी	स्पर्श / गतिज सम्बन्धी	भावावेग सम्बन्धी

	सम्प्रेषण	• चित्रित पुस्तकों का वाचन • विडियो अथवा स्लाइड शो • क्रिया कलाप या प्रदर्शन • सांकेतिक भाषा	• भ्रमण • प्रदर्शन	उपरोक्त सभी	
बौद्धिक एवं अधिगम दिव्यांगता	**संज्ञान एवं प्रकटी–करण**	**दृश्य सम्बन्धी**	**श्रवण सम्बन्धी**	**स्पर्श एवं गतिज**	**भाववेग सम्बन्धी**
		• चित्रित पुस्तकों का वाचन • विडियो अथवा स्लाइड शो क्रिया कलाप या प्रदर्शन	• मौखिक रूप से विषयवस्तु एवं सूचनाओं का प्रस्तुतीकरण • सस्वर वाचन	• भ्रमण • प्रदर्शन	उपरोक्त सभी

विषय वस्तु प्रस्तुतीकरण के उपरोक्त तरीके कक्षा के समस्त छात्रों के लिए लाभप्रद है। जब शिक्षक विभिन्न माध्यम का उपयोग करते हुए विषय वस्तु का प्रस्तुतीकरण करते है, जैसे बहु संवेदी उपागम तथा विद्यार्थियों की अभिरूचि और प्रोत्साहन का ध्यान रखते हुए तब कक्षा के सभी विद्यार्थियों को प्रभावी रूप से शिक्षण कर सकते है। विविध विद्यार्थियों के समूह की विशेषता तथा वैयक्तिक रूप से विद्यार्थियों की आवश्यकता को प्रभावी अनुदेशन के माध्यम से समाधान करते है। अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प सिद्धान्त एवं मार्गदर्शक की जानकारी प्राप्त करने पर समावेशी कक्षा में अधिगम की जानकारी प्राप्त करने पर समावेशी कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण तथा अनुदेशन का नियोजन कर सकते है तथा विभेदित अनुदेशन की जानकारी होने पर विद्यार्थियों की व्यक्तिगत परेशानी तथा विशिष्ट कौशल के अनुरूप शिक्षण कार्य कर सकते है। दोनों सम्प्रत्यों को विस्तृत रूप से अध्यापकों की समझ हेतु वर्णित है–

(1)अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प (Universal Design of Learning)

समावेशी कक्षा में किसी एक विधि द्वारा विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता है इसलिए यह आवश्यक है कि अनुदेशन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बहु आयामी विधि का प्रयोग किया जाए। यू0डी0एल0 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए केवल एक तकनीक नहीं बल्कि सभी विद्यार्थियों की अधिगम को बढ़ाने के लिए रणनीति है। शुरूआती स्तर पर यू0डी0एल0 का इस्तेमाल, स्थापत्य कला, जैसे भवन का नियोजन आदि में सुगम्यता लाने हेतु किया जाता था। जिससे दिव्यांगों की सुगमता को सुनिश्चित किया जा सके। परन्तु इससे गैर दिव्यांगों के लिए भी सहुलियत हुयी है। उदाहरण के लिए रैम्प के द्वारा न केवल व्हील चेयर इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों के लिए आसान हुआ बल्कि बुजुर्ग व्यक्तियों और छोटे बच्चों तथा मरीजों की आवा–जाही में सहायक साबित हुआ है।

अनुसंधान से प्रमाणित हुआ है समूह के लिए सहायता देने हेतु किया गया कार्य सभी व्यक्तियों के लिए सहायक सिद्ध हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धान्त का प्रयोग भी किये जाने लगा है। व्यापक रूप से शिक्षकों को यह समझने की आवश्यकता है कि दिव्यांग

छात्रों की विशेष आवश्यकता को पूरा करने हेतु बनायी जाने वाली शिक्षण रणनीति, सामान एवं उपकरण न केवल दिव्यांगों को बल्कि सभी बच्चों के लिए उपयोगी होगे। उदाहरण के लिए विविध प्रकार के सहायक तकनीकी जैसे *स्पीच टू टेक्स्ट साफ्टवेयर, आर्गनाइजेशनल साफ्टवेयर एवं इन्टरेक्टिव ह्वाइट* बोर्ड सभी प्रकार के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हुआ है जबकि शुरूआती स्तर पर यह केवल विशेष आवश्यकता वाले कक्षा में प्रयोग होते थे। कक्षा में टेक्नोलाजी के प्रयोग में वृद्धि हुयी है।

निर्मला की सफलता की कहानी

निर्मला बरेली में एक प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान विषय पढ़ाती है। वह फार्मर्स फ्रैण्ड अर्थ वर्म (किसानों के साथी केचुआ) प्रकरण को पढ़ाने के लिए पाठक नियोजन कर रही थी। माधव और अर्शी दोनों श्रवण दिव्यांग अन्य बच्चों के साथ उनकी कक्षा में पढ़ते हैं। दोनो बच्चों को पढ़ाने में उसे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। आरम्भिक स्तर पर खेत से केचुआ लाकर कक्षा में समझाने की कोशिश करती थी। परन्तु केवल केचुओं को देखकर बच्चों को यह समझने में दिक्कत होती थी कि केचुआ किस प्रकार मिट्टी को खोदता है और पेड़ पौधों के लिए किस प्रकार सहायक है। इसके समाधान हेतु निर्मला ने कुछ विकल्पों के बारे में सोचा उसने निर्णय लिया कि इस प्रकरण को समझाने के लिए अपने मोबाइल फोन के जरिए लघु फिल्म बनायेगी और उसने ऐसा किया। कम्प्यूटर के माध्यम से इस पाठ को प्रस्तुत किया उसे यह परिणाम देखने को मिला न केवल माधव और अर्षी को इस विधि से फायदा हुआ बल्कि कक्षा के समस्त छात्रों के अधिगम में सहायक हुआ। जरा सोचिए निर्मला के द्वारा मल्टीमीडिया का प्रयोग करते हुए जिस समावेशी पाठ योजना को तैयार किया गया उनका यह सोचना कि यह एक छोटा प्रयास है बल्कि यह एक महान कार्य है।

यू0डी0एल0 का मुख्य लक्ष्य सभी विद्यार्थियों के पाठ्यचर्या को सुगम्य बनाना तथा सभी के लिए सुगमय वातावरण का निर्माण करने हेतु शिक्षकों को सहायता प्रदान करना चाहे वह किसी उम्र, परिस्थिति तथा कौशल से पूर्ण हो। यू0डी0एल0 का इस्तेमाल करते हुए शिक्षक कक्षा–कक्ष का खाका आसानी से तैयार कर सकते है। शुरूआती स्तर से पाठ योजना तैयार करने में मदद मिल सकती है। कक्षा के विभिन्न बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षकों को यू0डी0एल0 निर्माण करना होगा। यह ध्यान रखना होगा कि अध्यापक द्वारा तैयार किया गया अनुदेशात्मक अभिकल्प के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए नहीं जिससे स्पष्ट करने के लिए यू0डी0एल0 के सबसे महत्वपूर्ण सम्प्रत्यय को निम्नलिखित रूप में वर्णित किया जा सकता है–

(1)सार्वभौमिकता और निश्पक्षता(Universality &Discriminationless) :–

श्रोज व मेयर 2001 के अनुसार–यू0डी0एल0 का निर्माण यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षण अभिकल्प का निर्माण इस तरह से बनाया जाए जिससे, सभी विद्यार्थियों की सामर्थ्य एवं उनकी आवश्यकता के अनुरूप हो। यू0डी0एल0 में सावभौमिकता का अर्थ यह नहीं कि सभी बच्चों के लिए एक विधि सर्वोत्कृष्ट है बल्कि इसके द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी के विशिष्ट विशेषताओं की जागरूकता एवं विविधताओं के आधार पर अनुकूल बनाना, अधिगम अनुभव का सृजन करना जो व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति एवम् योग्यतानुसार उनकी प्रगति को उच्चतम सीमा तक बढ़ाता है। इसका तात्पर्य है कि अधिगम अवसर का नियोजन इस प्रकार से करे कि सभी विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके चाहे विद्यार्थी की उपलब्धि का स्तर कैसा भी हो।

(2)लचीला एवं समावेशी(Flexible & Inclusive) :–

शिक्षण का नियोजन एवं विभिन्न क्रिया कलापों हेतु शिक्षक के द्वारा निर्धारित समय लचीला होना चाहिए जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को वास्तविक अधिगम दिया जा सके। (प्रदर्शन स्तर के आधार पर)। विद्यार्थियों को कक्षा में समायोजित करने के लिए निम्नलिखित तकनीकी का उपयोग किया जा सकता है–

क–विविध शिक्षण रणनीतियों एवं शिक्षण सहायक सामग्री जो प्रासांगिक हो तथा विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं के अनुरूप हो जिससे विद्यार्थियों को व्यस्त रखा जा सके (विभिन्न ज्ञानेन्द्रियों का इस्तेमाल कर सके एवं विभिन्न स्वरूपों, तरीकों से तथा विभिन्न कठिनता के स्तर के आधार पर)

ख–विभिन्न टेक्नोलॉजी एवं मल्टीमीडिया उपकरण

ग–विविध प्रकार के आकलन उपकरण एवं प्रारूप तथा उत्तर देने का विकल्प

घ–विविध प्रकार के उपयोगी जगह

(3)उपयुक्त ढांचागत स्थान(Appropriate Design Place) :–

एक उपयुक्त अधिगम वातावरण में निम्नलिखित का होना आवश्यक है–

(1) सभी विद्यार्थी कक्षा में शिक्षक को देख सके।
(2) कक्षा शिक्षण में प्रयोग होने वाली प्रत्येक सामग्री विद्यार्थियों के पहुँच में हो।
(3) सहायक उपकरण शिक्षक सहायकों के लिए उपयुक्त स्थान।

(4)सरलता(Simplicity) :–

कक्षा में विद्यार्थियों के अधिगम को बाधा पहुँचाने वाली सामग्री, अनावश्यक जटिलताओं को निम्न तरीकों से दूर किया जा सकता है–

(1) बच्चों के साथ निरन्तर सम्प्रेषण करना
(2) विद्यार्थियों के साथ सहयोग करना
(3) विद्यार्थी अनुरूप स्पष्ट भाषा का इस्तेमाल करना
(4) क्रमानुसार सूचनाओं का व्यवस्थित करना तथा महत्ता को स्पष्ट करना।
(5) अनुदेशनों को छोटे–छोटे टुकड़ों में बांटना
(6) अनुदेशन के दौरान वर्णनात्मक प्रतिपुष्टि देना।

(5)सुरक्षा (Safety/Security) :–

अधिगम हेतु सुरक्षा जरूरी है। कक्षा भौतिक एवं संवेगात्मक रूप से सुरक्षित हो। शिक्षकों से यह अपेक्षित है कि देखभाल युक्त एवं सुरक्षित वातावरण में बच्चों को विभिन्न क्रिया कलापों में व्यस्त रखें, समावेशी बनायें, सभी विद्यार्थियों का सम्मान एवं उनकी उपलब्धि (योग्यतानुसार) के आधार पर अधिगम के लिए प्रेरित करे। यू0डी0एल0 के द्वारा शिक्षण के कई घटकों पर विचार किया जा सकता है–

(1) समग्र एवं विशिष्ट उम्मीद तथा अधिगम ध्येय
(2) शिक्षण रणनीतियाँ एवं अधिगम परिस्थितियां
(3) शैक्षणिक सामग्री
(4) तकनीकी उपकरण
(5) विविध उत्पाद (अधिगम परिस्थितियों से प्राप्त)
(6) आकलन एवं मूल्यांकन

पाठय योजना के नियोजन एवं अनुदेशन में यू0डी0एल0 के मुख्य सिद्धान्तों का अनुप्रयोग(Application of Principals of UDL in Planning & Implementation of Lesson Plan) :–

यू0डी0एल0 का प्रयोग कक्षा–कक्ष में सकारात्मक वातावरण पर आधारित है यू0डी0एल0 के मुख्य सिद्धान्तों को पाठ योजना तथा अनुदेशन में अनुप्रयोग करने से पूर्व इसके समग्र अभिकल्प पर विचार करना होगा जैसे सभी बच्चों के लिए अधिगम अनुभव मुहैया कराना, स्थान का उपयोग करना तथा सूचनाओं को प्रस्तुत करना। इसके अतिरिक्त निश्पक्षता सुगम्यता, लचीलापन, समावेशी सरलता एवं सुरक्षा पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। निम्न सारणी के द्वारा यू0डी0एल0 के विभिन्न सिद्धान्तों के उपयोग को समझा जा सकता है–

सारणी – 2

सिद्धान्त	उपयोग कैसे करें
प्रस्तुतीकरण का विविध माध्यम	प्रत्यक्षीकरण, भाषा एवं समझ आदि के आधार पर विद्यार्थियों की सामर्थ्यानुसार कक्षा में विभिन्न प्रकार के प्रस्तुतीकरण करे जिससे विद्यार्थियों को समायोजित किया जा सके। उदाहरण के लिए श्रव्य और दृष्य सूचनाओं का विकल्प मुहैया कराना, नये–नये शब्द को एवं चिन्हों को स्पष्ट करना। विविध टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, चिन्हित करना आदि।
क्रिया एवं अभि–व्यक्ति विविध माध्यम	विद्यार्थियों के विभिन्न भौतिक सम्प्रत्यय एवं क्रियात्मक सामर्थ्य के आधार पर अध्यापक को क्रिया एवं अभिव्यक्ति हेतु विविध माध्यमों का इस्तेमाल करना होगा उदाहरण के लिए विभिन्न सहायक उपकरण का इस्तेमाल विद्यार्थियों के उत्तर देने हेतु विकल्प, लक्ष्य निर्धारण, नियोजन तथा समय प्रयोजित हेतु विद्यार्थियों को सहायता देना।
संलग्नता हेतु विभिन्न माध्यम	विद्यार्थियों की विभिन्न रूप, अविधान, आत्म नियन्त्रण के दृष्टिगत संलग्नता हेतु विविध माध्यम का इस्तेमाल करना जैसे पसन्द के अनुसार शिक्षण प्रासांगिक्ता, प्रमाणिक्ता, विकर्षण को दूर करना, सहसम्बन्ध को बढ़ाना आदि।

कक्षा शिक्षण में यू0डी0एल0 सिद्धान्त का प्रयोग करते हुए शिक्षकों को निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है–

- विविध संवेदना के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग।
- दृष्य, श्रव्य एवं गतिज प्रारूप आदि के माध्यम से प्रस्तुतीकरण देना।
- विभिन्न प्रकार सूचना सम्प्रेषण तकनीकी की सुगमता को सुनिश्चित करना।
- पर्याप्त स्थान का निर्धारण करना।
- विकर्षण को हटाना जिससे विद्यार्थियों को अनुदेशात्मक कार्यों में व्यस्त रखा जा सके।
- कक्षा को देखभाल युक्त तथा सुरक्षित अधिगम वातावरण के रूप में तैयार करना।

विभेदित अनुदेशन (Differentiated Instruction):–

विभेदित अनुदेशन शिक्षण का ऐसा उपागम है जिसमें विविध क्षमताओं से युक्त बालकों को अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है इसके द्वारा कक्षा में विद्यार्थियों की सामर्थ्य एवं सीमाओं के आधार पर अनुदेशन के नियोजन तथा प्रस्तुतीकरण में सहायता मिलती है। जैसा कि पूर्व में यू0डी0एल0 के बारे में बताया गया है कि अनुदेशन अनेक प्रकार के है जिससे विद्यार्थी सूचनाओं को विविध तरीके से प्राप्त कर सकते है तथा विभिन्न उपागमों के माध्यम से अपने व्यक्तिगत क्षमता तथा कौशल के अनुसार विभिन्न सम्प्रत्य को समझ सकते है तथा व्यक्त कर सकते है इसलिए आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु के मुख्य बिन्दुओं और भागों को नियोजन करें जिससे विद्यार्थी चौड़ाई और गहराई से

अधिगम कर सके। वांछित परिणाम को पूर्ण करने हेतु विभेदीकरण अनुदेशन, लचीला समूह शैली (कभी पूरे समूह को तो कभी छोटे–छोटे समूह को) में प्रयोग होता है। विभेदित अनुदेशन के प्रमुख चरण निम्नवत् है–

(1) विद्यार्थियों की क्षमता जानने तथा शिक्षण के लिए नियोजन करना जैसे कि कुछ बच्चे खेलना पसन्द करते है तो कुछ बच्चे खेलना, गीत गाना आदि पसन्द करते हैं। बच्चों की इन क्षमतानुसार अध्यापक अनुदेशन के उपागम का निर्धारण करें जिससे विद्यार्थी रूचि लेगें।

(2) विद्यार्थियों की क्षमता, प्रदर्शन स्तर एवं आवश्यकता के आधार पर अनुदेशन के विषय वस्तु में बदलना। इससे यह आशय नहीं है कि विषय वस्तु के आवश्यक पहलुओं में बदलाव करना बल्कि विद्यार्थियों के वर्तमान स्तर के आधार पर प्रस्तुतीकरण में विविधता लाना।

(3) विद्यार्थियों की विशेषता, सहायता का स्तर के आधार पर अनुदेशात्मक उपागम, पाठयोजना एवं समूह में बदलाव विद्यार्थियों की विविधता अनुदेशात्मक सहायता को निर्धारित करता है। विद्यार्थियों की विविध आवश्यकता के आधार पर शिक्षकों को कई रणनीतियों में बदलाव करने की आवश्यकता है जैसे– पाठ को सरल से उन्नत, बच्चों के समूह को शुरूआत में बड़े समूह में और बाद में छोटे–छोटे समूह में एवं अनुदेशन के विभिन्न उपागम में बदलाव करना।

(4) विद्यार्थियों के द्वारा किये गये अधिगम को प्रदर्शित करने हेतु विविध तरीकों पर विचार करना। कक्षा के कुछ विद्यार्थियों के लिए आकलन के वैकल्पिक तरीकों जैसे मौखिक रूप से उत्तर लेना। इससे यह निर्धारित किया जाता है कि विद्यार्थी के द्वारा पाठ विषय को किस रूप में अभ्यास किया गया है। परन्तु निर्माणात्मक मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थियों के आकलन करना आवश्यक है।

सारणी – 3

विभेदित अनुदेशन में सम्मिलित है	विभेदित अनुदेशन में सम्मिलित नहीं है
(1) वैकल्पिक अनुदेशन एवं क्रियाकलाप मुहैया कराना।	(1) कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए कुछ अलग करना।
(2)चुनौतीपूर्ण विद्यार्थियों को उचित स्तर तक लाना।	(2) गैर अनुशासित एवं उपद्रवी छात्रों के लिए क्रिया।
(3) विद्यार्थियों की आवष्यकताओं की पूर्ति हेतु समूह की विविधता का प्रयोग करना।	(3) एक ऐसे समूह का निर्माण जो बदला नहीं जा सकता अथवा उपद्रवी छात्रों को कक्ष से अलग करना।
	(4) कक्षा के सभी विद्यार्थी द्वारा समान प्रयास।

सारणी –4

सिद्धान्त	अनुप्रयोग कैसे करेगे
विभेदित विषय वस्तु	• विषय वस्तु में बदलाव करना (जैसे विषय वस्तु के कठिनता के स्तर का निर्धारण कर विद्यार्थियों का ज्ञानात्मक और कौशलात्मक विकास करना) जिसमें विद्यार्थियों की पूर्व प्रस्तुती, अभिरूचि, प्रोत्साहन की आवश्यकता तथा अधिगम शैली को ध्यान रखा जाए। • पाठ्यचर्या के बड़े–बड़े अवधारणाओं को पूर्ण प्राप्त करने योग्य ध्येय बनाना। • नये अधिगम एवं विद्यार्थियों के विकासात्मक निकटवर्ती क्षेत्र के अनुरूप बनाना।
विभेदित प्रक्रिया	• विद्यार्थियों की क्षमता, अधिगम शैली, अभिरूचि एवं तैयारी के अनुरूप विविध आकलन रणनीति का प्रयोग।

	• विविध अधिगम क्रिया कलाप का उपयोग एवं विविध समूह बनाने की रणनीति को अपनाना जिससे विद्यार्थियों की क्षमता एवं सहायता का पता लगाना। कक्षा में अनुदेशन एवं प्रबन्धन रणनीतियों का विभिन्न तौर तरीकों के द्वारा क्रियान्वयन। विभिन्न क्रिया कलाप और परियोजनाओं में से विद्यार्थियों हेतु विकल्प चुनने का अवसर प्रदान करना। • विभेदित रणनीति के अनुरूप विद्यार्थी की प्रगति प्रतिदिन रिकार्ड करना एवं नजर रखना। • दिव्यांग छात्रों की वैयक्तिक शैक्षिक योजना (IEP) में उल्लेख विशिष्ट शैक्षणिक आवश्यकता के आधार पर समायोजित अथवा संसोधन करना।
विभेदित–परिणाम	• विविध आकलन उपकरणों के द्वारा उपलब्धि के आंकड़ों का एकत्रीकरण करना। • विविध प्रकार की परियोजना एवं समस्या समाधान क्रियाकलाप में सम्मिलित कर विद्यार्थियों की रूचियों का ध्यान रखना। • विद्यार्थियों की अधिगम क्षमताओं के प्रति जागरूक बनाना, आत्मकेन्द्रित बनाना, प्रस्तुतीकरण हेतु विभिन्न प्रारूप का चयन करने का प्रशिक्षण

विभेदित अनुदेशन के प्रमुख रणनीति लचीला समूह का निर्माण है विद्यार्थियों की क्षमता, अभिरूचि, अधिगम शैली तथा तैयारी के आधार पर अलग–अलग समूह में अलग–अलग कार्य करवाना शिक्षक के लिए आसान होता है। विद्यार्थियों के समूह उनकी अभिरूचि के आधार बनाए जाते है परन्तु विभिन्न क्रियाकलाप को जटिलता के विभिन्न स्तर पर बांटा जा सकता है जैसे प्रश्नोत्तर का स्तर, अमूर्त चिन्तन की प्रक्रिया आदि। जिससे विद्यार्थियों की अधिगम शैली श्रव्य, दृष्य एवं गतिज आदि का ध्यान रखा जाय। शिक्षकों को यह ध्यान रखना होगा कि इस अनुदेशन में किसी भी विद्यार्थी को कक्षा से अलग न माना जाय। तथा विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से, छोटे समूह में या बड़े समूह में एक साथ अधिगम क्रियाओं को करें जिससे अनुदेशन के उद्देश्य की पूर्ति हो।

पाठ योजना एवं अनुदेशन का नियोजन करते समय विभेदित अनुदेशन के मुख्य सिद्धान्तों का अनुप्रयोगः–

पाठ योजना एवं अनुदेशन में विभेदित अनुदेशन के विभिन्न सिद्धान्तों के अनुप्रयोग करने से पूर्व यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि विविध प्रकार के आकलन एवं अनुदेशन को सुनिश्चित किया जाय जिससे विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैली एवं पसन्द का ध्यान रखा जा सकता है।

(1) विविध अभिरूचि वाले विद्यार्थियों को व्यस्त रखना।

(2) अलग–अलग स्तर पर विद्यार्थियों को सहायता देना जिससे विद्यार्थियों को संवेगात्मक सहायता एवं अभ्यास करने का मौका दिया जा सके। इसे सारणी–4 में समझा जा सकता है।

अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प (यू.डी.एल.) एवं विभेदित अनुदेशन (डी.आई.) को समर्थन करने वाली सामान्य कक्षा–कक्ष की रणनीतियाँ :–

अध्यापक को उक्तानुसार यू.डी.एल. तथा डी.आई. के पारस्परिक सम्बन्ध के बारे में जानकारी हो गयी होगी। दोनों सम्प्रत्ययों में भले ही अन्तर है परन्तु ध्येय एवं रणनीति में समानताएं हैं जो निम्नवत हैं–

(1) विद्यार्थियों की विविध अभिरूचि, अभिक्षमता एवं अधिगम आवश्यकता की पूर्ति हेतु विद्यार्थी की पृष्ठभूमि एवं अनुभवों पर विचार करना।

(2) विविध प्रकार के आकलन एवं अनुदेशात्मक उपकरण जैसे लिखित, दष्य, श्रव्य आदि।
(3) विद्यार्थियों के लिए विविध संचार के साधनों का प्रयोग।
(4) अलग–अलग प्रकार के क्रिया कलाप एवं प्रदर्शन के लिए अवसर प्रदान करना।
(5) विद्यार्थियों की सीखने की योग्यता में वृद्धि करने हेतु सुरक्षित एवं समर्थित वातावरण उपलब्ध कराना।

कक्षा शिक्षण में सामान्यता उपयोग करने वाले उपागम में यू.डी.एल. एवं डी.आई. का अनुप्रयोग निम्न सारणी से समझा जा सकता है।

सारणी संख्या–5

विभेदित अनुदेशन और अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्पके लिए सामान्य कक्ष रणनीतियाँ –

सहयोगी अधिगम	• कुछ विद्यार्थियों के संवेगात्मक आवश्यकताएं तथा सीखने के तरीकों के लिए छोटे समूह कार्य पर जोर देता है। • समूह, विद्यार्थियों के अलग–अलग प्रतिभा एवं क्षमता से युक्त होने के कारण प्रत्येक विद्यार्थी को अपने क्षमता का मूल्य अनुभव करने में सहायता मिलती है। • विशिष्ट कार्य को पूर्ण करने हेतु विद्यार्थी समूह में कार्य करते है जिससे विद्यार्थियों में सकारात्मक जिम्मेदारी एवं परस्पर निर्भरता की भावना का विकास होता है। • कार्य की संरचना इस प्रकार से की जाती है जिससे एक छात्र अकेले अपने बल पर नहीं कर सकता है जिससे एक दूसरे से मदद लेने, तैयार करने एवं समूह में कार्य करने की भावना का विकास होता है।
परियोजना आधारित उपागम	किसी निश्चित प्रकरण या विषय पर विभिन्न प्रकार की परियोजना के माध्यम से विद्यार्थियों के अधिगम को सुगम्य बनाया जाता है एवं विद्यार्थी को अपने मनपसन्द विषय में, अपने स्तर अनुरूप तथा अपने गति अनुसार कार्य करने हेतु अनुमति देता है। • छात्र अपने संवेगात्मक आवश्यकता एवं अधिगम शैली के आधार पर स्वतन्त्र रूप से अथवा मिश्रित रूप से समूह बनाकर परियोजना पर कार्य करते है। • सामूहिक परियोजना में शिक्षक के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है। निश्चित छात्र अलग–अलग परियोजना में एक समय में अलग– अलग काम कर सकता है। • शिक्षक यह अवलोकन करते है कि विद्यार्थियों को आवंटित कार्य में उनका प्रयास एवं अनुदेशात्मक स्तर की पूर्ति हो रही है या नहीं।
समस्या समाधान उपागम	विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान एवं प्रस्तुती के अनुसार यथार्थवादी समस्याओ को विभिन्न रणनीतियाँ एवं उपागम के माध्यम से अलग–अलग परिस्थितियों में समाधान करते है। • शिक्षकों से यह अपेक्षित है कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए उपयुक्त संज्ञानात्मक चुनौतियों का नियोजन करें।

==========

इकाई–6

कान की संरचना एवम् कार्य, श्रवण ह्रास के कारण एवम् रोकथाम
(Anatomy and Physiology of Ear, Causes and Prevention of Hearing Loss)

प्रस्तावना (Introduction) :

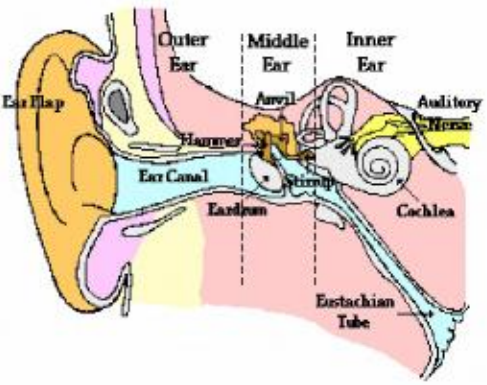

सुनने की प्रक्रिया एक प्रमुख विकसित संवेदी तंत्र है । यह बाहय कर्ण से शुरू होकर मस्तिष्क के टेम्पोरल लोब तक जाती है। कान के विभिन्न भागों की भूमिका कक्षा की सामान्य घटना क्रम के द्वारा समझा जा सकता है उदाहरण के लिए मध्यम शोरगुल वाले कक्षा में शिक्षक के द्वारा किसी शब्द की वर्तनी लिखने के लिए कहा जाए तब वह बच्चे बेहतर तरह से लिख सकते है जो शिक्षक की ध्वनि को बेहतर तरह से सुनकर समझ लेते है।

कान की संरचना व कार्यकी (Anatomy & Physiology of The Ear):

वातावरण की ध्वनियों को बाहय कर्ण संग्रहित करता है बाहय कर्ण के कर्ण पहल (Tympanic Membrane) से जुड़ी होती है जहाँ से मध्य कर्ण शुरू होता है मध्य कर्ण में स्थित पदे में ध्वनि टकराने पर वहाँ पर कम्पन पैदा होता है जिससे मध्य कर्ण में स्थित हड्डियों में भी कम्पन होता है जिससे ध्वनि का संचार आन्तरिक कर्ण में होता है इस प्रकार से बाहय कर्ण और मध्य कर्ण द्वारा ध्वनि का संवहन आन्तरिक कर्ण तक होता है जिसे संवहन तंत्र कहा जाता है। सुनने का अन्तिम भाग आन्तरिक कर्ण में होता है। जो तरल पदार्थ से भरा होता है जिसकी मदद से विभिन्न आवृत्ति एवम् तीव्रता वाले संकेत विद्युत तंत्रिका आवेगों में परिवर्तित हो जाती है।

जब आन्तरिक कर्ण में कम्पन ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है तब वह श्रवण तंत्रिका के माध्यम से केन्द्रीय श्रवण मार्ग(Central Auditory Path way) तक पहुँचता है जहाँ पर संकेतों में स्पष्टता हो जाती है। उदाहरण के लिए बच्चों को केवल वही ध्वनि सुनायी देती है जो उनसे कहा गया है। इसलिए हम कह सकते है कि अगर बच्चा संकेतों को बेहतर तरह से सुनेगा तो सटीक व तेजी से उसका उत्तर दे सकता है। केन्द्रीय श्रवण मार्ग से तंत्रिका प्रवाह मस्तिष्क के श्रवण प्रातस्था (Auditory Cortex) तक पहुँचता है। श्रवण प्रातस्था के द्वारा प्राप्त की गयी संकेतों को पूर्व अनुभव अधिगम एवं संज्ञानात्मक क्षमता के आधार पर अर्थ प्राप्त होता है। इस प्रकार से संकेतों की Decoding होती है।

अगर कक्षा में किसी बच्चे को सुनने में कठिनाई है तो उसे अध्यापक के द्वारा बोले गये शब्दों के अर्थ समझने में कठिनाई होगी अर्थात् उस बच्चे में श्रवण ह्रास है श्रवणह्रास कान के किसी भी भाग में जो ऊपर वर्णित है, में होने पर हो सकते है जैसे बाह्य, मध्य, आन्तरिक कर्ण, श्रवण तंत्रिका, केन्द्रीय श्रवण मार्ग तथा श्रवण प्रातस्था। श्रवण ह्रास के अधिकांश लक्षण को बाहर से देखा नहीं जा सकता है। केवल बाहय कर्ण का लाल होना, कान से मवाद निकलना या दर्द होना, कान से मवाद निकलना या दर्द होने को महसूस कर सकते है। श्रवण ह्रास के सामान्य लक्षणों को प्रमुख रूप से दुर्बल अवधान, निर्देशों को समझने में समस्या, अभिरूचि का अभाव, कक्षा की गतिविधियों में हिस्सा न लेना, सीमित भाषा, गलत उच्चारण आदि के माध्यम से समझा जा सकता है। इन सब

लक्षणों की जानकारी के अभाव से कक्षा की गतिविधियों में शिक्षक द्वारा बच्चों को शामिल नहीं किया जाता है। शिक्षकों को इसके बारे में जागरूक बनाने की आवश्यकता है ऐसे बच्चों का श्रवण मूल्यांकन कराया जाना अनिवार्य है।

श्रवण ह्रास मुख्यतः मात्रा तथा प्रभावित अंगों के आधार पर होता है। मात्रा के आधार पर श्रवण ह्रास के विस्तार की जानकारी तथा प्रकार के आधार पर कान के प्रभावित भाग की जानकारी, श्रवण दोष की मात्रा निम्नलिखित रूप से समझी जा सकती है–

श्रवण ह्रास की मात्रा	**प्रसार (dB)**
अल्पतम श्रवण दोष (Minimal Hearing Loss)	16 dB-25dB
अल्प श्रवण दोष (MildHearing Loss)	26 dB-40dB
मध्यम श्रवण दोष (Moderate Hearing Loss)	41dB-55dB
मध्यम गम्भीर दोष (Moderately Severe Hearing Loss)	56dB-70dB
गम्भीर दोष (Severe Hearing Loss)	71dB-90dB
अति गम्भीर दोष (Profound Hearing Loss)	91dB-Above

कान के प्रभावित होने वाले भाग के आधार पर श्रवण ह्रास का वर्गीकरण एवम् उनके कारण, लक्षण, एवम् रोकथाम को निम्न सारणी तथा चित्र के माध्यम से समझ सकते है।

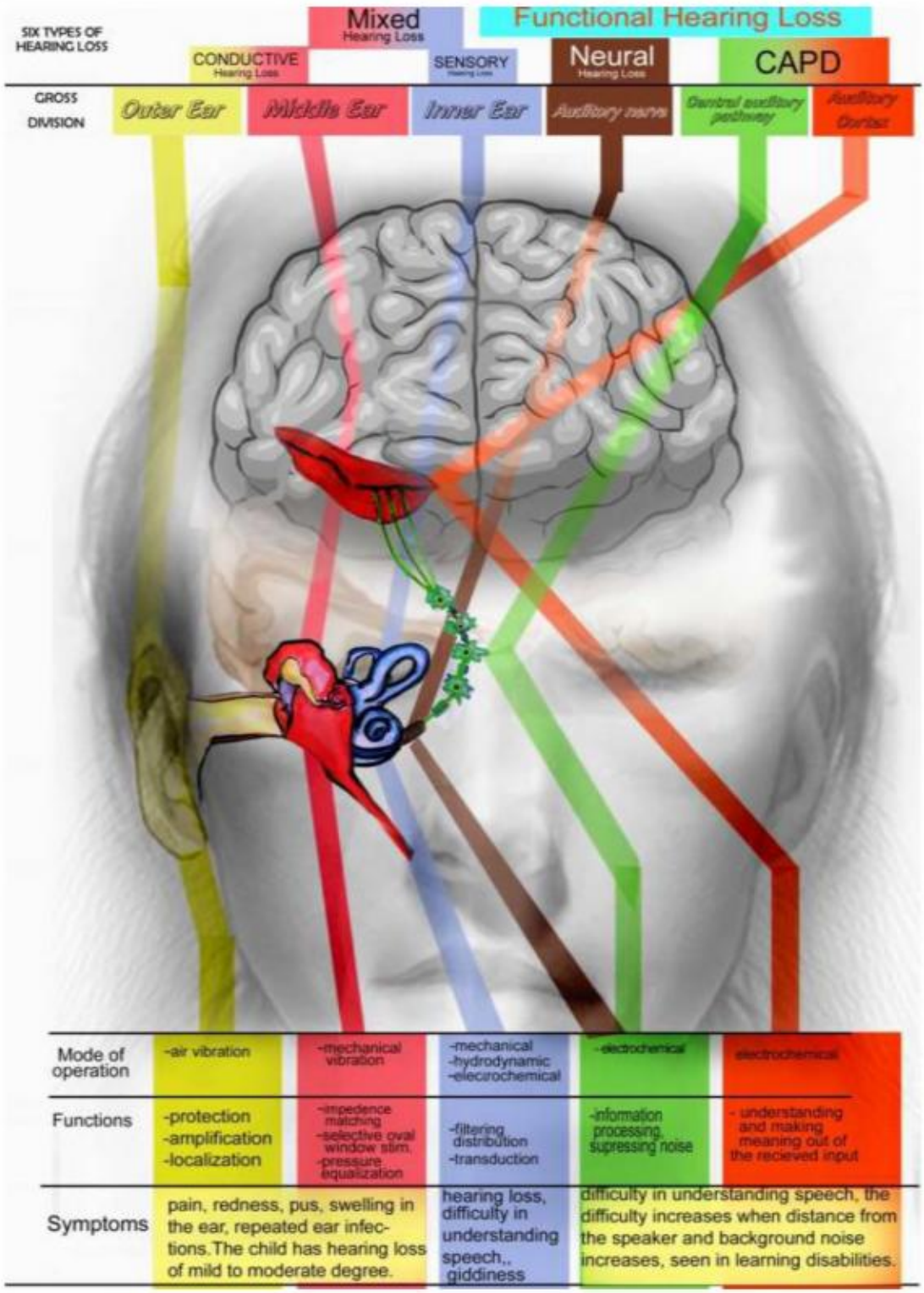
SIX TYPES OF HEARING LOSS
Mixed Hearing Loss
Functional Hearing Loss
CONDUCTIVE Hearing Loss
SENSORY Hearing Loss
Neural Hearing Loss
CAPD
GROSS DIVISION
Outer Ear
Middle Ear
Inner Ear
Auditory nerve
Central auditory pathway
Auditory Cortex
Mode of operation
-air vibration
-mechanical vibration
-mechanical -hydrodynamic -electrochemical
-electrochemical
electrochemical
Functions
-protection -amplification -localization
-impedence matching -selective oval window stim. -pressure equalization
-filtering distribution -transduction
-information processing, supressing noise
- understanding and making meaning out of the recieved input
Symptoms
pain, redness, pus, swelling in the ear, repeated ear infections.The child has hearing loss of mild to moderate degree.
hearing loss, difficulty in understanding speech,, giddiness
difficulty in understanding speech, the difficulty increases when distance from the speaker and background noise increases, seen in learning disabilities.

श्रवण दोष का प्रकार	कान के प्रभावित भाग	कारण	लक्षण	रोकथाम एवं रणनीति
संवहन (Conductive Hearing Loss)	बाह्य एवं मध्य कर्ण अथवा दोनों	कान में संक्रमण एवं चोट लगना	कान में दर्द, लालपन, सूजन मवाद निकलना, धीरे बोलना, शोरगुल वाले वातावरण में सुनने में कठिनाई होना	कान के अन्दर नुकीली चीजों को नहीं डालना, बच्चों के गाल पर थप्पड़ न मारना। किसी भी लक्षण के पाये जाने पर डाक्टर की सलाह लेना
संवेदी तंत्रिका (Sensory Neural Hearing Loss)	आन्तरिक कर्ण	शोरगुल वातावरण में ज्यादा देर कार्य करना (12 प्रतिशत बच्चों में यह दोष पाय जाता है), उच्च ऐन्टीबायोटिक मेडिसिन का सेवन व वायरल बीमारी	पीछे से पुकारने पर न सुनना, गलत उच्चारण करना, इशारों से बात करना व तेज बोलना।	निकट सम्बन्धियों में शादी नहीं, शोरगुल से बचाव की तकनीकि, बुखार एवं संक्रमण होने पर बिना डाक्टर की सलाह के मेडिसन का सेवन न करना।
मिश्रित (Mixed Hearing Loss)	वाह्य ,मध्य अथवा आन्तरिक कर्ण			
तंत्रिका (Neural Hearing Loss)	श्रवण तंत्रिका	ट्यूमर होना, श्रवण तंत्रिका का सही कार्य न करना	चक्कर आना, कान के अन्दर आवाज आना (Tinnitus), कर्णक्षेवड, दूसरे की बोली को समझने में समस्या	चिकित्सीय सलाह, इलेक्ट्रो फिजियोलोजिकल परीक्षण
केन्द्रीय श्रवण प्रसंस्करण विकार (Central Auditory Processing Disorder)	श्रवण तंत्रिका एवम मस्तिष्क के श्रवण प्रातंस्था के बीच में जुड़े क्षेत्र में	शोरगुल वाले वातावरण, कक्षा का वार्तालाप, खुले दरवाज और खिडकी,भीड़–भाड़ वाला एरिया जैसे बस स्टेशन, बाजार आदि।	कक्षा की गतिविधियों में दुर्बल अवधान, कक्षा में कार्य को समझ नही पाना तथा न ही पू कर पाना, शैक्षणिक प्रदर्शन कमजो होना।	कक्षा के शोरगुल को क करना विद्यार्थी की बैठक व्यवस्था में सुधार लाना व एकल शिक्षण, (संसाधन कक्ष में)
क्रियात्मक श्रवण ह्रास (Functional Hearing Loss)	किसी भी बीमारी का न होना। कान के किसी भाग में समस्या न होना, न सुनने को ढोंग	अनजान, किसी भी चीज के प्रति डर होना, पढ़ाई में रूचि न होना, ध्यान आकर्षित करना।	मूल्यांकन के दौरान न सुनने को ढोंग करना (सुनने की क्षमता होने पर भी)	तारीफ करना, पुनर्बल देना, आँख से आँख मिलाना।

सन् 2005 में विश्व स्वास्थ संगठन द्वारा श्रवण ह्रास को स्थायी बीमारी के रूप में शामिल किया गया एवं इसके रोकथाम हेतु सुझाव दिये गये। रोकथाम मुख्यतः तीन चरणों में किया जा सकता है। प्राथमिक चरण जिसमें बीमारी या निःशक्तता की रोकथाम की जाती है,द्वितीय चरण में शीघ्र पहचान के माध्यम से रोकथाम की जाती है तथा तृतीय चरण में व्यक्ति को पुनर्वास सेवायें उपलब्ध कराकर रोकथाम की जाती है। श्रवण ह्रास के विभिन्न कारणों एवं उसकी रोकथाम (Causes and prevention of Hearing Loss) को निम्नलिखित सारणी के द्वारा समझा जा सकता है–

अवधि	कारण	प्राथमिक रोकथाम	द्वितीयक रोकथाम	तृतीयक रोकथाम
जन्म से पूर्व के कारण Pre natal Period	खसरा आयोडीन की कमी, उच्च शक्ति औषधि व सेवन तथा अनुवांशिक	टीका करण, पौष्टिक आहार लेना, चिकित्सीय सलाह/स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श लेना	शीघ्र पहचान स्क्रीनिंग, उपचार	
जन्म के समय के कारण Peri natal Period	जन्मजात विकृति पीलिया रोग, दुर्घटना उच्च शक्ति औषधि का सेवन	परामर्श,समस्याका चिन्हीकरण,टीकाकरण, अस्पताल में डिलीवरी. पौष्टिक आहार लेना व चिकित्सीय सलाह	शीघ्र पहचान, स्क्रीनिंग तथा उपचार	स्पीच थेरेपी व पुनर्वास कार्य
जन्म के पश्चात के कारण Post natal Period	शोरगुल कान से मवाद निकलना,चेचक, गलसुआ, मस्तिष्क ज्वर तथा उच्च शक्ति औषधि का सेवन	आवाज रोधी वातावरण में रहना, कार्यस्थल शोरगुल नहीं होना, वातावरण एवं व्यक्तिगत साफ–सफायी, टीकाकरण तथा चिकित्सीय सलाह लेना	डपचार, शल्य चिकित्सा तथा चिकित्सीय सलाह से औषधि का सेपन	श्रवण यंत्र फिटिंग, स्पीच थेरेपी, विशेष शिक्षा/समावेशी शिक्षा व पुनर्वास सेवायें

इकाई–7

श्रवण क्षतिग्रस्तता : शीघ्र पहचान हेतु हियरिंग स्क्रीनिंग
(Hearing Impairment: Hearing Screening For Early Identification)

प्रस्तावना (Introduction) :

विश्व स्वास्थ संगठन (2012) के आकड़ों में यह बताया गया है कि विश्व जनसंख्या की 360 मिलियन आबादी को श्रवणह्रास की समस्या है जिसमें से 9 प्रतिशत बच्चे है। भारत में वर्ष 2003 में किये गये सर्वे में श्रवण क्षतिग्रस्तता का प्रसार दर 6.3 प्रतिशत है। 14 साल तक की भारतीय आबादी में 2 प्रतिशत बच्चे श्रवण क्षतिग्रस्त (Hearing Impaired) है। 14 साल ये अधिक उम्र वाली आबादी में यह दर 7.6 प्रतिशत है। *Bess एवं साथी (1988)* ने बताया है कि, विद्यालय जाने वाले बच्चों की आबादी में 11.3 प्रतिशत बच्चों में अल्पत्तम श्रवण ह्रास पाया गया। *Niskar एवं साथी (1998)* के द्वारा अस्पताल में किये गये सवक्षर्णे में 14.9 प्रतिशत जन्मजात बच्चों में कम आवृत्ति अथवा उच्च आवृत्ति का श्रवण दोष पाया गया। *Mencher (2000)* ने बताया कि एक हजार जन्मजात बच्चों में 1.368 प्रतिशत बच्चों में संवेदी तंत्रिका श्रवण (Sensori Nrural Hearing Loss) की प्रसार दर है।

श्रवण ह्रास का प्रभाव(Effect of Hearing Loss):

श्रवण क्षतिग्रस्तता का व्यक्ति पर नुकसानदेय प्रभाव पड़ता है जिससे उसके तथा परिवार की मनोवैज्ञानिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव होता है। 1000 हर्टज से ज्यादा आवृत्तियों में श्रवणह्रास न केवल सुनने पर बल्कि दीर्घ अवधि में भाषा एवम वाणी, मनोसामाजिक, संज्ञानात्मक, शैक्षणिक उपलब्धि, व्यवसायिक विकल्प चयन तथा रोजगार की सम्भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः यह आवश्यक है कि श्रवणह्रास का शीघ्र से शीघ्र पहचान कर आकलन कर लिया जाए। अभिभावकों को इन सभी विषयों के बारे में जानकारी देने पर परिवार में किसी भी व्यक्ति को श्रवण ह्रास होने की स्थिति में नकारात्मक परिणामों पर रोक लगायी जा सकती है तथा चिकित्सीय सुपरिणाम मिल सकते हैं। श्रवण ह्रास का शीघ्र पहचान एवं उसका उपचार करने पर बच्चों में भाषा और वाणी का विकास बौद्धिक क्षमता में वृद्धि तथा सामाजिक समेकन को बढ़ावा दिया जा सकता है।

श्रवण बाधित बच्चों में सर्वागींण विकास को सुगम्य बनाने हेतु शिशुओं की स्कीनिंग के लिए संयुक्त समिति (Joint Committee on Infants Hearing) 2007,के पोजिशन स्टेटमेन्ट के द्वारा *1–3–6 नियम* बनाया गया जिसका अर्थ है जन्मजात बच्चों का एक महीने के अन्दर स्कीनिंग किया जाए, 3 महीने के अन्दर विस्तारित निदानात्मक आकलन (श्रवण दोष की मात्रा एवं प्रकार के निर्धारण हेतु) तथा 6 महीने के अन्दर पुर्नवास के विकल्प मुहैया कराये जाऐं। परन्तु इन सभी सुविधाओं के बावजूद जनसाधारण में श्रवण ह्रास एवं उसकी पहचान से सम्बन्धित भ्रान्तियाँ/ धारणाएं हैं, जो नैदानिक तथ्यों से अलग है। जो निम्नवत् सारणी द्वारा स्पष्ट है–

	सामान्य भ्रान्ति	नैदानिक तथ्य
(1)	बच्चे के पैदा होने के 2–3 महीने बाद अभिभावकों को बच्चे के श्रवण ह्रास के बारे में जानकारी होगी।	सार्वभौमिक स्क्रीनिंग से पूर्व औसतन 2–3 साल की उम्र में बच्चों के श्रवण ह्रास का पता चलता था। अल्प एवं अतिअल्प श्रवण ह्रास का पता 4 साल से पहले नहीं होता था।
(2)	बच्चे के सिर के पीछे ताली बजाकर अभिभावक श्रवण ह्रास का पता लगा सकते है।	बच्चे अभिभावक के चेहरे के हावभाव, इशारा, परछायी, प्रतिक्रिया तथा ताली बजाने से उत्पन्न हवा को महसूस कर प्रतिक्रिया दे सकते है।
(3)	उच्च जोखिम रजिस्टर (हाई रिस्क रजिस्टर) के द्वारा ही बच्चों की श्रवण ह्रास की पहचान की जा सकती है।	उच्च जोखिम रजिस्टर के द्वारा लगभग 50 प्रतिशत बच्चों की श्रवण ह्रास का पता नहीं लग पाता है।
(4)	सार्वभौमिक स्क्रीनिंग कार्यक्रम का उपयोग द्वारा श्रवण ह्रास का पता लगाया नहीं जा सकता है।	एक हजार नवजात बच्चों पर लगभग 2 से 4 बच्चों में श्रवण ह्रास पाया जाता है तथा श्रवण ह्रास को सामान्य जन्मजात विसंगतियों में से एक माना जाता है।
(5)	परीक्षण विश्वसनीय नहीं है तथा विशेषज्ञों के पास अधिक से अधिक बच्चे रेफरल किये जाते है।	रेफेरल दर 5 से 7 प्रतिशतहै।
(6)	श्रवण ह्रास के शीघ्र पहचान के लिए कोई जल्दबाजी नहीं है 2–3 वर्श से पूर्व श्रवण ह्रास के पहचान की आवश्यकता नहीं है।	6 महीने से अधिक उम्र में पहचान किये गये बच्चों में भाशा एवं वाणी विकास में देरी परिलक्षित होती है। 6 महीने से कम उम्र में पहचान किये गये बच्चों में यह समस्या कम पायी गयी है तथा सामान्य सुनने वाले बच्चों के समकक्ष पाये गये है।
(7)	12 महीने से कम उम्र के बच्चों में प्रवर्धन उपकरण का रोपड़ नहीं किया जा सकता है।	जन्मजात या एक महीने के बच्चों में भी रोपड़ (Implant) एवं लाभान्वित किया जा सकता है।

इससे यह प्रमाणित होता है कि प्रत्येक भागीदार को शीघ्र पहचान एवं हस्तक्षेप के बारे में विश्वास दिलाने की आवश्यकता है। श्रवण ह्रास का शीघ्र पहचान दो चरणों में किया जा सकता है।

(1) स्कीनिंग

(2) विस्तरित नैदानिक आकलन

(1) स्कीनिंग(Screening) :

इस प्रकार की तकनीकों के प्रभावशीलता पर सवाल उठाया जाता है क्योंकि संदर्भ साहित्यों से यह पता चला है कि 50 प्रतिशत बच्चों में श्रवण ह्रास का पता ऊपर वर्णित तरीकों द्वारा नहीं लगाया जा पा रहा है। इसके अतिरिक्त इस तकनीकि का अनुप्रयोग कर विशेषज्ञों के दल समय–समय पर अभिलेखों का संग्रह, समीक्षा तथा अभिभावकों से साक्षात्कार जैसी क्रियाओं से यह प्रक्रिया ज्यादा खर्चीली होती है। परन्तु कुछ विश्वसनीय स्कीनिंग परीक्षण वर्तमान चिकित्सा व राष्ट्रीय संस्थानों आदि में उपलब्ध है। बच्चों में उपयोग किये जाने वाले प्रमुख परीक्षण निम्नलिखित हैं–

(1) Oto Acoustic Emissions (OAE)

(2) ABR (Auditory brainstem Response)

इन उपकरणों के द्वारा श्रवण दोष का शीघ्र से शीघ्र पता लगाया जा सकता है–

	स्क्रीनिंग उपागम	औचित्य
(1)	AUDITORY BRAINSTEM RESPONSE (ABR)	• यह श्रवण तंत्र का वस्तुनिष्ठ मापन है। • विशिष्ट सूचना देता है। • किसी भी अवस्था (जागृत या सोयी हुई अवस्था) में परीक्षण किया जा सकता है। • इसके लिए आवाजरोधी कक्ष की आवश्यकता नहीं है। • प्रमस्तिश्कीय स्थिति से स्वतन्त्र है। • यह कम खर्चीली है।
(2)	OTO-ACOUSTIC EMISSION	सामान्य कर्णावर्त में ही किया जाता है। • नवजात बच्चों में किया जा सकता है। • अल्प श्रवण ह्रास का पता भी लगा सकते है। • किसी विशेष प्रशिक्षित विशषज्ञों की आवश्यकता नहीं होती है। • कम समय में होता है। • आवृत्ति वार विशिष्ट सूचनाओं को देता है। • श्रवण तंत्रिका विकृति के पहचान में सहायक होता है।

जहां पर इस प्रकार के उपकरण उपलब्ध नहीं होते है उन इलाकों में व्यवहार अवलोकन सूची तथा अन्य तकनीकों द्वारा स्क्रीनिंग की जा सकती है।

हियरिंग एवं स्पीच लैग्वेज डेवलपमेण्ट चेकलिस्ट(Hearing & Speech Language Development Checklist) :–

विकास उम्र (Developmental Age)		हियरिंग, स्पीच एण्ड लैग्वेज कौशल (Hearing Speech & Language Skills)
(1)	जन्म से 3 माह	(1) तीव्र ध्वनियों को सुनकर चौकना (2)कोमल ध्वनियों को सुनकर चुप हो जाना। (3) बोलने पर सिर को मोड़ना। (4) तीव्र आवाज को सुनकर जाग उठना। (5) बातचीत करने पर मुस्कुराना। (6) कुछ परिवार के सदस्यों के आवाज को पहचानना तथा रोते हुए उन आवाजों को सुनकर चुप होना।
(2)	तीन से छह माह	(1) नई– नई ध्वनियों को सुनकर उसकी ओर देखना। (2) गले से अलग–2 प्रकार की आवाजे निकालना। (3) अपनी आवाज की नकल करना। (4) ध्वनि उत्पन्न करने वाले खिलौने के साथ आनन्द पूर्वक खेलना। (5) "Ba, Ba", "ooh", "aah" जैसी ध्वनियों की पुनरावृत्ति करना कर्कष तथा तीव्र ध्वनियों को सुनकर डर जाना।
(3)	छह से बारह माह	(1) नाम लेना पर प्रतिक्रिया देना। (2) टेलीफोन की घंटी सुनकर आवाज करना। (3) परिचित व्यक्तियों की आवाज को पहचानना। (4) सामान्य वस्तुओं के नाम को जानना। (5) सामान्य कहावत जैसे टा–टा, बाय–बाय को जानना। (6) अकेले होने पर Babbling करना। (7) छोटे–2 आदेश को सुनकर प्रतिक्रिया देना जैसे इधर आओ आदि। (8) किसी चित्र या वस्तु के बारे में बोलने पर उधर देखना। (9) छोटे शब्दों तथा ध्वनियों की नकल करना। (10) कुछ अर्थपूर्ण शब्दों का उच्चारण करना।
(4)	एक वर्श से दो वर्श	(1) इशारों के साथ आदेश देने पर अनुसरण करना। (2) जानने वाले शब्दों का वाक्यों में उपयोग करना। (3) 2 या 3 शब्दों के वाक्यों को बोलना। (4) शरीर के विभिन्न अंगों की पहचान करना। (5) हां या नहीं में प्रश्नों का उत्तर देना। (6) सरल वाक्यांश को समझना। (7) चित्र को पढ़ने में आनन्द लेना। (8) आकृतियों के आधार पर वस्तुओं को छाँटना। (9)एक साथ दो निर्देशों को समझना जैसे जूता रखो और इधर आओ। (10) क्रियात्मक शब्दों को समझना।

उपरोक्त के अतिरिक्त अध्यापक स्वनिर्मित परीक्षण का निर्माण कर इन सभी व्यवहारों का आकलन कर सकते है। शिशु एवं बाल्यावस्था में श्रवणह्रास की पहचान हेतु निम्नलिखित चेकलिस्ट का प्रयोग कर सकते है–

सं0	कथन	हाँ / नहीं
1	ध्वनियों को सुनकर प्रत्युत्तर नहीं देता है ?	
2	क्या बच्चे के भाषा व वाणी के विकास में देरी है।	
3	क्या बच्चा निर्देशों का अनुसरण नहीं करता है ?	
4	क्या बच्चा पीछे से बुलाने पर नहीं सुनता है ?	
5	क्या बच्चा 18 से 24 महीने के होने पर कोई भी शब्द नहीं बोलता है ?	
6	क्या बच्चा इलेक्ट्रानिक उपकरण जैसे रेडियो, टेलीविजन, सीडी प्लेयर की आवाज को तेज सुनता है?	
7	क्या बच्चा आसपास के तीव्र आवाज सुनकर कान को हाथ से बंद करता है / दूर	

	जाने की कोषिष करता है/ उछलता है।	
8	क्या बच्चा उम्र अनुरूप क्रियाएं नहीं करता है जैसे बड़ों के आदेश अनुपालन आदि।	
9	क्या बच्चा कही गयी बातों को दोहराने का आग्रह करता है ?	
10	क्या बच्चे का उच्चारण अस्पष्ट है ?	
11	क्या बच्चा एक ही प्रकार की आवाज निकालता है ?	
12	क्या बच्चा सहपाठी संग में हिस्सा नहीं लेता है ?	
13	क्या बच्चा कान में दर्द की शिकायत करता है ?	
14	क्या बच्चे के कान से मवाद निकलता है ?	
15	क्या बच्चा बातचीत के समय कान की ओर हाथ लगाकर सुनता है ?	
16	क्या बच्चे के कान में स्पष्ट दिखायी देने वाली विकृति है।	

नोट– उपरोक्त सूचकों/ कथनों में से किसी 3 या 4 का उत्तर हाँ में है तो विशेषज्ञों से सलाह लेने की आवश्यकता है।

विस्तारित नैदानिक आकलन(Extended Clinical Assessment):

जिन बच्चों की हियरिंग स्कीनिंग के माध्यम से श्रवण ह्रास का पता नहीं लग पाता है, उनका विस्तारित नैदानिक आकलन करने की आवष्यकता होती है। ऑडियोलाजिस्ट विभिन्न प्रकार के परीक्षण का प्रयोग, श्रवण दोष की मात्रा, प्रभावित भाग तथा कारणों की जानकारी हेतु करते है। इसके अतिरिक्त ऑडियोलाजिस्ट द्वारा जन्म इतिहास, पारिवारिक इतिहास व अन्य आवश्यक जानकारी ली जाती है आडियोलाजिस्ट द्वारा सामान्यता निम्नलिखित टेस्ट किये जाते हैं–

(1) शुद्ध स्वर श्रव्यतामिति (Pure Tone Audiometry)
(2) टिम्पेनोमेट्री(Tympanometry)
(3) स्पीच अडियोमेट्री(Speech Audiometry)
(4) व्यवहार अवलोकन श्रव्यतामिति(Behavior Observation Audiometry)

इकाई–8

विविध श्रवण परीक्षण एवं ऑडियोग्राम
(Various Audiological Tests and Audiogram)

प्रस्तावना (Introduction) :

बच्चों में वाणी व भाषा विकास और अन्य विकासात्मक माइलस्टोन्स की प्राप्ति के लिए श्रवण परीक्षण एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अतः जब कभी भी बच्चों में उनके श्रवण की स्थिति न मालूम पड़े, उस समय बच्चों में श्रवण परीक्षण आवश्यक समझा जाता है। श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में वाणी–भाषा, सामाजिक–संवेदनात्मक, संज्ञानात्मक विकास और शैक्षिक उपलब्धि सही हो, उसके लिए विविध श्रवण परीक्षणों द्वारा श्रवण का सम्पूर्ण मूल्यांकन करना आवश्यक समझा जाता है। (Bess, Dodd - Murphy & Parker, 1998; Joshinaga - Itano & Sedey, 2000)

श्रवण परीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी जाँच परिणाम को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं। इस कारण श्रवण जाँच में किसी एक परीक्षण के ऊपर निर्भर नहीं रहा जा सकता है। इस इकाई में श्रवण जाँच के अलग–अलग टेस्ट विधि के सम्बन्ध में अध्यापक सीख सकेंगे।जैसा कि श्रवण दोष की प्रकृति विविध होती है। श्रवण प्रक्रिया बाह्य कान से शुरू होकर, मध्य कान, अन्तः कान, आठवीं नस ब्रैन स्टेम होते हुए ब्रेन के श्रवण क्षेत्र तक होती है। इसके रास्ते में कहीं भी समस्या हो सकती है। उसकी तीव्रता का स्तर अलग हो सकता है। अतः श्रवण जाँच के परिणाम की केस हिस्ट्री, अभिभावक की रिपोर्ट और व्यवहार के अवलोकन के साथ मिलान कर सुनिश्चित करना चाहिए।

उद्देश्य (Objectives) :

इस इकाई के अध्ययन से अध्यापक विद्यार्थियों को उपलब्ध कराये गये श्रवण यन्त्र की फिटिंग के साथ ही निम्नलिखित के बारे में सीखेंगे–

(1) श्रवण जाँच की विधियाँ
(2) श्रवण थ्रेशोल्ड का अर्थ
(3) श्रवण दोष के प्रकार, डिग्री और विन्यास
(4) यंत्र के लिए उपयुक्त पात्रता
(5) ऑडियोग्राम का उपयोग
(6) शैक्षिक योजना में मदद

श्रवण परीक्षण के सिद्धान्त (Principals of Audiological Testings) :

श्रवण जाँच के लिए निम्नलिखित सिद्धान्तों का पालन करना आवश्यक होता है–

(1) जाँच के समय व्यक्ति की सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए।
(2) श्रवण जाँच से पहले बालक की Conditioning की जानी चाहिए।
(3) सभी जाँच ऑडियोमेट्री रूम में होनी चाहिए जिसमें शोरगुल का स्तर दिए गए मानक के अनुसार हो।
(4) जाँच के लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्रों का कैलिब्रेशन दिए मानक के अनुसार होना चाहिए।
(5) पूरी जाँच प्रक्रिया में परिवार के सदस्य को सम्मिलित करना चाहिए।
(6) जाँच सम्बन्धित सारे दस्तावेजों को रखना चाहिए।
(7) प्रत्येक कान की अलग–अलग जाँच करनी चाहिए।

(8) बच्चों में उम्र एवं विकास स्तर के अनुसार श्रवण जाँच होनी चाहिए।

श्रवण परीक्षण के प्रकार (Types of Audiological Testings):

श्रवण परीक्षण का मुख्य उद्देश्य श्रवण की स्थिति पता करना है। इसके लिए साधारण यंत्र से लेकर कठिन से कठिन कम्प्यूटरयुक्त यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। केस हिस्ट्री लेना श्रवण जाँच का आधार जाना जाता है। केस हिस्ट्री हमें सही डायनोसिस, सही ऑडियोमीटर का चयन तथा सही श्रवण जाँच प्रक्रिया का चयन करने में मदद करती है। ऑटोस्कोपी से बाह्य कान का अवलोकन कर यह सुनिश्चित करते है कि बाह्य कैनाल में कोई बाह्य वस्तु या अन्य समस्या नहीं है क्योंकि बाह्य कान में इयरफोन लगाकर श्रवण जाँच की जाती है।

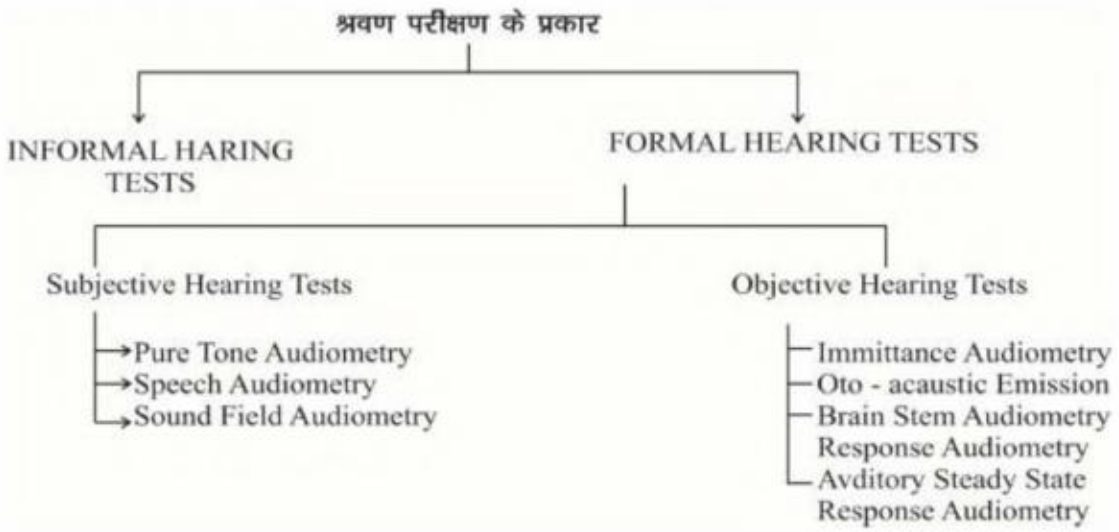

(अ)अनौपचारिक श्रवण परीक्षण (Infomal Hearing Tests) :-

यह एक ऐसी जाँच है जिसमें जाँच परिणाम व्यक्ति के प्रतिक्रिया के ऊपर निर्भर करता है। इसमें वह सारी जाँचें होती है जो श्रवण स्क्रीनिंग में करते है। जाग्रत करने का टेस्ट (Arousal) टेस्ट, और उन्मुखीकरण (Orientation) टेस्ट बच्चों में किया जाता है जिसमें बच्चे के उम्र के अनुसार ध्वनि की प्रतिक्रिया देखते हैं और श्रवण दोष है या नहीं की जानकारी लेते है।

(1) व्यवहार अवलोकन ऑडियोमेट्री (Beharioral Observation Audiometry) (BOA) :

इस परीक्षण में निर्धारित ध्वनि उत्तेजक देने के बाद शिशु में होने वाली प्रतिक्रिया जैसे Auropalpebral Reflax (APR), Startle Reflex, आँखों को चौड़ा करना, आवाज निकालना, किसी गतिवधि को रोकना, आवाज के तरफ सिर मोड़ना आदि को देखा जाता है। यह प्रतिक्रिया 0 से 6 माह तक के शिशु में पायी जाती है। प्रतिक्रिया न मिलने पर श्रवण दोष होने की सम्भावना होती है।

(2)दृश्य सुदृढ़ीकरण ऑडियोमेट्री (Visual Reinfrcement Audimoetery-VRA):

यह जाँच 6 महीने से 2 वर्ष के बच्चों में की जा सकती है। *"Coditioned Orientation Response Audiometry (CORA)*एक ऐसी जाँच है जिसमें बच्चे का विभिन्न ध्वनियों से

Conditioning करते हुए Visual Stimulus Vs Reinforce करते हैं और यह अपेक्षा रखते हैं कि बच्चा प्रतिक्रिया करेगा। अगर प्रतिक्रिया ध्वनि के साथ Conditioned हो जाती है तो ध्वनि की तीव्रता को कम या ज्यादा कर श्रवण क्षमता (Hearing Threshold)निकाल सकते है।

(3)Tangible Reinforcement Operant Conditining Audiometry (TROCA):

जब बच्चा 2 से 2.5वर्ष का होता है तब उसमें Conditioned PlayAudiometry की जाती है जिसका जाँच परिणाम वयस्क जैसा होता है। यह टेस्ट प्रभावी साबित हुआ है।

(अ)औपचारिक श्रवण जाँच (Formal Hearing Test) :

इसमें वह सभी जाँचे होती हैं जिसे एक दिए गए मानक के अनुसार किया जाता है। इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से दो जाँच व्यक्तिपरक (Subjective) श्रवण टेस्ट एवं वस्तुपरक (Objective) श्रवण टेस्ट होते है। *Subjective Hearing Test* में जाँच किए जाने वाले व्यक्ति की हिस्सेदारी ज्यादा से ज्यादा होती है जबकि *Objective Hearing Test* में जाँच किए जाने वाले व्यक्ति की हिस्सेदारी न्यूनतम होती है।

(अ–1)व्यक्तिपरक (Subjective Hearing Test) :-

(1) Pure Tone Audiometry (PTA) :

यह एक आधारभूत डायग्नोस्टिक श्रवण जाँच है। इस जाँच से श्रवण दोष के स्तर की तीव्रता, श्रवण दोष के प्रकार, तथा आवृत्ति विशेष की सूचना जान सकते है। किसी विशेष आवृत्ति पर तीव्रता का वह न्यूनतम स्तर जिसे व्यक्ति सुनता है उसे हियरिंग थ्रेशोल्ड कहते है। इस जाँच में Hearing Threshold जान सकते हैं। *Air Conduction* तथा *Bone Conduction Threshold* दोनों कानों का अलग–अलग निकाला जाता है।

ऑडियोमीटर एक यंत्र है जिससे हम श्रवण जाँच करते है। Pure Tone Audiometor में एक Osscillator होता है जो Frequency dial से जुड़ा होता है। इससे 250 हर्टज से 8000 हर्टज तक Octave या Mid Octave अन्तराल पर अर्थात 250, 500, 1000, 2000, 4000, 6000 और 8000 हर्टज आवृत्ति के ध्वनि निकालने की क्षमता होती है। Osscillator के द्वारा अन्य ध्वनियाँ जैसे Noise, Warble tone भी उत्पन की जा सकती है।Audiometer का Attenuator, Instensity Dialसे जुड़ा होता है जो Audiometer से निकली ध्वनि की तीव्रता को नियंत्रित करता है। इसकी मदद से –10 dBHL से 120dBHL तक 5 dBके अन्तराल से ध्वनि निकाली जा सकती है। *Air Conduction* तथा *Bone Conduction* के लिए अलग–अलग आवृति पर निर्धारित ध्वनि की तीव्रता का स्तर को उत्पन्न किया जा सकता है। ऑडियोमीटर का Interruptor ध्वनि को ON या OFF किया जाता है। ऑडियोमीटर में एक इयरफोन (Right-Red colour marked और Left- Blue Colour marked) होता है जिसमें Air Conduction (AC) threshold निकाला जाता है और Bone Vibrator होता है जिससे Bone Conductor (BC) threshold निकाला जाता है। ऑडियोमेट्री टेस्ट Sound treated room में किया जाता है। ऑडियोमेट्री टेस्ट का रिपोर्ट एक ग्राफ पर अंकित किया जाता है जिसे ऑडियोग्राम कहा जाता है।

(2) Speech Audiometry :

जब ऑडियोमीटर में Pure tone की जगह Speech (Spondee words, PB words)का प्रयोग कर श्रवण परीक्षण करते है उसे Speech Awarness level, Speech Recognidon Threshold (SRT) और Speech Discriminadon Score (SDS) ज्ञात किया जाता है। इस टेस्ट से डायग्नोसिस करने में और मजबूती मिलती है। इसके साथ श्रवण यंत्र का चयन और पुनर्वास करने में भी मदद मिलता है।

(3) Sound Field Audiometry :

इसे Free Field Audionetry भी कहा जाता है। इस टेस्ट को करने के लिए ऑडियोमीटर के साथ दो लाउडस्पीकर जोड़कर रखा जाता है। अलग अलग आवृति से Warble tone या Noise की मदद से श्रवण क्षमता जान सकते है। जब श्रवण यंत्र को कान में लगाकर श्रवण क्षमता निकालते है उसे एडेड थ्रेशोल्ड या एडेड ऑडियोग्राम कहा जाता है। Behavioural Observation Audiometery भी इस तरह से सेट–अप में किया जाता है।

(अ–2)वस्तुपरक श्रवण टेस्ट(Objective Hearing Tests):

टेस्ट में चूँकि व्यक्ति की भागीदारी न्यूनतम होती है अतः शिशु या जाँच करने में कठिन बच्चों को जाँच करना आसान होता है। इसके अन्तर्गत निम्नवत जाँच का उपयोग किया जाता है–

(1) Immittance Audiometry :

यह एक ऐसी ऑडियोमेट्री जाँच है जिसमें मध्य कान की स्थिति का पता चलता है। छोटे बच्चों में मध्य कान की समस्या गम्भीर हो जाती है। उस परिस्थिति में यह जाँच उपयोगी होती है। इस टेस्ट में सेन्सरी न्यूरल श्रवण दोष का भी पता कर सकते है तथा विशेष विधि द्वारा श्रवण क्षमता को ज्ञात किया जा सकता है।

(2) Brainstem Evolved Response Audiometry (BERA):

इसमें कान में ध्वनि देने के फलस्वरूप उत्पन्न कोकलिया से लेकर ब्रेनस्टेम होते ब्रेन के श्रवण क्षेत्र तक की विद्युतीय हलचल का मापन कर श्रवण क्षमता बताता है। शिशु या असहयोगी व्यक्ति के श्रवण जाँच में ज्यादा लाभप्रद होता है।

(3) Oto-Acoustic Emission (OAE):-

यह एक वस्तुनिष्ठ जाँच है जिसके द्वारा अन्तः कान में स्थित कोकलिया की स्थिति का पता चलता है। कोकलिया में उपस्थित हेयर सेल्स की स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है।

(4) Auditory Steady State Response Audimoetry (ASSRA):-

इस जाँच द्वारा अलग अलग आवृत्ति पर श्रवण क्षमता प्राप्त कर सकते है तथा एक ऑडियोग्राम बन सकता है। बच्चों में जब Pure Tone ऑडियोमेट्री करना मुश्किल हो तो इस जाँच से ऑडियोग्राम निकाल सकते है। यह बच्चों में श्रवण यंत्र का चयन करने में भी मदद करता है।

ऑडियोग्राम (Audiogram):

ऑडियोग्राम एक ग्राफ है जिस पर श्रवण थ्रेशोल्ड अंकित रहता है। इसमें दो अंश x-axis एवं y-axis होते हैं। x-axis पर विभिन्न आवृत्ति को दर्शाया जाता है तथा y-axis पर ध्वनि की तीव्रता को (dBHL) में दर्शाया जाता है। AC threshold, BC threshold, Rigt ear और Left ear के अलग अलग संकेत होते हैं जिसकी मदद से दोनों कानों के Threshold को इस पर दर्शाया जाता है।

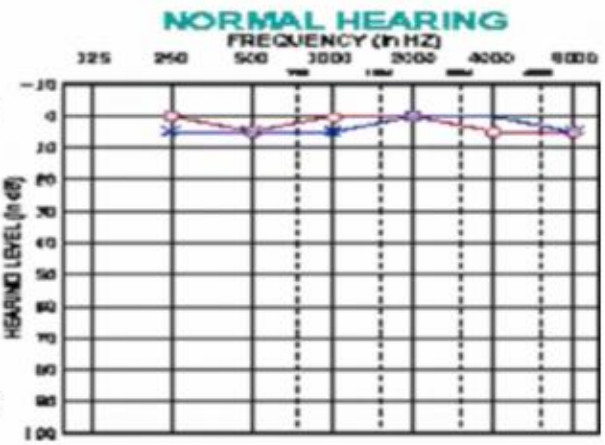

ऑडियोग्राम के महत्त्व (Importance of Audiogram):

(1) यह श्रवण क्षमता को दर्शाता है।

(2) व्यक्ति कितना सुन सकता है और किस सीमा तक कितना समझता है के विषय में बताता है।

(3) इसकी मदद से बच्चे की भाषा–वाणी, शिक्षा तथा श्रवण यंत्र की स्थिति का पता चलता है।

(4) ऑडियोग्राम पर अंकित एडेड और अनएडेड थ्रशोल्ड(Unaided Threshold) की मदद से स्पीच स्पेक्ट्रम की स्थिति के बारे में जानकारी होती है। वाणी की कौन सी ध्वनि श्रवण यंत्र के मदद से सुनाई दे रही है इसकी जानकारी मिलती है।

(5) ऑडियोग्राम पर अंकित 500Htz, 1000 Htz तथा 2000Htz की आवृत्ति पर प्राप्त श्रवण थ्रेशोल्ड को जोड़कर तीन से भाग देने के बाद प्राप्त अंक को Prue Tone Average (PTA)कहते है। इस PTA की मदद से श्रवण क्षमता की डिग्री/गम्भीरता का पता चलता है जैसे–

.10 dBHL - 25 dBHL	Normal Hearing Sensitivity
26 dBHL - 40 dBHL	Mild Hearing loss
41 dBHL - 55 dBHL	Modorate Hearing loss
56 dBHL - 70dBHL	Modorately Severe Hearing loss
71 dBHL - 90 dBHL	Severe Hearing loss
91 dBHL and above	Profound Hearing loss

(6) ऑडियोग्राम पर अंकित Air Conduction और Bone Conduction थ्रेशोल्ड की मदद से श्रवण दोष के प्रकार जैसे कण्डक्टिव, सेन्सरी न्यूरल व मिश्रित श्रवण दोष के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।

श्रवण दोष के प्रकार (Types of Hearing Loss) :-

(1)कण्डक्टिव श्रवण दोष (Conductive Hearing Loss)

वाध्य व आन्तरिक कर्ण में खराबी के कारण होता है। छोटे बच्चों (Kids) में इस प्रकार के श्रवण दोष का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। कर्ण नलिका में वेक्स के होने से या वाहय कर्ण के न होने के कारण भी हो सकता है। कान में पर्दे(Ear Drum) न होने के कारण या जन्म के समय कर्ण बीमारी के कारण कर्ण नलिका

के खत्म हो जाने के कारण होता है।Air Conduction थ्रेसोल्ड सामान्य रहता है परन्तु Bone Conduction थ्रेसोल्ड असामान्य रहता है।

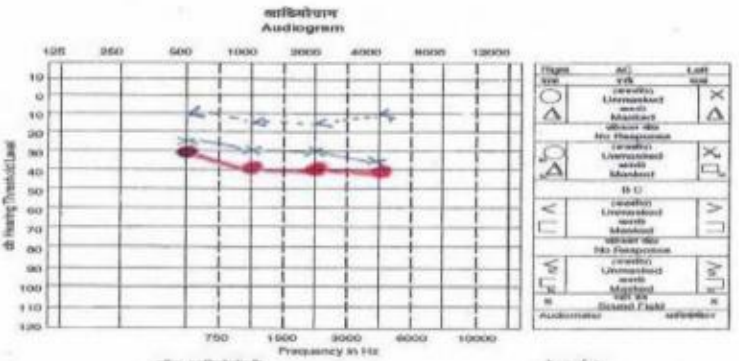

Speech Audiometry

कान Ear / Test जांच	पी.टी.ए. PTA	एस.आर.टी. SRT	एस.डी.एस. SDS
दायाँ Right	36dB		
बायाँ Left	28dB		
दोनों Both			

Weber Test

Frequency in HZ	दायाँ Right	बायाँ Left
250		
500		
1000		
2000		

(2) सेन्सरी न्यूरल श्रवण दोष (Sensori Neural Hearing Loss):

इसमें वाहयकर्ण व मध्यकर्ण सामान्य होता है। परन्तु आन्तिरक कर्ण से लेकर तंत्रिका मार्ग में खराबी होती है। Air Conduction थ्रेसोल्ड व Bone Conduction थ्रेसोल्ड असामान्य रहता है। इस तरह के श्रवण दोष में आवाज सुनने में उतनी परेशानी नहीं होती है जितनी समझने में। Air Conduction थ्रेसोल्ड व Bone Conduction थ्रेसोल्ड में 10dB तक का अन्तर होता है। विघालयों में जो बच्चे है वह ज्यादातर सेन्सरी न्यूरल श्रवण दोष से प्रभावित होते हैं।

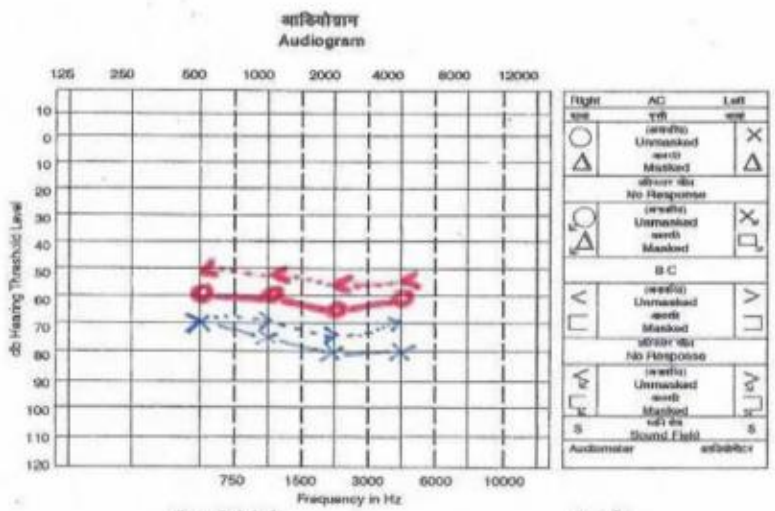

Speech Audiometry

कान Ear / Test जांच	पी.टी.ए. PTA	एस.आर.टी. SRT	एस.डी.एस. SDS
दायाँ Right	61dB		
बायाँ Left	75dB		
दोनों Both			

Weber Test

Frequency in HZ	दायाँ Right	बायाँ Left
250		
500		
1000		
2000		

(3) **मिश्रित श्रवण दोष (Mixed Hearing Loss):**

व्यक्ति में जब कण्डक्टिव व सेन्सरी न्यूरल श्रवण दोष एक साथ होते है तब वह व्यक्ति मिश्रित श्रवण दोष से प्रभावित होता है। इसमें Air Conduction थ्रेसोल्ड व Bone Conduction थ्रेसोल्ड में 10 dB से अधिक का अन्तर होता है। इस दोष के कारण ब्रेन में खराबी आती है जिससे व्यक्ति संप्रेषण करने में असमर्थ रहता है। प्रायः जन्मजात बधिरता तथा कोनिक ओटाइटिस मीडिया के कारण होता है।

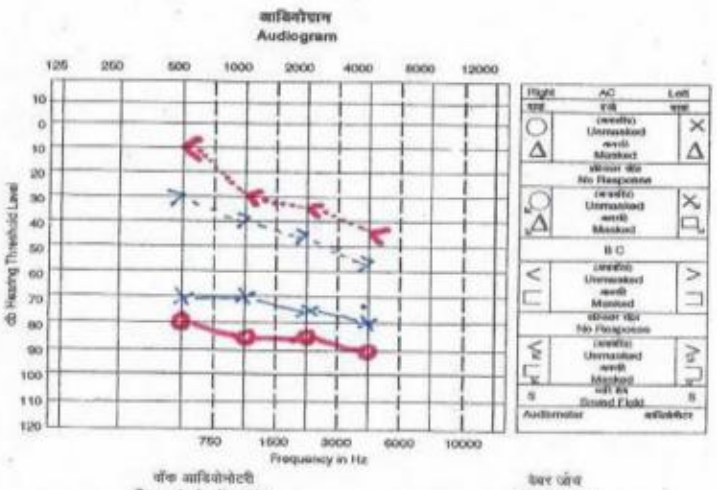

Speech Audiometry

Test / जांच — कान Ear	पी.टी.ए. PTA	एस.आर.टी. SRT	एस.डी.एस. SDS
दायाँ Right	83dB		
बायाँ Left	71dB		
दोनों Both			

Weber Test

Frequency in HZ	दायाँ Right	बायाँ Left
250		
500		
1000		
2000		

(4) **केन्द्रीय श्रवण दोष (Centarl Hearing Loss)**:

यह क्रेनियल तन्त्रिकाओं या अन्तः कर्ण में क्षति के कारण होता है। इसमें व्यक्ति न ही आवाज सुन पाता है न ही आवाज पहचान पाता है। प्रायः ब्रेन टयूमर, एन्सेफेलाइटिस व मेनिनजाइटिस के कारण होता है।

(5) **कियात्मक श्रवण दोष (Functional Hearing Loss):**

इस प्रकार के श्रवण दोष में कर्ण में कोई खराबी नही होती है। यह मनोवैज्ञानिक अशान्ति के कारण होता है।इसका निदान साइकोलॉजिकल काउन्सलिन्ग है।

ऑडियोग्राम के उपयोग(Use of Audiogram) :

(1)ऑडियोग्राम देखकर शिक्षक यह बता सकता है कि कक्षा में बच्चे के द्वारा लगाया जा रहा श्रवण यंत्र सही है या नहीं।

(2)बच्चे के लिए अच्छी शिक्षण योजना बनाने में सहायक होता है।

(3)ऑडियोग्राम की मदद से भाषा शिक्षण व श्रवण प्रशिक्षण की योजना ठीक ढंग से बना सकते है।

(4)बच्चे की कक्षा में बैठने की व्यवस्था करने में असानी होते है।

(5)स्कूल के चयन करने में सहायक होता है।

(6)सम्प्रेषण के माध्यम को चयन करने में सहायता मिलती है।

(7) वाणी–भाषा शिक्षण की पद्धति के चयन करने में मदद मिलता है।

==========================

इकाई–9

श्रवण यंत्र का प्रयोग, देखभाल एवं रख रखाव (Care, Use & Maintenance of Hearing Aids)

प्रस्तावना (Introduction) :

विद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थियों में विभिन्न तीव्रता के और विभिन्न प्रकार के श्रवण दोष हो सकते हैं जिसके कारण विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस प्रभाव को कम करने के लिए विद्यार्थी को श्रवण परीक्षण के बाद श्रवण यंत्र की फिटिंग करना आवश्यक होता है।श्रवण यंत्र (Hearing Aid) एक ऐसा विद्युतीय–ध्वनीय यंत्र है जो ध्वनि की तीव्रता को बढ़ाकर कम सुनने वाले व्यक्ति को सुनने में मदद करता है।विद्यार्थी के लिए श्रवण यंत्र महत्वपूर्ण समझा जाता है।अतः इस इकाई में विभिन्न प्रकार के श्रवण यंत्रों के प्रकार, प्रयोग, देखभाल एवं रख–रखाव के विषय में जानकारी होगी। इस के अध्ययन के फलस्वरूप सेवारत शिक्षक व अन्य निम्नलिखित के वारे में सीखेंगे–

(1) श्रवण यंत्र के प्रकार
(2) श्रवण यंत्र का सही प्रयोग
(3) श्रवण यंत्र की देखभाल का महत्व
(4) श्रवण यंत्र के रख–रखाव का महत्व

श्रवण यंत्र (Hearing Aid):

श्रवण यंत्र के द्वारा वातावरण की आवाज बढ़कर व्यक्ति के कान तक पहुँचती है और अवशेष(Residual)श्रवण क्षमता का उपयोग करने में सहायक होता है।श्रवण यंत्र अनेक प्रकार के तथा विभिन्न क्षमताओं वाले होते है। श्रवण दोष के स्तर के अनुसार व्यक्तिगत श्रवण यंत्र के अलावा समूह में उपयोग किया जाने वाला श्रवण यंत्र भी होते है।व्यक्तिगत श्रवण यंत्र में मुख्य रूप से बॉडी लेवल हेयरिंग एड, बिहाइन्ड द इयर, इन द इयर, इन द कैनाल,कम्प्लीटली इन द कैनाल होते है। कक्षा कक्ष में उपयोग किया जाने वाला सामूहिक श्रवणयंत्र (Group Hearing Aid) में हार्ड वायर प्रणाली (Hard Wire System), एफ0 एम0 प्रणाली, इन्फ्रारेड प्रणाली आती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त एक कर्णज श्रवण यंत्र (Monaural Fitting- श्रवण यंत्र का सिर्फ एक कान में प्रयोग), द्वि कर्णज श्रवण यंत्र(Binaural Fitting-श्रवण यंत्र का दोनों कानों में अलग–अलग प्रयोग) तथा छद्म द्विकर्णज श्रवण यंत्र(Pseudo Binaural Fitting- एक श्रवण यंत्र परन्तु दो इयरफोन के द्वारा दोनों कानों में प्रयोग) किया जाता है।इसके अलावा तकनीकी के विकास के साथ श्रवण यंत्र डिजिटल होते जा रहे है।वर्तमान में कोकलियर इम्प्लाण्ट(Cochlear Implant) आरंभिक आयु के बच्चों में ज्यादा से ज्यादा लगाये जा रहे हैं।

श्रवण यंत्र के प्रकार (Types of Hearing Aid):

1–बॉडी/पाकेट लेवल श्रवण यंत्र (Pocket/ Body Level Hearing Aid)-

इस प्रकार के श्रवण यंत्र बच्चे सीने (Chest) पर हारनेस के द्वारा पहनते हैं।बड़े बच्चे या वयस्कों के द्वारा मुख के पास पॉकेट में फिट किया जाता है।इसमें एक तार(Cord) होता है जो इयरफोन से सम्बन्धित(Connect) होता है। इयरफोन का सम्बन्ध(Connection) एम्पलीफाइर से होता है। इनका रखरखाव आसानी से किया जा सकता है।यह अन्य श्रवण यंत्रों की अपेक्षा सस्ते होते है, अतः इन्हें निम्न कीमत श्रवण यन्त्र (Low Cost Aid)

कहा जाता है। यह अन्य श्रवण यंत्र की अपेक्षा अधिक टिकाऊ है। सर्व शिक्षा अभियान में वाक् श्रवण निःशक्त विद्यार्थियों को एडिप योजना के द्वारा एलिम्को तथा अन्य संस्थाओं के सहयोग से इस तरह के श्रवण यंत्र उपलब्ध कराऐ जाते है।

2–बिहाइण्ड द इयर श्रवण यंत्र (Behind The Ear Hearing Aid):

इस प्रकार के श्रवण यंत्र कान के ऊपर पहने जाते है। इसमें तार (Cord) नहीं होता है। अतः श्रवण यंत्र से बढ़ी हुयी ध्वनि को रिसीवर से एक नली(Tube) के द्वारा कान में भेजी जाती है। यह अधिक आरामदायक होते है क्योकि इनमें माइक्रोफोन (Mic) कान के पास होता है। अतः ध्वनि तरंगें (Sound Waves) आसानी से कान में संचरित होती है। सर्व शिक्षा अभियान में वाक् श्रवण निःशक्त विद्यार्थियों को एडिप योजना के द्वारा एलिम्को तथा अन्य संस्थाओं के सहयोग से इस तरह के श्रवण यंत्र भी उपलब्ध कराऐ जाते है।

3–इन द इयर श्रवण यंत्र (In The Ear Hearing Aid):

यह कठोर प्लास्टिक के कवच में बना होता है।
इस प्रकार का श्रवण यंत्र कान के अन्दर या कर्णनलिका में फिट होता है। फिट होने से पहले व्यक्ति के कान का इम्प्रेसन लिया जाता है।

4–इन द केनाल श्रवण यंत्र (In The Canal Hearing Aid):

इस प्रकार का श्रवण यंत्र कान की आड्टिरी केनाल में फिट किया जाता है।यह कीमती होते है, अतः इसे उच्च कीमत श्रवण यन्त्र (High Cost Aid) कहा जाता है। इनके रख रखाव व देखभाल पर अधिक ध्यान देना पड़ता है।

5–कम्पलीटली इन द केनाल श्रवण यन्त्र (Completely In The Canal Hearing Aid):

यह ऐसे व्यक्तियों को फिट किया जाता है जिन्हें माइल्ड या मॉडरेट श्रेणी का श्रवण दोष होता है।यह कान के अन्दर नलिका में फिट होता है अतः दिखाई नहीं देता है। इसके द्वारा अधिक बाहरी शोर को ग्रहण नही करता है।सीमित मात्रा में ध्वनि को कान के अन्दर संचरित करता है।

6–कॉकलियर इम्प्लाण्ट (Cochlear Implant):

यह एक प्रत्यारोपड़(Implant) तकनीकि है जिसमें शल्य चिकित्सा के द्वारा बच्चे के कॉक्लीया से डिवाइस प्रत्यारोपित की जाती है।डिवाइस का रिसीवर कान के पीछे बोनस्कल (Bone Skull) में त्वचा के नीचे रखा जाता है। कॉकलियर इम्प्लाण्ट कम उम्र के बच्चों में सर्वाधिक उपयोगी होता है।यह सर्वाधिक मंहगा होता है।

श्रवण यंत्र चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर इसे अच्छी तरह से नहीं रखा जाय तो यह अधिक दिनों तक नहीं चलता है।श्रवण यंत्र के उचित रख–रखाव और देखभाल से इसका जीवन बढ़ जाता है। इसका अधिक से अधिक उपयोग करने से विद्यार्थी आसानी से भाषा–वाणी सीखते हैं।

श्रवण यंत्र का प्रयोग(Use of Hearing Aid):

(1) बच्चे को सोते या नहाते समय को छोड़कर श्रवण यंत्र का प्रयोग हमेशा करना चाहिए।

(2) यह सुनिश्चित होना चाहिए कि श्रवण यंत्र का प्रयोग श्रवण दोष की क्षमता तथा प्रकार के अनुसार किया जा रहा है।

(3) यह ध्यान रखना चाहिए कि श्रवण यंत्र का चयन एक आडियोलॉजिस्ट के द्वारा ही हुआ है ।

(4) इयर मोल्ड श्रवण यंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। 3 वर्ष के उम्र तक प्रत्येक तीन माह के बाद इयर मोल्ड को बदल देना चाहिए तथा नया प्रयोग में लाना चाहिए।*(Martin 1884)*

(5) जहाँ तक सम्भव हो दोनों कानों में अलग–अलग श्रवण यंत्र का प्रयोग होना चाहिए।इसके कारण ध्वनि के स्त्रोत को पहचानने की क्षमता बढ़ जाती है।श्रवण प्रशिक्षण में सहायता मिलती है। 5dB से 10dB ध्वनि तीव्रता की बढ़ोत्तरी, शोरगुल में वाणी को समझने में बढ़ोत्तरी तथा ध्वनि की बहुआयामी(Multi dimensional) गुणात्मक्ता बढ़ जाती है।

(6) कभी–कभी व्यक्तिगत श्रवण यंत्र द्वारा कक्षा–कक्ष में जितना लाभ होना चाहिए नहीं होता है उस स्थिति में Group Hearing Aid System या FM System या Hard Wire System का प्रयोग होना चाहिए।इसके प्रयोग के फलस्वरूप सम्प्रेषण की क्षमता बढ़ जाती है। शोरगुल,गुंजन तथा दूरी के कारण वाणी प्रत्यक्षीकरण पर होने वाले प्रभाव को भी कम किया जा सकता है।चूँकि कक्षा–कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच सीधा सम्प्रेषण सम्बन्ध हो जाने से सम्प्रेषण अच्छा हो जाता है। यह तकनीकि विशेष विद्यालय या सर्व शिक्षा अभियान में समेकित शिक्षा के अन्तर्गत संचालित एसीलरेटिड लर्निंग कैम्प (Accelerated Learning Camp) में किया जाना उचित होगा क्योंकि इस प्रणाली को अन्य शिक्षण अधिगम सामग्री जैसे टी0वी0, टेप रिकॉर्डर, कम्प्यूटर, आदि से जोड कर वाणी प्रत्यक्षीकरण अच्छा हो जाता है। परन्तु समेकित विद्यालय में यह प्रणाली उपयुक्त नही है।

(7) अलग–अलग श्रवण यंत्र के लिए अलग–अलग बैट्री निर्धारित होती है उचित बैट्री का प्रयोग होना चाहिए।
(8) बॉडी / पाकेटलेवल श्रवण यंत्र में हारनेस (Harness) का प्रयोग करना चाहिए।
(9) श्रवण यंत्र का प्रयोग इस तरह होना चाहिए कि इसमें लगे माइक्रोफोन कपड़े से न
(10) श्रवण यंत्र की ध्वनि आवश्यकता से अधिक तेज नहीं करना चाहिए।
(11) श्रवण यंत्र के पास तीव्र ध्वनि में नहीं बोलना चाहिए।

श्रवण यंत्र की देखभाल(Care of Hearing Aid):

(1) जब श्रवण यंत्र का उपयोग नहीं हो रहा है तब इसे ठंडी एवं सूखी जगह पर रखना चाहिए।
(2) बहुत ज्यादा तापमान तथा नमी से श्रवण यंत्र को बचाना चाहिए।
(3) श्रवण यंत्र को खासकर छोटे आकार के श्रवण यंत्र को ON - OFF करते समय सावधानी बरतनी चाहिए।
(4) जब श्रवण यंत्र का प्रयोग न हो बैट्री निकालकर रखना चाहिए।
(5) श्रवण यंत्र को किसी यांत्रिक या विद्युतीय रेडियो वस्तु जैसे टेलीविजन, रेफ्रिजेरेटर, माइक्रोवेन रेडियो के ऊपर नहीं रखना चाहिए।
(6) श्रवण यंत्र को आग, पानी, वर्षा, पसीना इत्यादि से बचाकर रखना चाहिए।
(7) बहते कान में श्रवण यंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
(8) श्रवण यंत्र को नमी से बचाने के लिए Dry Aid Kit का प्रयोग करना चाहिये।

श्रवण यंत्र का रख–रखाव(Maintenance of Hearing Aid):

(1) समय–समय पर उपयोग में लाए गए श्रवण यंत्र की सर्विसि(Servicing) करानी चाहिए।
(2) निर्धारित वोल्टेज से कम होने पर बैट्री को बदल देना चाहिए।
(3) इयर मोल्ड की समय–समय पर सफाई करना आवश्यक होता है।इयर मोल्ड या टयूब को श्रवण यंत्र से बाहर निकाल कर हल्के गर्म पानी(Warm Water) में वासिंग पाउडर डाल कर इसकी सफाई करनी चाहिए।इसे अच्छी तरह पोछकर तथा सुखाकर पुनः प्रयोग करना चाहिए।
(4) श्रवण यंत्र के साथ एक से ज्यादा बैट्री और तार (Cord) या टयूब रखनी चाहिए ताकि एक के खराब होने पर दूसरे को बिना समय बर्बाद किए श्रवण यंत्र का प्रयोग जारी रखा जाय।
(5) श्रवण यंत्र के खराब होने पर स्वयं नहीं सुधारें बल्कि इसके लिए तकनीशियन का सहयोग लेना चाहिए।
(6) श्रवण यंत्र के बैट्री के स्थान को जंग लगने से बचाकर रखना चाहिए।
(7) श्रवण यंत्र के तार को मुड़ने से बचाना चाहिए अन्यथा अन्दर से कट जाएगा और ध्वनि नहीं आएगी।

श्रवण यंत्र की देखभाल और रख–रखाव तथा एवं लगातार अच्छी तरह प्रयोग करने से प्रभावी शैक्षिक पुनर्वास का हिस्सा बन जाता है। षिक्षक को श्रवण यंत्र की देखभाल और रख–रखाव को अच्छी तरह से समझना चाहिए ताकि वह अभिभावक को इसके बारे में बता सके और श्रवण यंत्र को प्रभावी ढंग से अधिक से अधिक प्रयोग में लाया जा सके।

.....

इकाई–10

श्रवण प्रशिक्षण(Auditory Training-Hearing and Listening)

प्रस्तावना (Introduction) :

जब कक्षा में किसी श्रवण दिव्यांग विद्यार्थी को श्रवण यंत्र लगाया जाता है तो क्या उसे सामान्य विद्यार्थियों की तरह सुनायी देना लगता है? या उसे सुनने का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है? यह गलत धारणा है कि श्रवण यंत्र लगाने से ही बच्चा सुनने और बोलने लगेगा जिसे दूर करने की आवश्यकता है। जैसे ही पेन या पेन्सिल पकड़ाने या किताब पकड़ाने पर बच्चा पढ़ने लिखने नहीं लगता है क्योंकि उसे औपचारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है उसी प्रकार से श्रवण यंत्र के द्वारा बच्चे को ध्वनि तो सुनायी देती है परन्तु उसकी समझ बच्चे को नहीं होती है। इसके लिए बच्चे को सुनने का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती है। श्रवण प्रशिक्षण के द्वारा बच्चे की बची हुई श्रवण क्षमता का उपयोग करते हुए विभिन्न ध्वनियों की जानकारी दी जाती है। जिससे दूसरों की बातचीत को बच्चा समझ सकता है तथा दोस्त बनाना, विद्यालय जाना एवम सामाजिक क्रियाओं में हिस्सा ले सकता है। सुनने की समस्या के कारण बच्चों में कई व्यवहारिक समस्याऐ दिखायी देती है। इसलिए सुनने के प्रशिक्षण उपयुक्त उपकरण तथा चरण बद्ध रूप से देने की आवश्यकता है।

श्रवण प्रशिक्षण के चरण(Steps of Auditory Training) :

श्रवण प्रशिक्षण मुख्यतः चार चरणों में दिया जाात है।

(1) ध्वनियों के प्रति जागरूकता (Awareness of Sounds)
(2) ध्वनियों के मध्य विभेदीकरण (Discrimination of Sounds)
(3) ध्वनियों की पहचान (Identification of Sounds)
(4) ध्वनियों की समझ (Comprehension of Sounds)

उपरोक्त चरणों को निम्नांकित चित्रों के द्वारा समझा जा सकता है–

(1) ध्वनियों के प्रति जागरूकता(Awareness of Sounds): इस चरण के अन्तर्गत बच्चे को विभिन्न ध्वनियों के प्रति जागरूक कराया जाता है। ध्वनि के स्रोत, दिशा एवमं ध्वनि सुनकर बच्चे की प्रतिक्रिया का अवलोकन किया जाता है। ध्वनि होने पर हाथ को उठाना या ध्वनि के स्रोत को देखना जैसी क्रियाएं इसके अन्तर्गत की जाती है। आप विभिन्न प्रकार के ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण ड्रम, घंटी, खिलौने तथा वाणी ध्वनियों के माध्यम से ध्वनियों के जागरूकता

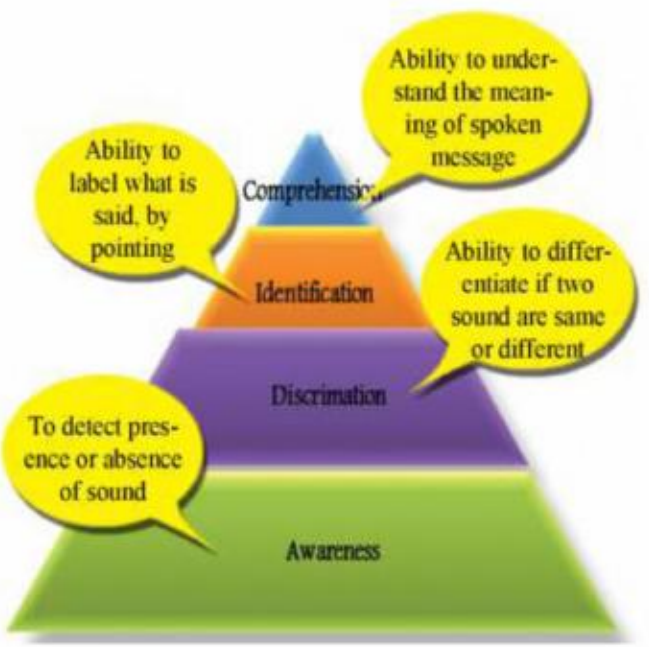

की जांच करते इस प्रशिक्षण में उच्च आवृत्ति एवं कम आवृत्ति तथा तीव्र आवाज एवमं धीमी आवाज की ध्वनियों की जागरूकता का प्रशिक्षण देते हैं।

(2) <u>ध्वनियों के मध्य विभेदीकरण(Discrimination of Sounds)</u>: इसके अन्तर्गत विभिन्न ध्वनियों के बीच अन्तर एवमं उसकी गुणात्मकता आदि का प्रत्यक्षीकरण करवाया जाता है जिसमें अलग–अलग वस्तुओं के द्वारा भिन्न–भिन्न ध्वनियों एवमं एक ही स्रोत से कई प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न की जाती है। आप बच्चे को उच्च आवृत्ति एवं कम आवृत्ति की दो ध्वनियों को एक के बाद एक सुनायेगे एवं बच्चों को दोनों की समानताएं तथा अन्तर की पहचान करायेगे।

(अ) *निरन्तर ध्वनि एवं रूक– रूक कर विभिन्न ध्वनियों के बीच मृदु एवमं भारी ध्वनियों का विभेदीकरण जैसी गतिविधि इस चरण में करायी जाती है।*

(ब)निरन्तर ध्वनि बनाम रूक रूक कर ध्वनि (श. श. . श बनाम काओ–काओ)

(स)उच्च आवृत्ति एवं कम आवृत्ति ध्वनियां (घंटी और ड्रम)

(द)मृदु एवमं भारी ध्वनियों का विभेदीकरण

(3) <u>ध्वनियों की पहचान(Identification of Sounds):</u>

ध्वनियों के विभेदी करण करने के बाद बच्चे को उन ध्वनियों की लिखी हुई पट्टियों और चित्रों में पहचान करना जैसी क्रियाएं करवायी जाती है विभिन्न आवृत्ति एवं तीव्रता की ध्वनि निरन्तर एवं रूक–रूक कर ध्वनि, क्रियात्मक शब्दों, दैनिक क्रिया में होने वाले शब्दों, स्वर तथा व्यंजन, उच्चारण करने का तरीके में विभिन्नता की पहचान करवायी जाती है।

(अ)*विभिन्न आवृत्ति एवं तीव्रता के शब्द की पहचान* (उदाहरण–पुरुष और महिला का नाम मृदु एवम भारी ध्वनियाँ कहना)

The name is called either by the male or a female. The child identifies the voice and indicates its a male by pointing/ticking the male face or female by ticking the female face.

(ब) *निरन्तर बनाम रूक–रूककर ध्वनि* (उदाहरण– बिल्ली बनाम कुत्ता) बच्चे को सही पशु उठाने के लिए कहना

(स) *क्रियात्मक शब्दों की पहचान*

बच्चे को थेरेपिस्ट/इटीनरेण्ट टीचर/अध्यापक के द्वारा खुली या बन्द आँख की अवधारणा को मल्टी सेन्सरी इन्पुट द्वारा सिखा सकते हैं।

The therapist explains the concept of open and closed eyes by using a graphic clue as well as showing the concept on a doll and then extending it to pretend play

(द) *शरीर के अंगो की पहचान*

The clinician names various body parts while the child points towards the drawn or written names

(य) उच्चारण करने का तरीके में विभिन्न व्यंजन युक्त शब्द (उदाहरण–बड़ा बनाम छोटा)

(4) ध्वनियों की समझ(Comprehension of Sounds):

विभिन्न ध्वनियों के अर्थ की समझ एवं अनुदेशन का अनुसरण इस चरण के अन्तर्गत किया जाता है। बच्चों के भाषा कौशल पर यह निर्भर श्रहता है बच्चों में सम्प्रेषण कौशल का विकास हेतु यह क्रिया आवश्यक है। आप विभिन्न गतिविधियों जैसे आकृति बनाओ, सुनकर बोलो, चित्र देख कर वर्णन करो, अनुमान लगाकर नाम बताओ आदि क्रियाएं करवायी जाती है।

क्रिया–कलाप(Activities):

(अ) *निम्न निर्देश देना :जैसे एक वृत्त खीचो*
अध्यापकः एक वृत्त खीचता है।
बच्चाः एक वृत्त खीचता है।

(ब) *निम्न सरल आदेश देना*
अध्यापक : मुझे आम दो।
बच्चाः आम देता है।

(स) *निम्न एकल निर्देश देना : चित्र विवरण देना*
अध्यापक : एक तस्वीर का वर्णन करता है।
बच्चाः इसे सुनकर और वैसी प्रतिक्रिया करना जिस तरह जैसे सामानान्तर बातचीत,विस्तार ,प्रसार आदि तकनीको का चिकित्सक ने उचित प्रतिक्रिया की।

(Example- Give the ball, Keep the ball behind you Keep the ball on the lion)

(द) *उच्च श्रेणी की भाषा समझ*

Target*:To give the child auditory and speech reading clues and help him identify seasons***.**

(1)<u>बसंत ऋतु</u>: Green leaves, Flower, Koyal bird, Holi and Pichkari:

(2)गर्मी:Sun, Dryfruits, Mango, litchi, guava, water mellon, Ram Nawami, Ice cream, Dry rivers, Lassi, Cold Drinks

(3)बरसात: Rakshabandhan, Rains, Umbrella, Frog, Water logging, Clouds, thunder, Wet animals, Rain coat

(4)शरद ऋतु : Sweater, Jacket, People around the fire, Deepawali, Tea, coffee, Sheep, Razai (Quilt), Room heater:

इकाई–11

भाषा विकास के विभिन्न सोपानःसामान्य एवं श्रवण बाधित बच्चों में (Stages of Language Development-Normal & Hearing Impaired)

प्रस्तावना (Introduction) :

सामान्य भाषा के विकास के लिए जन्म से तीन साल तक की अवधि मानी जाती है जो कि भाषा के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्रवण बाधित बच्चों में भाषा का विकास, प्रारम्भिक प्रशिक्षण, श्रवण यंत्र के प्रकार, भावनात्मक, दृष्टि तथा बुद्धि शक्ति के आधार पर निर्भर होता है। श्रवण बाधित बच्चों को आमतौर पर आवाज, आर्टिकुलेशन, रेजोनेन्स तथा प्रोसोडी में तकलीफ होती है। भाषा के विकास पर निम्न प्रकार के विशेष प्रभाव देखे जाते है–

शब्दावली(Vocabulary):

- श्रवण बाधित बच्चों में शब्दावली धीरे–धीरे विकसित होती है।
- श्रवण बाधित बच्चों में शब्दों के विकास के लिए इन्टरवेन्शन बहुत जरूरी होता है।
- इस तरह के बच्चों को जटिल शब्द समझने में मुश्किल होती है।

बनावट :

- श्रवण बाधित बच्चे छोटे और साधारण वाक्य समझते हैं।
- इस तरह के बच्चे बड़े वाक्यों को नहीं समझ पाते हैं तथा इन्हें लिखने में दिक्कत होती है।
- श्रवण बाधित बच्चे प्रायः L और M नहीं सुन पाते हैं तथा इन स्वरों के साथ बने शब्दों को समझने में दिक्कत होती है।

बोलना(Speaking):

- श्रवण बाधित बच्चे L,k,v,q व d जल्दी नहीं बोल पाते हैं।
- यह बच्चे अपने आप के बोले हुए शब्द तथा वाक्य को सुन नहीं पाते हैं, इसके कारण उनके बोलने की प्रकिया धीरे तथा देर से होती है।

भाषाई सिद्धान्त (Linguistic Theory) :

इसमें नियम प्रेरण एक प्राकृतिक सेटिंग में लक्ष्य नियमों को प्रदान करने पर जोर दिया जाता है।

संज्ञानात्मक संगठन सिद्धान्त (Cognitive Organization Theory):

यह एक संज्ञानात्मक कौशल है जिसमें कि शिक्षण के माध्यम से सामान्य सीखने में सुधार होता है और सामग्री के संशोधन के द्वारा नियम प्रेरण को आसान बनाया जाता है तथा पुनरावृत्ति के प्रदर्शन में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है।

व्यावहारिक सिद्धान्त Pragmatic Theory:

इसमें हस्तक्षेपण व्यवहारिक कौशल विकसित करने के लिए प्राकृतिक सेटिंग्स में प्रदान की जाती है तथा पर्यावरण का उपयोग लक्ष्य व्यवहार को विकसित करने में किया जाता है।

पारस्परिक किया माडल (Interactionist Model,Bloom & Lahey, 1978):

बच्चे जब पैदा होते है तो बात करने व सीखने के लिए तैयार होते हैं और पर्यावरण उन्हें बात करने के लिए सिखाता है। यह मॉडल तीन आयामी सिस्टम *सामग्री, फार्म और उपयोग* पर आधारित है। मुख्य रूप से अर्थ–संज्ञानात्मक, संरचनात्मक भाषाई और व्यवहारिक कार्यात्मक ज्ञान की बातचीत। एक Interactionist परिप्रेक्ष्य के रूप में सामग्री फार्म उपयोग मॉडल भाषा और सामान्य भाषा के अधिग्रहण की प्रकृति पर विचार करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। यह श्रवण बाधित बच्चों का वर्णन करने का एक तरीका है।

भाषा विकास का त्रिआयामी तन्त्र (Three Dimensions System) निम्न प्रकार है:–

1–शब्दार्थ (Semantics):

शब्दार्थ एक भाषा है। यह भाषा विज्ञान और गैर भाषाई जानकारी के बीच जटिल क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर संबंधो के साथ एक मानसिक शब्दकोष है।

2–शैली (Form):

यह अपने आकार या सतह की संरचना और अर्थ के साथ सभी महत्वपूर्ण संबंधो के लिए है। यह शब्दों के अर्थ समझने का साधन है।

3–उपयोग (Use):

यह भाषा का क्यों, कब और कहाँ है। इसका मतलब भाषा को कब, कहाँ और क्यों उपयोग करना है। इसमें भाषा का प्रयोग प्रासांगिक ज्ञान का उपयोग करने के लिए विभिन्न संदेशों और प्रवचन की गतिशीलता की समझ के वैकल्पिक रूपों के बीच चयन करने की क्षमता होती है।

गर्भावस्था से बच्चे के शारीरिक विकास के साथ अन्य इन्द्रियों का भी कुछ न कुछ विकास होता रहता है। इसका उदाहरण यह है कि पैदा होते ही अधिकांश बच्चे रोते हैं और आवाज होने पर आवाज की दिशा में सिर मोड़ते अथवा देखने का प्रयास करते है। इसी तरह से सुनने एवं बोलने के व्यवहार का विकासकम एवं नवजात शिशुओं में भाषा का विकास जैसे–जैसे बच्चा शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकास करता जाता है, आवाज के प्रति उसकी व्यावहारिक प्रतिकिया विकसित और ज्यादा कठिन हो जाती है।

श्रवण एवं भाषा (सुनने एवं बोलने) के विकास का विवरण निम्न प्रकार है–

जन्म से तीन महीने तक(Vocalization) –

- छोटे बच्चे जोर की आवज सुनते ही रोना शुरू कर देगें या चौकते है (अगर आपकी फोन की घंटी बजती है तो बच्चा हिलना–डुलना शुरू कर देगा या तो जाग जाएगा)।
- इस उम्र में यह बच्चे गड़–गड़ की तरह आवाज निकालते हैं या कूइंग की आवाज निकालते है।
- श्रवण क्षति युक्त बालक भी इस उम्र में ये आवाज निकालते हैं लेकिन जोर से आवाज आने के बाद भी ये बच्चे हिलते–डुलते नहीं हैं या नहीं जागते हैं।

तीन महीने से छः महीने तक(Babbling) –

- बच्चा अपनी माँ की आवाज को पहचानने लगता है (यदि बच्चा रो रहा है तो वह अपनी माँ की आवाज सुनकर चुप हो जाता है)।
- जब बच्चे के साथ बोलते है तो बच्चा हँसता है, खेलते समय बात करने से बच्चा खेलते हुए रूक जाता है एवं आवाज सुनने की कोशिश करता है।

- इस उम्र में जब कोई खिलौने की आवाज करायी जाए तो बच्चे का ध्यान उस तरफ जाता है। इस उम्र के बच्चे Babbling (बबलाने) लगते हैं जैसे कि दा.....दा.....बा.....बा.....बा..... के कम को दोहराते है।

छः महीने से नौ महीने तक (Lalling)–

- इस उम्र में बच्चा द्वारा उत्पन की गयी अपनी स्वयं की आवाज जैसे कि पापा..... बाबा....को सुनकर आनन्दित होता है तथा इन आवाजों की पुनरावृत्ति करने की कोशिश करता है।
- नई आवाजों को सुनने के लिए बच्चे की रूचि बढ़ती है। बच्चा विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालता है।
- बच्चे दूसरी आवाजों की नकल करने के लिए कोशिश करता है। इस उम्र में बच्चा अपनी भावनात्मक सन्तुष्टि या असन्तुष्टि की अभिव्यक्त करने की कोशिश करता है। जैसे कि जब बच्चा खुश होता है तो हँसता हुआ आवाज निकालेगा तथा जब दुखी होता है तो रोते हुए आवाज निकालेगा।
- एक *सामान्य व श्रवण बाधित बच्चे में इसी अवस्था में अन्तर होने लगता है क्योंकि श्रवण बाधित बच्चे Lalling नहीं करते हैं।*

नौ से अठ्ारह महीनों तक –

- इस उम्र में बच्चा आपकी तरफ देखता है जब आप उसको बुलायेगें।
- बच्चा ***हाँ*** या ***न*** शब्दों को समझने लगता है और सामान्य आदेशों का पलान भी करने की कोशिश करता है जैसे कि मुँह खोलो, हाथ दो आदि।
- बच्चा पहला शब्द बोलता है और अपनी आवाज का उपयोग ध्यान आकर्षित करने के लिए करता है।
- बच्चे इस उम्र में दूसरे (माता–पिता, भाई–बहन) के द्वारा बोले गए कुछ शब्दों की नकल करने की भी कोशिश करते है।
- बच्चे का शब्दकोष 30 से 50 शब्द तक हो जाता है।

अठ्ारह महीने से ढाई साल तक –

- इस उम्र के बच्चे आदेश का पालन करना शुरू करते है जैसे कि इधर आओ, मुझे दो।
- इस उम्र के बच्चे शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाना सीख जाते है जैसे कि मम्मी आओ, पापा जाओ। बच्चे अलग–अलग जानवरों, फलों, सब्जियों का नाम बताना शुरू करते है।
- बच्चे का शब्दकोष 200 से 300 शब्द तक हो जाता है।

श्रवण बाधित बच्चों की प्रतिकियाए इस प्रकार होती है–

उम्र	आवाज का स्तर	प्रत्याशित प्रतिकियाए
0–3 माह	जोर की आवाज	चौंक जाना, ऑख झपकना
1–3 माह	बातचीत के स्तर पर आवाज	अपने आप होने वाली प्रतिकियाएं बन्द
3–6 माह	थोड़ी सी ऊँची आवाज	अपने आप होने वाली गतिविधियॉ बन्द हो जाती है।

		अपना सिर आवाज की तरफ घुमाना
7–12 माह	बहुत धीमी आवाज	अपना नाम पहचानता है। अपना सिर तेजी से आवाज की तरफ घुमाता है। आवाज की नकल करता है। बातचीत दोहराना जैसे – टा–टा, पा–पा, बाय–बाय, हा–हा।
1–1.5 वर्ष	बहुत धीमी आवाज	बार–बार आने वाली आवाजों में रूचि कम होना। शरीर के भागों और कपड़ो के नाम बताने पर उनकी तरफ बताना जैसे– ऑख, कान, जूता, टोपी
1.5–2.5 वर्ष	बहुत धीमी आवाज	पहचानी हुई वस्तुओं के नाम लेने पर उन्हें दिखाना
2.5– 3 वर्ष	बहुत धीमी आवाज	पहचानी हुई वस्तुओं के नाम लेने पर उनके तरफ इशारा करना। सामान्य आदेश का पालन करना – मुझे दो, वहाँ रखो
3 वर्ष से अधिक	सामान्य से धीमी आवाज	कहानियां सुनने में रूचि रखता है।

श्रवण दोष युक्त बालकों को निम्नलिखित तकनीकि सपोर्ट व सुविधाओं की आवश्यकता होती है–

1–श्रवण यंत्र का अधिकतम उपयोग।

2–श्रवण प्रशिक्षण जल्द से जल्द प्रारम्भ कर देना चाहिए ताकि बच्चा अच्छे से समझ और सुन सके।

3–बच्चा स्वर को नहीं सुनता है, लेकिन बच्चा बोलते समय होठों का संचालन, जीभ का संचालन तथा चेहरे के भाव को देखता है तथा बोले गए शब्दों का अनुमान लगाता है। इसलिए धीरे–धीरे बोलना चाहिए तथा भाषा–वाचन का उपयोग करना चाहिए।

4–कक्षा–व्यवस्थाःनिम्नवत हो–

- बालक को आगे की पंक्ति में बिठाना चाहिए
- शिक्षक के नजदीक बैठने की सुविधा
- दृष्य सहायक सामग्री Visual Aids का प्रयोग
- बोलने पर आधारित पाठ्य सहगामी कियाओं (भाषण प्रतियोगिता, अन्ताक्षरी प्रतियोगिता) का आयोजन करना चाहिए।
- बच्चों को अन्य सामान्य बच्चों के साथ मिलने–जुलने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

श्रवण दोषयुक्त बालक सामान्य कक्षा में ज्यादा लाभ उठा सके इसके लिए शिक्षकों को नीचे दी गई बातों को ध्यान रखना चाहिएः–

- बोलते समय स्वर को पर्याप्त ऊँचा रखे जिससे कि बालक सुन सके
- जल्दी–जल्दी न बोले – इससे बच्चों को समझने में दिक्कते होगी
- किताब पढ़ते समय किताब अपने होठों के आगे न रखें, ताकि श्रवण दोषयुक्त बच्चे आपके होठों के संचालन को देख सके और समझ सके
- अधिक दृष्य सामग्री का उपयोग करे
- बच्चों को प्रष्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें
- एक ही प्रकार का कार्य लगातार न करवाए

- बच्चों को बोलने के लिए प्रेरित करें और बोले गए प्रयासों की प्रशंसा करें ताकि वह और अधिक बोले।
- सामान्य बच्चों के साथ श्रवण दोष बालकों की तुलना न करें।
- बोलते समय एक ही स्थान पर रहे ताकि बच्चे सही से वाणी वाचन कर सकें।
- कक्षा के भीतर एवं बाहर के वातावरण को शान्त रखें।
- नए शब्दों को मौखिक रूप से बताने के साथ–साथ श्यामपट पर भी लिखें ताकि बच्चे अच्छे से समझ सकें।
- श्यामपट पर लिखते समय बच्चों की तरफ पीठ करके न बोलें।
- बोलने के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करें।
- स्पष्ट एवं धीरे–धीरे बोलने का निर्देष दें।
- संकेत भाषा (Sign Language) का उपयोग करें।
- ओष्ठ पठन (Lip Reading) करवाए।
- ध्वनि प्रवर्धक यंत्रों का प्रयोग करें।

==========

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

इकाई–12

सम्प्रेषण के विभिन्न माध्यम
(Various Modes of Communication)

प्रस्तावना (Introduction) :

सुनना एवं बोलना एक स्वभाविक प्रक्रिया है। बच्चे सुनकर बोलना सीखते हैं। यदि बच्चे को सुनने में कठिनाई है और उसकी शीघ्र पहचान एवं हस्तक्षेपण नहीं हुआ है, तो उसमें वाणी, भाषा एवं सम्प्रेषण का विकास एक समान आयु वर्ग के सुनने वाले बच्चे की तुलना में कम होगा। श्रवण बाधित बच्चों हेतु उपलब्ध सम्प्रेषण के विभिन्न माध्यमों को जानने से पहले यह आवश्यक है कि अध्यापक वाणी, भाषा एवं सम्प्रेषण के बारे में संक्षेप में जानें। जिससे अध्यापक सम्प्रेषण के विभिन्न विकल्पों को श्रवण वाधित बच्चों को सिखाने में उचितइसपोर्ट कर सकेंगे।

वाणी (Speech)–

वाणी मानव जाति के मूलभूत गुणों में से एक है। मानव द्वारा भाषा के माध्यम से सम्प्रेषण क्रिया में वाणी का प्रयोग नित्य एवं सफलतापूर्वक किया जाता है। अर्थात वाणी भाषा के माध्यम से सम्प्रेषण हेतु प्रकट होती है।

भाषा(Language)–

भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान–प्रदान का माध्यम कहा जाता है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष् धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना या कहना अर्थात् भाषा वह जिसे बोला जाये।

सम्प्रेषण(Communication)– सम्प्रेषण का अर्थ है, किसी विचार या सन्देश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित करने वाले द्वारा भेजना तथा प्राप्त करने वाले द्वारा प्राप्त करना। अर्थात विचारों का आपस में आदान–प्रदान ही सम्प्रेषण है। मानव सम्प्रेषण को दो माध्यमों में विभाजित कर सकते हैं–

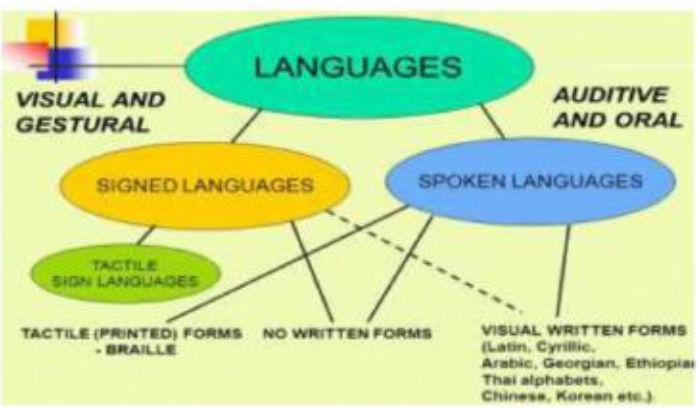

शाब्दिक सम्प्रेषण(Verbal Communication):

शाब्दिक सम्प्रेषण से तात्पर्य उस सम्प्रेषण से है जिसमें व्यक्ति या समूह अपने विचारों एवं भावों को किसी ज्ञात भाषा में सुनकर व पढ़कर ग्रहण करते हैं तथा बोलकर व लिखकर प्रकट करते हैं।

अशाब्दिक सम्प्रेषण(Non Verbal Communication) :

अशाब्दिक सम्प्रेषण को शारीरिक हाव–भाव एवं स्पर्श, शारीरिक भाषा एवं भाव भंगिमा, चेहरे की अभिव्यक्ति या आँखों के संपर्क से संप्रेषित किया जा सकता है। वस्तु सामग्री संप्रेषण यथा–वस्त्र, बालों की स्टाइल या स्थापत्य, प्रतीकों व चित्रों के माध्यम से भी संप्रेषित किया जा सकता है।

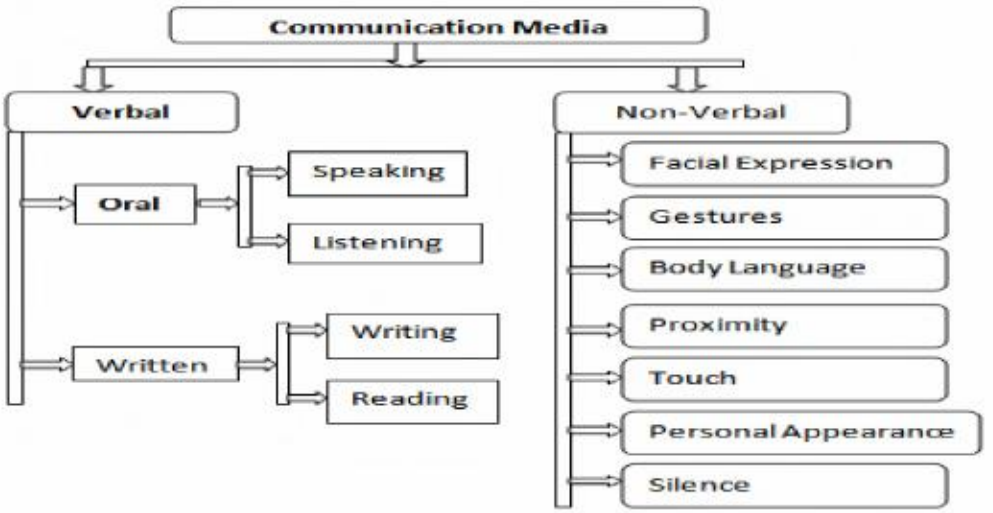

सम्प्रेषण के माध्यम (Modes of Communication) –

श्रवण बाधित बच्चों हेतु सम्प्रेषण माध्यमों से तात्पर्य उन माध्यमों से है, जिनके द्वारा वे अपने विचारों एवं भावों को दूसरों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं तथा दूसरों के विचारों एवं भावों से स्वयं अवगत होते हैं। यही सम्प्रेषण माध्यम उनके शिक्षण, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास में भी अहम् भूमिका निभाते हैं।

कौन सा बच्चा किस सम्प्रेषण माध्यम को अपनाएगा, यह नीचे लिखे कारकों पर निर्भर करता है जैसे कि– श्रवण दोष की कोटि, पहचान की आयु, परिवार की अंतर्दृष्टि एवं मूल्य, बच्चे का स्वास्थ्य, परिवार की प्रतिभागिता का स्तर, बच्चे की बुद्धि, बच्चे के श्रवण प्रवर्धक उपकरण की प्रभावशीलता,सुनने का सामर्थ्य,अवशेष श्रवण क्षमता की मात्रा व बच्चे की शारीरिक स्थिति।

श्रवणबाधित बच्चों हेतु अनेक सम्प्रेषण माध्यम उपलब्ध हैं। इन सम्प्रेषण माध्यमों को उनकी प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता हैं–

(अ)एक भाषीय सम्प्रेषण माध्यम(Single Language Communication Modes)–

इस विकल्प के अन्तर्गत दो सम्प्रेषण माध्यम आते हैं–

1.मौखिक सम्प्रेषण

2.हस्तचालित सम्प्रेषण।

(1)मौखिक सम्प्रेषण(Oral Communication): मौखिक सम्प्रेषण में श्रवण बाधित व्यक्तियों की बची हुई श्रवण क्षमता प्रवर्धन उपकरणों के माध्यम से उपयोग कर एवं वाणी वाचन के द्वारा वाणी उच्चारण कौशल विकसित करने पर जोर दिया जाता है। इसका

मानना है कि भाषा का विकास सुनकर व बोलकर होना चाहिए। इसमें संकेत भाषा को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, किन्तु प्राकृतिक भाव–भंगिमा का उपयोग किया जा सकता है। इस सम्प्रेषण विकल्प का प्राथमिक उद्देश्य सुनने वाले समुदाय में समेकन हेतु श्रवण बाधित व्यक्तियों में आवश्यकतानुसार वाणी एवं सम्प्रेषण कौशल का विकास करना है।

मौखिक सम्प्रेषण(Oral Communication) के मुख्य बिन्दु–

1–बची हुई श्रवण क्षमता का उपयोग किया जाता है।

2–वाणी के द्वारा वाणी का विकास मुख्य उद्देश्य है। वाणी की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

3–सांकेतिक भाषा के स्थान पर प्राकृतिक हाव–भाव को स्वीकार किया जाता है।

मौखिक सम्प्रेषण का औचित्य (Justification of Oral Communication)–

1–समाज में मौखिक सम्प्रेषण करने वालों की जनसंख्या अधिक है, इसलिए यदि श्रवण बाधित बच्चों में सुनकर व बोलकर सम्प्रेषण करने की क्षमता विकसित कर दी जाती है, तो उन्हें समाज की मुख्य धारा में सहजता से समेकित किया जा सकता है।

2–मौखिक सम्प्रेषण अपनाने से श्रवण बाधिता के क्षेत्र में तकनीकी विकास अधिक हो सकेगा। इस क्षेत्र में नवीन व उच्च कोटि के श्रवण मापक एवं श्रवण प्रवर्धक यन्त्र–उपकरणों का विकास होगा तथा वाणी विज्ञान के क्षेत्र में वाणी शिक्षण यन्त्र–उपकरणों का विकास हो सकेगा।

(ब) हस्तचालित सम्प्रेषण(Mannual Communication)–

इस सम्प्रेषण में मुख्यतः हस्तचालित भाषा का प्रयोग किया जाता है। हस्तचालित भाषा स्वयं की व्याकरणीय व्यवस्था के रूप में एक विकसित भाषा है। संकेत भाषा बधिर समुदाय में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है। यह एक स्वभाविक दृश्य भाषा है। यह बधिर व्यक्तियों के सम्प्रेषण हेतु एक सुगम्य माध्यम है। इसमें मौखिक भाषा विकसित करने पर जोर नहीं दिया जाता है। इस माध्यम का प्राथमिक उद्देश्य प्रभावशाली रूप से बोलना नहीं सीख पाने की स्थिति में व्यक्ति को सम्प्रेषण के योग्य बनाना है।

हस्तचालित सम्प्रेषण(Mannual Communication)के मुख्य बिन्दु–

1–व्यक्तिगत उद्देश्यों पर अधिक जोर दिया जाता है।

2–संकेत भाषा के द्वारा संकेत भाषा का विकास मुख्य उद्देश्य है।

3–बधिर समुदाय में आत्मविश्वास विकसित किया जाता है।

4–बधिर व्यक्तियों के सम्प्रेषण सम्बन्धी अधिकारों की पूर्ति की जाती है।

हस्तचालित सम्प्रेषण का औचित्य (Justification of Mannual Communication)–

1–जिन बच्चों में श्रवण प्रवर्धक उपकरण सफल नहीं होते हैं, उन्हें सम्प्रेषण के विकल्प के रूप में सांकेतिक भाषा सिखायी जानी चाहिए।

2–सांकेतिक भाषा के माध्यम से बधिर बच्चों को निर्धारित पाठ्यक्रम सरलता से पढ़ाया एवं सिखाया जा सकता है। मौखिक सम्प्रेषण की तुलना में सांकेतिक सम्प्रेषण में बधिर बच्चे स्वयं को सहज अनुभव करते हैं।

3–सांकेतिक भाषा के ज्ञान से बधिर बच्चे बधिर समुदाय व सांकेतिक भाषा का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों से आसानी से सम्प्रेषण कर सकते हैं।

(स) द्विभाषीय सम्प्रेषण (Bilingual Communication)–

इसे सैद्धान्तिक रूप में एजूकेशनल बाइलिंगुअलिज्म(Educational Bilingualism) नाम से जाना जाता है। इस विधि का प्रारम्भ जेम्स कमिन्स ने 1976 ई0 में किया था। इस सम्प्रेषण माध्यम में श्रवण बाधित बालक को प्राथमिक भाषा के रूप में संकेत भाषा सिखाई जाती है और मौखिक भाषा दितीय भाषा के रूप में सिखाई जाती है। यह माध्यम बधिर समुदाय व सुनने वाले समुदाय, दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। इस विकल्प का प्राथमिक उद्देश्य बच्चों को द्विभाषिक बनाना है जिससे वे सांकेतिक भाषा एवं मौखिक भाषा, दोनों में सक्षम व निपुण हो सकें और अपनी वैयक्तिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।

द्विभाषिक सम्प्रेषण (Bilingual Communication) के मुख्य बिन्दु–

1–वैयक्तिक उद्देश्यों पर जोर दिया जाता है।
2–भाषा के द्वारा भाषा का विकास मुख्य उद्देश्य है।
3–मौखिक भाषा वाले बच्चों से तुलना की जाती है।
4–वाणी की भूमिका न तो अनिवार्य है और न ही ऐच्छिक, यह एक साध्य के रूप में है।
5–यह बधिरता का सांस्कृतिक प्रारूप है।

द्विभाषिक सम्प्रेषण(Bilingual Communication) का औचित्य–

1–श्रवण बाधित बच्चों को सुनने–बोलने वाले समुदाय व बधिर समुदाय, दोनों ही समुदायों में सम्प्रेषण के योग्य बनता है।

2–श्रवण बाधित बच्चों को मौखिक भाषा व सांकेतिक भाषा, दोनों ही भाषाओं का ज्ञान होता है, जिससे उन्हें दोहरा लाभ होता है।

3–श्रवण बाधित बच्चे सुनने–बोलने वाले समुदाय व बधिर समुदाय, दोनों ही समुदायों में सम्प्रेषण के योग्य हो जाते हैं, जिससे उनमें हीन भावना नहीं आती है। दो भाषाओं के ज्ञान से वे विद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को सहजता से सीख सकते हैं।

(द) समग्र सम्प्रेषण (Total Communication)–

समग्र सम्प्रेषण माध्यम को सैद्धान्तिक रूप में Total Communication से जाना जाता है। इस माध्यम का विकास डेविड डेंटन द्वारा मेरिलैण्ड स्कूल फॉर द डेफ, अमेरिका में सन् 1967 ई0 में किया गया था। इसमें सम्प्रेषण हेतु सम्प्रेषण के सभी साधनों जैसे– करवर्तनी, संकेत, प्राकृतिक भाव–भंगिमा, वाणी–वाचन, ओष्ठ पठन, शारीरिक भाषा, लिखित एवं मौखिक भाषा आदि का प्रयोग किया जाता है। इस माध्यम का प्राथमिक उद्देश्य श्रवण बाधित बच्चों एवं उनके साथ सम्प्रेषण करने वाले व्यक्तियों के लिए एक सरल सम्प्रेषण विधि उपलब्ध करना है। इसमें व्यक्ति वाणी और संकेत के साथ ही अन्य दृश्य व प्रासांगिक माध्यमों का उपयोग कर सकता है।

समग्र सम्प्रेषण(Total Communication) के मुख्य बिन्दु–

1–वैयक्तिक उद्देश्यों पर जोर दिया जाता है।

2–सम्प्रेषण हेतु अनेक स्रोतों का उपयोग किया जाता है।

3–वाणी के द्वारा वाणी और संकेत का विकास मुख्य उद्देश्य है।

4–वाणी की भूमिका अनिवार्य एवं ऐच्छिक होती है।

समग्र सम्प्रेषण का औचित्य (Justification of Total Communication)–

1–यह विकल्प उद्देश्य प्राप्ति पर जोर देता है। उद्देश्य किस माध्यम से प्राप्त किया जाता है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है, कि बच्चों में विकास होना चाहिए।

2–बच्चे वाणी, भाषा एवं सम्प्रेषण के विकास के उद्देश्य से अनेक विधाओं में पारंगत हो जाते हैं।

3–बच्चे वाणी तथा संकेत दोनों विधाओं का लाभ उठा पाते हैं।बच्चों के पास वाणी तथा संकेत दोनों ही विधाओं के प्रयोग का विकल्प खुला होता है।

सम्प्रेषण हेतु कुछ कृत्रिम व्यवस्थाएँ (Artificial Systems for Communication):–

उपर्युक्त सम्प्रेषण विकल्पों के अतिरिक्त कुछ कृत्रिम व्यवस्थाएँ भी हैं, किन्तु ये वास्तविक भाषाएँ नहीं हैं। जैसे– मेकाटेंन, क्यूड स्पीच, साईन्ड इंग्लिश, साइन–एलोंग, पजेट–गोरमन आदि। संक्षेप में कृछ कृत्रिम व्यवस्थाएँ निम्नलिखित है –

(अ) करवर्तनी(Finger Spelling)–

करवर्तनी से तात्पर्य उन वर्तनियों से है, जिन्हें एक हाथ अथवा दोनों हाथों की उँगलियों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। करवर्तनी के उदाहरण निम्नलिखित हैं –

1–अमेरिकन संकेत भाषा(American Sign Language-ASL):

इसमें अंग्रेजी वर्णों को एक हाथ की उँगलियों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है।

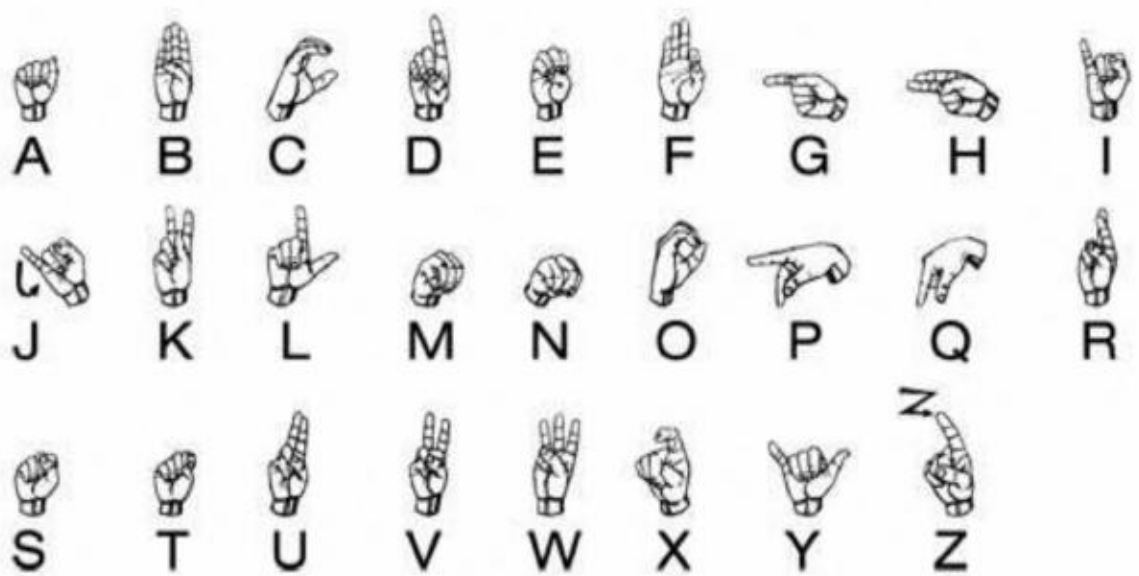

2– ब्रिटिश संकेत भाषा(American Sign Language-BSL):

इसमें अंग्रेजी वर्णों को दोनों हाथों की उँगलियों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है।

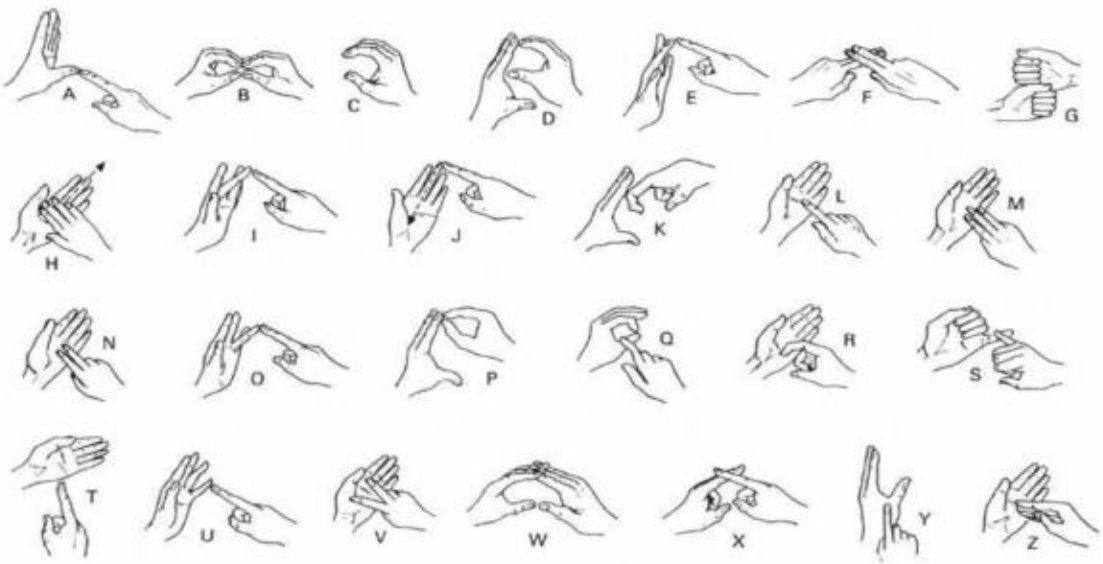

3–भारतीय संकेत भाषा(Indian Sign Language-ISL):

इसमें वर्णों (अ से ज्ञ तक) को एक हाथ की उँगलियों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है।

4–क्यूड स्पीच(Cued Speech):

क्यूड स्पीच बधिर या सुनने में कठिनाई वाले बच्चों हेतु ध्वनि आधारित सम्प्रेषण की एक व्यवस्था है। इस सम्प्रेषण व्यवस्था का प्रतिपादन ओरिन कॉर्नेट ने सन् 1966 ई0 में गेलाऊडेट कॉलेज, वाशिंगटन डी0सी0 में किया था। इस विधि में हाथ की आठ आकृतियों

को चार स्थानों के संयोजन एवं वाणी द्वारा स्वाभाविक मुख गतिशीलता के माध्यम से मौखिक भाषा की ध्वनियों में अंतर कराया जाता है। क्यूड स्पीच भाषा प्रकट करने का एक माध्यम है, यह स्वयं में एक भाषा नहीं है।

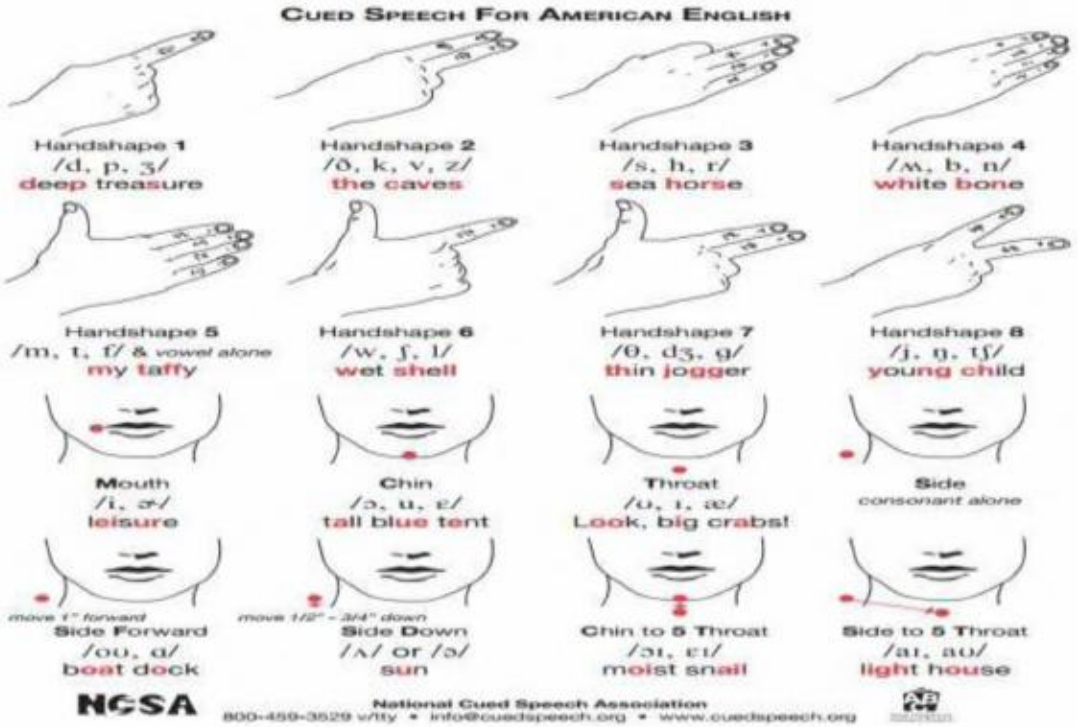

अध्यापकों से अपेक्षाएँ (Expectations from The Teachers)–

आप समझ गए होंगे कि प्रत्येक श्रवण बाधित बच्चे की सम्प्रेषण सम्बन्धी अपनी अलग–अलग आवश्यकताएँ हैं। सभी श्रवण बधित बच्चों को एक ही सम्प्रेषण विकल्प से शिक्षित प्रशिक्षित एवं पुनर्वासित किया जाना असहज है, क्योंकि सभी बच्चे अलग–अलग सम्प्रेषण विकल्पों के साथ सफल होने की क्षमताएँ रखते हैं। यह भी सच है कि अभी तक कोई भी एक ऐसा सम्प्रेषण का माध्यम उपलब्ध नहीं है, जिसे सभी श्रवण बाधित विद्यार्थियों पर एक साथ लागू किया जा सके। ऐसे सम्प्रेषण के माध्यम को विकसित किया जाना शेष है। इसलिए बच्चों को उनकी सामर्थ्य के अनुरूप सही ढंग से शिक्षित, प्रशिक्षित एवं पुनर्वासित करने के लिए उपलब्ध सम्प्रेषण के माध्यमों से उचित सम्प्रेषण माध्यम का चयन किया जाना आवश्यक है। अतः अध्यापक सम्प्रेषण के माध्यमों के अनेक पहलुओं द्वारा उचित सम्प्रेषण माध्यम को अपनाएँगे। जिससे श्रवण बाधित बच्चों को ठीक ढंग से शिक्षित, प्रशिक्षित व पुनर्वासित किया जा सके।

इकाई–13

श्रवण क्षतिग्रस्तता के मनोसामाजिक प्रभाव
Psycho- Social Effects of Hearing Impairment

प्रस्तावना (Introduction) :

जब कभी भी बधिरता की बात होती है तो अक्सर मस्तिष्क में यह विचार आता है कि ऐसे लोग जो बहुत अधिक शोर शराबे वाले स्थानों पर रहते हों अथवा भारी मशीनरी के बीच काम करते हों परन्तु हम में से कई लोग इसे बच्चों तथा किशोरों के साथ भी जोड़कर देखते हैं और जब हम ऐसा करते हैं तो हम यह मान चुके होते हैं कि बधिरता जन्म से होती है। परन्तु यह हमेशा सच नहीं होता है यद्यपि बच्चों में बधिरता सामन्यतः जन्म से पाई जाती है।परन्तु किशोरों में अक्सर यह बढ़ती उम्र के साथ भी देखने को मिलती है। यद्यपि इसके कई कारण हो सकते हैं परन्तु बधिरता के परिणाम लगभग सभी लोगों में एक जैसा प्रभाव ही छोड़ते है। बधिरता चाहे जन्म से हो अथवा जन्म के बाद के वर्षों में किसी भी कारण से उत्पन्न हुई हों बालकों तथा किशोरों में अपने मनो सामाजिक प्रभाव छोड़ती ही है जिससे बालकों में कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं जैसे पहचान की समस्या, सामाजिक अंतः क्रिया की समस्या आदि।

बधिरता के कारण बालकों पर सबसे ज्यादा प्रभाव उनके सम्प्रेषण पर पड़ता है यदि जन्म से बधिरता है तो बालक दूसरों के साथ सम्प्रेषण करने में बाधा महसूस करता है यदि जन्म के बाद बधिरता उत्पन्न हुई हो तो उसका सम्प्रेषण पूर्णतः सुनने पर निर्भर करता है तथा ऐसी स्थिति में वह प्रभावशाली सम्प्रेषण नहीं कर पाता है। यद्यपि सांकेतिक भाषा (Sign Language) के द्वारा समस्या को दूर किया जा सकता है तथापि यह भी एक सत्य है कि तमाम आशावाद के बावजूद सांकेतिक भाषा किसी भी स्थिति में वाणी आधारित सम्प्रेषण का स्थान नहीं ले सकती है। बधिरता का प्रभाव बधिर बालकों के सामाजिक सांवेगिक तथा शैक्षिक विकास पर भी पड़ता है। निम्नलिखित मनोसामाजिक प्रभाव बधिर बालकों को प्रभावित करते है–

1–गलतफहमी (Misunderstanding):

मुख्यतः बधिर बालक एवं किशोर भाषा एवं शब्दों को नही समझ पाने के कारण अनुमान से काम चलाते हैं जिससे वह दूसरों के द्वारा बोले गए शब्दों को समझ पाने में असफल रहते हैं। अतः वह बातों का जवाब प्रायः गलत देते हैं तथा पूछे गये प्रश्नों के प्रति ग़लतफ़हमी उत्पन्न कर लेते हैं। सामान्यतः ऐसा इसलिये होता है कि जहाँ एक जैसे शब्द हों वहाँ मुख्यतः ओष्ठ पठन (Lip Reading) के माध्यम से वह शब्दों एवं वाक्यों को समझाने का प्रयास करते हैं। अतः एक जैसे शब्दों के मध्य गलतफहमी होना सामान्य सी बात है। इसका एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि जो बधिर बच्चों या व्यक्तियों को अथवा सामने वाले दूसरे व्यक्ति को सामाजिक असमंजसता की स्थिति में ले जाता है। जैसे –

(अ) सामने वाले का मुँह ताकना
(ब) सामनेवाले को बार–बार दोहराने के लिए कहना
(स) भ्रमित दिखना
(द) टी0वी0 या रेडियो को ध्वनि के असामान्य स्तर पर चलाना
(य) जोर से अथवा बहुत धीरे बोलना

इन सबके अतिरिक्त सामान्य श्रवण शक्ति वाले लोगों में भी यह ग़लतफ़हमी होती है कि दूसरी संवेदन ग्रंथियाँ तुरंत ही कार्य करने लगती हैं, जबकि ऐसा वास्तव बधिर में नहीं होता है। इन सबके लिए कठोर परिश्रम तथा अधिक समय लगता है, तब जाकर बधिर बालक सांकेतिक भाषा Sign Language तथा Lip Reading कर पाते हैं। सांकेतिक भाषा भी केवल उस स्थिति में कार्य करती है, जहाँ बधिर व्यक्ति संकेत जानता हो अन्यथा उचित संकेत भाषा के अभाव में अनगढ़ संकेतों का कोई अर्थ नहीं होता है।

2–खराब सम्बन्ध या संबंधों पर प्रभाव (Bad Relation or Effect on Relations):

बधिरता की वजह से या बधिरता के कारण श्रवण बाधित व्यक्ति सामान्य सम्प्रेषण(Communication) नहीं कर पाता है। अतः उसके सामान्य श्रवण साथियों के साथ सम्बन्ध अधिक टिकाऊ एवं मजबूत नहीं होते। यद्यपि इन्हीं कारणों से सामान्य श्रवण वाले बच्चे भी बधिर बालकों के साथ अनचाहे सम्बन्ध खराब कर लेते हैं अथवा मधुर सम्बन्ध नहीं कर पाते है। यह एक आश्चर्य का विषय है, कि लम्बे समय तक बधिर किशोरों के साथ मित्रता होने के बावजूद सामान्य श्रवण शक्ति वाले किशोर एवं बालक स्वयं सांकेतिक भाषा सीखने में रूचि नहीं दिखाते हैं और समय के साथ उनकी मित्रता कमजोर पड़ जाती है। यह एक दुःख का विषय है किन्तु सत्य है कि, बधिर बच्चों के अभिभावक तथा परिवार के अन्य सदस्य भी सांकेतिक भाषा को सीखने में कोई पहल नहीं करते हैं।इस प्रकार बधिर बालकों के साथ समाज के अन्य सदस्यों के सम्बन्ध बहुत प्रगाढ़ नहीं हो पाते हैं।

3–सीखने में कमी (Lack of Learning):

बधिरता के कारण बच्चों तथा किशोरों में सीखने की क्षमता में कमी आती है। यदि बालक जन्म से बधिर है, तो वह अपना सम्प्रेषण किसी और तरीके से करने का प्रयास बेहतर ढंग से कर सकता है। किन्तु विभिन्न प्रकार के संप्रत्ययों को सीखने के लिए वह भाषा नहीं बल्कि सहज बुद्धि पर निर्भर करता है। सामाजिक रीति रिवाजों तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को वह अनुकरण के माध्यम से सीखता है न कि भाषा के माध्यम से।

4–बधिरता के सामाजिक प्रभाव (Lack of Learning):

श्रवण बाधित बच्चों में बधिरता के कारण शारीरिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इनमें से कुछ सामाजिक समस्याएं निम्नलिखित हैं –

(अ) सामाजिक क्रियाओं में सहभागिता की कमी होना।
(ब) पारिवारिक मित्रों तथा सम्बन्धियों के साथ सम्प्रेषण में कमी
(स) कार्यस्थल पर सम्प्रेषण में कमी
(द) कार्य स्थल पर लोगों से अलग–थलग रहना
(य) किसी काम में एकाग्रता का ना होना

श्रवण बाधित में सामान्यतः न सुन पाने के कारण लोगों से बात–चीत तथा व्यवहार कर पाने में हिचकिचाहट महसूस होती है। और सामान्यतः वह गैर–बधिर लोगों के साथ केवल इसलिए बात नहीं करते अथवा घुल–मिल नहीं पाते कि वह अपनी बात उन तक कैसे पहुँचाएँ। साथ ही गैर–बधिर खुद आगे बढ़ कर बधिर लोगों से इसीलिए बात नहीं करते क्योंकि वे उस भाषा को समझ भी नहीं सकते। अतः ऐसी स्थिति में सम्प्रेषण का प्रवाह टूट जाता है और बधिर लोग समाज से छूटते चले जाते हैं।

5–मनोवैज्ञानिक समस्याएँ (Psychological Challenges):

बधिर लोगों में बधिरता के कारण बहुत सी मनोवैज्ञानिक समस्याएँ होती हैं जिसमें से मुख्य हैं –

(अ) शर्म व संकोच

(ब) स्वयंको दोषी मानना
(स) क्रोध करना
(द) उदास तथा तनावग्रस्त होना
(य) संदेह करना
(र) स्व–आलोचनात्मक होना तथा आत्मविश्वास की कमी होना

सामान्यतः श्रवण बाधितों में जिसकी बधिरता को उचित तरीके से दूर करने का प्रयास नही किया गया हो, उनमें उन लोगों की अपेक्षा अधिक मनोवैज्ञानिक विकार देखने को मिलते हैं, जिनका उपयुक्त निदान या उपचार किया गया हो। इन मनोवैज्ञानिक विकारों को जितना कि वे दिखाई देते हैं, उनमें कहीं अधिक गहरी उनकी जड़ें तथा उनके प्रभाव होते हैं। बधिरता जहाँ एक ओर व्यक्ति को बाहर से बदलकर रख देती है, उससे कहीं अधिक वह व्यक्ति को अन्दर से तोड़ देती है। क्योंकि किसी भी अन्य के साथ अंतः सम्बन्ध ना बना पाना, अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा पाना तथा समाज में अलग थलग हो जाना किसी भी व्यक्ति के लिये ऐसी स्थिति है जिससे उभर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसके अतिरिक्त अन्य कई प्रकार की समस्याएँ बधिरों में पाई जाती हैं जैसे–

(अ) विभ्रम (Confusion):

श्रवण बाधित सामान्यतः भ्रम की स्थिति का शिकार होते हैं। वे यह नहीं तय कर पाते कि वे दूसरे पर विश्वास करें अथवा नहीं। क्योंकि सम्प्रेषण क्षमता में कमी व्यक्ति के उद्देश्यों तथा मंतव्यों को सामने नहीं आने देती साथ ही व्यक्ति के निर्णय क्षमता को भी प्रभावित करती है।

कल्पना कीजिये कि एक श्रवण बाधित बालक सड़क पार करना चाहता है। वो इधर उधर देखकर यह तक करता है कि उसे सड़क पार करने के लिए संकेतक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं अथवा नहीं परन्तु वह उस मुख्य संकेतक को सुनने से चूक सकता है जो एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ के रूप में सड़क पर उपस्थित है। इस संकेतक की अनदेखी उसे भारी पड़ सकती है ऐसी स्थिति में श्रवण बाधित बालक सामान्यतः यह तय नहीं कर पाता कि वह सड़क पार करें या नहीं यद्यपि यह एक बहुत ही खतरनाक उदाहरण है किन्तु यह सत्य है कि आवाजें हमें बाहरी वातावरण से जोड़े रखती हैं।

(ब) वास्तविकता से दूर भागना (Running out of Reality):

श्रवण बाधित व्यक्ति सामान्यतः ऐसी सभी स्थितियों से बचने एवं भाग जाने का प्रयास करते हैं जो उनकी सामाजिक स्थिति को चुनौती देती है। इसी कारण वह अपने गैर बधिर साथियों के साथ भी ज्यादा देर तक नहीं रह पाते क्योंकि ऐसी स्थिति में उन्हें लगता है कि लोग उनके मध्य तुलना करने लगेंगे।

(स) आत्मविश्वास में कमी (Lack of Confidence):

श्रवण बाधित व्यक्ति परिस्थितियों को अपने अनुसार बदल पाने की अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं रख पाते हैं। उन्हें लगता है कि मात्र शाब्दिक सम्प्रेषण उन्हें सामाजिक तौर पर स्थापित कर सकता है और वे अपनी सामाजिक परिस्थितियों से संभवतः मुकाबला नहीं कर पायेंगे।

(द) पहचान की समस्या (Lack of Identity):

बधिरता तथा उससे होने वाली अलग थलग पड़ जाने की समस्या बधिर किशोरों में सामाजिक तथा भावात्मक स्तर पर पहचान का संकट उत्पन्न करती है। घर परिवार के अन्दर किसी भी मामले में उनसे सलाह नहीं ली जाती है। इससे उन्हें लगता है कि

परिवार में उनका कोई स्थान नहीं है, कोई क़द्र नहीं है उन्हें लगने लगता है कि उनका जीवन उद्देश्य पूर्ण नहीं है लोग उनकी आवश्यकता महसूस नहीं करते। साथ ही जीवन यापन के लिए पहले ये तय उद्योगों तथा क्षेत्रों में उनकी भूमिका बहुत ही सीमित रह जाती है। अतः इन सबसे वे अपने आप को इस समाज में अनचाहा व्यक्तित्व तथा पहचान रहित व्यक्ति मानते हैं।

इस प्रकार, बधिरता धीरे धीरे किसी भी व्यक्ति को मनो सामाजिक प्रवर्ती को प्रभावित करने लगती है जन्म से बधिर व्यक्ति इस स्थिति को समझनेलगते हैं तथा पार पाने की कोशिश भी करते हैं किन्तु ऐसे व्यक्ति जो बाद में किसी कारण बधिर हुए हैं वेइन परिस्थतियों को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते।

शिक्षक होने के कारण हमें यह प्रयास करने चाहिये कि ऐसे बधिर बालकों में आत्म विश्वास को बढ़ाने के लिये उनकी सामाजिक सहभागिता बढ़ाई जाये एवं समाज में उनकी स्थिति सुनिश्चित की जाये।

==========

इकाई–14

चिकित्सीय सेवायें: श्रवण, वाणी, मनोवैज्ञानिक एवं मनोसामाजिक
(Therapeutic Services:Audio,Speech &Language, Psychological and Psycho –Social)

प्रस्तावना (Introduction):

जब कक्षा में कोई बच्चा सुनने, बोलने तथा दूसरों की बात समझने में असमर्थ रहता है तब शिक्षक के सामने विभिन्न सम्प्रत्यय को समझाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शिक्षकों को यह समझने की आवश्यकता है कि भाषा विकास के उपरान्त ही बच्चे बोलना सीखते है। आस–पास के वातावरण की ध्वनियों को बार– बार सुनकर बच्चे भाषा को सीखते है। श्रवण उपकरणों के रोपण (Hearing Aid Fitting) के बाद बच्चे के साथ सम्प्रेषण करने की आवश्यकता होती है। अभिभावक एवमं शिक्षक सक्रिय रूप से बच्चे को प्रत्येक वार्तालाप में शामिल करें। शिक्षक से यह अपेक्षित है कि श्रवण दिव्यांग बच्चों में सम्प्रेषण कौशल विकास करने हेतु निम्नलिखित क्रियाएं कर सकते हैं।

(1) कक्षा के प्रारम्भ में श्रवण यंत्र की जांच करें तथा यह देखें कि बैटरी तथा स्विच चालू है या नहीं तथा पर्याप्त मात्रा में ध्यनि स्पीकर से सुनाई देती है या नहीं Daniel Lings द्वारा दिये गये ध्वनि /a/, /i/, /u/, /sh/, /m/ और /o/ ध्वनियों को उच्चारित कर यह देखें कि ध्वनियों को सुनकर बच्चा प्रतिक्रिया करता है कि नहीं। यदि ध्वनि को सुनकर बच्चा प्रतिक्रिया करता है तो शिक्षक को पता चल जायेगा कि श्रवण यंत्र ठीक ढंग से कार्य कर रहा है।

(2) यद्यपि शिक्षक बच्चे के संग बातचीत करते है फिर भी सहपाठियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है कि वह श्रवण दिव्यांग बच्चे के साथ वार्तालाप करें। आप चित्र से देख सकते है कि शिक्षक एक बच्चे से बात कर रहे हैं फिर भी दूसरे बच्चे सम्प्रेषण को देखकर सीखने की कोशिश कर रहे हैं। कक्षा में श्रवण दिव्यांग बच्चों की ओर देखकर ही वार्तालाप करें।

(3) भाषा विकास की तकनीकों में शिक्षकों से यह अपेक्षित है कि श्रवण दिव्यांग बच्चों में भाषा विकास हेतु दो तरीके अपना सकते है (अ) आत्म वार्तालाप (ब) समानान्तर वार्तालाप

(अ) आत्म वार्तालाप (Self Talk):

इसके अर्न्तगत बच्चे के द्वारा सभी क्रिया कलाप के प्रत्येक चरण पर बच्चे के सम्प्रत्यय को स्पष्ट करें उदाहरण के लिए अगर आप कोई कहानी सुना रहे हैं तथा उस समय चित्र दिखा रहे हैं तो चित्र का पूरी तरह से वर्णन करें।

(ब) समानान्तर वार्तालाप (Parellel Talk):

इसके अन्तर्गत बच्चे के द्वारा सभी क्रियाकलाप के साथ–साथ शिक्षक क्रिया कलाप को मौखिक रूप से वर्णन करें जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं कि बच्चा के द्वारा चित्र बनाया गया है तथा शिक्षक के द्वारा उसका वर्णन किया जा रहा है।

(4) इसके अतिरिक्त अध्यापक शिक्षण के दौरान मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक तथा मनोसामाजिक रणनीतियां अपनाकर बच्चों में सम्प्रेषण कौशल का विकास कर सकते है। जो कि निम्नलिखित हैं।

(1) नाटकीय खेल के लिए उत्साहित करना: इसके अन्तर्गत बच्चे वास्तविक वस्तु को सुनकर तथा देखकर उसके सम्प्रत्यय दिमाग में बनाते है। इस प्रकार के खेल को पाँच चरणों में बांटा जा सकता है।

(1) खोजपूर्ण खेल
(2) सम्बन्धित खेल
(3)आत्म नाटकीय खेल
(4)सरल नाटकीय खेल
(5)अनुक्रम खेल

जब बच्चे पांच साल के होते है तब नाटकीय खेल जैसे गुड़िया के साथ खेलकर उसको नहलाकर, तैयार कर विभिन्न क्रिया कलाप करते है। बच्चे रसोई का सामान, कार, जीप, आदि सामानो के साथ नाटकीय रूप में खेलते हैं। इस चित्र में आप देख सकते है कि बालिका किचन बनाकर मम्मी की तरह खाना बना रही है तथा लड़का खाने का स्वाद चख रहा है। शिक्षक इस प्रकार की गतिविधियों को कक्षा में कराये तथा सभी बच्चों को शामिल करायें जिससे श्रवण दिव्यांग बच्चों में सुनने औन बोलने का विकास किया जा सके।

(2) समुचित क्रिया:

इसमें शिक्षक बच्चों को कोई कहानी, वाक्य या चित्र का वर्णन करते समय किसी कहानी में कुछ वाक्य को छोड़ दे और बच्चा उत्साहित होकर छूटे हुए वाक्य, शब्द या चित्र के वर्णन को पूरा करने के लिए अपने द्वारा कुछ बतायें। उदाहरण के लिए *यदि शिक्षक गाय का चित्र देखकर कहता है कि गाय के चार पैर होते है, दो सींग होते है और गाय है। इसमें श्रवण दिव्यांग छात्र उत्साहित होकर कहने का प्रयास करता है कि गाय सफेद होती है। इस परिस्थिति का फायदा उठाकर शिक्षक उसको विस्तृत रूप से वर्णन कर सकता है।*

(3) गामक क्रियाएं(Motor Activities):

श्रवण दिव्यांग बच्चों में न केवल सुनकर सम्प्रत्यय का विकास होता है बल्कि विभिन्न गामक क्रियाओं जैसे चेहरे का हावभाव, हाथ पैर का संचालन आदि के द्वारा विभिन्न सम्प्रत्यय को समझते है खासतौर पर कविता, कहानी, जैसे विषय को गामक क्रियाओं के द्वारा सीखते है।

जैसे कि चित्र द्वारा देख सकते है जिसमें शिक्षिका गामक क्रियाओं द्वारा कविता को आसान तरीके से समझा रही है इस प्रकार की क्रियाओं द्वारा अवधान को भी बढ़ाया जा सकता है।

(4) संवेगात्मक (Emotional): साधारणतया

बच्चे खेलने के दौरान खिलौने को तोड़ते है इस क्रिया में शिक्षक बच्चे द्वारा तोड़ी गयी वस्तु को जोड़कर वार्तालाप कर सकते है और बच्चा भी ध्यानपूर्वक इस क्रिया को देखते है। इस क्रिया का उद्देश्य यह कि बच्चे जब किसी खिलौने को तोड़ने के बाद रोते है तब शिक्षक या अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़कर दिखाने से बच्चे अपने संवेग पर नियन्त्रण करना सीखता है।

(5) वैकल्पिक क्रियाएं(Alternative Activities):

साधारणता घर में अभिभावक द्वारा किसी चीज को करने से पहले कुछ विकल्प दिये जाते है जैसे अभिभावक अपने बच्चे से पूछते है कि बेटा आज आप लाल वाला कपड़ा पहनोगे कि पीला वाला। उसी तरह शिक्षक भी कक्षा में बच्चों से विकल्प के रूप में कह सकता है कि आज पढ़ोगे, लिखोगे या कहानी सुनोगे आदि विकल्प दे सकते हैं। इससे बच्चे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित होते हैं।

(6) पहेलियों वाले खेल(Puzzle):

इसमें शिक्षक बच्चों के सामने किसी वस्तु जैसे बिल्डिंग ब्लाक, चित्रों को पूरा करना आदि क्रियाओं को कराता है जिससे बच्चे इन क्रियाओं में शामिल होते है। इससे बच्चों का मानसिक विकास होता है।

(7) स्क्रैप बुक(Scrap Book):

इसमें शिक्षक किसी त्यौहार, किसी स्थान की प्रसिद्ध चीजों तथा चिड़ियाघर घुमाने के बाद, वहां हुई विभिन्न घटना, पशु के चित्र इकट्ठा करके स्क्रैप बुक में चिपकाने को कह सकते है। जैसा कि निम्न लिखित चित्र में चिड़ियाघर में हुई विभिन्न घटना का चित्र बच्चे स्क्रैप बुक में चिपकाकर लाते है और शिक्षक कक्षा में इस सम्बन्ध में वार्तालाप करता है।

(8) संवेदना प्रशिक्षण क्रियाएं (Sensory Training Activities):

विभिन्न संवेदना जैसे, श्रव्य, दृश्य, स्वांतग्रहण, प्रधाणीय संवेदना का विकास को सम्प्रेषण विकास के साथ जोड़कर शिक्षक कक्षा में विभिन्न क्रियाकलाप करा सकते है। उदाहरण के लिए *बच्चों को रेलगाड़ी की तरह लाइन बनाकर घुमाना और शिक्षक रेलागाड़ी की आवाज निकालकर उनके साथ घूमता है।*

(9) विस्तार क्रियाएं Extended activities:

इसमें शिक्षक बच्चे द्वारा कुछ शब्द बोलने पर उस शब्द के साथ वार्तालाप आगे बढ़ाते हुए बच्चे तथा स्वयं के साथ वार्तालाप कर सकते है। जैसे बच्चे द्वारा बोला गया ***गेंद***

शिक्षक : गेंद दो
शिक्षक : लाल गेंद दो आदि

(10) प्रशिक्षण क्रियाएं (Training Activities):

इस क्रिया में शिक्षक किसी क्रिया को करते समय बच्चे द्वारा की गयी प्रतिक्रिया का प्रतिरूपण कर जैसे कि– कक्षा में यदि बच्चा किसी दूसरे का जूता पहनता है और वह उसे नहीं पहन पाता है तो शिक्षक मॉडलिंग रूप कहे या क्या तुम इसे नहीं पहन पा रहे हो।

(11) साझावाचन क्रिया (Modelling):

इससे शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा पढ़ाये जा रहे पाठ में शिक्षक किसी वाक्य को

शिक्षक और बच्चा साथ–2 वाचन करते है फिर उसके बाद शिक्षक उसी वाक्य का वाचन करता है फिर उसी वाक्य को बच्चा वाचन करता है इससे बच्चे द्वारा की गयी त्रुटियों को शिक्षक सही करा सकता है।

(12) पुर्नबलन क्रिया (Reinforcement Activities):

इसमें शिक्षक द्वारा किसी क्रिया को कराने पर यदि श्रवण दिव्यांग बच्चा उस क्रिया को कर लेता है तो उसे तुरन्त पुर्नबलन के रूप में तारीफ, कोई चीज आदि दे सकते है जिससे श्रवण दिव्यांग बच्चा प्रोत्साहित होकर गतिविधि में शामिल होता है जैसा कि चित्र देख सकते है कि बच्चे द्वारा सही विकल्प उठाने पर शिक्षक द्वारा पुर्नबलन के रूप में शाबासी दी जा रही है।

श्रवण ह्रास के साथ अतिरिक्त निःशक्तताए होने की स्थिति निम्न है। इसके साथ तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है–

(1) श्रवण ह्रास के साथ प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात– वैकल्पिक एवं वृद्धिशील सम्प्रेषण प्रणाली है जिसमें कम्प्यूनिकेशन चार्ट से लेकर कम्प्यूटर आदि का प्रयोग।

(2) श्रवण ह्रास के साथ स्वालीनता– शब्दानुकरण स्थिति को सुधार करने हेतु क्यूज पास और प्वाइण्ट मेथेड का प्रयोग किया जाता है इसके अतिरिक्त दृश्य चार्ट, कैलेण्डर द्वारा दैनिक क्रिया कलापों को कराया जा सकता है।

(3) श्रवण ह्रास के साथ दृष्टि दिव्यांगता– इसमें चार हाथ का साइन लैंग्वेज एवम् कम्प्यूटर अप्लिकेशन जैसे पैकमेट का प्रयोग कराया जा सकता है।

(4) श्रवण ह्रास के साथ बौद्धिक दिव्यांगता– बहु संवेदी प्रशिक्षण तथा पुनरावृत्ति प्रशिक्षण को कराया जा सकता है।

(5) श्रवण ह्रास के साथ वाणी विकार– पेसिंग बोर्ड तकनीक का प्रय

==========

इकाई–15

कक्षा–शिक्षण में बधिरों हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रदर्शन एवं प्रयोग (Demonstration and Use of TLM in the Classroom Teaching for Children with Hearing Impairment)

मैंने सुना मैं भूल गया, मैंने देखा मुझे याद रहा, मैंने किया मै सीख गया।

"कन्फ्यूसियस"

प्रस्तावना (Introduction):

शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सामान्य बच्चों को ज्ञान प्रदान करना होता है। इसके लिए इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न तरीकों और नीतियों को अपनाया जाता है। मैडम मारिया मांटेसरी ने पूर्व विद्यालय स्तर की शिक्षण प्रकिया को अपने कार्यों द्वारा बहुत प्रभावित किया है। मैडम मारिया मांटेसरी ने पूर्व विद्यालय पाठ्यक्रम में बहुत सी सामग्री को शामिल किया है जो अधिगम में सहायक है। जैसे आकृति ब्लाक, आरोही छड़ आदि। उन्होंने ऐसी सामग्री को शामिल करके अधिगम को प्रभावशाली बनाने पर बहुत जोर दिया। उनका कहना था कि *विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रयोग करके न केवल पूर्व विद्यालय स्तर को बल्कि उच्च स्तर के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को भी उपयोगी बना सकते है।*

सामान्य बच्चों की कक्षा में अध्यापक किसी अवधारणा को समझाने के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करते है क्योंकि प्रत्येक बच्चें के समझने का तरीका अलग–अलग होता है। श्रवण अक्षम बच्चों में सुनने की क्षमता या तो कम होती है या वह बिल्कुल भी सुन नहीं पाते हैं। जिनकी सुनने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती है तो उनकी दूसरी इन्द्रियों के द्वारा ज्ञान अर्जित करने पर जोर दिया जाता है। समेकित विद्यालय में एक तरफ जहां सामान्य बच्चा ज्ञान अर्जित करता है वहीं दूसरी तरफ श्रवण अक्षम बच्चे को भाषा सिखाते हुए ज्ञान अर्जित करने का अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है।

प्रायः व्यक्ति देखकर 83 प्रतिशत, सुनकर 11 प्रतिशत, छूकर 3 प्रतिशत, व अन्य द्वारा 3 प्रतिशत सीखते है। जबकि जो हम सीखते है वह हमें पढकर 10 प्रतिशत, सुनकर 20 प्रतिशत, देखकर 30 प्रतिशत, सुनकर और देखकर 50 प्रतिशत, कहकर 70 प्रतिशत तथा कहकर और करके 90 प्रतिशत याद रहता है।

श्रवण अक्षम बच्चों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। श्रवण अक्षम बच्चों को बाधामुक्त अधिगम वातावरण प्रदान करने के लिए अधिगम प्रक्रिया में उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करना आवश्यक है इससे उन्हे अवधारणा और भाषा सीखने में सहायता मिलती है। यह इनके लिए बहुत आवश्यक है।

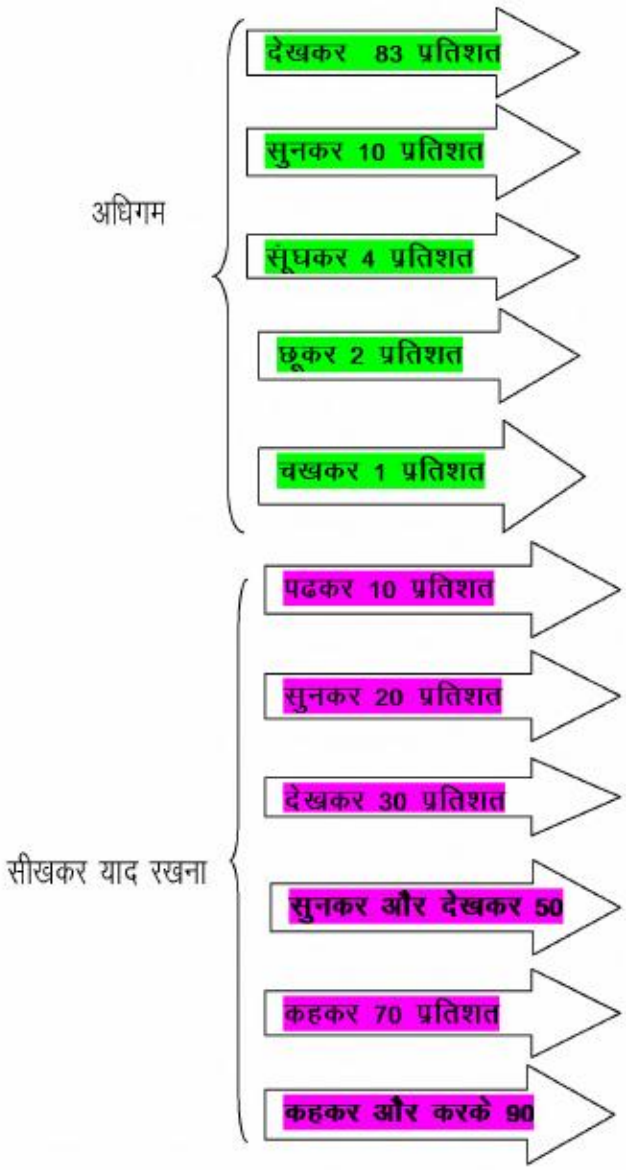

<u>शिक्षण सहायक उपकरण (Teaching Aid):–</u>

शिक्षण सहायक उपकरण कोई भी सामग्री हो सकती है जो अधिगम के लिए उपयोगी हो। यह भाषा सम्बन्धी, श्रव्य, दृश्य या गतिबोधक आदि हो सकती है इसको नाटकीय अनुकरणीय, किसी की भूमिका के रूप में प्रस्तुत कर सकते है।

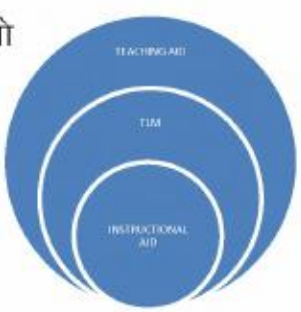

<u>शिक्षण अधिगम सामग्री (Teaching Learning Material):</u>

शिक्षण अधिगम सामग्री कक्षा में उपयोग किये जाने वाले समस्त शैक्षणिक उपकरण को दर्शाते है जो विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रयोग किए जाते है। सफल पाठ योजना हेतु शिक्षक न केवल श्यामपट का उपयोग करते है बल्कि कई प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करते है फ्लैश कार्ड, चार्ट कम्प्यूटर, वीडियो दृश्य सामग्री पोस्टर आदि इसके अर्न्तगत आते है।

अनुदेशात्मक सामग्री (Instructional Aid):

शिक्षक का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में अधिगम का विकास करना होता है। अनुदेशात्मक सामग्री के माध्यम से सूचनाओ का सम्प्रेषण किया जाता है। शिक्षक इन सामग्री को पावर प्वाइंट तथा हैंडआउट के माध्यम से विद्यार्थियों की पाठयोजना में शामिल करते है इसकी भाषा सरल होती है तथा कक्षा अनुदेशन में शिक्षण प्रक्रिया रूचिपूर्ण हो जाती है।

श्रवण अक्षम बच्चों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग

एक विचार के संप्रेषण के लिए जब कोई उपकरण प्रयोग किया जाता है तो वह शिक्षण अधिगम सामग्री होती है कोई भी वास्तिवक सामग्री जिसको किसी विचार या सूचना के सफलतापूर्वक संप्रेषण के लिए उपलब्ध कराया जाता है तो वह शिक्षण अधिगम सामग्री की तरह प्रयोग हो सकता है। शिक्षण अधिगम सामग्री को अनुदेशात्मक या दृश्य सहायक उपरकण भी पुकारते है शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग का महत्व निम्न प्रकार हो सकता है–

1 यह बच्चों के रूचिपूर्ण स्तर को बनाए रखने में सहायता करता है।
2 यह कठिन विषय को समझने और अवधारणा को सरल तरीके से प्रस्तुत करने में सहायता करता है।
3 यह छात्रों में सहभागिता की भावना को प्रोत्साहित करने में सहायता करता है।
4 यह उचित मात्रा में सुनने के दबाव को कम करने मे सहायता करता है।

शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार(Types of Teaching Learning Materials) :

1–बिना प्रक्षेपी शिक्षण अधिगम सामग्री (Non Projected Teaching learning Materials):

बिना प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री वे होते है जिनमे श्रव्य दृश्य साधन की आवश्यकता नही होती है। जैसे कि एक प्रोजेक्टर और चित्रपट। इसमें चार्ट, ग्राफ, मानचित्र, फोटो, फोटोग्राफ विवरण पुस्तिका, वास्तविक वस्तु तथा मॉडल आदि आते है।

2–प्रक्षेपी शिक्षण अधिगम सामग्री (Projected Teaching Learning Materials):

जिनमे श्रव्य दृश्य साधन की आवश्यकता होती है। इसमे स्लाइड, ओवरहेड ट्रान्सपेरेन्सीस, फिल्मस्ट्रिप, एल0 सी0 डी0, प्रोजेक्टर और मोशन पिक्चर आदि आते है।आज कल पावरप्वाइंट तकनीकी का बहुत अधिक प्रयोग हो रहा है। पावरप्वाइंट विषयवस्तु के प्रस्तुतीकरण और सूचनाओं को सुगमता से देता है। ग्राफ ड्राइंग,तालिका और संगठित चार्ट के प्रस्तुतीकरण को रूचिपूर्ण बनाता है जिस चीज को आप बताना चाहते है वह आप पावरप्वाइंट और ओवरहेड ट्रान्सपेरेन्सी के द्वारा प्रभावशाली ढंग से बता सकते है।

शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग व उद्देश्य:

विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग श्रवण अक्षम बच्चों को शिक्षण देने मे किया जाता है। उद्देश्यों के आधार पर किसी सामग्री का उपयोग शिक्षण अधिगम सामग्री की तरह कर सकते है। शिक्षण अधिगम सामग्री प्रत्येक पाठ का एक अनिवार्य अंग है। इसको पाठ की किसी अवस्था जैसे प्रारंभ, मध्य या अन्त मे प्रयोग कर सकते हैं।

प्रस्तुतीकरण के लिए:

शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एक पाठ के प्रारंभ या प्रस्तुतीकरण के लिए हो सकता है–

1–चित्र, मॉडल या वास्तिवक वस्तु का उपयोग प्रत्यक्ष क्रियाकलाप में करते है। पहचान के रूप में छात्रों को वस्तु की सुगंध को दे सकते है या वस्तु को छूकर अनुभव करने के लिए दे सकते है या चखकर वस्तु को पहचानने को दे सकते है।

2–उच्च प्राथमिक स्तर के छात्रों के किसी प्रसंग के लिए निश्चित चित्रों को एकत्र करने के लिए बोल सकते है जैसे जानवरों के वर्गीकरण के चित्र आदि।

विषय वस्तु के शिक्षण के लिए:

शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग उद्दश्यों की पूर्ति हेतु होता है। जैसे–

1–हल्का और भारी जैसी अवधारणा को बताने के लिए वास्तविक वस्तु का प्रयोग होता है।

2–चित्रो का प्रयोग कहानी के लिए होता है।

3–माडल का उपयोग विषय शिक्षण के प्रतिरूप में होता है। जैसे विज्ञान में *शरीर के अंग* में।

3–कठपुतली (Puppets) का प्रयोग कहानी सुनाने में होता है।

4–भूगोल में मानचित्र और ग्लोब का प्रयोग होता है।

5–विषय वस्तु का चार्ट

पाठ के सार के लिए:

शिक्षण अधिगम सामग्री के द्वारा पाठ के सार को जल्दी प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे–

1–एक चार्ट जिस पर पाठ का सार प्रस्तुत किया जा सकता है।

2–पाठ के अन्त में पूरा पाठ चित्र या मॉडल द्वारा सरसरी तौर पर प्रस्तुत कर सकते है।

3–प्रत्यक्ष कियाकलाप जैसे खाना बनाने के बाद चीजों को याद कराने में उपयोग होता है।

4–वार्तालाप की वाक्य को संघटित करना या लिखित को बोर्ड पर जमा कराना।

5–कहानी की समाप्ति पर चित्र को साफ्ट बोर्ड पर जोड़ना।

6–उच्च स्तर के लिए चार्ट पर विशय वस्तु को लिखना।

पाठ के बाद मूल्यांकन के लिए:

मूल्यांकन प्रत्येक पाठ का एक भाग होता है। शिक्षण अधिगम सामग्री मूल्यांकन को सरल बनाता है। जैसे

1–रिक्त स्थानों में चित्रो और शब्दों को भरना तथा चित्र–चित्र, चित्र–शब्द का मिलान।
2–प्रत्यक्ष कियाकलाप में गम, कैंची आदि वास्तविक वस्तु का नाम बताना।
3–मॉडल में निर्देशानुसार बदलाव करना।
4–ग्लोब और मानचित्र में स्थिति को खोजना।

पाठ की जानकारी लेने के लिए:

विभिन्न तरीको द्वारा पाठ की जानकारी लेने हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करते है। जैसे–

1–कठपुतली द्वारा एक कहानी को नाटकीय रूप में प्रस्तुत करना।
2–वार्तालाप की लिखित पट्टियाँ।
3–एक भ्रमण की जानकारी के लिए मॉडल।
4–व्याकरण के लिए अभ्यास।

भाषा अधिगम के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री(Teaching Aids for Language Learning):

श्रवण बाधित बच्चों के लिए भाषा शिक्षण, शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। भाषा शिक्षण में बहुत तकनीकि का उपयोग किया जाता है। भाषा शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का बहुत महत्व है। इन तकनीकि के द्वारा वह स्थिति के अनुसार निम्नलिखित भूमिका अदा करते है।

संज्ञान और स्मृति

शिक्षण अधिगम सामग्री कठिन अवधारणा को समझने में सहायता करती है तथा इस प्रकार यह भाषा सीखने के साथ ज्ञान बढ़ाने में भी सहायक होती है। वस्तु के साथ बोले गये शब्द का जुड़ाव बच्चों को याद रखने में सहायता करता है। जैसे– प्रत्यक्ष क्रिया कलाप 'शरबत बनाना' में निचोड़ना शब्द को याद रखते है तथा घुलने की क्रिया को समझते है।

श्रव्य अवधान और स्मृति

शिक्षण अधिगम सामग्री श्रव्य स्मृति को बढ़ाता है क्योंकि बच्चें चित्र/वस्तु के नाम को पाठ के दौरान दिखने पर याद कर लेते है। उदाहरण के लिए– एक कठपुतली द्वारा कहानी सुनाने में अध्यापक द्वारा तोते के कठपुतले को दिखाने पर बच्चे से आशा की जाती है कि श्रवण वाधित बच्चे इसे पहचान लेंगे।

वस्तु को दिखना

जव आवश्कता होती है, बच्चे किसी समय शब्दों को याद कर लेते है लेकिन शिक्षण अधिगम सामग्री उन्हें वस्तु को दृश्य रूप में देखने में मदद करता है। जिससे उन्हें याद रखने में सहायता मिलती है और दोबारा पहले से सीखे शब्दों को याद कर लेते है। जैसे– अध्यापक फलों को छूकर, अनुभव करके उसके नाम बताने की किया में उनके दृश्य विकास को बढ़ाता है जिससे आगे पढ़ने के दौरान समझने में सहायता मिलती है।

पढ़ना/वाचन

बच्चे अक्सर चार्ट से पढ़ते है। इस प्रकार श्रवण बाधित बच्चों को वाचन के लिए उत्साहित करने में सहायक होते है।

क्रम में लगाना

बच्चे शिक्षण अधिगम सामग्री की सहायता से क्रम में लगाना सीखते है। जैसे– एक कहानी में क्रम के अनुसार चित्रों को लगाना।

पुर्नबलन(Reinforcement):

श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री पुर्नबलन की तरह कार्य करता है। उदाहरण के लिए बच्चों को पहले श्रव्य उद्दीपन दिया जाता है और तब वस्तु को दिखाया जाता है। यह बच्चों के लिए पुर्नबलन की तरह कार्य करता है क्योंकि बच्चे जानते है कि यदि वह शब्दों को सही ढंग से सुनेंगे और बोलेंगे तो उन्हे वस्तु/चित्र को देखन को दिया जायेगा।

वाणिज्यिक शिक्षण अधिगम

भूगोल विषय के शिक्षण अधिगम सामग्री

भौगोलिक घटना, सोलर प्रक्रिया, उपलब्ध ग्लोब का मॉडल, मानचित्र और चार्ट शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है।

विज्ञान के शिक्षण अधिगम सामग्री

विज्ञान शिक्षण के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रकार के शरीर के अंग के मॉडल, चित्र, चार्ट साथ ही साथ माइकोस्कोप और नमूने शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए प्रयोग होते है। उच्च स्तर के लिए विज्ञान उपकरण भी शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में उपलब्ध होते है।

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

इतिहास विषय के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री

इतिहास शिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के नमूने, चार्ट और मॉडल शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए उपलब्ध होते है

गणित विषय के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री

विभिन्न प्रकार के ब्लाक, आकृति, खेल, पहेलियॉ और चार्ट शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए उपलब्ध होते है।

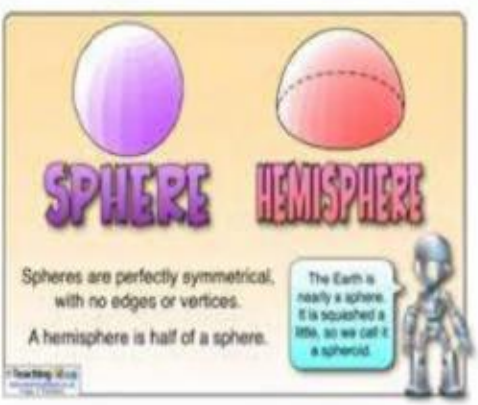

भाषा के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री

पहेलियाँ, कहानी कार्ड, चित्र आदि भाषा शिक्षण के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए उपलब्ध होते है। क्रिया के अभ्यास कार्य के लिए बहुत सी किताबें शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में उपलब्ध होती है।

शिक्षण अधिगम सामग्री(Low Cost) जो अध्यापक बना सकते हैं–

<u>फ्लिप चार्ट</u>

फलैनल बोर्ड: फलैनल बोर्ड साधारण बोर्ड होता है जिस पर आसानी से अल्प समय के लिए चित्रों को चिपका सकते है। जिसमें चित्रों के पीछे चुम्बक लगा होता है।

कोलॉज: कोलॉज चार्ट पर चित्रों का संग्रह होता है इसको छात्रों के साथ कक्षा में बना सकते है,इसमें दिये गये विषय पर चित्रों को संग्रह करते है और चार्ट पर चिपकाते है।

इकाई–16

पाठय पुस्तक अनुकूलन (Text Book Adaptation)

प्रस्तावना (Introduction):

शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सफल सम्पादन हेतु पाठयचर्या का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है। पाठयचर्या के अन्तर्गत सामान्यतः पाठ्यपुस्तक के माध्यम से शिक्षण अधिगम कार्य सम्पन्न होता है। पाठय पुस्तक के विभिन्न विषय वस्तु को मौखिक, दृश्य, गतिशील, लिखित, सरल से जटिल, मूर्त से अमूर्त,क्रमबद्ध, परियोजना समूह कार्य, सहपाठी शिक्षण, नाटकीय–करण अतिरिक्त समय से, वैकल्पिक क्रियाएं, अभ्यास एवम् विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए ब्रेल,संकेत एवम् अन्य माध्यमों के द्वारा सम्पन्न कराते है। दूसरी ओर विद्यार्थी अनेक तरीकों के द्वारा अधिगम करते है जिसमें मौखिक, लिखित, स्पर्श, हावभाव, सहपाठी अधिगम, कहानी कथन, वाद–विवाद, बहस, खेल, प्रश्नावली आदि शामिल है। कुछ परिस्थितियों में पूरक सामग्री कैलकुलेटर, ब्रेलर, अबेकस, ज्यामिति बाक्स, स्पर्शीय बोर्ड, कम्प्यूटर, रिकार्ड की गयी पुस्तक, डेजी किताबे, मल्टीमीडिया C.D. ROM आदि का भी इस्तेमाल किया जाता है। परन्तु कक्षा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का अहम स्थान है श्रवण बाधित बच्चों की अधिगम आवश्यकता उनकी श्रवण गम्भीरता पर निर्भर है। प्रमुखतः श्रवण बाधित बच्चों में निम्नलिखित अधिगम की आवश्यकता होती है।

(1) भाषा सम्बन्धी
(2) वाणी सम्बन्धी
(3) अमूर्त अवधारणाओं से सम्बन्धी
(4) वाचन एवम् वतर्नी सम्बन्धी
(5) सम्प्रेषण कौशल से सम्बन्धी
(6) गणित सम्बन्धी आदि

इन सभी आवश्यक्ताओं के दृष्टिगत NCERT नई दिल्ली द्वारा पाठ्य पुस्तक अनुकूलन पर कार्य किया गया है।

श्रवण बाधित बच्चों की प्रमुख समस्याएं–

श्रवण बाधित बच्चों की मुख्य समस्या भाषा से सम्बन्धित होती है। श्रवण क्षतिग्रस्तता के प्रभाव के कारण बच्चे निम्न बाधाओं का सामना करते है।

(1) सामान्य बच्चों की तरह बोलने में (बाल्यावस्था में विशेष प्रशिक्षण के बिना)
(2) वाणी उत्पादन तंत्र एवम् अंश पर नियन्त्रण
(3) ध्वनियों का ज्ञान
(4) व्याकरणीय जानकारी
(5) उच्चारण सम्बन्धी सेगमेण्टल का ज्ञान जैसे लय, गति आदि।
(6) सवाल का अनुरूप जवाब
(7) स्वर तथा व्यंजनों को सही रूप से सुनना
(8) अभिव्यक्ति का माध्यम (केवल सांकेतिक)
(9) शब्द कोष की सीमा
(10) लेखन सम्बन्धी त्रुटियां जैसे क्रिया, कारक, वचन, लिंग, क्रम आदि।

श्रवण बाधित बच्चों के पाठयपुस्तक सम्बन्धी समस्याएं–

प्राथमिक स्तर के पाठ्य पुस्तक से सम्बन्धित प्रमुख समस्याएं निम्न है।

(अ) भाषा से सम्बन्धित कठिन शब्दों का प्रयोग *जैसे–*

जनजीवन, सौन्दर्यपूर्ण, अन्धभक्ति, साहित्यिक आदि (कक्षा–6 मंजरी, पाठ– चिर महान, पृष्ठ संख्या–10)

(1) वाक्य में कर्ता, क्रिया, विधेय को न समझना
(2) कठिन शब्दों का अर्थ
(3) मिश्रित और जटिल वाक्य

जैसे–''यह अशोक के रूम्मिनदेई अभिलेख का अंश है जो लुम्बिनी (नेपाल) से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में अशोक ने घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का आठवाँ भाग कर के रूप में लिया जाएगा।'' (कक्षा–6, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, पृष्ठ संख्या–14)

(4) सामानार्थी शब्दों का अधिक प्रयोग जैसे– बादशाह, सम्राट, राजा आदि।
(5) मुहावरे और लोकोक्तियां
(6) भूगोल एवं इतिहास विषय में बिना चित्र के बड़े– बड पैराग्राफ

(ब) प्रस्तुतीकरण से सम्बन्धित–

(1) विषयवस्तु के साथ चित्रों का न होना।
(2) फ्लोचार्ट द्वारा विषयवस्तु न होना।
(3) मुख्य बिन्दु का आकर्षक रूप में न होना।
(4) सम्प्रत्य का उदाहरण पर्याप्त मात्रा में न होना।
(5) स्पीच बैलून के न होने से वार्तालाप को न समझ पाना।
(6) विषय वस्तु में आरेखो का आभाव
(7) ऐसे वाक्य जो बिना चित्रों के आभाव के बिना कहे जाते है। (अमूर्त अवधारणाओं को न समझना)
(8) चित्रों के नीचे अनुशीर्षक का न होना
(9) बड़े–बड़े पैराग्राफ का होना
(10) विभिन्न सम्प्रत्य का छोटे–छोट भागों में न होना
(11) क्रमवार विषयवस्तु का न होना

(स) मूल्यांकन से सम्बन्धित–

(1) निबन्धात्मक प्रश्न
(2) वस्तुनिष्ठ प्रश्न में विविधता न होना
(3) केवल लिखित मूल्यांकन का होना (पेन और पेपर)
(4) भाषा जैसे विषय में व्याकरणीय त्रुटि होने पर अंक कटना
(5) गणित में इबारती प्रश्नों को हल करने में कठिनाई

NCERT नई दिल्ली एवं बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों को अनुकूलित करने का प्रयास किया जा रहा है परन्तु कुछ क्षेत्रों में यह अनुकूलन विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरी तरह समाधान करने में पर्याप्त नहीं होता है प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक को विद्यालय एवं कक्षा स्तर पर पाठ्य पुस्तकों को अनुकूलन करने की आवश्यकता है।

भाषा सम्बन्धी अनुकूलन :

1–कठिन शब्दों के स्थान पर विद्यार्थी के अनुभव से जुड़े शब्दों का उपयोग करते हुए शिक्षण करना। उदाहरण –

रामबाला को 3 मील दूर जाना है (मील के स्थान पर 'किमी' का उपयोग करना)

2–वाक्य को शिक्षक को सरल तरीके से प्रस्तुत करना जिससे श्रवण बाधित बच्चों वाक्य को समझ सके। उदाहरण

मूल पाठ	अनुकूलन पाठ
अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो रामबाला यहां से 3 मील दूर है मुझे वहां जाना है घोड़े पर चढ़ा लो परमात्मा भला करेगा वहाँ तुम्हारा कौन है दुर्गादत्त वैश्य का नाम आपने सुना होगा मैं उनका सौतेला भाई हूँ।	अपाहिज ने बाबा से हाथ जोड़ कहा, मैं दुखियाँ हूँ, मुझ पर दया करो। राम बाला यहां से 3 मील दूर है। वहाँ मुझे जाना है। मुझे घोड़े पर चढ़ा लो, भगवान आपका भला करेगा। परमात्मा बाबा ने पूछा, "वहाँ पर तुम्हारा कौन है ? अपाहिज ने कहा दुर्गादत्त नाम के वैद्य वहां रहते है। मैं उनका सौतेला भाई हूँ।

(3) पाठ्य पुस्तक में दिये गये शब्दार्थ का चित्र एवं सरल शब्दों के रूप में परिवर्तित करना।

मूल पाठ	अनुकूलन पाठ
हामिद खिलौने की निन्दा करता है–मिट्टी के तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जायें, लेकिन ललचायी हुई आँखों से खिलौने को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता।	हामिद को खिलौने अच्छे नहीं लगते। वह कहता है खिलौने मिट्टी के है, गिरने से टूट (चकनाचूर) जायेंगे। लेकिन हामिद लोभ (ललचायी) के कारण खिलौनों को देख रहा है वह चाहता है कि कुछ समय के लिए खिलौने को हाथ में ले लें।

1–एक ही प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें।

2–मुहावरे और लोकोत्तियां की जगह सरल वाक्यों का प्रयोग करना। उदाहरण –

3–कक्षा 6 के पाठ–7 "मौर्य साम्राज्य" के पृष्ठ 55 पर दिये गये चन्द्रगुप्त और चाणक्य के चित्र के साथ दिये गये पैराग्राफ के वाक्य चित्र के अनुसार पैराग्राफ से भिन्न है। इसलिए श्रवण बाधित बच्चों को पैराग्राफ समझने में दिक्कत होती है। इसलिए ऐसे चित्र स्वभाविक वाक्य के साथ हो जिससे श्रवण दिव्यांग बच्चे कहे गये वाक्य को सरलता से समझ सकें।

<u>प्रस्तुतीकरण सम्बन्धी अनुकूलनः</u>

1–प्रस्तुतीकरण करते समय विषयवस्तु के साथ चित्र एवम् मॉडल का उपयोग करना चाहिए।

2–प्रस्तुतीकरण करते समय सारणी, प्रवाह चार्ट, बुलेट आदि का प्रयोग करना चाहिए और श्रवण बाधित बच्चों को मौखिक के साथ दृश्य साधनों का उपयोग ज्यादा करना चाहिए।

3–अलग– अलग रंगों का प्रयोग कर वाक्य के मुख्य बिन्दु को प्रस्तुत करना चाहिए।

4–अधिक से अधिक ऐसे उदाहरण का प्रयोग करें जो श्रवण दिव्यांगों के अनुभव से सम्बन्धित हो।

5–कामिक्स किताबों की तरह पात्रों के चित्रों और उनके द्वारा बोले गये वाक्यों को प्रस्तुत करना चाहिए।

6–गणित व विज्ञान विषय में आरेखों के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहिए।

7–ज्यादा से ज्यादा मूर्त अवधारणाओं को प्रस्तुत करना चाहिए।

8–चित्रों के नीचे अनुशीर्षक का प्रयोग करना।

9–बड़े– बड पैराग्राफ के स्थान पर श्रवण दिव्यांग हेतु सरल और छोटे वाक्यों को प्रस्तुत करना चाहिए।

10–पढ़ाये जाने वाले पाठों को क्रमवार रूप में प्रस्तुत करना।

मूल्यांकन सम्बन्धी अनुकूलन :

1–*सामाजिक न्याय मंत्रालय के पत्रांक 16–110/2003–DD-III दिनांक 26 फरवरी 2013 के क्रम में श्रवण बाधित दिव्यांगों के परीक्षा प्रणाली में वर्णात्मक प्रश्न के स्थान पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देने के निर्देश दिये गये है।* क्योंकि निबन्धात्मक प्रश्नों के उत्तर देने में श्रवण दिव्यांग असमर्थ होते है।

2–केवल रिक्त स्थानों की पूर्तिव बहुविकल्पीय प्रश्नों को न देकर मिलान करो, सही गलत एवम् नये–नये वस्तुनिष्ठ प्रकारों के माध्यम से श्रवण दिव्यांगों का मूल्यांकन करना।

3–श्रवण बाधित बच्चों की अधिगम शैली अलग–अलग होती है जैसे Visual, Auditory Kinesthetic तथा Tactile आदि। विविध आवश्यकता के दृष्टिगत मूल्यांकन में भी विविधता लाने की जरूरत है।

4–व्याकरणीय त्रुटि होने पर उसे श्रवण दिव्यांगों की भाषा समस्या माना जाये तथा प्रश्न के उत्तर लिखते समय वर्तनी एवं अन्य समस्याओं को प्राथमिकता न देकर उत्तर के सार के अनुसार अंक प्रदान करना चाहिए।

5–इबारती प्रश्नों के स्थान पर सवाल दिये जाने चाहिए।

==========

इकाई–17

वैयक्तिक शैक्षणिक कार्यक्रमःश्रवण बाधित बिद्यार्थियों हेतु
(Individualized Educational Program for Children with Hearing Impairment)

प्रस्तावना (Introduction) :

कक्षा में सभी विद्यार्थी सीखने की क्षमता, शारीरिक बनावट, बौद्धिक क्षमता, तथा अन्य पहलुओं के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं।इन सभी की शैक्षणिक एवं अन्य आवश्कयताएं एक दूसरे से भिन्न होती है किन्तु शिक्षण प्रक्रिया का संपादन शिक्षक सदैव औसत क्षमता स्तर को आधार बनाकर करता है जिससे औसत से कम एवं औसत से ऊपर उपलब्धि वाले छात्रों की उपलब्धि एवं सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। शिक्षक का दायित्व बालक की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण करना है न कि स्वयं या पाठयक्रम के अनुसार शिक्षण करे।

औसत से कम एवं औसत से अधिक उपलब्धि वाले दोनों समूह विशेष बालक अथवा विशेष आवश्यकता वाले बालकों की आवश्यकता सामान्य समूह के बालकों से भिन्न हो जाती है। दोनों प्रकार के विशेष आवश्यकता वाले बालकों की सीखने की क्षमता प्रभावित ना हो, अपनी आवश्यकता एवं दक्षता के अनुसार सीख सकें, इस तथ्य को ध्यान में रखकर शिक्षक ऐसे बालकों की विशेष आवश्यकता हेतु अलग से शिक्षण के नियोजन की तैयारी करनी चाहिए। जब शिक्षक विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के शिक्षण की आवश्यकता को जांच एवं समझ कर शिक्षण नियोजन करता है, इसे वैयक्तिक शैक्षणिक कार्यक्रम (Idividulaized Education Program) कहते हैं। श्रवण बाधित विद्यार्थियों की वैयक्तिक शैक्षणिक कार्यक्रम निम्नलिखित विवरण अनुसार तैयार की जा सकती है–

वैयक्तिक शैक्षणिक कार्यक्रम (IEP) की विषय–वस्तु:

वैधानिक अभिलेख के तौर पर वैयक्तिक शैक्षणिक कार्यक्रम सर्व स्वीकार्य प्रलेख होता है, जो बालक की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उन्हें पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है, जिसके प्रमुख घटक/सोपान निम्नवत हो सकते हैं –

(अ)पृष्ठभूमि(Student Background):

विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले उनकी पृष्ठभूमि जानना आवश्यक है। जिसमें बालक के पारिवारिक सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक तथा चिकित्सीय स्थिति, श्रवण दोष के कारण, श्रवण दोष का समय, श्रवण दोष के पहचान का समय के साथ–साथ अनौपचारिक रूप से श्रवण दोष की गंभीरता की जानकारी माता–पिता अथवा अभिभावक से प्राप्त करते है।

(ब) छात्र की वर्तमान प्रदर्शन/स्तर का मूल्यांकन(Student's Present Performance/ Level):

इसके द्वारा हम बधिर बालक के ज्ञान, कौशल एवं दृष्टिकोण के वर्तमान स्तर का पता लगाते है, जो भविष्य में उसकी योग्यता का प्रतिनिधित्व करता है साथ ही वह सामान्य श्रेणी में आता या उससे भिन्न होता है, की जानकारी प्राप्त होती है। भिन्न होने के कारण, स्तर तथा भविष्य की रूपरेखा तैयार करने में सहायता मिलती है। श्रवण बाधित बालक की IEP तैयार करने में निम्नलिखित आंकलन किये जाते हैं–

(1) अवशेष श्रवण क्षमता/श्रवण दोष का आंकलन(Assessment of Residual Hearing Strength): श्रवण बाधित बालक का सर्वप्रथम सुनने की अवशेष क्षमता का आकलन करते है। तथा श्रवण दोष होने के कारण के समय (जन्म से पूर्व श्रवण दोष, जन्म

के समय, जन्म के बाद श्रवण दोष) ज्ञात हो जाता है। साथ ही बालक के लिए श्रवण यन्त्र लगाने की भी जानकारी हो जाती है।

(2) भाषा का आकलन(Language Assessment):

भाषा के विभिन्न स्तर होते है – ध्वनि स्तर, शब्द स्तर, वाक्यांश स्तर, वाक्य स्तर, जटिल वाक्य, पैराग्राफ आदि। भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थ पूर्ण ध्वनि/स्वर व्यंजन होती है। भाषा Receptive और Expressive होती है। भाषा का आकलन निम्न प्रपत्र पर किया जा सकता है।

Receptive langauge			Expressive language		
क्रमांक	विषय वस्तु (चित्र, शब्द, वाक्यांश, वाक्य, वार्तालाप स्तर)	भाषा स्तर	क्रमांक	विषय वस्तु (चित्र, शब्द वाक्यांश, वाक्य, वार्तालाप स्तर)	भाषा स्तर
नोट – भाषा (/) मूल्यांकन में बालक के दैनिक प्रयोग की भाषा को चित्र, शब्द, वाक्यांश, वाक्य, और वार्तालाप स्तर को क्रम में सरलता में कठिनाई की ओर रख कर किया जायेगा। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पृष्ठ जोड़े।					
विश्लेषण –					

(3) वाणी आकलन(Speech Assessment):

वाणी एक अर्जित व्यवहार है जो भाषा को व्यक्त करने का एक साधन होती है। जिसका प्रयोग भाषा को मौखिक रूप में अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। वाणी उच्चारण प्रक्रिया में पूरा वाणी तंत्र के अंग संयोजित होकर भाग लेते है।

(4) शैक्षिणिक स्तर(Assessment of Academic Level):

यहाँ *शैक्षिणिक* से तात्पर्य बालक के साक्षरता कौशल एवं निर्धारित पाठयक्रम की समझ तथा प्रयोग से सम्बंधित है। साक्षरता कौशल के अंतर्गत पठन, लेखन एवं अंक गणतीय (3R) आते है। सामान्य शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत जब उक्त की प्राप्ति बालक नहीं कर पाता है, तब यह अनुमान लगाया जाता है कि अवश्य बालक में सीखने की प्रक्रिया किन्हीं कारणों सी प्रभावित हो रही होती है। जिसका पता शैक्षिणिक मूल्यांकन / आंकलन से चलता है। जिसमें बालक का मूल रूप से निम्न क्षेत्रों में आंकलन किया जाता है –

(क)पठन कौशल

(ख)लेखन कौशल

(ग) गणितीय आंकलन

(घ) मनोवैज्ञानिक आकलन एवं परीक्षण

उपरोक्त सभी के द्वारा वर्तमान प्रदर्शन का आकलन कर एक सामान्य प्रदर्शन स्तर/बेस लाईन का निर्धारण करते है। जिसे Current level of functioning (CLF) कहा जाता है। छात्र के अधिगम शक्ति (Strength) एवं कमज़ोरियों (Weekness) की जानकारी हो जाती है। जिसको ध्यान में रखकर कमियों को दूर करने हेतु लक्ष्यों का निर्माण एवं शिक्षण हेतु शैक्षिणिक नियोजन किया जाता है।

(5) लक्ष्यों का विवरण(Details of Targets):

आकलन से बालक के कौन कौन से पहलू कमजोर है का स्पष्ट पता चल जाता है तदोपरांत उन कमियों को दूर करने हेतु उन्हें व्यवस्थित रूप से लिपिबद्ध कर उसे दूर करने हेतु लक्ष्यों का निर्धारण करते है जो दीर्घ अवधि व लघु अवधि के लिए होते है। दीर्घ अवधि लक्ष्यों को तोड़कर लघु कालीन लक्ष्यों का निर्माण किया जाता है एवं समय सीमा भी विभाजित हो जाती है।

(6) पाठय योजना/सेवाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयनः

लक्ष्य निर्धारण के उपरांत प्रत्येक लघु अवधि के लक्ष्यों को क्रम से क्रियान्वयन हेतु रूपरेखा तैयार की जाती है जिसमे वह सभी सम्भावित तरीकों एवं शिक्षण तकनीको को अपनाने के तरीकों को लिपिबद्ध किया जाता है जिनके द्वारा निर्धारित लघु अवधि के लक्ष्य प्राप्ति/दोष निवारण किया जा सके। शिक्षक पाठय योजना क्रियान्वयन/शिक्षण हेतु आवश्यक शिक्षण सामग्री का निर्माण करता या फिर व्यवस्था करता है।शिक्षण प्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई या नहीं में हमेशा संदेह बना रहता है। शिक्षण प्रारंभ करने से लेकर अंत तक निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है –

- पूर्व ज्ञान का आवश्यकतानुसार सही से निखारना (Brushup)
- पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना
- पुनरावृति व्यूह रचना के अनुसार शिक्षण करना
- सतत (Formative) मूल्यांकन करना
- निरन्तरता (Follow up) बनाए रखना

(7) अभिलेख संरक्षण(Record Keeping)

अभिलेख संरक्षण के अंतर्गत श्रवण बाधित विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि रिकार्ड से लेकर पुनः मूल्यांकन तक समस्त प्रक्रिया एवं क्रिया कलापों को व्यवस्थित तरीके से लेखबद्ध किया जाता है। यदि अभिभावक किसी अन्य विशेषज्ञ के पास जाता है तो अभिलेख देख कर यह आसानी से समझ जाता कि पूर्व में बालक के शिक्षण की वस्तुस्थिति क्या थी और उसे आगे की योजना में क्या क्या सम्मिलत करना है।

वैयक्तिक शैक्षिणिक कार्यक्रम में अभिवाहक की भूमिका

अभिभावक की वैयक्तिक शैक्षिणिक कार्यक्रम में महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक विद्यालय में जो अभ्यास बधिर बालक को करवाते है, अभिभावक उनका घर में पुनः अभ्यास करवाते है। शिक्षक/ थेरेपिस्ट द्वारा दिया गया गृह कार्य अभिभावक द्वारा कई बार करने के बाद वह बालक विशेष कौशल को दिन प्रतिदिन के जीवन में प्रयोग करने लगता है।

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

समेकित शिक्षा,सर्व शिक्षा अभियान, उत्तर प्रदेश

श्रवण दिव्यांग विद्यार्थी का वैयक्तिक शैक्षणिक कार्यक्रम

(Individualized Education Program)

बालक का नाम ———— आयु ——— आधार नं0————————
विद्यालय का नाम ———— कक्षा———एस0आर0न0————————
दिव्यांगता का विवरण———————— आई0ई0पी0 निर्माण तिथि——

संक्षिप्त सेवार्थी विवरण (Case History) :

1–थेरेप्युटिक एसेसमेण्ट(Theraputic Assessment) –

क– मनोसामाजिक (Psychosocial) स्तरः

ख–श्रवण प्रतिपादन(Audiological Intepretation) :

ग–वाक्/वाणी (Speech) :

घ– भाषा (Language) :

2–अकादमिक आकलन (Academic Assessment):

क–पठन कौशल (Reading Skills) :

ख–लेखन कौशल (Writing Skills) :

ग–गणितीय कौशलः(Numeric Skills) :

3–संस्तुतियाँ (Recommendations) :

थेरेप्युटिक व अकादमिक विकास के लिए लक्ष्य निर्धारणः

अ–दीर्घ अवधि लक्ष्य (Long Term Goal) :

ब– लघु अवधि लक्ष्य व समय (Short Term Goal & Time Period):

विषय वस्तु	शिक्षक / इटीनरेण्ट टीचर द्वारा की गयी गतिविधि	प्रयोग में लायी गयी शिक्षण अधिगम सामग्री(टी0एल0एम0)	लक्ष्य उपलब्धि

अन्य विवरण:

अध्यापक / इटीनरेण्ट टीचर के हस्ताक्षर:

नोट – *कालमों की संख्या आवश्यकता के अनुसार बढ़ायी जा सकती है।*

इकाई–18

कक्षा कक्ष प्रबन्धनःश्रवण दिव्याँग बच्चों के अनुकूल वातारण के संदर्भ में
(Classroom Management: With Reference to Adaptive Environment of Children With Hearing Impaired)

प्रस्तावना (Introduction) :

कल्पना कीजिये कि आपको किसी ऐसी कक्षा में पढ़ने के लिए बैठा दिया जाता है जो कि ध्वनी–प्रतिरोधी है। आप के पास सीखने के लिए केवल एक ही माध्यम बचता है..... .... वह है दृश्य माध्यम। और आपकी शैक्षिक उपलब्धि को केवल उसी दृश्य माध्यम के अधिगम आधार पर ही जांचा जाता है..... चाहे वह गणित की बहुत ही जटिल संक्रियाएं अथवा विज्ञान के बहुत ही जटिल परिकल्पनाएं ही क्यूँ न हों, या फिर भाषा के अध्याय, हिंदी अथवा अंग्रेजी की कवितायें..... क्या आपको यह न्यायोचित प्रतीत होगा ? क्या आप अपने आपको ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे ?.....

क्या आप और हम में से किसी ने सोचा है कि श्रवण बाधित ऊँचा सुनने वाले बच्चे हमारी कक्षाओं में हमेशा से ऐसी ही स्थिति का सामना कर रहे हैं ? वह ऐसी ही और ना जाने कितनी अन्य चुनौतियों का अपनी कक्षा में सामना कर रहे हैं और हम एक शिक्षक के रूप में उन चुनौतियों को तथा इन बच्चों के अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरे को नज़र–अंदाज़ करते चले आ रहे हैं.....

किसी भी कक्षा में श्रवण बाधित अथवा ऊँचा सुनने वाले बच्चों का होना स्वयं कक्षा के लिए तथा शिक्षक के लिए हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रहा है। किन्तु ये केवल समस्या के रूप में ही नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि इसे ऐसे वातावरण के निर्माण हेतु चुनौती के रूप में भी देखा जाना चाहिए जहाँ बधिर या श्रवण बाधित बालकों को कक्षा की गतिविधियों में अपने सहपाठियों के साथ कार्य करना का अवसर मिले, साथ ही सहपाठियों को भी इनके साथ कुछ सीखने का अनुभव मिले।

अधिकतर समय सामान्यतः शिक्षक यह समझ ही नहीं पाते हैं कि इस बालक को कोई समस्या है भी या नहीं ? क्योंकि बधिरता एक ऐसी स्थिति है जो विकलांगता के रूप में जल्द दिखाई नहीं देती, परन्तु जैसे ही यह पहचान हो जाये कि कक्षा में कोई बच्चा बधिर है अथवा ऊँचा सुनता है, तुरंत अपने शिक्षण के तौर तरीकों पर ध्यान देना अनिवार्य हो जाता है।

यहाँ कुछ ऐसे लक्षणों की चर्चा की जा रही है जो शिक्षक को जागरूक करेंगे, जब वह किसी बधिर अथवा ऊँचा सुनने वाले बच्चे के साथ शिक्षण कार्य करेगा। यहाँ सबसे पहले यह ध्यान देना आवश्यक है कि–

किसी भी बालक की सुनने की क्षमता भिन्न भिन्न होती है। यह जरूरी नहीं कि जितनी ऊँची आवाज में एक बालक सुनता है, दूसरा भी उतनी ही ऊँची आवाज में सुनेगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह ध्यान रखनी है कि बच्चा सुन भी सकता है और नहीं भी, वह सम्प्रेषण कर भी सकता है, और नहीं भी। यह कोई जरूरी नहीं कि बधिर बालक हमेशा किसी साइन लैंग्वेज इन्टरप्रेटर की मदद लेता ही हो। यह एक बहुत ही सामान्य सी कल्पना है कि जो बच्चा सुन सकता है, वह हमारी बात समझता ही है। अतः किसी भी निर्णय तथा कल्पना का निर्माण करना बालक की शिक्षा के लिए गंभीर रूप से चुनौती खड़ी कर सकता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, ऐसी बहुत सी चुनौतियाँ है जो बधिर बच्चों में कक्षा–कक्ष शिक्षण के दौरान उनके अधिगम को प्रभावित करती हैं–

(1) कक्षा में ध्वनि नियंत्रण (Sound Control in The Classroom)
(2) कक्षा में प्रकाश व्यवस्था (Lighting Arrangement)
(3) कक्षा में भाषा की समस्या अथवा भाषा की कठिनाई स्तर (Difficulty level in Language)
(4) कक्षा में अनुभवात्मक कमियां (Lack of Experience in The Classroom Teaching)
(5) कक्षा में ओष्ठ–पठन तथा शेष श्रवण क्षमता का उपयोग (Use of Residual Hearing and Lip-reading)
(6) अनुपयुक्त जागरूकता एवं ज्ञान प्रदर्शन(Inappropriate Awareness and showing of Knowledge)
(7) कक्षा में सामाजिक सरोकारों की कमी (Lack of Socialisation)
(8) शिक्षण में सहयोग (Cooperation in Teaching)
(9) पाठयक्रम तथा निर्देशों में कमियां (Lack in Curriculum and Instrction)
(10) संसाधनों की कमी (Lack of Infrastructure)

(1) कक्षा में ध्वनि नियंत्रण :

मुख्यतः यह देखा गया है कि, कक्षा में ध्वनि प्रवर्तन एवं गूँज अधिक होती है। विशेष तौर पर आजकल जिस प्रकार के विद्यालय बनाये जा रहे हैं, उनमें सीमेंट, पत्थर आदि का प्रयोग अधिक होने के कारण ये समस्या प्रभावी रूप से दिखाई देती है। परन्तु ऐसा नहीं है कि, इसका कोई उपचार नहीं है। सामान्यतः ऐसे कई छोटे–छोटे उपाय हैं, जिनसे कक्षा में ध्वनि नियंत्रण किया जा सकता है जैसे –

1–कक्षा में कालीन या गलीचा बिछाना
2–कक्षा से आस–पास पेड़–पौधे लगाना।
3–दीवारों पर भारी पर्दे डालना,
4–कक्षा में धातु की अपेक्षा लकड़ी का अधिक प्रयोग करना,
5–यदि ग्रामीण परिवेश हो तो गोबर अथवा मिट्टी से फर्श का लेपन करना।
6–कक्षा की दीवारों पर फूस अथवा गोबर के उपले बाहर की ओर से लगाना जिससे कक्षा में शोर नियंत्रण हो सके।

(2) कक्षा में प्रकाश व्यवस्था :

तेज चमक वाली लाइट्स सामान्यतः एक विशेष प्रकार की ध्वनि भी उत्पन्न करती है, जो बधिर बच्चों के श्रवण यंत्रों, अथवा अन्य उपकरणों में खडखडाहट उत्पन्न करती है। इससे बधिर बच्चे को शिक्षक द्वारा बोली गयी बातों को समझने में कठिनाई महसूस होती है। इसके लिए कक्षा में सुचारू प्रकाश व्यवस्था हेतु प्राकृतिक प्रकाश अथवा सफ़ेद प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए ना कि पीली और चमकदार। इस प्रकार की व्यवस्था में कई प्रकार के उपाय किया जा सकते हैं, *जैसे– कक्षा में शिक्षक के ऊपर से अथवा किनारे से इस प्रकार से प्रकाश पड़ना चाहिए कि बधिर बच्चे लिप रीडिंग या ओष्ठ पठन कर सकें अथवा इन्टरप्रेटर के सकेंतों को ठीक प्रकार से देख व समझ सकें और जहाँ तक संभव हो कक्षा में प्रकाश केन्द्रित ना होकर छितरा हुआ होना चाहिए जिससे कि वह आँखों में ना चुभे।*

(3) कक्षा में भाषा की समस्या एवं भाषा की कठिनाई स्तर :

यह एक ध्यान रखने योग्य बात है कि बधिर बच्चों में उनकी प्राथमिक भाषा अंग्रेजी अथवा हिंदी नहीं होती। बल्कि यह कहना अधिक उचित प्रतीत होता है कि बधिर बच्चों में प्राथमिक भाषा नहीं होती। ये केवल अपने दैनिक जीवन के कार्यों के लिए सहज

संकेतों का प्रयोग कर लेते हैं। अतः सबसे पहले इन्हें उपयुक्त इन्टरप्रेटर की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। जिससे वे अपने पाठ को प्राथमिक भाषा में समझ सकें। मुख्यतः यह देखा गया है कि, *प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को वर्णमाला ज्ञान शिक्षकों द्वारा कराया जाता है जबकि बधिर बच्चों के लिए आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें सबसे पहले उपयुक्त ध्वनियों तथा उचित संकेतों का ज्ञान कराने के बाद वर्णमाला ज्ञान कराया जाये।*

(4) कक्षा में अनुभवात्मक कमियाँ :

विभिन्न शोधों से यह सिद्ध होता है कि बधिर बच्चे अपने सुनने वाले साथियों की अपेक्षा संख्याओं के मामले में, भाषा के मामले में तथा समस्या समाधान में पिछड़े हुए होते हैं, सुनने वाले बच्चे सामान्यतः अपने दैनिक जीवन में बातचीत के द्वारा, अपने चारों ओर उपस्थित भाषा वातावरण के द्वारा, वातावरण के शोर से, ज्ञान व सूचनाएं प्राप्त करते हैं। जबकि बधिर बच्चों के लिए यह सुविधा नहीं होती है। सुनने वाले तथा बधिर बच्चों के मध्य इस रिक्त स्थान को शिक्षकों द्वारा भरा जा सकता है। वह अपने अनुभवों के द्वारा, छोटी–छोटी क्रियाओं द्वारा, खेलों द्वारा, विभिन्न उदाहरणों द्वारा उनमें सूचनाएं तथा ज्ञान को विभिन्न रूपों में प्रदान कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें कोई अलग से मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी तथा बधिर एवं सुनने वाले दोनों ही प्रकार के बच्चों के लिए यह लाभदायक होगा। *छोटी–छोटी यात्राएं, क्षेत्र भ्रमण, कहानी, नाटक, भूमिका निर्वहन, समाचार आदि के माध्यम से बधिर बालकों में यह ज्ञान दिया जा सकता है।*

(5) कक्षा में ओष्ठ पठन तथा शेष श्रवण क्षमता का प्रयोग :

सामान्यतः शिक्षक यह मान कर चलते हैं कि बधिर बच्चे ओष्ठ पठन कर लेते हैं। यह बात कुछ सीमा तक सही भी हो सकती है, किन्तु यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि किसी भी भाषा के 30 से 40 प्रतिशत भाग को ही ओष्ठ पठन के द्वारा समझा जा सकता है। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि केवल बच्चे बेहतर ओष्ठ पठन करते हैं जो आम तौर पर ओष्ठ पठन पर ही आधारित होते हैं।

सामान्यतः शिक्षक कक्षा में बोलते समय अपने चेहरे को दायें–बायें घुमाते रहते हैं। इससे बधिर बच्चों को उनके चेहरे से ओष्ठ पठन करने में दिक्कत होती है और वे आधा–अधूरा ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। *शिक्षकों द्वारा बधिर बच्चों को संबोधित करते हुए यह प्रयास करना चाहिए कि अपने चेहरे को बच्चों के सामने रखें, कक्षा में लगातार बोलते ना रहें बल्कि जो बोला गया है उसे समझने के लिए बच्चों को कुछ समय प्रदान करें। कक्षा में पेपर बांटते हुए, श्यामपट पर लिखते हुए, कक्षा में निरीक्षण करते समय बोला ना जाये तब बधिर बच्चों को सूचनाओं को समझने का वक्त मिल जायेगा।*

(6) अनुपयुक्त जागरूकता एवं ज्ञान प्रदर्शन :

प्रत्येक बालक विशिष्ट है और प्रत्येक बालक की सोचने–समझने की शक्ति अलग होती है। इस विशिष्टता का सम्मान करना प्रत्येक शिक्षक का कर्त्तव्य है। इसी विशिष्टता के कारण उनको सिखाने के लिए विधियाँ एवं तौर तरीके भी अलग होने चाहिए। *शिक्षकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की आवश्यकतानुसार सीखने की विधियाँ तथा तरीकों का प्रयोग किया जाना उचित होगा। कक्षा में बधिर बच्चों का श्रवण स्तर अलग हो सकता है, अतः उनको दिए जाने वाले निर्देश अलग किस्म के होंगे। जो बच्चे केवल संकेत समझते हैं उन्हें केवल संकेतों के माध्यम से समझाना उचित होगा जबकि ऐसा उन बालकों के साथ नहीं किया जा सकता जो ओष्ठ पठन करते हैं। अनावश्यक रूप से शिक्षक को अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए भारी–भरकम शब्दों का प्रयोग ना करके बहुत ही*

सरल शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। यद्यपि क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग अलग से सिखाया जा सकता है।

(7) सामाजिक सरोकार :

सामान्यतः बधिर बच्चे अपनी समस्याओं के प्रति ध्यान आकर्षित करने में अनेक प्रकार की दिक्कतें महसूस करते हैं। वह अपने दूसरे सुनने वाले साथियों के समान समझा जाना अपेक्षित करते हैं। और इस भेद–भाव के चलते वह कक्षा की गतिविधियों में भाग नहीं लेते। अतः शिक्षकों को चाहिए कि बधिर बालकों को एक दूसरे से मिलने– जुलने तथा पारस्परिक सहयोग करने के लिए प्रेरित करें और इन्हें ऐसी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। कक्षा में पढ़ाते समय एक शिक्षक अनेकों प्रकार के शैक्षिक एवं परिवेशीय बदलाव कर सकता है। जिससे वह बधिर बालक को अच्छा एवं प्रभावी श्रवण वातावरण उपलब्ध करा सकें। इसके लिये –

(क)कालीन, पर्दे, लकड़ी के दरवाज़े, टेबल पर रबर के टॉप्स या मुलायम कवर आदि लगाये जा सकते हैं।
(ख)अधिक सावधानी के तौर पर बधिर बच्चों की कक्षाएं खेल के मैदान अथवा सड़कों से दूर विद्यालय के अंदरूनी हिस्सों में बनाई जा सकती हैं।
(ग) बच्चों के लिए लिखित पाठ्य सामग्री एवं दृश्य माध्यमों का प्रयोग किया जा सकता है।

शिक्षकों को बधिर बच्चों के साथ कक्षा में व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए –

(1) विद्यार्थियों की तरफ मुंह करके बोलें,
(2) बधिर बच्चे को अपने पास बिठाना चाहिए,
(3) शिक्षक को अपने चेहरे के सामने कार्ड या किताब नहीं पकड़ना चाहिए,
(4) केवल बात हीं नहीं करते रहना चाहिए बल्कि बीच बीच में लिखना भी चाहिए,
(5) प्रकाश की व्यवस्था उचित रूप से करनी चाहिए,
(6) शिक्षक को स्पष्ट एवं थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोलना चाहिए तथा उच्चारण स्पष्ट रूप से करना चाहिए,
(7) बालकों को अमूर्त ज्ञान तथा संप्रत्यय के स्थान पर मूर्त ज्ञान प्रदान करना चाहिए,
(8) उपयुक्त सहायक अधिगम सामिग्री का प्रयोग करना चाहिए,
(9) बधिर बच्चों को उचित पुनर्वलन देना चाहिए तथा साथियों के साथ अंतर क्रिया करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए,
(10) बच्चों को उनके नाम से बुलाना चाहिए ना कि संकेतों के द्वारा,
(11) खेलों के द्वारा उचित श्रवण वातावरण प्रदान करना चाहिए,
(12) कक्षा के बच्चों के लिए आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण विधियों तथा प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए,
(13) आवश्यकता पड़ने पर संसाधन शिक्षक तथा विशेषज्ञ शिक्षकों की भी मदद लेनी चाहिए,
(14) अभिभावकों को समय पर काउन्सलिंग दी जानी चाहिए जिससे वे अपने बधिर बच्चों के अधिगम में आने वाली समस्याओं को समझ सकें।

सबसे मुख्य आवश्यकता शिक्षकों को यह जानने की होनी चाहिए कि उनके पास कक्षा प्रबंधन हेतु कोई योजना है कि नहीं यदि है तो यह जानना शिक्षक के लिए अति आवश्यक है कि उसकी पूर्ति हेतु बच्चे की आवश्यकताओं हेतु कौन सी योजना बनाई जा सकती है क्योंकि शिक्षक की यही निर्णय क्षमता बच्चों की उपलब्धियों को प्रभावित करेगी।

बधिर बच्चों को यह जानना चाहिए कि शिक्षक उनसे क्या चाहता है। अतः उन्हें उनसे अपेक्षित व्यवहारों के बारे में बताना एक शिक्षक का कर्त्तव्य है इसके लिए शिक्षक को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए।

(1) शिक्षकों को उन से अपेक्षित व्यवहारों के बारे में शब्दों तथा क्रियाओं के माध्यम से बताया जाना चाहिए।

(2) समूह क्रिया के दौरान बधिर बच्चों को विभिन्न शब्द तथा शब्द क्रियाओं बोलने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए और इन क्रियाओं के अलग–अलग स्तर अपनी गतिविधियों के माध्यम से करवाए जाने चाहिए।

(3) बधिर बच्चों को उनसे अपेक्षित व्यवहारों का अभ्यास किये जाने हेतु अवसर प्रदान किये जाने चाहिए।

(4) अच्छा प्रयास करने, विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने वाले बधिर बालकों को प्रेरित करना चाहिए। जिससे उनमें अधिगम का स्तर बढ़ाया जा सके।

इस प्रकार बधिर बालकों को सिखाने की उचित व्यवस्था हेतु समावेशन के दौर में कक्षा प्रबंधन एवं व्यवस्थापन अधिगम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है। जिसके लिए सुगम, लचीले एवं आसानी से व्यवस्थित की जाने वाली गतिविधियाँ शिक्षक के द्वारा की जानी चाहिए। इससे बधिर बालकों को सहयोगी, सुगम, लचीला एवं प्रेरणादायी वातावरण मिल सके।

इकाई–19

श्रवण बाधित छात्रों हेतु आदर्श पाठ्य योजना
(Model Lesson Plan for Children With Hearing Impaired)

प्रस्तावना (Introduction) :

कक्षा कक्ष शिक्षण में शिक्षक और छात्र के मध्य परस्पर सम्प्रेषण से अधिगम होता है, छात्र केन्द्रित शिक्षा व्यवस्था के अस्तित्व में आने एवं शिक्षा के अधिकार आधारित उपागम के कारण छात्रों को यह अधिकार है कि वह अपनी योग्यता, दक्षता एवं क्षमता के अनुसार शिक्षक से मिलकर अपना सर्वांगीण विकास करें। शिक्षक का दायित्व है कि वह अपने छात्रों को उनकी क्षमता के अनुसार सिखाने का प्रयास करें एवं स्वयं को उसी अनुसार तैयार करें। शिक्षक अपनी कक्षा में बेहतर शिक्षण के लिए अनेक तरीके अपनाते हैं। सफल शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि कक्षा में जो विषयवस्तु पढ़ाई जानी है, उसके लिए एक योजना बनाई जाए, इस योजना को पाठ्य योजना कहा जाता है।

पाठ्य योजना को प्रभावी बनाने की प्रक्रिया को लचीला रखना होता है ताकि अध्यापक पढ़ाते समय अपने छात्रों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर शिक्षण–प्रक्रिया में बदलाव कर सकें। कई अध्यायों की योजना पर काम करने के लिए छात्रों के पूर्व–ज्ञान को जानना, पाठयक्रम में आगे बढ़ने के अर्थ को जानना और छात्रों को सीखने में मदद हेतु सर्वोत्तम संसाधनों और गतिविधियों की खोज करना शिक्षक के लिए महत्त्वपूर्ण होता है। पाठ्य योजना काल्पनिक शिक्षण की संरचना पर आधारित होती हैं जिसमें उद्देश्य (व्यापक, विशिष्ट, व्यवहार–सम्बन्धी, भावात्मक और मनोप्रेरक सम्बन्धी शामिल होते हैं), उपयोग की जाने वाली सामग्री, पृष्ठभूमि, कार्यविधि (जिसमें शिक्षण के बिन्दु, पद्धति, विकासात्मक प्रक्रिया शामिल होती है), सार, आकलन और ब्लैकबोर्ड पर दिए जाने वाले सार–वर्णन के उदाहरण शामिल होते हैं।

पाठ्य योजना के दार्शनिक आधार को देखे तो इसको न सिर्फ आने वाली सुबह की तैयारी में मददगार होना चाहिए बल्कि उन्हें सीखने और सिखाने के बारे में स्थाई सेवा–पूर्व शिक्षकों के विचारों को साफ करने एवं पूर्ण शिक्षक के रूप में तैयार करने का साधन भी होना चाहिए। यह सिद्धान्तों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की तरफ, तथा कक्षा के सन्दर्भ में सिद्धान्तों के अर्थ को तलाशने की ओर बढ़ाया जाने वाला पहला कदम है। अतः यह लिखने के माध्यम से सीखने का साधन होना चाहिए। शिक्षकों को वर्तमान शिक्षा की मांग एवं विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के बारे में भी स्पष्ट होने की जरूरत है। क्या हम स्वयं को मौजूदा शिक्षा व्यवस्था के उपयुक्त ढालना चाहते हैं? या उस पर सवाल नहीं खड़े करना चाहते हैं ? सेवारत एवं सेवा पूर्व शिक्षकों दोनों को चाहिए कि वे शिक्षण एवं अधिगम की व्यूह रचनायें, सतत मूल्यांकन प्रक्रिया का कौशल विकसित होना अनिवार्य है।

पाठ्य योजनाऐं शिक्षक द्वारा कक्षा के छात्रों हेतु स्वयं के पूर्व अनुभवों, कक्षा के छात्रों की आवश्यकताओं एवं विषय वस्तु उद्देश्यों की पूर्ति हेतु काल्पनिक नियोजन है। यह शिक्षक को लक्ष्यों को व्यवस्थित रूप में पूरा करने में सहायक होता है। जो शिक्षक पाठ्य योजनाओं का निर्माण कर शिक्षण करते है शिक्षण लक्ष्यों को शत–प्रतिशत पूरा करते है। इस प्रकार पाठ्य योजना निर्माण शिक्षक के लिये मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते है।

पाठय योजना निर्माण के मुख्य चरण Main Steps for Lesson Plannning):–

चरण (1) पाठ्य योजना निर्माण पूर्व तैयारी:

पाठ योजना निर्माण के पूर्व विविध स्रोतों से सामग्री जैसे कि – (1) छात्रों का पूर्व अनुभव (2) छात्रों की आवश्यकता (3) विषय वस्तु हेतु आवश्यक व्यूह रचनायें तथा वर्तमान एवं भविष्य की शिक्षा की मांग हेतु तैयार करते हैं।

(अ) सामान्य परिचय–

सामान्य परिचय के अंतर्गत छात्र एवं उसकी कक्षा तथा विषय से सम्बंधित सम्पूर्ण विवरण आता है, जैसे कि– छात्र का नाम, कक्षा, दिनांक, भाषा माध्यम, कालखंड एवं छात्रों की संख्या तथा विषय, उप–विषय, छात्रों की औसत एवं विद्ध्यालायी आयु, सम्प्रेषण का माध्यम इत्यादि।

पाठ्य योजना का संभावित प्रारूप

विद्यालय का नाम:.....कक्षा:.....छात्र संख्या:.....दिनांक:.....

भाषा माध्यम:..... कालखंड:.....विषय / उप–विषय.....

क्रमांक	विषय वस्तु	भाषा बिंदु	शिक्षण प्रतिक्रिया	छात्र प्रतिउत्तर / अनुमानित उत्तर	श्याम पट कार्य
			प्रस्तावना प्रस्तुतीकरण पुनरार्वत्ति मूल्यँकन गृहकार्य		

(ब) छात्रों का पूर्व ज्ञान / भाषा का आंकलन:

(1) पूर्व ज्ञान व भाषा का आंकलन की तैयारी
(2)पूर्व आकलन के क्षेत्र हेतु विषय वस्तु का निर्धारण
(3) छात्रों से सम्प्रेषणीय सामंजस्य स्थापित करना,
(4) पूर्व आंकलन हेतु परीक्षण तैयार करना,
(5) पूर्व आंकलन के परीक्षण हेतु शिक्षण सामग्री की तैयारी करना,
(6) पायलट क्रियान्वयन एवं आवश्यक सुधार,
(7) पूर्व ज्ञान एवं पूर्व भाषा के आंकलन सम्बन्धित परीक्षण की अंतिम एवं पूर्ण तैयारी।

(स) पाठय योजना के उद्देश्यों/लक्ष्यों का निर्धारण/निर्माण:

(1) पूर्व आंकलन में प्राप्त भाषाई दक्षता स्तर को ही लक्ष्य के निर्माण का मुख्य आधार बनाना।

(2) उद्देश्यों/लक्ष्य वर्तमान प्रदर्शन स्तर को प्रतिनिधित्व करते है।

(3) ज्ञान एवं भाषा के उद्देश्य/लक्ष्य अलग–अलग बनाना।

(4) विषय वस्तु का सम्पूर्ण क्षेत्र (शब्द, वाक्यांश, वाक्य, अवधारणायें) का उद्देश्यों/लक्ष्यों में समावेशन।

(5) व्याकरणीय संरचना के उद्देश्य/लक्ष्य प्रयुक्त विषयवस्तु/भाषा के उदाहरण के अनुरूप निर्धारण।

(6) उद्देश्य/लक्ष्य का मूर्त आकार देना।

(7) शिक्षक इन शब्दों/शब्दांशो का प्रयोग न करे यथा– पाठ में आये हुए, उचित, आवश्यक, जैसे, इत्यादि, सभी सम्बंधित, आदि।

(8) संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोगत्यात्मक (ब्लूम टेकनोलाजी) कारको का लक्ष्यों में समावेश।

(द) विषय वस्तु (Content) को अंतिम रूप देना:

1–वर्तमान प्रदर्शन स्तर के अनुरूप पढ़ाये जाने वाले पाठ की भाषायी कठिनाई का अनुकूलन करना।

2–विषय वस्तु को अधिक मूर्त बनाना।

3–विषय वस्तु का छोटे–छोटे वाक्यों में, बुलेटिन/फ्लो चार्ट, भाषा/ज्ञान को रेखांकित, उचित मात्रा में चित्र एवं उद्देश्यपूर्ण, सरल एवं अवधारणा के नजदीक के उदाहरण का संयोजन।

4–विषय वस्तु में क्रमागत धारा–प्रवाह, सरल, समझ योग्य एवं मूर्त एवं अमूर्त की ओर हो।

5–आवश्यक शब्द – कोष का अलग से निर्माण।

6–विषय वस्तु में बालकों की आयु एवं परिवेश के अनुकूल।

7–विषय वस्तु को काटकर कम करने का प्रयास ना करे।

8–पाठ की विषय वस्तु विशुद्ध हो जो बालक के वर्तमान स्तर से जीवन की तैयारी एवं गुणात्मक जीवन जीन की ओर अग्रसारित करने वाली है।

(य) शैक्षणिक निर्देशन उद्देश्य:

प्रत्येक शिक्षक पाठ शिक्षण पूर्व अपने शिक्षण से बालकों के अधिगम एवं ज्ञान हस्तांतरण के स्तर हेतु अनुमानित लक्ष्य का निर्धारण करता है, जैसे– 'हमारे पढ़ाये गए पाठ को छात्र शत प्रतिशत सीखेंगे'।

(र) शिक्षण सामग्री:

पाठय योजना के लिये आवश्यक शिक्षण सामग्री जिसमें दृश्य, श्रव्य एवं दृश्य – श्रव्य होती है, जैसे चार्ट, फ़्लैश कार्ड, लिखित पर्ची, माडल, अनुकूलित किताब/पाठ, शब्द–कोष, अभ्यास पुस्तिका आदि।

चरण–2:पाठय योजना का नियोजन एवं क्रियान्वयन –

(अ) प्रस्तावना(Introduction):

बालक के पूर्व के ज्ञान को आधार बनाकर शिक्षण चर्चा शुरू की जाती है क्योंकि ज्ञात विषयवस्तु से शिक्षण शुरू करने से बालक का ध्यान कक्षा की शिक्षण गतिविधियों पर केन्द्रित करते है। बधिर बालकों के शिक्षण में पूर्व ज्ञान का प्रयोग कर पाठ की शुरूआत करने से उनकी ज्ञात भाषा दक्षता का वर्तमान पाठ में प्रयोग कर भाषा में निपुणता की

मजबूती प्रदान करते है। पूर्व ज्ञान जितना अधिक सुदृढ़ होता है प्रस्तावना उतनी ही प्रभावी होती है एवं वर्तमान पाठ भी बच्चे बेहतर ढंग से सीखते हैं। सीधे प्रश्न पूछकर शुरूआत करना या सीधे साधारण वाक्य द्वारा शुरूआत की जा सकती है और तत्पश्चात उस वाक्य पर आधारित प्रश्न पूछते है। श्रवण बाधित बालकों को शिक्षण में पाठ की प्रस्तावना प्रश्न करने पर उत्तर देने में असहज महसूस करते है। अतः प्रस्तावना में पूर्वज्ञान की चर्चा में सम्बन्धित तथ्यों पर साधारण वाक्य का निर्माण करना एवं उसी पर प्रश्न पूछकर पाठ की शुरूआत करना है। शिक्षक इस प्रश्न का उत्तर देते हुए नए पाठ का प्रकरण प्रस्तावित करते हुए कहता है कि– आज हम आप सभी को "————————" पाठ पढ़ाऐंगे।

(ब) प्रस्तुतिकरण(Presentation):

शिक्षक नया पाठ पढ़ाने हेतु विभिन्न व्यूह रचनाओं के साथ शिक्षण का काल्पनिक खाका/संरचना तैयार करता है। सामान्यतयः नये पाठ का प्रारम्भ आदर्श वाचन से होता है। किन्तु बधिर बालकों को शिक्षण हेतु आदर्श वाचन व स्थान पर पाठ के आधार के तैयार शिक्षण सामग्री शुरूआत से करते है क्योंकि श्रवण ह्रास होने के कारण सम्प्रेषण अन्तराल शिक्षक एवं बालक के मध्य होता है। इसलिए मौखिक एवं लिखित भाषा के स्थान पर चित्रात्मक भाषा द्वारा पाठ का आदर्श वाचन आरम्भ करते है। बधिर बालकों की सबसे बड़ी समस्या मौखिक भाषा का अविकसित होना। ऐसे बालकों में मौखिक भाषा शब्दकोष कम होता है। भाषाई कठिनता के अनुसार भाषा के विभिन्न स्तर ध्वनि, शब्द, वाक्यांश एवं वाक्य का क्रम होता है।

प्रत्येक श्रवण बाधित बालक का भाषा स्तर अलग–अलग होता है। पाठ्य नियोजन के समय निर्धारित पाठ्य वस्तु का भाषा स्तर बालकों के भाषा स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। शिक्षक को यह भी ध्यान रखना होगा कि शिक्षण के दौरान उसी स्तर की भाषा का प्रयोग बालकों से बातचीत/सम्प्रेषण में करना चाहिए जिस स्तर की श्रवण बाधित बालकों की भाषा हो। चित्रों का अधिक से अधिक प्रयोग करने से पाठय वस्तु की विभिन्न अवधारणाओं को स्पष्ट करने, दृश्य अवधारणा को मौखिक भाषा से जोड़ने एवं भाषा दक्षता बढ़ाने में मदद मिलती है।

आदर्श वाचन मौखिक अथवा चित्रों की सहायता से किया जाय। प्रत्येक वाक्य एवं अवधारणा को पृथक्–पृथक् तथा तोड़–तोड़कर पठन करें। शिक्षक प्रयास करे कि प्रत्येक कठिन शब्द को अर्थ, समानार्थी, विलोम, उदाहरण द्वारा या चित्र के माध्यम से बताया जाय एवं शब्दों को जोड़–जोड़ कर पूर्ण वाक्य बनायेगे। शिक्षण के समय शिक्षक बालकों को सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर उत्पन्न करेगा। सीखने के विभिन्न सिद्धांतों का समावेशन पाठय योजना में करेगा।उदाहरण के लिए– *शिक्षक बालकों को फलों के नाम पपीता तथा सेब पढ़ा रहा है। सर्वप्रथम पपीता का चित्र दिखायेगा, चित्र पर उंगली रखकर बालकों की भाषा स्तर (ध्वनि, शब्द, वाक्यांश, वाक्य) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न करेगा – चित्र में क्या है ? शिक्षक प्रश्नवाचक शब्द 'क्या' को दोहराते हुये जोर देगा। यदि छात्र उत्तर नहीं देते तो शिक्षक प्रश्न को श्यामपट्ट पर लिखेगा– 'चित्र में क्या है?' और क्या शब्द को रेखांकित करेगा और उच्चारण की पुरावृत्ति करेगा। यदि छात्र उत्तर नहीं देते तो शिक्षक छात्रों को प्रश्न के उत्तर के लिए विकल्प देगा जिसमें एक विकल्प सही उत्तर और दूसरा विकल्प जो सही उत्तर का एकदम उल्टा हो एवं पूर्व में ही छात्रों को ज्ञात हो, शिक्षक सही विकल्प चुनने के लिए कहेगा। यदि छात्र उत्तर नहीं देते तो शिक्षक छात्रों को उत्तर को विकल्प के चित्र का मिलान कराएगा और पुनः सही उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेगा। यदि छात्र उत्तर नहीं देते तो शिक्षक क्लू देगा– फल के सही नाम की शुरूआत 'प' से होती है। आशा छात्र*

अवश्य प्रश्न का उत्तर स्वयं देंगे। इस प्रकार शिक्षक स्वयं उत्तर बोलकर न बताकर बालक को स्वयं से उत्तर खोजने, मिलान करने के लिए प्रेरित करेगा। इससे बालक स्वयं करके सीखने, गलती करके सीखने एवं सुधारात्मक सीखने के सिद्धांत के आधार पर सीखता है।

दूसरा उदाहरण छोटी कहानी का लें जिसके शुरूआत का वाक्य है – **'लड़का कार के पीछे दौड़ रहा था'।** *का शिक्षण इस प्रकार करेंगे – शिक्षक एक चित्र बनायेगा जिससे कार के पीछे लड़का दौड़ रहा हो। शिक्षक को चाहिए कि सर्व प्रथम वह बालकों की भाषा स्तर (ध्वनि, शब्द वाक्यांश, वाक्य) को ध्यान में रखे और फिर चित्र में कार पर उंगली रख कर प्रश्न पूछेगा – चित्र में क्या है ? उत्तर प्राप्त करने के लिए अलग व्यूह रचनायें अपनायेगा – प्रश्नावाचक शब्द 'क्या' पर दोहराते हुए जोर देगा। यदि मौखिक भाषा में प्रश्न छात्रों को समझ में नही आये तो प्रश्न को श्यामपट्ट पर लिखेगें। यदि फिर भी उत्तर न मिले तो दो विकल्प श्यामपट्ट पर लिखेगा – एक सही और दूसरा बिल्कुल उल्टा जिसे बालक पूर्व से जानता हो, जैसे कार तथा हाथी। यदि फिर भी छात्र उत्तर न दे तो शिक्षक वही सही विकल्प के शब्द के आरम्भिक अक्षर का क्लू देगा जैसे चित्र का नाम 'क' से शुरू होता है। यदि फिर भी उत्तर नहीं प्राप्त होता है तो दोनों विकल्प जो श्यामपट्ट पर लिखे है, का प्रत्येक से चित्र का मिलान करायेगा। प्राप्त शब्दों का क्रम – 'लड़का कार –– दौड़ना' की तरह होगा। शिक्षक क्रिया शब्द 'दौड़ रहा' का अनुभव छात्रों को कराएगा और फिर वाक्य 'लड़का कार के – दौड़ रहा है' छात्र को श्यामपट्ट पर लिखने को कहेगा। छात्र सम्बन्ध कारक शब्द 'पीछे' का विलोम शब्द पीछे आगे का अनुभव माडल द्वारा कराएगा और छात्रों को वाक्य पूरा कर लिखने को कहेगा – 'लड़का कार के पीछे दौड़ रहा है'। तत्पश्चात छात्रों के साथ वाक्य को दोहराएगा एवं संभावित बोध–प्रश्न पूछ कर अधिगम को सुदृढ़ करेगा एवं वाणी सुधार करेगा। यदि प्रथम स्तर पर छात्र सही उत्तर दे देते है तो आगे की नियोजित व्यूह रचनाओं को न अपनाकर अगले शब्द/वाक्यांश/वाक्य की ओर शिक्षक बढ़ जायेगा। इस प्रकार विषय वस्तु का अन्य भाग का शिक्षण शिक्षक द्वारा कराया जाएगा। प्राथमिक स्तर पर जहाँ बधिर बालकों में भाषा एवं वाणी श्रवण दोष के कारण विकास नहीं होता है अथवा अविकसित होती है। उपरोक्त प्रकार की शिक्षण व्यूह रचनायें पाठ्य योजना शिक्षण के दौरान अधिक प्रभावी सिद्ध होती है।*

चरण–3: पाठ्य योजना नियोजन एवं क्रियान्वयन पश्चात क्रियायें:

(अ) पुनरावृत्ति: पुनरावृत्ति में शिक्षक द्वारा पढ़ाये गए पाठ को दोहराकर उसका स्मरण/कंठस्थ करते है साथ ही शिक्षण के दौरान छूटे हुए विषय बिन्दुओं का भी पुनरवालोकन कर लेते है। सीखे हुए पाठ को संगठित कर एक सम्पूर्ण रूप में क्रम से सीखते है।

(ब) मूल्यांकन: शिक्षण की सफलता एवं असफलता का आंकलन अंत में मूल्यांकन द्वारा होता है। प्रत्येक शिक्षक शिक्षण पूर्व अपना निर्देशात्मक लक्ष्य अपनी तैयारी, शिक्षण कौशल/दक्षता एवं आत्मविश्वास के आधार पर बनाता है। शिक्षण पूर्व निर्धारित विशिष्ट लक्ष्यों की पूर्ति हुई है या नहीं का सही आंकलन के उपरांत मूल्यांकन से चलता है।

(स) गृहकार्य: छात्र पढ़ाये गये पाठ को घर पर अध्ययन कर कंठस्थ कर सके, कक्षा कार्यों के बारे में अभिभावक अवगत हो सके तथा बालक और अभ्यास कर सके इसके लिये गृह कार्य आवश्यक होता है। इससे बालकों के साथ–साथ अभिभावक भी बालकों के अध्ययन से जुड़े रहते है।

इकाई–20

श्रवण दिव्यांग हेतु पाठ्य सहगामी क्रियाएं
(Co-curricular Activities for Children With Hearing Impaired)

प्रस्तावना (Introduction):

श्रवण दिव्यांगता को कई समयों से सम्प्रेषण जनित विकार, दुर्बल स्थिति, सामाजिक अकेलापन, बेसहारा एवम् अयोग्यता आदि जैसे पर्यायवाची शब्दों से व्यक्त किया गया है। Antia (2011), Nunis & Pretzlik (2001) के शोध में यह बताया गया है कि सम्प्रेषण जनित समस्या से श्रवण बाधित बच्चों में पर्याप्त सामाजिक कौशल के विकास की कमी तथा सामाजिक सम्बन्ध बनाने में समस्याएं होती है ऐसे बच्चों के मानसिक स्वास्थ की सही देखभाल न किये जाने पर कई प्रकार की संवेगात्मक समस्याएं उत्पन्न होती है। श्रवण दिव्यांग बच्चों की शिक्षा मुख्यतः विशेष विद्यालय अथवा समावेशित विद्यालय के माध्यम से होती है। विद्यालय का वातावरण बच्चों के जीवन में अधिक प्रभाव डालता है। पाठ्यचर्या के विभिन्न घटक के द्वारा विद्यार्थियों में चौमुखी विकास करने का प्रयास किया जाता है। श्रवण दिव्यांग बच्चों के लिए पाठ्यचर्या के साथ–साथ निम्नलिखित पाठ्य सहपाठी क्रियाएं संचालित की किये जाती है–

(1) श्रवण प्रशिक्षण (Auditory Training)
(2) वाणी शिक्षण (SpeechTeaching)
(3) कला एवं चित्र कला (Art and Fine Art)
(4) खेलकूद (Sports and Games)
(5) ड्रामा (Drama)
(6) सामाजिक कौशल के विकास (Developing Social Skills)
(7) अवधान एव एकायता (Attention and Concentration)
(8) भ्रमण (Visit)
(9) मनोरंजक क्रियाएं (Recreational Activities)
(10) मनौवैज्ञानिक क्रियाएं (Psychological Activities)
(11) सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण (ICT Training)
(12) त्योहारों को मनाना (Celebration of Festivals)
(13) सांकेतिक कौशल भाषा का विकास (Sign Language Skill Development Training)

(1) श्रवण प्रशिक्षण :

जिन बच्चों में श्रवण यंत्र का रोपण (Hearing Aid Fitting) हो गया है उन्हें यंत्र के द्वारा तुरन्त सुनायी नहीं देता है इस हेतु सुनने का प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है। पाठ्य योजना के साथ– साथ नये–नये शब्द की जागरूकता, विभेदीकरण, पहचान तथा अभिव्यक्ति जैसी क्रियाकलाप किया जा सकता है जिससे बच्चों में भाषा को सुनकर समझने का कौशल विकसित हो सके। यह गतिविधि न केवल कक्षा में बल्कि कक्षा के बाहर होने वाली क्रिया कलाप तथा संसाधन कक्षा में किया जा सकता है।

(2) वाणी शिक्षण :

श्रवण दिव्यांग बच्चों में उच्चारण सम्बन्धी त्रुटियां पायी जाती है जिसे वाणी प्रशिक्षण के द्वारा निदान किया जाता है इस हेतु फ्लैश कार्ड, खिलौना, शीशा एवम् अन्य सामग्री

जिससे वाणी उच्चारण में सुधार लाया जा सकता है, का इस्तेमाल किया जाता है। श्रवण दिव्यांग बच्चे उच्चारण में जो त्रुटि करते है उनमें प्रमुख वर्ण का सही उच्चारण न करना, वर्ण को शब्द में अलग–अलग स्थान पर प्रयोग किये जाने पर उच्चारण सही से न कर पाना, कुछ वर्ण के स्थान पर दूसरे वर्ण का उच्चारण करना, कविताओं को लय में न कह पाना आदि शामिल है। अध्यापक इस प्रकार की समस्या के समाधान हेतु संसाधन कक्ष में तथा विद्यालय के अन्य क्रियाकलापों में उस दिव्यांग बच्चे का सही उच्चारण करवाने हेतु प्रतिमान के रूप में जो सहपाठी उन वर्णों का सही उच्चारण करते है उनके साथ वार्तालाप करवाकर त्रुटि का निदान करने का प्रयास किया जाता है।

(3) कला एवं चित्रकला :

सामान्यतया लोगों में गलत धारणा है कि श्रवण दिव्यांग में चित्रकला का कौशल अच्छा होता है परन्तु उनमें यह कौशल के विकास की आवश्यकता है। कक्षा शिक्षण में इस विषय को शामिल कर विभिन्न प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों में यह कौशल का विकास किया जा सकता है। विभिन्न त्यौहारों में श्रवण दिव्यांग बच्चों को अपने समझ के अनुसार चित्र बनाने में प्रोत्साहित किया जाए जिससे उनके मौखिक अभिव्यक्ति के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाए। सामाजिक अध्ययन जैसे विषय में आने वाली कठिनाइयों को इस प्रकार की क्रियाकलाप से बेहतर ढंग से समझा सकते है। समावेशित कक्षा में इस प्रकार की प्रतियोगिता किये जाने पर संवेगात्मक समस्या का भी समाधान किया जा सकता है जैसे अकेलापन, सामाजिक दुर्भावना आदि।

(4) खेलकूद Sports & Games) :

खेलकूद न केवल शरीर को स्वस्थ बनाने में सहायक होते है बल्कि इससे मानसिक विकास पढ़ाई के साथ– साथ होता है। इस प्रकार की गतिविधियों से विद्यार्थियों में विद्यालय के प्रति लगाव तथा सामान्य विद्यार्थियों के साथ मेल मिलाप एवं मनोरंजन विकास होते है। विद्यार्थियों के मनोसामाजिक विकास के लिए इस प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाएं सहायक होती है।भौतिक क्रियाएं प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए उपयोगी साबित होती है इससे सामाजिक अन्तःक्रिया बढ़ती है।

(5) ड्रामा (Drama) :

श्रवण दिव्यांग टी.वी., रेडियो तथा सिनेमा घर में कम आनन्द ले पाते है क्योंकि इस प्रकार के मनोरंजन के साधन के लिए सुनने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु श्रवण दिव्यांग बच्चों को छोटे लघु नाटक, मुखअभिनय, माइम आदि में शामिल करते हुए उनको मनोरंजक बनाया जा सकता है तथा बालक का सामाजिक कौशल का विकास तथा मनोसामाजिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

(6) सामाजिक कौशल के विकास :

श्रवण दिव्यांग बच्चों में सामाजिक कौशल का विकास करने हेतु आप कई क्रिया कलाप कर सकते है जिसमें सहपाठी समूह बनाना, वाद् विवाद प्रतियोगिता, निबन्ध प्रतियोगिता, मानचित्र में स्थिति खोजना, सामूहिक प्रोजेक्ट आदि कर सकते है इससे श्रवण दिव्यांग बच्चे व अन्य बच्चे मिलजुलकर कार्य करेंगे।

(7) अवधान एवम् एकाग्रता :

श्रवण दिव्यांगों में अवधान एवं एकाग्रता की कमी पायी जाती है जिसका मुख्य कारण सुनने में समस्या है। ऐसे बच्चों में अवधान एवम् एकाग्रता को बढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा ज्यादातर दृश्य सामग्री जैसे चार्ट, मॉडल, फ्लैश कार्ड आदि का इस्तेमाल किया जाए। ऐसे बच्चों को कक्षा में करायी जाने वाली क्रियाकलापों में शामिल करे तथा सामने की पंक्ति में बैठाया जाए तथा वार्तालाप को लिखित रूप में करें। मौखिक वार्तालाप के दौरान शिक्षक व छात्र का मुख आमने सामने हो। रंगीन चित्रों, क्रास वर्ड, पहेली, दो चित्रों में अन्तर आदि गतिविधि में उन्हें शामिल करें।

(8) भ्रमण(Exposure Visit) :

श्रवण दिव्यांग छात्रों को सामाजिक विषय में डाकघर, बस अड्डा, यातायात के साधन, संग्रालय(Musium) आदि का सम्प्रत्य देने हेतु समय–समय पर इन स्थानों का भ्रमण कराना चाहिए जिससे वास्तविक रूप से इन स्थानों को देखकर इन सम्प्रत्य को समझ सके जिससे आत्मनिर्भरता का ज्ञान विकसित हो सके।

(9) मनोरंजक क्रियाएं :

श्रवण दिव्यांग छात्रों को कामिक्स पढ़ना, स्टॅम्प एकत्र करना, फाटोग्राफी, व्यायाम करना, अखबार पढ़ना, किताब वाचन, पार्क की सैर कराना, शब्द ढूंढना, वीडियो गेम आदि मनोरंजक क्रियाओं में शामिल करके खाली समय का उपयोग करा सकते है। जिससे उनमें भाषा सम्बन्धी समस्या का निदान होने के साथ–साथ खाली समय का उपयोग करने का ज्ञान वर्धन होगा।

(10)मनौवैज्ञानिक क्रियाएं :

सम्प्रेषण सम्बन्धी विकार के फलस्वरूप श्रवण दिव्यांगों में चिड़चिड़ापन, अकेलापन, अवसाद, तनाव जैसी मनोवैज्ञानिक समस्याएं उत्पन्न होती है जिसका मुख्य कारण वातावरणीय है। वातावरण में सुधार करने के साथ–साथ आवश्यकता पड़ने पर मनोवैज्ञानिक के द्वारा सही आकलन करना तथा समस्याओं के निदान हेतु सुझाये गये क्रिया कलापों को व्यक्तिगत तथा सामूहिक स्तर पर किया जाए जिससे श्रवण दिव्यांगों के मनोसामाजिक समस्या पर नियन्त्रण तथा अध्ययन पर पढ़ने वाले प्रभाव को कम किया जा सकता है।

(11)सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण :

वर्तमान समय सूचना प्रौद्योगिकी का समय है। उच्च शिक्षा में सफल होने के लिए इसकी अहमियत ज्यादा है। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्यी क्रिया के साथ–साथ सूचना प्रौद्योगकी का प्रशिक्षण जैसे कम्प्यूटर प्रशिक्षण, एण्ड्रायड फोन का उपयोग, विभिन्न रूप की जानकारी, विभिन्न साफ्टवेयर की जानकारी बच्चों को कराया जा सकता है। इसके द्वारा वह स्वयं चीजों का समझने तथा करके सीखने का कौशल विकसित होगा तथा इसे वह

अपने पढ़ने वाले पाठ में शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में कर सकते है। आजकल मल्टीमीडिया सामग्री का उपयोग कम्प्यूटर के माध्यम से उपयोग करके पाठ योजना का प्रस्तुतीकरण आसानी से किया जा सकता है।

(12)त्यौहार/उत्सव को मनाना :

विभिन्न राष्ट्रीय और सामाजिक त्यौहार की समझ सामान्य बच्चों और श्रवण दिव्यांग बच्चों में अलग–अलग होती है। सुनने वाले बच्चे विभिन्न त्यौहारों की सुनकर समझ लेते है परन्तु श्रवण दिव्यांग इससे वंचित रहते है। इसलिए राष्ट्रीय और सामाजिक त्यौहार/उत्सव मनाकर विभिन्न सम्प्रत्य को श्रवण दिव्यांगों को समझाने की जरूरत है जैसे कि जन्म दिन मनाने में केक काटना एवं उत्सव मनाने के उद्देश्य से विभिन्न क्रियाकलाप किये जा सकते हैं।

(13)सांकेतिक भाषा का प्रशिक्षण :

सभी श्रवण दिव्यांग बच्चों में बची हुई श्रवण क्षमता कम या अधिक होती है तथा कुछ बच्चों में इसका अभाव तथा कुछ बच्चे जो श्रवण यंत्र से लाभन्वित नहीं हो सकते है उनमें प्राथमिक स्तर पर सांकेतिक भाषा का प्रशिक्षण देने की जरूरत है। अध्यापिकों से यह आपेक्षित है ऐसे बच्चों को मानवीकृत सांकेतिक भाषा का प्रशिक्षण देना चाहिए। भारतीय सांकेतिक भाषा के वीडियो एवम् प्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा बच्चे को प्रशिक्षित किया जा सकता है जिससे अधिगम के व्यवधान को कम किया जा सकता है।

==========

इकाई–21

श्रवण दिव्यांगों हेतु पाठ्य सहगामी क्रियाएं
(Co-curricular Activities for Children With Hearing Impaired)

प्रस्तावना (Introduction):

श्रवण बाधित व्यक्तिगत सम्प्रेषण हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते है। सांकेतिक भाषा के अंतर्गत सम्प्रेषण हेतु हाथ के आकार, गति ओरिएन्टेशन, शारीरिक व मुख की भाव भंगिमा का प्रयोग करते है। यह स्पष्ट नहीं है कि विश्व में कितनी सांकेतिक भाषा हैं। सांकेतिक भाषा हेतु कुछ गलत धारणा है जैसे कि सांकेतिक भाषा प्राकृतिक भाषा नहीं है, व्याकरण नहीं है, मूक अभिनय पर आधारित है। सांकेतिक भाषा में जटिल व्याकरण के सहायता से मूर्त, अमूर्त विषय पर बात कर सकते है। सांकेतिक भाषा का विकास बधिर व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया गया है माना जाता है।

सांकेतिक भाषा अन्य भाषा की तरह समान है जो निरंतर विकसित हो रही है। अधिकतर देश के बधिर संप्रेषण हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं जो उनके द्वारा विकसित की गयी होती है। जैसे कि ब्रिटिश सांकेतिक भाषा, अमेरिकन भाषा, भारतीय सांकेतिक भाषा, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा इत्यादि। अनेक अंतर्राष्ट्रीय समारोह के समय सम्प्रेषण हेतु अंतराष्ट्रीय भाषा का प्रयोग किया जाता है।

सांकेतिक भाषा से सम्बंधित भ्रम (Myth Related to Sign Language):

- *सांकेतिक भाषा सीखने से बच्चों की बोलने की क्षमता में रूकावट आती है,* जो कि गलत है। अनेक अनुसंधान से ज्ञात हुआ है कि संकेत बोली व भाषा सीखने में सहायता करता है।
- *सांकेतिक भाषा बच्चों को भ्रमित कर सकती है,* जो कि गलत है, सांकेतिक भाषा अमौखिक तथा मौखिक भाषा के बीच अंतर को भरने का काम करती है। अनुसंधान से ज्ञात हुआ है कि बच्चों का दिमाग शुरूआत से ही कुछ भी सीखने के लिये तैयार होता है।
- *सांकेतिक भाषा केवल बधिर के लिये है* यह गलत है, सांकेतिक भाषा को बधिर के साथ कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। सामान्य विकास के लिये भाषा आवश्यक तत्व है, भाषा सीखने का विकास जन्म के बाद से चार से पाँच वर्ष तक होता है, यह अवधि क्रिटिकल ऐज(Critical Age) कहलाता है।

निम्नलिखित बिन्दुओं के द्वारा सांकेतिक भाषा पद्धति के आंतरिक संबंध को समझा जा सकता है –

सांकेतिक भाषा (Sign Language):

1–बधिर समूह:

सांस्कृतिक रूप से बधिर सामाजिक सम्प्रेषण हेतु जटिल सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते है जो कि जटिल व्याकरण, शब्दकोष, संरचना, नियम पर आधारित होता है तथा प्राकृतिक रूप से विकसित होता है।

2–मौखिक भाषा (Spoken Language):

जटिल व्याकरण, शब्दकोश, संरचना, नियम की दृष्टिकोण से मौखिक तथा सांकेतिक भाषा दोनों ही विचार को व्यक्त कर सकते है। दोनों प्राकृतिक रूप से विकसित भाषा है। जटिल व्याकरण, शब्दकोश, संरचना, नियम की दृष्टिकोण से स्पोकेन तथा

सांकेतिक भाषा दोनों ही विचार को व्यक्त कर सकते है। दोनों प्राकृतिक रूप से विकसित भाषा है।

3–भाव (Gesture):

सम्प्रेषण हेतु सामान्य व्यक्तियों द्वारा कुछ हाव भाव का प्रयोग किया जाता है जिसे सांकेतिक भाषा से जोड़ कर देखा जाता है जो कि गलत है। हाव–भाव सांकेतिक भाषा का छोटा अंश मात्र है।

शैक्षिक कारणों हेतु प्रयोग की जाने वाली सांकेती भाषा:

समान्यतः विद्यालयों में प्रयोग की जाने वाली यह भाषा प्राकृतिक रूप से विकसित भाषा नहीं है। व्याकरण के नियम का अनुसरण नहीं करती है। एक श्रवण व्यक्ति या बधिर अपनी सुविधा हेतु दूसरे बधिर व्यक्ति से सम्प्रेषण हेतु विकसित कर लेता है।

पिजन भाषा के अंतर्गत बधिर व्यक्ति को कुछ मौखिक(Spoken) भाषा का ज्ञान होता है तथा श्रवण व्यक्ति को कुछ सांकेतिक भाषा का ज्ञान होता है, इसी कारण यह न तो सांकेतिक भाषा होती है न ही स्पोकेन भाषा होती है,यह पिजन सांकेतिक भाषा कहलाती है।

सांकेतिक भाषा निम्नलिखित पाँच बिन्दुओं पर आधारित है:

1–हाथ का आकार (Handshape)–सांकेतिक भाषा में संकेत हेतु हाथ व उसके आकार का प्रयोग करते है।

2–ओरिएंटेशन (Orientation)–ओरिएंटेशन के अंतर्गत हाथ व अंगुली की दिशा आती है।

3–स्थान (Location)–सांकेतिक भाषा में संकेत करते समय हाथ का साइन स्पेस अर्थात स्थान आता है।

4–गति (Movement)– सांकेतिक भाषा में संकेत करते समय हाथ में गति आती है यदि गति स्पष्ट नहीं है तो अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। उदाहरण –

अ–कार तथा कार चलाना दोनों शब्द के संकेत समान हैं परन्तु हाथ की गति भिन्न है।

ब–विद्यालय तथा धन्यवाद शब्द के संकेत समान हैं परन्तु हाथ की गति भिन्न है।

5–मैन्युअल लक्षण (Manual Features) मैन्युअल लक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदु आते हैं – मुख का आकार व भाव भंगीमा, आँख, शरीर व सिर की गति।

सांकेतिक भाषा के विकास हेतु निम्नलिखित संस्थायें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं–

1–विश्व बधिर संघ(WFD), 1951 2–राष्ट्रीय बधिर संघ (NAD), 2005

3–युवा बधिर संघ (YAD), 2010 4–भारतीय बधिर समाज मुंबई,1957

5–नोएडा बधिर समाज 6–डेफ इनेबल संस्था, 2009

7–मुंबई महिला बधिर संस्था,1983 8–अखिल भारतीय बधिर क्रीडा परिषद, 1965

उपरोक्त संस्थाओं द्वारा समय – समय पर सांकेतिक भाषा के विकास हेतु अनेक सभाओं, नाटक, व्याख्यान, समारोह, मार्च पास्ट का आयोजन किया जाता है।

आपसी व सामाजिकक सम्प्रेषण हेतु बधिर व्यक्ति निम्नलिखित माध्यम का प्रयोग करते हैं:

1–व्हाट्सप (WhatsApp)

व्हाट्सप के द्वारा बधिर आपस से सम्प्रेषण हेतु मैसेज या वीडियो काल करते हैं।

2–फेसबुक (Facebook)

अन्य व्यक्तियों की तरह बधिर भी फेसबुक का प्रयोग अपने विचारों को प्रकट करने के लिये करते हैं।

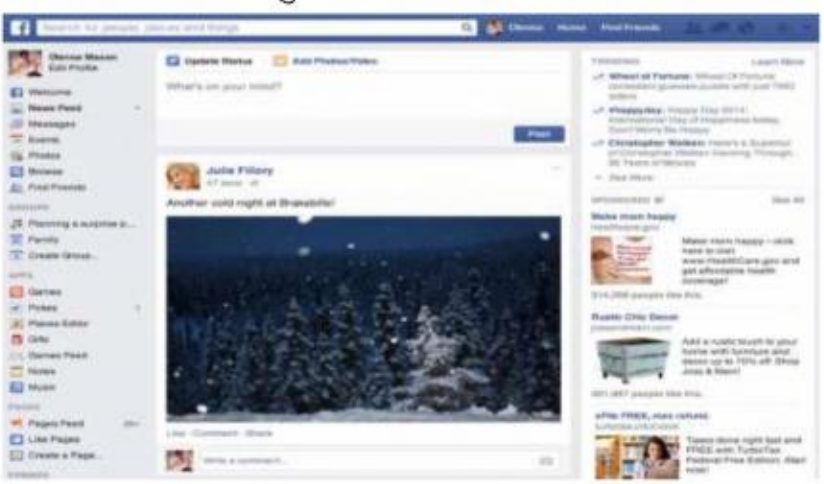

3–यू.टयूब (You Yube)

यु– टयूब में छोटी – छोटी वीडियो बना कर पोस्ट करते हैं, वीडियो त्योहार, नए – नए विचारों, नए संकेत, समाचार आदि से सम्बंधित होता है।

4–विडियो काल(Video Call)
आपस में बात करने हेतु वीडियो काल का प्रयोग करते हैं।

5–कैप्शन: फिल्म व समाचार में यदि कैप्शन का प्रयोग करते हैं तो बधिर व्यक्तियों को अधिक अच्छी तरह क्लियर होता है।

6–एस.ऍम.एस.
विचारों के आदान प्रदान हेतु इस पद्धति का प्रयोग करते हैं।

7–लिखित सामग्री(Written Materials):
यदि बधिर द्वारा पूछा गया सवाल कभी–कभी लिख कर प्रकट करते हैं। बधिर व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से सम्प्रेषण हेतु हाव–भाव, लिखित सामग्री, संकेत, चित्र इत्यादि का प्रयोग करते हैं।

सांकेतिक भाषा के विकास से महत्वपूर्ण लाभ:
1–बधिर व्यक्तियों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है।
2–समानता का अधिकार प्राप्त होगा।
3–भारत के विकास में सहायक होगा।
4–आर्थिक विकास में सहायक होगा।
5–शिक्षा प्राप्ति में सहायक होगा।
6–सामाजिक जागरूकता का विकास होगा।

भारत में प्रयोग की जाने वाली सांकेतिक भाषा को भारतीय सांकेतिक भाषा (ISL) के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक देश की सांकेतिक भाषा भिन्न–भिन्न होती हैं, प्रत्येक देश में शब्दों को प्रकट करने का संकेत भिन्न–भिन्न होता है। उदाहरण स्वरूप ऑस्ट्रिया के विएना शहर में शाम शब्द का संकेत भिन्न, वोरार्ल्बर्ग में शाम शब्द का संकेत भिन्न है –

विएना शहर में शाम शब्द का संकेत

वोरालबर्ग में शाम शब्द का संकेत

भारत में यह भी भिन्नता देखने में आती है जिस तरह बोली अपना स्वरूप कुछ दूरी पर बदल लेती है उसी तरह संकेत भी बदलते रहते है, अर्थात संकेत में भिन्नता भारत में भी विद्यमान है। (ज़ेशन एवं अन्य 2003) भारतीय महाद्वीप में प्रयोग होने वाले सांकेतिक भाषा भिन्न–भिन्न है परन्तु व्याकरण एक समान है।

1900 के मध्य भारत के कुछ बधिर विद्यालय में अमेरिकन सांकेतिक भाषा (ASL) का प्रयोग आरंभ हो गया था। 1975 में मदन वशिष्ट ने 117 विद्यालय में प्रश्नावली के द्वारा ज्ञात किया कि यहाँ पर केवल हाव–भाव का प्रयोग किया जाता है न कि भारतीय सांकेतिक भाषा का। भारत में सांकेतिक भाषा का विकास बधिर विद्यालयों में हुआ है। टेलर एंड टेलर के अनुसार (1970) में प्रथम बधिर विद्यालय रोमन कैथोलिक मिशन की सहायता से मुंबई में 1883 (बॉम्बे इंस्टिटयूट फॉर द डेफ–म्यूट) में किया गया। उसके बाद कलकत्ता मूक–बधिर विद्यालय 1983 में शुरू किया।

1977 में अनेक प्रादेशिक शब्द कोष का विकास हुआ (डेल्ही प्रादेशिक : शब्दकोष वशिष्ट एवं अन्य 1980, 1998; मुंबई प्रादेशिक शब्द कोष : वाचा वं अन्य 1980, रॉय एवं अन्य 1990, घटे एवं अन्य 1990, और वशिष्ट एवं अन्य 1986; कोलकाता प्रोदशिक शब्द कोष : वशिष्ट एवं अन्य 1987; बंगलोर प्रादेशिक शब्द कोष : विशिष्ट एवं अन्य 1985)। सभी शब्द कोष के प्रत्येक शब्द रेखाचित्र के द्वारा संकेत में तथा अंग्रेजी या अन्य प्रादेशिक भाषा में लिखित रूप में रहता है, उदाहरण –

सांकेतिक भाषा में अंग्रेजी वर्णमाला:

(ज़ेशन 2000 तथा 2003) ने भारत और पाकिस्तान के सांकेतिक भाषा के समानता को देखते हुए इसे इंडो – पाकिस्तानी सांकेतिक भाषा कहा है। 2001 में राम कृष्ण मिशन कोयम्बटूर के परिश्रम स्वरूप दूसरा शब्द कोष प्रकाशित हुआ। लगभग 1 लाख युवा व 50 हजार बधिर बच्चे भारतीय सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। UNESCO,1980 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में केवल 5 प्रतिशत बधिर ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जिसके निम्नलिखित कारण हैं–

1–1970 तक भारतीय सांकेतिक भाषा को मान्यता नहीं मिली थी।
2–भारतीय सांकेतिक भाषा में अनुसंधान की कमी थी।
3–भारतीय सांकेतिक भाषा में शब्द कोष का न होना।
4–भारतीय सांकेतिक भाषा के सीखने की सामग्री का अभाव होना।
5–भारतीय सांकेतिक भाषा के अनुवादक (Interpreter) मिलने में कठिनाई होना।

भारतीय सांकेतिक भाषा से मिलते हुए सांकेतिक भाषा का प्रयोग नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश तथा पाकिस्तान में होता है।(ज़ेशन एवं अन्य 2004)

==========

इकाई–22

शैक्षणिक सम्प्रेषण में सांकेतिक भाषा
(Sign Language in Academic Communication)

प्रस्तावना (Introduction):

बधिर समुदाय में सांकेतिक भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं को बधिर सांकेतिक भाषा के सम्प्रेषण के द्वारा पूरा करते है। विश्व के लगभग सभी देशों में अपनी–अपनी सांकेतिक भाषा है। यह भाषा बधिर समुदाय द्वारा विकसित होती है। भारत में लगभग 12.30 मिलयन आबादी जिसमें से लगभग 4.5 प्रतिशत आबादी सामान्य बच्चों के विद्यालय में प्रवेश लेकर असफल होते है(Joshua Project,2013)। सामान्य विद्यालय में असफल होने के पश्चात वह विशेष विद्यालय में प्रवेश लेते है।

ज्यादातर अभिभावकों का यह मानना है कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग करने पर बच्चों में बोली का विकास नहीं होगा। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार सांकेतिक भाषा दृश्य स्थानिक भाषा है जिसका अपना व्याकरण एवं भाषिक स्वरूप है। इसका व्याकरण दृश्य आकृति एवं गतिशीलता पर निर्भर है इसके अतिरिक्त चेहरे एवं शरीर के हाव–भाव भी इसमें शामिल है। इससे यह कहा जा सकता है कि सांकेतिक भाषा एक स्वतन्त्र भाषा है दूसरी भाषा की तरह इसके वर्ण विन्यास, शब्द विन्यास, व्याकरण एवं व्यवहार करने की शैली (Pragmatic) है। Stokoe (1960), Klima & Bellugi (1979), Lillo-Martin & Klima (1990)।

Vashishtha, Woodward & Wilson (1978) ने भारतीय सांकेतिक भाषा के क्षेत्रीय विविधता का अध्ययन किया था जिसमें दिल्ली कलकत्ता, बैगलोर और मुम्बई जैसी प्रान्तीय सांकेतिक भाषा की पहचान की। Zeshan (2001) ने भारतीय सांकेतिक भाषा के मानकीकरण पर कार्य किया। बधिर बच्चों के लिए भारतवर्ष में 478 सरकारी तथा अनुदानित विद्यालय तथा 372 निजी विशेष विद्यालय कार्य कर रहे है। ज्यादात्तर विद्यालयों में मौखिक भाषा द्वारा शिक्षण कार्य किया जाता है ऐसी स्थिति में शहरी इलाके में स्थित बधिरों को ही शिक्षा प्राप्त हो पाती है।

बाधिरों में विविधता :

सभी बधिरों की स्थिति एवं आवश्यकताएं निम्न रूप से अलग होती है–

(1) श्रवण क्षति की मात्रा के अनुसार अल्प (Mild) से अति गम्भीर (Profound)

(2) पारिवारिक इतिहास के अनुसार

(A) बधिर अभिभावक का बधिर बच्चा (DCDP)

(B) सुनने वाले अभिभावक का बधिर बच्चा (DCHP)

(3) श्रवण उपकरण के आधार पर हियरिंग, कोकलियर इम्पलांट यूजर एवं साइन लैग्वेज यूजर

(4) शीघ्र पहचान के आधार पर शीघ्र पहचान और देरी से पहचान वाले (Early identified) जन्म के बाद श्रवण दिव्यांग (Late identified)

(5) उम्र के आधार पर

भारत के बधिर बच्चों के माता पिता सुनने वाले होते है जिस कारण वह अपने बच्चों से सांकेतिक भाषा में सम्प्रेषण नहीं कर पाते है। ऐसे माता पिता जो बधिर है तथा उनका बच्चा सुनने वाला होता है जिसे Children of Deaf Adult (CODA) कहा जाता है, उनको अपने आप सामान्य भाषा के साथ–साथ सांकेतिक भाषा का भी ज्ञान होता है।

ग्रामीण क्षेत्र के बधिर विशेष विद्यालय में प्रवेश लेने में असमर्थ होते है। वह मजबूर होकर सामान्य बच्चों के विद्यालय में प्रवेश लेते है। ऐसी स्थिति में बधिर बच्चों का शिक्षण प्रभावित होता है। समावेशित कक्षा में शिक्षक बधिर बच्चों को पढ़ाने में असहज महसूस करते है जिसका मुख्य कारण उनके पास सांकेतिक भाषा कौशल का प्रशिक्षण नही होता है। वह ज्यादातर लिखित रूप से या इशारों के माध्यम से सम्प्रेषण करते है।

कक्षा शिक्षण में सांकेतिक भाषा:

श्रवण दिव्यांग बच्चों की मुख्य समस्या भाषा विकास से सम्बन्धित है अर्थात सर्वप्रथम शिक्षकों को भाषा विकास पर कार्य करने की आवश्यकता है। श्रवण दिव्यांग सांकेतिक भाषा को अपने प्राथमिक भाषा के रूप में सीखते है जैसा कि पूर्व अनुसंधान से यह प्रमाणित होता है कि सांकेतिक भाषा का अपना वर्ण विज्ञान, शब्द विज्ञान, व्याकरण विज्ञान एवम् व्यवहार विज्ञान है।

प्राथमिक स्तर पर सांकेतिक भाषा शिक्षण: जिन बच्चों में श्रवण सहायक यंत्र का रोपण नहीं होता है, अथवा श्रवण उपकरणों से लाभ नहीं पहुँचता, उन बच्चों के साथ सांकेतिक भाषा के द्वारा सम्प्रेषण कौशल का विकास किया जाता है बच्चों के विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों में यह कौशल अपने आप विकसित होता है, क्योंकि वह विद्यालय में दूसरे बाधिरों से यह भाषा को अर्जन करते हैं। कक्षा शिक्षण में
नये–नये शब्दों को सांकेतिक भाषा के माध्यम से सिखाया जाता है, नित्य प्रतिदिन व्यावहार में आने वाले शब्दों को उन्हें सिखाया जाता है।जैसे कि–

1– परिवार के सदस्य
2– विभिन्न प्रश्नरूप
3– विभिन्न नामों के संकेत
4–छोटे–छोटे वाक्य, आदि

विभिन्न विषयों में बच्चों को नये–नये सम्प्रत्यय सांकेतिक भाषा के माध्यम से सिखाय जाता है।

सांकेतिक भाषा शब्दकोश का ज्ञान:

शिक्षकों को बाधिर बच्चों को पढ़ाने के लिए सांकेतिक भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। जिस हेतु शिक्षकों को सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी होना आवश्यक है,

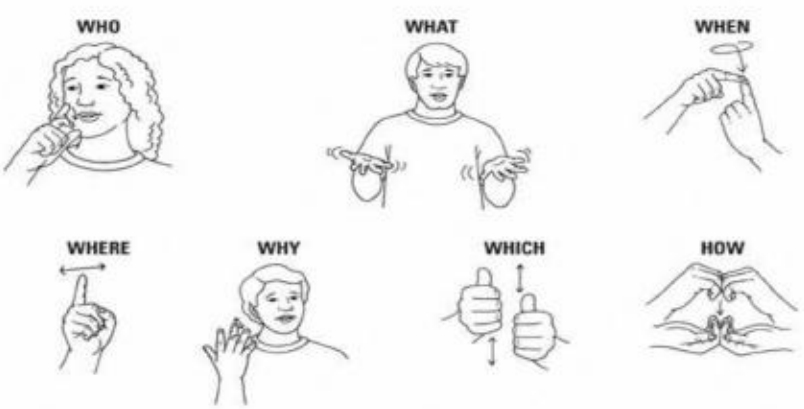

रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द विश्वविद्यालय कोयम्बतूर, तामिलनाडु के द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा का शब्दकोश निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच एण्ड हियरिंग तिरूवनन्तपुरम अतिरिक्त नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच एण्ड

हियरिंग तिरूवनन्तपुरम् केरला एवं मुक बाघिर संगठन इन्दौर जैसी संस्थायें भी सांकेतिक भाषा के विकास पर कार्य कर रहे हैं।

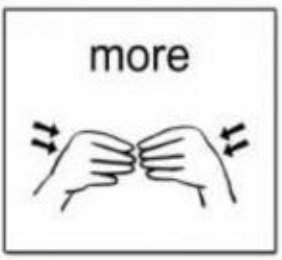

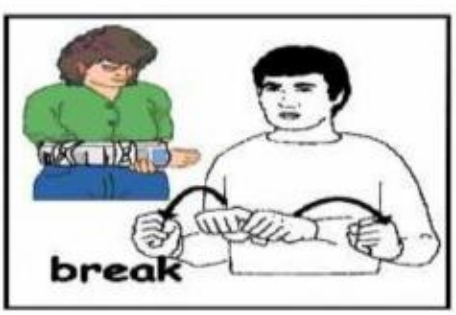

शैक्षिक द्विभाषियता:

इस शिक्षण विधि का उपयोग भारत में लगभग 10 विद्यालयों में होता है जिसमें बघिर बच्चों को सांकेतिक भाषा के द्वारा दूसरी भाषाओं का विकास कराया जाता है। इस प्रणाली में शिक्षा प्राप्त करने वाले बघिर बच्चे सांकेतिक भाषा के माध्यम से स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। महाराष्ट्र, तामिलनाडु, कर्नाटक में सांकेतिक प्रणाली (Sign System) का भी उपयोग किया जाता रहा है, जिसमें मौखिक एवं लिखित भाषा में प्रयोग होने वाले वाक्यों को सांकेतिक रूप में व्यक्त किया जाता है, अर्थात् मौखिक व लिखित भाषा के

व्याकरण के अनुरूप संकेतों का प्रयोग किया जाता है, जबकि सांकेतिक भाषा की व्याकरण से अलग होती है।

कक्षा शिक्षण में टेक्नोलॉजी का प्रयोग:

जैसा कि हम सब वर्तमान में टेक्नोलॉजी के बिना जीवन–यापन नहीं कर सकते, वैसे ही बधिर लोग सम्प्रेषण करने हेतु सूचना सम्प्रेषण तकनीकों का भी व्यापक रूप से प्रयोग करते हैं। कक्षा शिक्षण में कम्प्यूटर का प्रयोग होने पर विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है सांकेतिक भाषा शिक्षण में इसका प्रयोग बेहतर रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि सांकेतिक भाषा दृश्य भाषा है तथा इसमें चेहरे के हाव–भाव तथा गतिशीलता का अहम् स्थान है। एंड्रायड् मोबाइल के विभिन्न एप्लिकेशन के द्वारा भी सांकेतिक भाषा का शिक्षण किया जा सकता है। कक्षा की विभिन्न गतिविधियों को पढ़ सकते हैं, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान तथा भाषा विषय की कठिनता को विडियो एवं केपसन (Caption) के द्वारा सरल बनाया जा सकता है, वर्तमान में एनिमेशन एवं ग्राफिक्स के उपयोग से मल्टीमीडिया सामग्री का निर्माण कक्षा शिक्षण में सुगम्यता लाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

प्रत्येक शिक्षक को इसे सीखने की आवश्यकता है। सांकेतिक भाषा का जटिल स्वरूप तथा व्याकरण को विकसित करने की आवश्यकता है। दूसरी ओर सांकेतिक भाषा सीखने पर बच्चों में सामान्य विकास सामान्य रूप से न होने की भ्रांति भी शिक्षकों एवं अभिभावकों में देखने को मिलती है बच्चों में संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं भावात्मक विकास भाषा के द्वारा सम्भव है चाहे वह किसी भी प्रकार से हो। कक्षा में शिक्षक जो सूचनाओं को प्रदान करते है उसका मुख्य उद्देश्य सूचनाएं सभी बच्चों तक पहुँच सके चाहे वह मौखिक रूप में हो या अन्य रूप में हो। मौखिक भाषा के द्वारा बच्चे केवल अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त कर पाते है। सर्वांगीण विकास केवल मौखिक भाषा के द्वारा नहीं होता है दूसरी ओर सांकेतिक भाषा का मौखिक भाषा पर नकारात्मक प्रभाव नहीं होता है। क्योंकि श्रवण दिव्यांग बच्चों को कुछ शब्द सुनायी देता है तथा कुछ ध्वनियों से वह वंचित रहते है। जिन ध्वनियों को वह सुनने में असमर्थ रहते है अथवा समझने में दिक्कते होती है उनको सांकेतिक भाषा के द्वारा सिखाया जा सकता है।

शिक्षकों से यह अपेक्षित है कि वह प्रत्येक शब्द के संकेतों को सीखे तथा कक्षा शिक्षण में उसका उपयोग करें। बधिर समुदाय द्वारा सांकेतिक भाषा को अपना जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में तथा अल्प संख्यक भाषा के रूप में विश्व भर में विभिन्न कानूनों के माध्यम से इसकी स्वीकार्यता को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। UNCRPD (2006) में भी बधिर व्यक्तियों हेतु सांकेतिक भाषा के सम्प्रेषण माध्यम के रूप में मान्यता दी गयी है। शैक्षणिक द्विभाषीयता बधिर बच्चों की शिक्षा में एक ऐसा सम्प्रत्यय है जिसका अर्थ श्रवण दिव्यांगों में सबसे पहले

उनकी प्राथमिक भाषा, सांकेतिक भाषा का विकास किया जाना चाहिए। सांकेतिक भाषा का विकास करने के बाद बच्चों में दूसरी भाषा का विकास किया जाए।

सांकेतिक भाषा के प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न प्रयासः

लंकाशायर विश्वविद्यालय, इग्लैण्ड के द्वारा भारत के कई विद्यालयों में बधिरों मे साक्षरता कौशल के विकास के कई कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। राष्ट्रीय बधिर संघ, साइन भाषा, इंटरप्रेटर संघ एवं स्वयं सेवी संगठनों द्वारा समय–समय पर सांकेतिक भाषा के विभिन्न पहलू पर कार्यशाला संगोष्ठी एवं कांफ्रेन्स आदि का आयोजन हो रहा है, हाल ही में स्थापित इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग सेंटर नई दिल्ली भारत सरकार द्वारा सांकेतिक भाषा के पाँच हजार शब्दों का शब्दकोश निर्माण कार्य प्रगति पर है। जवाहर लाल नेहरू, विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय एवं आई0आई0टी0 जैसे संस्थाओं द्वारा भाषा विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी क्षेत्र में शोध किये जा रहे हैं। जैसा कि आप चित्र से देख सकते हैं, कि आई0आई0टी0 चेन्नई के छात्रों द्वारा सांकेतिक भाषा को लिखित भाषा मे रूपांतरित करने हेतु एक ग्लेप्स का निर्माण किया गया है, जो आने वाले समय में सामान्य व बधिरों के बीच सम्प्रेषण की बाधाओं को समाधान करने में सहायक होगा।

अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांग संस्थान, मुम्बई में मानवीकृत सांकेतिक भाषा का विकास एवं प्रशिक्षण लेबल A लेबल, B लेबल एवं डिप्लोमा इन साइन लैग्वेज इन्टर–प्रीटेशन पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे है जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसे मानवशक्ति को तैयार करना जो शिक्षा एवं अन्य स्थान पर बधिरों की मदद कर सके। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में ISLRTC (India Sign Language Research and Training Center) की भी स्थापना की जा चुकी है जिसके माध्यम से बधिर लोगों से जुड़े विभिन्न समस्याओं का अध्ययन एवम् समाधान के विभिन्न पहलुओं पर कार्य किये जायेगे।

डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में सेन्टर फार इण्डियन साइन लैग्वेज एण्ड डे स्टडीज की स्थापना की गयी है जहां पर अल्पकालिक प्रशिक्षण समय– समय पर संचालित किये जा रहे हैं। उच्च शिक्षा में बधिरों के प्रवेश दर बहुत कम है जिसका मुख्य कारण बुनियादी शिक्षा में उनकी असफलता है। प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर उनकी आवश्यकतानुसार शिक्षण न होने से वह उच्च शिक्षा तक नहीं पहुँच पा रहे है। प्राथमिक स्तर से ही सांकेतिक भाषा का प्रशिक्षण बच्चों को की आवश्यकता है। आजकल पब्लिक स्कूल में फ्रेच, जर्मन चाइनीज, जापनीज आदि भाषा को बच्चों को सिखाया जाता है उसी प्रकार से

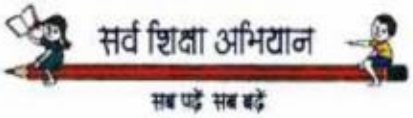

सांकेतिक भाषा को सभी बच्चे सीख सकते है। क्योंकि भाषा सीखने से उसका उपयोग सामाजिक रूप से किया जा सकता है। इस भाषा के अर्जन से सामान्य बच्चे श्रवण दिव्यांग बच्चों के साथ सम्प्रेषण कर सकते है शोध अध्ययन से यह भी प्रमाणित हुआ है जो श्रवण दिव्यांग कम उम्र में सांकेतिक भाषा सीखते हैं वह शैक्षणिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करते है।

भारत जैसे देश में श्रवण दिव्यांगों की आबादी भौगोलिक रूप से विकीर्ण है तथा शिक्षा में उनकी भागीदारी कम है। विशेष विद्यालयों में समावेशित विद्यालयों की तुलना में प्रवेश अधिक होता है। परन्तु एक समावेशित विद्यालय में श्रवण दिव्यांगों की संख्या एक या दो होती है। समावेशित विद्यालयों की संख्या अधिक होने के कारण विशेष विद्यालयों की तुलना में समावेशित विद्यालय में श्रवण दिव्यांगों की संख्या अधिक है। समावेशित विद्यालय में विद्यालय की पूरी जिम्मेदारी शिक्षक की होती है इसलिए समावेशित विद्यालय के शिक्षक को सांकेतिक भाषा के कौशल का विकास कराना चाहिए तथा इन्टरनेट एवं सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग करके ज्ञानवर्धन करना चाहिए।

==========

इकाई–23

शैक्षणिक मापन एवं मूल्यांकन
(Educational Measurement and Evaluation)

प्रस्तावना (Introduction) :

शिक्षक द्वारा बिद्यार्थी को न केवल ज्ञान देना ही आवश्यक समझा जाता है बल्कि बिद्यार्थी द्वारा उसको कितना ग्रहण किया गया, इस तथ्य को भी जानने का प्रयास किया जाता है। एक अध्यापक सदैव यही चाहता है कि वह अपने द्वारा दी गई शिक्षा का किसी न किसी तरह मापन करें। अतएव छात्रों की समय–समय पर किसी न किसी रूप में परीक्षाएं ली जाती है। मानोविज्ञान का आधार व्यक्तिगत भिन्नता है। व्यक्तिगत भिन्नता का सही अध्ययन मापन के द्वारा किया जाता है। कार्ल पीयर्सन ने व्यक्तिगत भिन्नता को पहचानने तथा उसके स्वरूप के विश्लेषण के लिए वैज्ञानिक तथा अधिक विकसित प्रविधि का विकास किया है। मापन का दर्शन हमें अतीत के सम्बन्ध में जानकारी देता है। जिससे वर्तमान को समझने में सहायता मिलती है। *भविष्य की समस्याओं में मापन का प्रयोग किया जा सकता है।मापन संख्यात्मक विवरण प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है।*

आकलन का उद्देश्य किसी प्रस्तावित शिक्षा नीति, योजना अथवा कार्यक्रम पाठ्यवस्तु शिक्षण विधि, शिक्षण साधन अथवा मूल्यांकन विधि की कमियों को जानना, उन कमियों को दूर करना और उपयुक्त शिक्षा नीति, योजना अथवा कार्यक्रम, पाठ्यवस्तु शिक्षण विधि शिक्षण साधन तथा मूल्यांकन की संरचना करना होता है। विद्यार्थियों ने क्या सीखा? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सीखा गया है? उस प्रक्रिया को सीखने का तरीका (क्रिया से पहले, दौरान तथा क्रिया के बाद में) यह सब आकलन के द्वारा जानने का प्रयास किया जाता है। इरविन (1991) के अनुसार–*विद्यार्थियों के विकास व सीखने के सम्बन्ध में राय को निर्धारित करने का आधार ही आकलन है, यह सूचनाओं के परिभाषीकरण, चयन संकलन, विश्लेषण, विवेचन व प्रयोग की प्रक्रिया है जिससे कि विद्यार्थियों के सीखने तथा विकास प्रक्रिया में वृद्धि हो सके।*

शैक्षिक मूल्यांकन का अर्थ(Meaning of Educational Evaluation)–

शिक्षण क्रियाओं द्वारा ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों का विकास किया जाता है। निष्पत्ति परीक्षण ज्ञानात्मक पक्ष के विकास का मापन किया जाता है। क्रियात्मक तथा भावात्मक पक्षों के विकास का मापन करना कठिन हो जाता है। क्योंकि गुणात्मक चरों का मापन करना सम्भव नहीं होता है इस समस्या का समाधान करने के लिए मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। *विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रदत्तों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं।* शैक्षिक मूल्यांकन के अन्तर्गत शिक्षा की प्रक्रिया, शिक्षण विधियों प्राविधियों, शिक्षण की सहायक सामग्री, पुस्तकें, शिक्षण उद्देश्य आदि सभी तत्वों एवं क्रियाओं का मूल्यांकन आवश्यक रूप से किया जाता है। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया के विकास एवं सुधार के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होता है।

श्रवण दिव्यांग का आकलन तथा मूल्यांकनः

श्रवणहीनता अर्थात् बहरापन एक अदृश्य विकलांगता है। श्रवणहीनता व्यक्ति को उसके चारों ओर के ध्वनि संसार से अलग कर देती है। श्रवण हानि पूर्ण भी हो सकती है और आंशिक भी। सामान्य शिक्षा की धारा में जोड़ना श्रवण क्षतियुक्त बालाकों के शिक्षण तथा प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है तथा जो शिक्षण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम बधिर छात्रों के

लिए चलाये जा रहें उनसे छात्रों का संज्ञानात्मक, भावात्मक विकास हो रहा है या नही इसका पता मूल्यांकन द्वारा लगया जाता है। समय–समय पर छात्रों का आंकलन करने से उनकी समस्याओं की जानकारी होती रहती है और उनका समाधान भी समय पर हो जाता है। श्रवण दिव्यांग बालकों की समस्याएं भिन्न प्रकृति की होती है। अतः उसका उपचार भी भिन्न प्रकार का होना चाहिए, क्योंकि श्रवण शक्ति शरीर की प्रमुख ज्ञानेन्द्रियों में से एक है। अगर किसी बालक की ज्ञानेन्दियों में से एक भी कार्य न कर पाये तो वह हीनता का शिकार हो सकता है। श्रवण दिव्यांग के लिए आंकलन तथा मापन का मुख्य उद्देश्य उनकी बची हुइ श्रवण शक्ति से उनके शैक्षिक स्तर को बढ़ाया जा सके। वह अपनी बची हुई श्रवण शक्ति का उपयोग अपनी शिक्षा में सफलता पूर्वक कर सके। उदाहरण–

एक बालिका जिसकी श्रवण दोष का स्तर 40 से 60 dB है, किन्तु वह ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्धित और माता–पिता को इस विषय पर कोई ज्ञान नही है। अतः विद्यालय में प्रवेश के समय मापन तथा आंकलन करके शिक्षा योजना मे उसको सपोर्ट प्रदान किया सकता है। ऑडियोलोजिस्ट की सहायता से वह उसकी बची हुई श्रवण क्षमता का पता लगाकर श्रवण यंत्र की सहायता शिक्षा योजना को आरम्भ कर सकते है। छात्रों के माता–पिता को निर्देशन दिया जा सकता है कि घर पर श्रवण यंत्र कब और कैसे प्रयोग किया जायेगा।

प्रायः विद्यालय के सभी विषय भाषा पर आधारित होते हैं और श्रवण बाधित बच्चों में भाषा की समस्या मुख्य रूप से पायी जाती है जब वे स्वयं को विषयों की भाषा समझने के प्रति असमर्थ पाते है तो उनका मन शिक्षा की ओर से हटने लगता है। उनकी भाषा सम्बन्धी समस्याओं को समय–समय पर कक्षा परीक्षणों द्वारा जाना जाता है। छात्रों को भाषा प्रशिक्षण दिया जाता है।

श्रवण दिव्यांग छात्रों का आंकलन के उपाय :

श्रवण दिव्यांग के लिए शैक्षिक आकलन में उनकी शिक्षा से सम्बन्धित सभी समस्याओं को शामिल किया जाता है। यह समस्याएं उनकी घरेलू समस्याएं भी (जो शिक्षा में बाधा उत्पन्न कर रही है) हो सकती है। सभी छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताएं उनकी श्रवण हानि के स्तर के अनुसार अलग–अलग होती है। बधिरों के शैक्षिक आकलन के लिए वैयक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम (IEP) का प्रयोग मुख्यतया किया जाता है। शैक्षिक आकलन के पश्चात् उनकी समस्याओं के अनुसार उन्हें उनके लिए निदानात्मक कक्षाओं की व्यवस्था की जाती है। जैसे– तनु नाम की श्रवण दिव्यांग कक्षा–3 में पढ़ती है। विद्यालय में अपना गृह कार्य करके नही आती है इस समस्या के समाधान के लिए अध्यापक को माता–पिता की सहायता लेनी होगी। जब तक अध्यापक यह न जान ले कि यह कार्य न करने के पीछे कारण क्या है? तब तक अध्यापक उसकी इस समस्या का समाधान, बिना माता–पिता की मदद से नही कर सकते है।

श्रवण दिव्यांग छात्रों के आंकलन के स्तर :

1–छात्र की पहचानः

इस स्तर के अन्तर्गत छात्रों की समस्याओं को जानने का प्रयास किया जाता है। एक छात्र जो बार–बार पढ़ने में गलती करता है। तब यह जानने का प्रयास किया जाता है कि छात्र का मन पठन कार्य में क्यों नही लग रहा है।

2–छात्र का आकलन :

इसमें यह आकलन किया जाता है कि छात्र इन समस्याओं को क्यों नही कर रहा है। जैसे एक बधिर छात्रा जो लेखन कार्य में बार त्रुटि करती है 'कॉटा'' को ''ताता'' लिखती है , तो उसका आंकलन करके यह पता लगाया जा सकता है कि क्यों वह बोलने में त्रुटि करती है ''कांटा'' को ताता बोलती है इसी कारण लिखने में भी त्रुटि हो रही है।

3– वैयक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम (IEP) का प्रयोजन–

क्रमबद्ध मूल्यांकन के बाद में छात्रों की समस्याओं को जानकर छात्रों के लिए व्यक्तिगत शिक्षक कार्यक्रम का प्रयोजन किया जाता है। IEP की सहायता से छात्र के विषय में पूर्ण जानकारी मिल जाती है जो निदान करने में सहायता करती है। छात्रों की कमजोरियों तथा क्षमता के अनुसार शैक्षिक लक्ष्यों की योजना की जाती है। कुछ योजनाएं लघु कालिक होती है कुछ दीर्घ कालिक।

4–वैयक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम(IEP) का कार्यान्वयन–

इसके अन्तर्गत अध्यापक IEP कार्यक्रम तैयार करके छात्रों के लिए इसका कार्यान्वयन करते है। इसमें कक्षा के वातावरण तथा अन्य सुधारात्मक, परिस्थितियों का ध्यान रखा जाता है। सभी चरण योजना के साथ कराने के बाद उहें एक बार जाँचा जाता है कि जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे उनकी प्राप्ति की जा चुकी है या नहीं।

5–वाणी मूल्यांकन–

वाणी एक जटिल प्रक्रिया है जो श्वसन स्पंदन, अनुनादन, उच्चारण एवं नियंत्रण तंत्र के माध्यम से निकलती है। सामान्य रूप से वाणी के मुख्य भाग में से आवाज, उच्चारण तथा लयात्मक को प्रमुखता दी जाती है। आतिकंठात्मक लक्षणों में, सुरीलापन दबाव, विभाजन एवं वाक् दर है। इसी प्रकार आवाज के अन्तर्गत सभी सक्रिय तथा निष्क्रिय उच्चारण अंग आते है। वाणी मूल्यांकन किसी एक पहलू का नही बल्कि सभी पहलुओं का अध्ययन करता है। इसे बच्चे की वाणी की रूपरेखा भी कहते हैं। जिसे शिक्षक कक्षा में शिक्षण के दौरान तय करता है। इसे खण्डात्मक, अखण्डात्मक एवं अतिखण्डात्मक विश्लेषण भी कहते है। इसमें–

- वाक् उत्पादक उच्चारको का आकलन किया जाता है।
- आवाज का मूल्यांकन किया जाता है कि कर्कश है या कोमल।
- छात्रों की वाणी स्पष्टता का मूल्यांकन किया जाता है कि छात्र आपसी बातचीत में स्पष्ट प्रयोग कर रहे हैं या नही अगर नही तो क्यों।
- उच्चारण का मूल्यांकन करना है कि छात्र पठन के समय शुद्ध उच्चारण कर पा रहे हैं या नहीं।
- कक्षा एवं वाणी चिकित्सक के कक्ष में वाणी की रूपरेखा तैयार की जाती है।
- वाक् उत्पादन यत्रांवली का निरीक्षण किया जाता है– ओठ, जीभ, तालू आदि।

6–श्रवण मूल्यांकन–

सुनना एक ऐसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रयत्क्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विकास होता है। श्रवण दिव्यांग बच्चों में कुछ ही बच्चे ऐसे होते है जो पूर्णरूप से बधिर होते है, अधिकतर बच्चों में कुछ न कुछ श्रवण शक्ति अवश्य होती है। इसी बची हुई श्रवण क्षमता का Hearing Aid के द्वारा प्रयोग करना छात्रों को सिखाया जाता है। जिससे उनके शैक्षिक कार्यो को सुचारू ढंग से चलाया जा सके। श्रवण मूल्यांकन में यह मूल्यांकित किया जाता है। छात्र जानवर, मनुष्य या प्रकृति के आवाज में विभेदन कर पा रहा है या नहीं। मिलती जुलती आवाजों की पहचान कर पा रहा है या नही। छात्र की उच्च ताख्य (High Pitch) तथा Low Pitch में आकलन किया जाता है।

श्रवण दिव्यांग के लिए मूल्यांकन में अनुकूलन–

➢ श्रवण दिव्यांग छात्रों के आंकलन के लिए वैकल्पिक आंकलन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे– यदि कोई छात्र लेखन में बहुत ज्यादा त्रुटियां करता है तो उसकी मात्राओं की त्रुटियों को कुछ प्रतिशत छूट दी जा सकती है।

➢ श्रवण दिव्यांग का मूल्यांकन केवल शिक्षा के समय का ही नहीं मान्य होना चाहिए उनके पूरे वर्ष के Performance का मूल्यांकन मे घ्यान रखना चाहिए। तत्पश्चात् Record तथा परीक्षा के अंकों के अनुसार उसका मूल्यांकन करना चाहिए।

➢ श्रवण दिव्यांग छात्रों के विषयों में अधिक से अधिक प्रयोगात्मक विषयों को शामिल करना चाहिए। मूल्यांकन भी प्रयोगात्मक स्थिति को देखकर करना चाहिए।

➢ मूल्यांकन को छात्र की मातृभाषा में किया जा सकताक है।

➢ छात्रों के मौखिक मूल्यांकन की जगह पर चित्रात्मक मूल्यांकन किया जा सकता है। जैसे– छात्रों से कहा जा सकता है कि 'गाँव' पर एक चित्र बनाइए।

➢ उनका व्यवसायिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है।

➢ मूल्यांकन की अवधि को कम किया जा सकता है।

➢ मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र में अधिक से अधिक विविध प्रश्नों को शामिल किया जा सकता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को नहीं शामिल करना चाहिए।

➢ यदि छत्र मौखिक अभिव्यक्ति नही दे पा रहा है तो उसे सांकेतिक भाषा में अभिव्यक्ति देने का प्रावधान होना चाहिए।

➢ छात्रों के मूल्यांकन में दृश्य श्रव्य सामग्रियों को अधिक से अधिक शामिल किया जाना चाहिए।

➢ नई टेक्नोलॉजी जैसे छात्र कुछ बोले (माइक में) और वह स्वतः ब्लैक बोर्ड पर अंकित हो जाये।

वाणी मूल्यांकन–

छात्रों को उनकी उम्र के अनुसार उनकी वाणी का मूल्यांकन करना चाहिए।
जैसे– यदि छात्र 4 से 5 वर्ष का है तो 01 से 10 तक गिनती का आंकलन कीजिए।

छात्र के स्वरों तथा व्यंजनों का आकलन करो–

➢ छात्र से 'कैट' का उच्चारण करे हैं–यदि छात्र केट बोलता है या "मैट" को 'मेट' बोलता है इसका तात्पर्य यह है कि छात्र "ए" की त्रुटि कर रहा है।

➢ छात्रों की Vowel errors जैसे–

Substitution of vowel errors मैट–मेट

Dipthongs error – पेन–पेईन

Distortion of Vowel –स्पष्ट उच्चारण न कर पाया

Oral-Nasal substitutional –डॉग– डॉग

छात्र स्कूल को इस्कूल उच्चारिक करता है।

➢ वाणी मूल्यांकन के लिए फ्लैश कार्ड तथा गुब्बारें का प्रयोग किया जा सकता है।

➢ वाणी मूल्यांकन के लिए कहानी को संक्षिप्त रूप में लिखकर उपयोग करें।

Articulation Book -

इसमें चित्रों को दिखाकर छात्र से वाणी उच्चारण कराकर आकलन कराया जा सकता है।

गणित का मूल्यांकन–

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

1–जोड़ो–

2–घटाओं–

3–खाली जगह भरो–

$$\begin{array}{r} 2 \\ +\ (2) \\ \hline 4 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 1 \\ +\ \bigcirc \\ \hline 4 \end{array} \qquad \begin{array}{r} \bigcirc \\ +\ 2 \\ \hline 5 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 6 \\ +\ 2 \\ \hline \bigcirc \end{array}$$

छात्र से दैनिक कार्यों में भी गणित का मूल्यांकन कराये–

तुमने कितनी रोटी खाई = 1

तुम्हारे दोस्त ने कितनी खाई = 1

1 + 1 = 2

➢ एक अंक का गुणा–

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times\ 2 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{r} 3 \\ \times\ 2 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{r} 4 \\ \times\ 3 \\ \hline \end{array}$$

➢ बीच की गिनती लिखो–

4 ——— 6 8 ——— 10

1 ——— 3 5 ——— 7

➢ आगे की गिनती लिखो–

——— 7 ——— 8

——— 11 ——— 15

——— 16 ——— 14

➢ पीछे की गिनती लिखो–

5 ——— 15 ———

18 ——— 23 ———

21 ——— 13 ———

6 ———

➢ **पहाड़ा लिखो–**

2 x 3 =	3 x 1 =
2 x 6 =	3 x 2 =
3 x 3 =	2 x 8 =

बधिर छात्रों का सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन

बधिर छात्रों का सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन एक अध्यापक के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य बन जाता है। सामाजिक विज्ञान में बहुत से नाम, सन् और जगह के नाम याद करने पड़ते है जिसे वर्तमान समय से जोड़ना कठिन हो जाता है। इसके लिए उचित मूलल्यांकन विधि का प्रयोग करना अत्यन्त आवश्यक है।

रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए–

अ–अकबर..... का राजा था।

ब–लाल किला..... में स्थित है। (दिल्ली, आगरा)

सही गलत के निशान लगाइये–

1. मुमताज महल बाबर की पत्नी थी। ( )
2. ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था। ( )

➢ पानीयुद्ध के युद्ध को चित्रात्मक ढंग से समझाइये?

➢ बाबर के बारे में सांकेतिक या मौखिक रूप से अभिव्यक्ति कीजिए? (Video Recording ली जा सकती है।)

श्रवण बधिरों के लिए विज्ञान का मूल्यांकन–

➢ छात्रों का अधिक से अधिक प्रयोगात्मक मूल्यांकन ही करना चाहिए।

➢ छात्रों से वैज्ञानिक चार्ट, मॉडल या Direct activity से मूल्यांकन किया जा सकता है।

➢ एक पेड़ का चित्र बनाइये तथा उसके सभी भागों के नाम अंकित करो?

➢ आनाज का पहचान करिये–

➢ 5 प्रकार के पेड़ो के नाम लिखो

खाली जगह

1. मनुष्य सांस लेने में .....का प्रयोग करता है।
   (आक्सीजन, नाइट्रोजन)
2. मनुष्य के शरीर में .....हड्डियां है –(204, 310)
3. एक सप्ताह में .....दिन होते है– (7, 12)

वाचन मूल्यांकन–

➢ अध्यापको द्वारा छात्र के चचन के लिए मूल्यांकन लिए निम्न क्रियायें करायी जा सकती है।

क्रिया 1–अध्यापक कुछ फलों या सब्जियों के चित्रों को एक में मिलाकर रखें फिर छात्र से आम की पहचान करने को कहे।

क्रिया 2–

सही मिलान–

आम

इमली

केला

अंगूर

इसमें अध्यापक छात्र से सही चित्रों का मिलान करने के लिए कह सकता है।

शब्दों को जोड़कर नया शब्द –

क + म + ल =

न + य + न =

ब + र + ग + द =

भ + व + न =

इस मूल्यांकन को उस प्रकार भी किया जा सकता है–

क + म + ल =

न + य + न =

ब + र + ग + द =

भ + व + न =

इसमें अध्यापक छात्र से सही + चित्र को मिलाकर यह क्रिया आरकलन कें लिए कर सकता है।

वाक्यों को क्रम में लगाना–

खाता है राम –

बाजार मोहन जाता है –

खाना पकाती है सीता –

गाय खाती है घास –

खाली जगह भरो–

1. फलों का राजा .....है। (आम , केला)
2. मछली .....रहती है। (पानी, आसमान)
3. राष्ट्रीय फूल.....है। (कमल, गुलाब)

➢ छात्र से "आज का मुख्य समाचार" पूंछा जा सकता है।

- छात्र से कोई घटना अपने शब्दों में बताने के लिए कहा जा सकता है। जैसे–आज सुबह से तुमने क्या किया?
- स्कूल कैसे आये?
- टिफिन में क्या लाये हो?
- टिफिन का खाना किससे बनाया।

उसे सांकेतिक भाषा में अभिव्यक्ति की छूट दी जा सकती है।

लेखन मूल्यांकन–

शब्दों को सही क्रम में लगाइये–

1. रनाअ –
2. लूआ –
3. बसे –
4. टरम –
5. मआ –

- दिनांक के अनुसार दिनों के नाम लिखो–

20–12–2016 मंगलवार

21–12–2016

23–12–2016

25–12–2016

बहुविकल्पीय प्रश्न–

- होली किस महीने में मनायी जाती है। (मार्च, जनवरी)
- क्रिसमस कब होता है। (25 दिसम्बर, 26 जनवरी)
- नवम्बर में मनायी जाती है। (दीपावली, होली)
- बाल दिवस कब मनाया जाता है? (14 नवम्बर, 14 फरवरी)

इकाई–24

श्रवण बाधित बच्चों में पठन व लेखन कौशलों का विकास
(Development of Reading and Writing Skills in CWHI)

प्रस्तावना (Introduction):

श्रवण बाधित बच्चे स्वतः भाषा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जब वह पढ़ना सीखतें है तो दो मुख्य समस्याओं का सामना करते हैं। पहली यह कि उनमें से ज्यादातर को मौखिक भाषा का ज्ञान नहीं या कम होता है। दूसरी समस्या यह है कि उन्हें लिखित शब्दों को भाषा के कूट संकेतों के रूप में ग्रहण करने में भी समस्या होती है। ज्यादातर श्रवण बाधित बच्चों के लिए पढ़ना सीखना, भाषा सीखना होता है। सुनने वाले बच्चों के विपरीत बधिर बच्चे देखकर भाषा सीखते हैं । जहाँ तक पढ़ने और लिखने का प्रश्न है श्रवण बाधित बच्चे अनेक पहलू ग्रहण नहीं कर पाते हैं। जैसे लय, जोर देना , शब्दों के समूह बनाकर वाक्यांश बनाना, उचित बल देना आदि। ये सभी पाठ्य सामग्री को पूरा ग्रहण करने के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। अतः इनको पढ़ना कठिन लगता है। बधिर बालक यदि अलग–अलग शब्द पहचान भी जाता है तो भी भाषा के पक्के आधार के बिना लिखित सामग्री समझना कठिन हो जाता है। चूंकि श्रवण बाधित बच्चे के पास पर्याप्त भाषा आधार नहीं होता है अतः लिखना भी कठिन हो जाता है । ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे के पास भाषाई स्वरूप नहीं होता है और वह छिपे हुए स्वरूप को व्यक्त नहीं कर पाता है।

पठन(Reading):

पढ़ना पाठ्यसामग्री को संपूर्ण रूप से ग्रहण (समझने) करने की प्रक्रिया है। लिखित सामग्री को ग्रहण करना तीन चरणों में संपन्न होता है–

1–भाषा के अर्थ की समझः यह तब होता है जब पाठक शब्द पहचान सकता है तथा दिए गए संदर्भ में उनका अर्थ समझ लेना है।

2–पाठ्यसामग्री पर आधारित निष्कर्ष को समझनाः यह तब होता है जब पाठक शब्दों के आगे जाता है तथा निष्कर्ष निकालता है कि इनको कहने का क्या अर्थ है।

3–ज्ञान आधारित निष्कर्ष से समझनाः यह तब होता है जब पाठक अपने ज्ञान या सूचना का उपयोग शब्दों से अधिक अर्थ जोड़ने के लिए करता है।

पढ़ने की परिभाषा (Meaning of Reading):

पढ़ना एक प्रक्रिया है जिसमें छपे हुए या लिखे संकेतों से उनके ज्ञात अर्थों को जोड़कर विचार बनते है। एंडरसन,होबर्ट स्काट तथा विल्किंसन(1985) ने पढ़ने को एक प्रक्रिया बताया है जिसे सामग्री से सूचना तथा पाठक को एक व्दारा उनके संसाधन से प्राप्त ज्ञान को मिलाकर अर्थ निकाला जाता है।

पठन की पूर्व आवश्यकताः

पठन की इस जटिल प्रक्रिया में विभिन्न स्तर की प्रवीणताओं की आवश्यकता होता हैं जैसे समझने की प्रवीणता, अवधारणा संबंधी प्रवीणता तथा पहचान सम्बधी प्रवीणता।

- संकेतो का ज्ञान जो सीमित है जैसे वर्णमाला क,ख,ग का ज्ञान।
- संकेतो के उच्चारण का ज्ञान (ध्वनीय प्रवीणता), उदाहरण के तौर पर पप्पी शब्द में प पढ़ा जाता है।
- संमझने की क्षमता को बढ़ावा देना कि शब्द का अर्थ क्या है तथा किस प्रकार खाली स्थान एक शब्द को दूसरे लिखित शब्द से अलग करता है।

- यह समझना भी आवश्यक है कि शब्दों को बाएँ से दाएँ पढ़ना होता है तथा पंक्तियों को ऊपर से नीचे पढ़ना होता है। ऐसा प्रायः सभी भारतीय भाषाओं में होता है।
- लिखित शब्दों को स्वतः पहचानने की क्षमता आवश्यक होती है तथा दिए संदर्भ में उनका अर्थ समझना होता है ।
- किसी वाक्य के भागों के बीच जोड़ बनाने की क्षमता (कर्ता,क्रिया,कर्म) के बीच संबंध स्थापित करने की क्षमता तथा अलग वाक्यों को जोड़ने की क्षमता।
- याद करने की क्षमता

श्रवण बाधित बच्चों के लिए पठन संबंधी समस्याएँ:

पठन और लेखन शिक्षा के दो स्तंभ हैं। पठन व लेखन विकास प्रारंभिक शिक्षा का एक प्रमुख लक्ष्य होता है । पठन व लेखन दोनों सीखना पड़ता है अर्थात् सुनने वाले बच्चों और श्रवण बाधित बच्चों को भी। हालांकि जोर–शोर से पठन सिखना विशेष शिक्षा का एक भाग होता है। श्रवण बाधित बच्चे पठन व लेखन में अनेक गलतियाँ कर बैठते हैं।

श्रवण बाधितों व्दारा पठन में की जाने वाली त्रुटियाँ:

1–वाक्यों को संदर्भ सहित पढ़ना व समझना बेहतर होता है बजाय अलग–अलग समझने के।

2–वर्णनात्मक भाषा समझने में परेशानी होती है(उपमा अंलकार ,मुहावरे व कहावतें)
जैसे कि– मूसलाधार बारिश हुई।

3–शब्दों को अलग–अलग पढ़नें में कठिनाई होती है। ज्यादातर श्रवण बाधित बच्चें शब्दों को दूसरें शब्दों से जोड़ नही पाते हैं । इस प्रकार वे वाक्य का व्यापक अर्थ नही निकाल पाते है।

4–जब शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने किछ दिन उनके साथ लगाए और फिर चले गए। इसमें लगाए शब्द का अन्य अर्थ भी होता है और बच्चा उसे समझ नहीं पाता है।

श्रवण बाधित बच्चों में पठन की प्रवीणता विकसित करना:

पठन अपने आप नही आ जाता है, इसे सीखाना पड़ता है। श्रवण बाधित बच्चों के मामले में पठन सीखना अधिक कठिन हो जाता है। कई बार पठन का उपयोग भाषा विकास के लिए भी होता है । अतः पढ़ने की प्रवीणता का विकास बहुत जल्दी प्री – स्कूल स्तर से ही प्रारम्भ हो जाता है। हर गतिविधि को साक्षरता के हिस्से के रूप में विकसित किया जाता है। पठन में अनुभव , पठन सीखने के लिए गतिविधियाँ तथा पठन हेतु सामग्री होनी चाहिए।

पठन के प्रकार

निर्देशित ,स्वतंत्र रूप से

1–उद्देदश्य आधारित पठनः

पठन सम्बन्धी अनुभव हैं–विकासात्मक ,कार्य सम्बन्धी ,उपचारात्मक सम्बन्धी आदि हैं इससे पठन सिखाना तथा पठन के माध्यम से भाषा सिखाना,इन दोनों को अलग करना और एकीकृत करना संभव हो जाता है |

अ–विकासात्मक पठन (ज्ञात भाषा पढ़ना)–

विकासात्मक पठन में नियोजित पाठ होते हैं। इसका उद्देश्य होता है पठन में क्रमवत प्रवीणताओं का विधिवत विकास एवं प्रोन्नति।आदर्श रूप में विकासात्मक पठन उस सामग्री के साथ होता है जिसकी भाषा बच्चो को पूरी तरह ज्ञात होती है।इससे बच्चे की

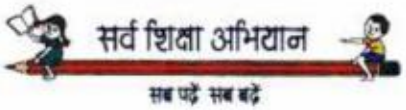

परिपक्व पठन की आदतों व प्रवीणताओं के विकास में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इस प्रकार के पठन में बच्चे को आकर्षण पठन की सामग्री दी जाती है।यह बच्चे को उचित पठन सम्बन्धी प्रवीणता में सहायक होता है जिससे वह स्वतंत्र रूप से ज्ञात भाषा में अर्थ ढूढ़ लेता है।

स्कूल स्तर पर विकासात्मक पठन:

पढ़ने की विशिष्ठ प्रवीणताओ में विशेष रूप से शारीरिक मोटर गतिविधियों शामिल होती हैं जो बच्चो की शारीरिक पहचान सम्बन्धी क्षमताओं के विकास में शामिल होती हैं। निम्न के विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों की जा सकती है–

- समझने सम्बन्धी प्रवीणताएँ (श्रवण व दृश्य सम्बन्धी अंतर पहचानना)
- आँख व हाँथ के बीच समन्वय
- आँखों का बाएं से दांये ओर जाना

उपरोक्त प्रवीणताओं के लिए जो गतिविधियों हैं वे इस प्रकार हैं –

- किसी चीज को दूसरी चीज से , एक चीज को उसके चित्र से , एक चित्र को दूसरे चित्र से मिलाएं।
- हिस्सों को पूरे से मिलाये –

उदाहरण पत्ता के साथ पेड़ , चक्का के साथ कार ,

- दो चीजें जो आम तौर पर साथ होती हैं –

उदाहरण कप के साथ प्लेट , बरसात के साथ छतरी ,

- चित्र को छपे हुए शब्द से मिलाएं

उदाहरण कप , नाव

- शब्द से शब्द

उदाहरण कैप , मैप , कैट

बच्चे धीरे धीरे वर्णमाला के अक्षरों में अंतर पहचानना सीख जाते हैं, आँखों व हाँथ के बीच समन्वय विकसित हो जाता है जो की पढ़ने के लिए आवश्यक होता है।

ब–उपचारात्मक पठन:(पढ़ने के माध्यम से भाषा सिखाना)–

उपचारात्मक पढ़ाई का उद्देश्य है विशिष्ठ भाषा सम्बन्धी कमियों को ठीक करना।उपचारात्मक भाषा का विशेष उपयोग भाषा को प्रोत्साहित करना होता है पर गतिविधियां अनेक उद्देश्य पूरा कर सकती है। शिक्षक उन भाषा स्वरूपों तक लौट सकता है जो विकासात्मक पढाई में कठिन लगते हैं तथा उन्हें उपचारात्मक पढाई के दौरान पढ़ सकता है। इनके भाषाई रूप का प्रयोग कर सकता है। शिक्षक गतिविधियों में अवसर पा सकता है और उनका अनुभव कर सकता है। शब्दकोष के विभिन्न पहलुओं (अनेकार्थी शब्द , पर्यायवाची शब्द ,मुहावरे) आदि को सिखाने के लिए विधिवत कार्यक्रम तैयार कर सकता है। यह कार्य बहुवचन क्रिया रूप , प्रश्नवाचक चिन्ह आदि के लिए भी कर सकता है।

स–क्रियात्मक (कार्य सम्बन्धी) पढ़ाई:

कार्य सम्बन्धी पढाई अपने प्राकृतिक रूप में पढ़ाई है।कार्य सम्बन्धी पढाई में पढाई प्राथमिक गतिविधि नहीं है। पर यह एक कार्य है जिसे पढने के जरिये पूरा करना होता है। उदाहरण–खाद्य पदार्थ बनाने की विधि , यदि पुलाव बनाना है तो उसकी पूरी विधि ,पहेली पूरा करने के निर्देश , लेबल पढ़कर पुस्तक के स्वामी के बारे में जानने का प्रयास आदि।

पढ़ने की शैली:

1–जोर से पढ़ना और मौन रहकर पढ़ना:

कक्षा की सिथति में पढ़ने की प्रकिया विभिन्न रूपों में संपन्न होती है जब बच्चे स्वतन्त्र रूप से पढना प्रारंभ कर देते है तो उन्हें पढ़ने की सामग्री दी जाती है। पढ़ने पढ़ाने की प्रकिया में ऐसी सामग्री की पढ़ाई जोर से भी होती है।

2–जोर से बोलकर पढ़ना: इसे मौखिक पठन भी कहा जाता है, मौखिक पठन अनेक उद्देश्य पूरे करता है जैसे निर्देश या अनुदेश जाँच व् आपस में बांटना

शांति से पढ़ना जोर से बोलकर पढ़ने और शांति से पढ़ने में यह अंदर है/ की जोर से बोलकर पढ़ते समय सुना जाता है जबकि शांति से पढ़ा हुआ सुना नहीं जाता है/ कई बार

3–शांति से पढ़ना: इस प्रकिया में बुदबुदाना शामिल होता है। शब्दों का मन ही मन उच्चारण न तो देखा जाता है और न ही सुना जाता है।

4–निर्देशित पढ़ाई: निर्देशित रूप से अभ्यास लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी यह बच्चे को एक अवसर देता है जिसमें उसने जो कुछ भी सीखा है उसका उपयोग कर सकता है तथा शिक्षक निगरानी कर सकता है।

5–स्वतंत्र रूप से पढ़ना: स्वतंत्र रूप से पढ़ना बिना सहयता के पढ़ना है।बहुत सी चीजे जो पढ़ने समझने की क्षमता को आगे बढ़ाती है वह सामान्य ज्ञान, शब्दावली वाक्य रचना संबंधी ज्ञान आदि सभी का विकास स्वतंत्र पढ़ाई से होता है।

लेखन कौशल (Writing) Skill) :–

लिखना किसी व्यक्ति की इच्छाओं और सोच की अभिव्यक्ति है। इसके माध्यम से आकांक्षाओं, समक्ष तथा विचारों को भी व्यक्त किया जा सकता है। लेखन का मुख्य उद्देश्य सूचनाओं व विचारों की ऐसी अभिव्यक्ति है जो देर तक ठहरती है। लेखन भाषा का एक पहलू है तथा यह एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि इसका अर्थ भूमिका, मूल्य आदि संदर्भ व समुदाय को बदलते हैं।

लेखन में व्यक्ति तथा उस सामग्री के बीच संपर्क होता है जिसे व्यक्ति लिखना चाहता है। जब व्यक्ति लिखता है तो उसे अपनी शब्दावली को व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है तथा शब्दों के ध्वनि प्रक्रिया के अनुसार व आकार संबंधित पहलुओं को समझना होता है। इससे वर्णमाला तंत्र के बारे में गहरी समझ विकसित हो जाती है। इससे पढ़ने और लिखने का विकास होता है।

श्रवण बाधित बच्चों द्वारा लेखन में की जाने वाली त्रुटियाँ:

1–जोड़ने में गलती करते हैं (अनावश्यक शब्द) उदाहरण :–कौआ पक्षी उड़ गया।पक्षी अनावश्यक है।

2–क्रिया छूट जाती है। जैसे–*चिड़िया दूर गई* यह सही वाक्य है–'चिड़िया दूर उड़ गई'।

3–वैकल्पिक शब्दों में गलती करते हैं (अशुध्द शब्द लिख देते हैं) उदाहरण– यह मनीश किताब है।जबकि सही वाक्य है *यह मनीष की किताब है।*

4–वाक्य में शब्दों के क्रम में गलती करते हैं। उदाहरण– खेलने बाहर हम गए। सही वाक्य है *हम बाहर खेलने गए*।

5–योजक शब्दों का अनावश्यक उपयोग करते हैं। उदाहरण– लड़का घर को गया। जबकि सही वाक्य है *लड़का घर गया*।

6–वचन का प्रयोग सही रूप में नहीं होता हैं। उदाहरण– पांच बच्चा समुर्दों के पानी में खेल रहें हैं। जबकि शुध्द वाक्य है *पाँच बच्चे समुद्र के पानी में खेल रहे है।*

7–वाक्यों को जोड़ते समय वह या तो योजकों को छोड़ देते है या गलत जगह लगा देते है।
8–वर्तनी , विराम चिन्हों में गलती कर देते हैं।
9–अशुद्ध काल निर्धारण उदाहरण–वह बाजार गया और सब्जियाँ लाता है। जबकि शुध्द है *वह बाजार गया और सब्जियाँ लाया।*

लेखन प्रवीणता का विकास(Development of Writing Skills):

साक्षरता में पढ़ने व् लिखने दोनों से सबंधित प्रवीणताए शामिल होती हैं। ग्रहण करना (पढ़ना) अभिव्यक्त करने (लिखने)से पहले की प्रकिया है, लिखने के लिए पढ़ने का विकास करना पड़ता है।पढ़ने का उद्देश्य है समझना और पूरा समझना जबकि लिखने का उद्देश्य है सूचनाओ व् विचारों का उस रूप में संचार करना ताकि वे देर तक रह सके। लेखन प्रवीणता के विकास के लिए विधिवत प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए श्रवण बाधित बच्चो में भाषा सबंधित समस्याएँ होती है उनका संवाद चाहे वह मौखिक हो या इशारों वाला या दोनों का मिला जुला दूसरो को भ्रमित कर सकता

लेखन की पूर्व आवश्यकताएं:

बहुत छोटी आयु से ही बच्चो को उनके गतिविधियों दी जानी चाहिए ताकि लेखन कला का विकास हो कुछ पूर्व आवश्यकताएं एस प्रकार है–

- अच्छा अवलोकन
- आँख और हाथ के बीच अच्छा समन्वय
- सकल व् बारीक मोटर प्रवीणताएं विकसित करना –
- पैटर्न के समक्ष का विकास
- अच्छी स्मृति नियमित अभ्यास
- भाषा विकास
- समझ कर पढ़ना

लिखने के प्रकार:

लेखन एक लगातार चलने वाली प्रकिया है यह आवश्यकता है कि बच्चो में प्रारभिंक आयु से ही पठन व् लेखन में रूचि विकसित की जाए।भाषा का ठोस आधार रूप से अपने तथा पठन की आदत करने में सहायक होते है। लेखन तीन प्रकार के होते है–

1–नकल करना

नकल करने का अर्थ है अवलोकन करना या देख–देख कर वही कार्य करना या इसका अर्थ है उसी पैटर्न का दोहराना तथा उसी तरह कम करना।प्रारम्भ में बच्चो को इशारे या कार्य या कार्य की नकल करने को दी जा सकती है शिक्षक नकल करने वाले खेल खिलाकर जैसे ताली बजाकर कूदकर हाथ उपर करके एस काम को सिखा सकता है
आयु के अनुसार विभिन्न अभ्यास बच्चों को दिए जा सकते है,जैसे–

- चित्रों व् रंगों की नकल करना
- डाट (बिन्दुओ)को जोड़कर चित्र पूरा करना
- वर्णमाला की नकल करना
- डाट वाले शब्दों को जोड़ना
- पैटर्न को ट्रेस करना
- पूरे शब्द की नकल करना

2–निर्देशित लेखन:

जब बच्चा पैटर्न की नकल करना सीख जाता है तो ब्लैक बोर्ड से चित्र वाक्य की नकल करना सीख जाता है। विशेष विधालयो में शिक्षक बच्चों को शब्द वाक्यांश वाक्य लिखना सिखाते है शिक्षक बच्चों को सलाह दे सकते है कि वे निर्देशों को पढ़े और विभिन्न लेखन सम्बन्धी अभ्यासों को हल करे तथा प्रश्नों के उत्तर दे, कहानियां अनुच्छेदों तथा चित्रों के आधार पर बच्चों को विभिन्न अभ्यास दिए जा सकते है।वस्तुओ व् चित्रों को देखते हुए शब्दों व् वाक्यों को सही चुनना

- पहेली वाले खेल
- एक शब्द में उत्तर लिखना संक्षिप्त उत्तर लिखना लम्बे उत्तर देना
- दिए गए विकल्पों में से व्यकित वाचक संज्ञा क्रिया विशेषण विशेषण, गोले लगाना रेखांकित करना भरना
- बातचीत/कहानी का क्रम बनाना
- शब्दों ध्वाक्यों को बहुवचन में लिखना
- चित्रों का वर्णन करना

3–स्वतंत्र लेखन:

एक बार जब बच्चों को धीरे–धीरे लिखना सिखाया जाता है तो फिर उन्हें निर्देशिक लेखन से स्वतन्त्र लेखन की ओर ले जाया जाता है बच्चों को सोचना होता है तर्क करना होता है स्मृति का उपयोग करके लिखना होता है उन्हें अनुभवों से जोड़ना होता है विचारों को सूत्र बध्द करना और व्यक्त करना।

- भाषा सबंधी सीमओ की जानकारी उदाहरण के लिए वाक्य
- वाक्य ,रचना का ज्ञान तथा उपयोग जिसमे व्याकरण सबंधी उपयोग जटिल वाक्य रचना का उपयोग तथा शब्दों को जोड़ना
- सूचक शब्दों को वस्तुओ से जोड़ना ,उदा. वह ये !

बच्चो को अपने आप लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए

- शब्द/वाक्य
- दिये गए शब्द से नया शब्द बनाना/वाक्य बनाना
- विलोम ,सर्वनाम अर्थ लिखना
- अपने अनुभव ,समाचार आदि लिखना
- क्रम से कहानी लिखना
- भ्रमण गतिविधि आदि के बाद चंद वाक्य लिखना
- छोटे अनुच्छेद व् कहानियां लिखना
- पत्र तथा टिप्पणी लिखना
- अनुच्छेद /लेख धविचार का विस्तार का विस्तार करना

श्रवण बाधित बच्चों में पठन तथा लेखन कौशलों का विकास
(Develioment of Reading & Writing Skills in Children with Hearing Impairment)

श्रवण कौशल	Age of onset and age of identification Type and degree of hearing loss Age of amplification device implanted Aided audiogram including auditory skills and use of residual hearing
भाषा व वाणी कौशल	Assessment of segmental, non-segmental and suprasegmental factors Receptive and expressive language Communication skills Preferred mode of communication
पठन कौशल	Reading Readiness skills Ability to comprehend letters, words and sentences Ability to recognize symbols Ability to read textbook Ability to follow teachers command Independent reading skills Functional reading skills Recreational reading
लेखन कौशल	Use of subject-verb order Use of noun and verb phrases Use of different verb tenses Use of full-stops and capital letters(for English) Use of prepositions Use of articles Use of connectives Use of varied punctuation Use of relevant words Use of pronouns Use of information beyond pictures Description of feelings, intent, humour Use of direct speech Number of sentences and words used in the composition
गणितीय कौशल	आकृति व आकार को पहचानने की योग्यता Ability to solve addition, subtraction, multiplication division Ability to solve statement question Knowledge of Mathematical symbols and formula
व्यवहारिक कौशल	Attitude and motivation level of the student Psychosocial behaviors
पाठ्यचर्या कौशल	Performance on Curriculum-based assessments and measures

इकाई–25

ट्रांजिसनल प्लानिंग (Transitional Planning)

प्रस्तावना (Introduction):

हेमेन्त श्रवण बाधित बच्चों के पूर्व विशेष विद्यालय में पढ़ रहा है। पलक, जो विशेष विद्यालय में पढ़ रही है और सामान्य विद्यालय में जाने के लिए तैयार है। शाहरूख श्रवण बाधित बच्चों के माध्यमिक विद्यालय में पढ़ रहा है। ब्लेसन विशेष विद्यालय से उच्च माध्यमिक कक्षा उत्तीर्ण करके व्यवसायिक कोर्स से जुड़ने के लिए तैयार है। मंजुला डाटा इन्ट्री आपरेटर के रूप में एक कम्पनी में पदभार लेने जा रही है।

उपरोक्त वाक्य में आप देख रहे हैं कि प्रत्येक छात्र एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में जा रहा है। *हमारे अपने जीवन में बहुत बार स्थिति परिवर्तन (Introduction) होता है। यह जीवन पर्यन्त चलने वाली क्रिया है। कुछ निश्चित तत्व किसी परिवर्तन को सफल बनाने के के/अवसर पर जुड़े होते है।* ब्रूडर और चैंडलर, (1996), पैटन और डन (1998)

स्थिति परिवर्तन योजना (Transition Planning):

जब श्रवण बाधित छात्र एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में प्रवेश करने के लिए जाता है उसके लिए पहली परिस्थति जैसी आवश्यकतापूर्ण वातावरण होना चाहिए। हमें श्रवण बाधित बच्चों के लिए स्थिति परिवर्तन कुछ हेतु आवश्यक तैयारी करना पड़ती है। Patton पैटन और Dunn (डन्न) 1998 के अनुसार तीन प्रमुख तत्व स्थिति परिवर्तन–योजना के सफल होने के लिए शामिल होते है–

1–व्यापक योजना
2–कार्य की योजना को लागू करना
3–समन्वयन

व्यापक योजना (Comprehensive Planning):

इसमें दो प्रमुख कार्य शामिल करते है–

(1) आकलन (Assessment)
(2) व्यक्तिगत योजना (Individual Planning) के अन्तर्गत सम्बन्धित क्षेत्रों की दक्षता के औपचारिक या अनौपचारिक क्रिया की एक क्रियान्वित योजना बनाना।
(3) दो पृथक और सम्बन्धित क्रियाओं को शामिल करना।
(4) मांग और वह परिस्थिति जिसमें व्यक्ति जा रहा है उसका मूल्यांकन करना।
(5) भविष्य की जरूरतों के साथ व्यक्तिगत योग्यता का मूल्यांकन।

क्रियान्वयन योजना (Plan of Action):

- वह योजना जो पूर्व में हुई है उसके अनुकरण से सम्बन्धित होता है।
- यदि यह योजना एक कुशल और प्रभावशाली तरीके से निष्पादित नहीं होती है तो आवश्यक्तापूर्ण आकलन और परिणामी व्यापक योजना का कोई मतलब नहीं है।

समन्वयन Coordination

यह भेजे गयी परिस्थिति और प्राप्त की गयी परिस्थिति के बीच के प्रभाव के समन्वयन से सम्बन्धित होता है। आदर्शतः विशिष्ट प्राप्त परिस्थिति के प्रतिनिधि को व्यक्तिगत योजना

चरण में तत्परता से भाग लेना चाहिए फिर भी यह सम्भव न हो तो भी हमेशा ऐसा समन्वयन बनाना आवश्यक होता है। एक परिणामी समन्वयन का मतलब अच्छा सम्प्रेषण होता है।

आवश्यकता

यदि स्थिति परिवर्तन योजना थोड़ा भी संचालित नहीं होती है या अप्रभावशाली ढंग से संचालित होती है तो बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। वह इस प्रकार है–

(1) आवश्यक सेवाओं में रूकावट आना।
(2) आवश्यक सेवाओं के निरीक्षण का समापन या सूचनाओं की कमी होना।
(3) अध्ययनरत विद्यार्थी की अपर्याप्त तैयारी।
(4) जिस विद्यालय हेतु बच्चे को तैयार किया जा रहा है उस विद्यालय की तैयारी में कमी।

प्रायः यह देखा जाता है कि बच्चे अपर्याप्त तैयारी के साथ सामान्य विद्यालय में प्रवेश करा दिये जाते है परन्तु सामान्य विद्यालय की आवश्यक्तानुसार उनका प्रदर्शन सामान्य बालकों की तरह नहीं होता है। कभी–कभी सामान्य विद्यालयों में श्रवण बाधित बच्चों के अनुरूप अनुकूल वातावरण नहीं होता है तथा शिक्षक, सहपाठी एवम् प्रशासनिक सहयोग उन्हें नहीं मिलता है।

प्रकार:

सामान्यतः स्थिति परिवर्तन दो प्रकार के होते है –

1–लम्बवत :

इस प्रकार की स्थिति परिवर्तन अधिकांश व्यक्तियों के जीवन में अनुभूत होता है यह विकास के विभिन्न चरणों तथा उम्र अनुरूप व्यक्ति के जीवन में घटित होता है। (Walexy (1989) and Lazzari (1991))

पूर्व विद्यालयी शिक्षा से लेकर प्राथमिक तथा प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर आदि तक शिक्षा प्रत्येक बच्चा प्राप्त करता है कुछ बच्चे विशेष विद्यालय में तैयार होकर सामान्य विद्यालय में प्रवेश करते है। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेने से पूर्व बच्चों की श्रवण दोष की पहचान अलग–अलग उम्र में होती है जिन बच्चों की पहचान कम उम्र में होती है उन्हें चिकित्सीय सेवाओं के साथ–साथ शैक्षणिक सेवायें भी प्रदान करते है परन्तु भारत जैसे देश में शीघ्र पहचान की सुविधाएं अधिकांशतः जग उपलब्ध न होने के कारण बच्चों का पहचान नहीं हो पाती है। फलस्वरूप वह बच्चे पूर्व विद्यालय शिक्षा से वंचित रहते है। जब वह प्राथमिक विद्यालय जाने की उम्र में होते है उनकी पहचान हो पाती। जिसकी वजह से बाल्यकाल में सामान्य बोलचाल की भाषा से बच्चे वंचित रहते है। घर पर उनकी तैयारी नहीं होने के कारण सामान्य विद्यालयों में बच्चे असफल होते है। अधिकांश माता – पिता अपने बच्चों को आवासीय विद्यालय में दाखिला देकर बच्चे की शिक्षा कराना चाहते है। भाषा सीखने की संवेदी आयु में उनमें भाषा का विकास सामान्य बच्चों की तरह नहीं होता है कक्षा शिक्षण में श्रवण बाधित बच्चों के शिक्षक एवं सहपाठी द्वारा आवश्यक सहयोग प्राप्त नहीं होता है। प्राथमिक विद्यालय में उनकी तैयारी अपर्याप्त होने के कारण जब वह बच्चे माध्यमिक विद्यालय में जाते है तो उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्थिति परिवर्तन की येाजना हर कक्षा में तथा हर स्तर पर किये जाने से इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

2–क्षैतिज

स्थिति परिवर्तन के इस प्रकार में उन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जिसे कुछ लोग

अनुभूत करते है। इस प्रकार के परिवर्तन व्यक्ति विशिष्ट से सम्बन्धित होता है जो विकास के क्रम और उम्र अनुसार नहीं होता है।

Wolery (1989) and Laezzari (1991) के अनुसार दो प्रकार के स्थिति परिवर्तन इसके अन्तर्गत घटित होता है–

(1) विशेष विद्यालय से समावेशित विद्यालय

(1) विशेष विद्यालय से समोवेशित विद्यालयः

विशेष शिक्षा के क्षेत्र में विगत वर्षों में जो मुद्दा प्रमुख रूप से उभर कर आया है कि वह विशेष विद्यालय में श्रवण बाधित बच्चों को शिक्षा दी जाए अथवा सीधे समावेशित विद्यालय में पूर्ण समायोजन कर दी जाए। समावेशित विद्यालय में श्रवण बाधित बच्चे अपने आपको पूर्णरूप से समायोजित नहीं कर पाते है क्योंकि सामान्य विद्यार्थियों की कक्षा में अपने आपको समायोजित करने हेतु जिन कौशलों की आवश्यकता है वह कौशल बच्चों के पास नहीं होता है।

(2) गैर औपचारिक शिक्षा से समावेशित शिक्षाः

इसके अतिरिक्त क्षैतिज स्थिति परिवर्तन के अन्तर्गत ऐसे विद्यालयी व्यवस्था जैसे घर से समावेशित विद्यालय, में प्रवेश के बाद बीच में विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों एवं ऐसे बच्चे जिनका आकलन किया जा सका है परन्तु किसी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे है। इस प्रकार की गैर औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से समावेशित विद्यालय में आने वाले बच्चों की समस्या जटिल होती है क्योंकि जिस शिक्षा व्यवस्था से वे आते है उसकी जानकारी समावेशित विद्यालय के पास नहीं होता है। कुछ परिस्थितियों में जानकारी होने के बावजूद बिना अभिलेख के सम्प्रेषण करना सम्भव नहीं होता है। इस प्रकार के स्थिति परिवर्तन नियोजन में विद्यालय के स्टाफ अभिभावक और सहपाठी को शामिल किया जाए। (Tyler & Mira (1999))

स्थिति परिवर्तन नियोजन प्रक्रिया–

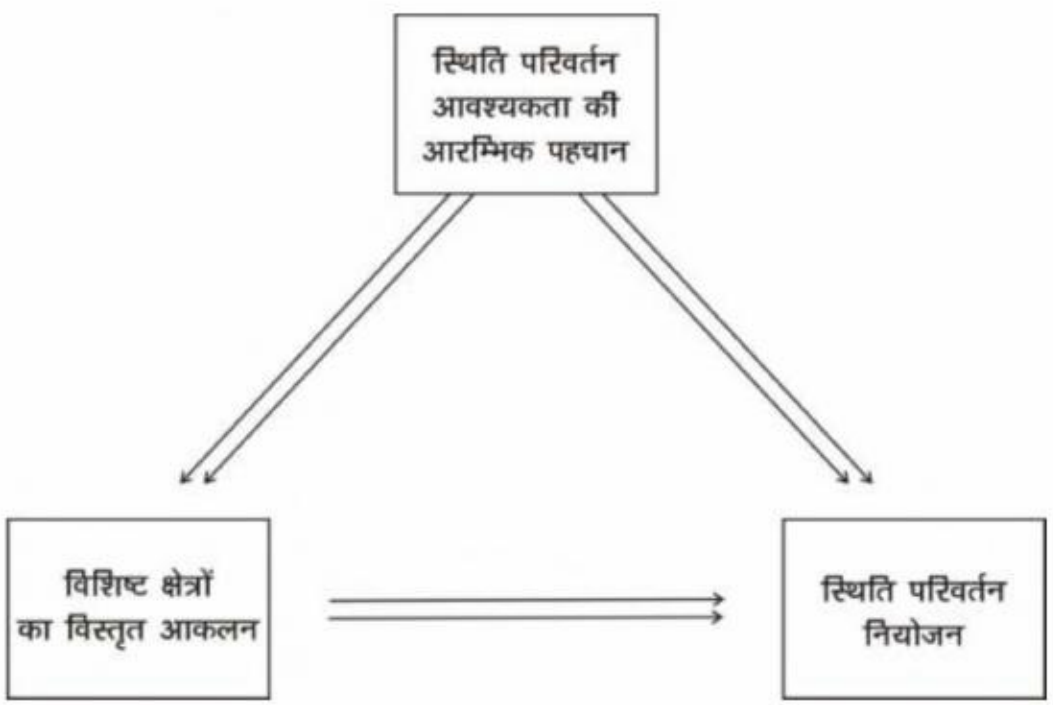

सबसे पहले प्रत्येक विद्यार्थी की स्थिति परिवर्तन आवश्यकता की पहचान की जाए। विद्यालय, परिवार तथा विद्यार्थी स्तर से प्राप्त किया जा सकता है तत्पश्चात आवश्यकता से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी हेतु अधिक औपचारिक आकलन किया जा सकता है इस तरह विशिष्ट क्षेत्र गुण और अनुभव के बारे में पता चल सकता है जिस आधार पर विस्तृत स्थिति परिवर्तन योजना तैयार किया जा सकता है।

वैयक्तिक स्थिति परिवर्तन योजना Individulalized Transition Plan

शिक्षक IEP बनाने में अनूक वर्ष से कार्य कर रहे है। जिसके अन्तर्गत आकलन के उपरान्त विद्यार्थी के कमजोर क्षेत्र में काम कर रहे होगें जिसे निश्चित अवधि के उपरान्त बन्द कर देते हे। ITP, IEP से उद्देश्य के आधार पर अलग है क्योंकि ITP परिणाम उन्मुखी प्रक्रिया के रूप में तैयार किया जाता है IEP निश्चित विशिष्ट क्षेत्र की कमी की पूर्ति करता है जबकि ITP व्यापक क्षेत्र में काम करता है। दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा में स्थिति परिवर्तन एक प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी एक कार्यक्रम से दूसरे कार्यक्रम तथा एक प्रकार की सेवा माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। (Chanlev, 1992)।

स्थिति परिवर्तन के चरण:

(1) स्थिति परिवर्तन दल का निर्माण करना।
(a) शिक्षकों का चयन (विशेष एवं सामान्य विद्यालय)
(b) परिवार के सदस्यों का चयन
(c) सहपाठी एवं अन्य व्यक्तियों का चयन
(2) स्थिति परिवर्तन दल की बैठक आयोजन
(a) ITP का निर्माण (विचार विमर्श के उपरान्त)
(b) प्रत्येक व्यक्ति कार्य आवंटन
(c) लक्ष्य निर्धारण
(3) ITP के लक्ष्यों का क्रियान्वयन
(a) परासंकायी दल के माध्यम से लक्ष्य की प्राप्ती हेतु कार्य करना।
(b) नियमित अन्तराल पर विद्यार्थी का आकलन करना।

स्थिति परिवर्तन दल:

(1) विशेष शिक्षक
(2) समावेशित विद्यालय के शिक्षक
(3) ऑडियोलाजिस्ट
(4) स्पीच लैग्वेज पैथोलाजिस्ट
(5) मनोवैज्ञानिक
(6) चिकित्सक (ENT)
(7) सामाजिक कार्यकर्ता
(8) अभिभावक
(9) आवश्यकतानुसार अन्य विशेषज्ञ

अध्यापक क्या करें

ITP का मुख्य उद्देश्य है प्रत्येक बच्चे को एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में जाने के लिए ऐसा वातावरण तैयार करना जिससे एक से दूसरी परिस्थिति में जाने में बच्चों को कक्षीय वातावरणीय शिक्षण, अनुदेशन माध्यम, शिक्षक और सहपाठी सहयोग, में अन्तर महसूस न करें दूसरे वातावरण में अपने को आसानी से समायोजित कर सके। इसमें

अभिभावक को बच्चे की शीघ्र पहचान करके बच्चे को शुरूआत से उसकी आवश्यकता के अनुरूप सेवाओं को दिया जाए। उन्हीं सेवाओं को आगे भी दिया जाए जैसे यदि हम बच्चे को विशेष विद्यालय से समावेशित विद्यालय में भेज रहे है तो विशेष विद्यालय से समावेशित विद्यालय में भेजने से ITP दल का गठन करें और उसे विशेष विद्यालय में ऐसा वातावरण दे जो समावेशित विद्यालय के अनुरूप हो जिससे बच्चे को समावेशित विद्यालय में जाने से किसी असुविधा का सामना न करने पड़े। वह ठीक ढंग से समावेशित विद्यालय में पढ़ सके। इसके साथ यह भी ध्यान देना होगा कि बच्चा जब समावेशित विद्यालय में पहुँच जाता है तो उसको पूर्व में उसकी आवश्यकतानुसार जो सेवायें मिल रही है उसे मिलती रहे तभी सफल स्थिति परिवर्तन हो सकता है।

इकाई–26

अभिभावक परामर्श(Counseling of Parents)

प्रस्तावना (Introduction)

परामर्श निर्देशन का एक अंग है। यह एक उच्च स्तरीय तकनीकी कार्य है जबकि निर्देशन आवृत्तिक व्यक्तियों द्वारा भी दिया जा सकता है। परामर्श में व्यक्ति की भावनात्मक समस्याओं व मानसिक स्वास्थ्य हेतु सहायता दी जाती है। जबकि निर्देशन में व्यक्तिगत समस्याओं के साथ–साथ शैक्षिक, व्यवसायिक, स्वास्थ्य आदि समस्याओं के समाधान हेतु सहायता दी जाती है। शिक्षा में निर्देशन और परामर्श का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। दोनों विद्यालय प्रकिया का अभिन्न अंग है। निर्देशन और परामर्श के लिए विद्यालय में इस क्षेत्र के विशेषज्ञ नियुक्त किये जाते है। फिर भी बहुत से विद्यालय में ऐसे प्रशिक्षित विशेषज्ञ नही होते है उसकी जगह अध्यापक को यह उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है। प्रसयः विद्यालय में पेशेवर परामर्शदाता होने के बावजूद अभिभावक और बच्चे अपने अध्यापको से परामर्श लेने में अधिक आरामदायक समझते है।

इसलिए अध्यापक के लिए श्रवण दिव्यांग के सम्बन्ध में परामर्श के प्रकार व सम्प्रत्यय को समझना बहुत आवश्यक है। श्रवण दिव्यांग की शिक्षा के क्षेत्र में परामर्श एक सेवा है जो योग्य और प्रशिक्षित परामर्शदाता द्वारा प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह जिसमें श्रवण दिव्यांग बच्चा शामिल है, को देते है तथा उसके परिवार की मांग व आवश्यकता के साथ तालमेल बैठाकर सहायता करते है। श्रवण दिव्यांगता के कारण अभिभावक अपने बच्चे की चिकित्सीय सलाह, उपकरण, शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु परेशान होते है इसके लिए उन्हें कुशल परामर्शदाता की आवश्यकता होती है, जो उनको बता सके कि आगे की शिक्षा के लिए क्या करें, उनके उपकरण के लिए कहा जाये, आदि सवालो का जवाब देते है और उनका समाधान भी करते है। इसलिए श्रवण दिव्यांग बच्चों हेतु परामर्श की बहुत आवश्यकता होती है।

श्रवण दिव्यांगों के माता–पिता को परामर्श की आवश्यकता:–

जब किसी माता–पिता को पता चलता है कि उसका बच्चा श्रवण दिव्यांग या अन्य दिव्यांगता से ग्रसित है, तो वह अपने बच्चे को दिव्यांग रूप में स्वीकार करना नही चाहते है। उन्हें भावात्मक आघात पहुंचता है और उनके मन में बच्चे के प्रति नाकारात्मकता आने लगती है। किन्तु परामर्श एक ऐसी प्रकिया है जिनके द्वारा उन्हें भावात्मक रूप से दृढ़ बनाया जा सकता है। उन्हें अपने बच्चे के लिए जागरूक किया जा सकता है। बच्चे की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है। अतः परामर्श के द्वारा श्रवण दिव्यांग बच्चे की शुरूआती शिक्षा को गुणात्मक किया जा सकता है। श्रवण दिव्यांग बच्चों के माता–पिता को निम्न परिस्थितियों हेतु परामर्श की आवश्यकता होती है–

- शीघ्र हस्तक्षेप के लिए।
- शीघ्र निदान के लिए ।
- बच्चे की षिक्षा के लिए।
- श्रवण दिव्यांग छात्रों के अधिगम में आने वाली व्यक्तिगत समस्याओं को जानने हेतु।
- श्रवण दिव्यांग बच्चों के पाठ्यकम के लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु।
- श्रवण दिव्यांग की व्यक्तिगत क्षमता को अवगत कराने हेतु।

- उपलब्ध संसाधनों का घर पर अधिक से अधिक प्रयोग करने हेतु।
- श्रवण दिव्यांग बच्चों के लिए उपकरण उपलब्धता तथा उसके प्रयोग के सम्बन्ध में।
- श्रवण दिव्यांग बच्चों के लिए वाणी प्रशिक्षण, स्पीच थेरेपी या अन्य प्रशिक्षण की भूमिका के सम्बन्ध में।
- श्रवण दिव्यांग बच्चों के लिए वातावरण अनुकूलन हेतु।

श्रवण दिव्यांग बच्चों के माता–पिता के परामर्श का कार्य क्षेत्रः–

श्रवण दिव्यांग बच्चों के माता–पिता के परामर्श देने का तात्पर्य यह है कि उनको अपने बच्चे के प्रति अधिक जागरूक बनाया जाये। श्रवण दिव्यांग बच्चों का किस प्रकार से पालन पोषण किया जाये। परिवार में किस प्रकार उसकी बची हुई श्रवण क्षमता का उपयोग करके उसकी भाषा का विकास किया जाये। उसकी शिक्षा को किस प्रकार माता–पिता की सहायता से अधिक गुणात्मक बनाया जाये। अपने बच्चे के प्रति सकारात्मक सोच कैसे बनाये रखे आदि। इन समस्याओं के समाधान के लिए परामर्श आवश्यक है। माता–पिता की उपरोक्त समस्याओं का समाधान परामर्श द्वारा किया जा सकता है। परिवार जहां पर शिशु जन्म लेकर अपनी वृद्धि और विकास करता है। माता को उसकी प्रथम अध्यापिका माना जाता है। परिवार का आधार बच्चे के माता–पिता होते हैं। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि श्रवण दिव्यांग के पूर्ण विकास के लिए उनके माता–पिता का परामर्श लेना अत्यन्त आवश्यक है।

1–शीघ्र हस्तक्षेप हेतु परामर्शः–

परामर्श की सहायता से माता–पिता को यह आसानी से समझाया जा सकता है कि शीघ्र हस्तक्षेप का बालक के शुरूआती जीवन में कितनी आवश्यकता होती है। माता–पिता को परामर्शदाता के द्वारा उनसे भावानात्मक रूप से जुड़कर शीघ्र हस्तक्षेप के महत्व को अधिक सरल रूप से समझाया जा सकता है। माता–पिता को परामर्श से बताया जा सकता है कि जितनी शीघ्र बच्चे की आवश्यकताओं की पहचान होगी उतनी ही शीघ्र उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर श्रवण दिव्यांग छात्र की समस्याओं का निदान किया जा सकता है। परामर्श की सहायता से माता–पिता को शीघ्र हस्तक्षेप के उद्देश्य तथा लक्ष्य को समझाया जा सकता है और शीघ्र हस्तक्षेप के लाभों एवं उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।

2–प्रशिक्षण तथा थेरेपी हेतु परामर्शः–

श्रवण दिव्यांग बच्चों की सबसे बड़ी समस्या सम्प्रेषण की होती है। क्योंकि वह सुन नही पा रहे है इसलिए बोल नही पा रहे हैं। इसके लिए बच्चों की बची हुई सुनने की क्षमता के अनुसार उपकरण उपलब्धता के बाद वाणी प्रशिक्षण एवं स्पीच थेरेपी की आवश्यकता होती है। बच्चे को यह कब आवश्यकता होती है और इसे किसके द्वारा कराना चाहिए। इसके लिए श्रवण दिव्यांग बच्चों के माता–पिता को परामर्शदाता द्वारा परामर्श दिया जाता है। परामर्शदाता वाणी प्रशिक्षण, श्रवण प्रशिक्षण, ओष्ठ पठन तथा स्पीच थेरेपी के महत्व के बारे में माता–पिता को बताता है।इससे माता–पिता प्रशिक्षण के महत्व को समझते है तथा श्रवण दिव्यांग बच्चों को प्रशिक्षण करवाकर उनकी सम्प्रेषण की क्षमता को बढ़ाते है।

3–विद्यालय जाने हेतु परामर्शः–

श्रवण दिव्यांग के माता–पिता बच्चे को किस विद्यालय में भेजें इसके लिए काफी परेशान होते है। वह समझ नही पाते है कि अपने श्रवण दिव्यांग बच्चे को विशेष विद्यालय

में भेजें या समावेशी विद्यालय में। परामर्शदाता द्वारा इस समस्या के समाधान हेतु माता–पिता को समझाया जाता है कि उनके बच्चे के लिए बच्चे की क्षमता के अनुसार कौन सा विद्यालय सही रहेगा तथा विद्यालय में प्रवेश लेने के उपरान्त उठने वाली सामान्य समस्याएं और उनके निराकरण के बारे में परामर्श देता है। जैसे– समावेशी विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद वह कक्षा में अन्य बच्चों के साथ सामंजस्य तथा कक्षा शिक्षण को सही ढंग से न समझ पाना आदि। ऐसी समस्या हेतु परामर्शदाता बच्चे के माता–पिता, शिक्षक तथा सहपाठी को कक्षा तथा खेल के मैदान आदि स्थानो पर अनुकूलन के साथ श्रवण दिव्यांग को शामिल करने का परामर्श देता है जिससे उनमें सहभागिता की भावना बढ़ती है। कक्षा मे शिक्षक को श्रवण दिव्यांग को आगे की सीट मे बैठाने तथा किसी सम्प्रत्य को चित्र, दृश्य साधनो, चार्टो, माडलो तथा नाटकीय रुप आदि का प्रयोग करते हुए पढ़ाने को कहता है तथा पढ़ाते समय शिक्षक को अपना चेहरा श्रवण दिव्यांग छात्र के सामने रखने को परामर्श करता है।

4–घरेलू प्रशिक्षण हेतु परामर्शः–

चूंकि श्रवण दिव्यांग बच्चों की प्रथम पाठ्शाला उसका घर होता है और वह अधिक समय घर पर ही व्यतीत करता है। विद्यालय तथा अन्य प्रशिक्षकों द्वारा घर पर बहुत से अभ्यास कराने हेतु कहा जाता है तथा समाज को मुख्यधारा से जोड़ने हेतु समाज के तौर तरीकों को सीखानें पर जोर दिया जाता है। इन समस्याओं हेतु माता–पिता को परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। परामर्शदाता घर पर कराये जाने वाले प्रशिक्षण की उपयोगिता तथा कराने का तरीका व आने वाली समस्याओं का निराकरण के बारे में माता–पिता को परामर्श देता है।

श्रवण के लिए आकलन का परामर्शः–

आकलन के क्षेत्र में परामर्श की भूमिका अत्यन्त आवश्यक है। जब शिक्षक बधिर छात्रों का शैक्षिक आकलन करता है तब छात्र की शिक्षा में उचित स्थिति का पता छात्रों के माता–पिता की सहायता से ही लगा सकते है। जैसे– छात्र घर पर कितनी अवधि तक पढ़ाई करता है? किस किया में अधिक रूचि लेता है। गृह कार्य समय पर क्यों पूरा नही करता है आदि। परामर्शदाता बधिर छात्रों के माता–पिता को परामर्श देकर उनको बच्चे की शिक्षा के साथ जोड़ते है। माता–पिता शिक्षक अभिभावक मीटिंग के महत्व को समझकर अध्यापक के साथ समय पर मिलते है और अपने बच्चों की समस्याओं तथा कक्षा में उनके प्रदर्शन की विषय में जान पाते है। शिक्षक भी छात्र के व्यक्तिगत पहलुओं को जान पाता है। जैसे– घर पर किस प्रकार का ट्यूशन पढ़ रहा है कि नही। घर पर श्रवण यन्त्र का सही प्रयोग कर रहा कि नही। छात्र माता–पिता द्वारा आवाज देने पर प्रतिकिया व्यक्त करता है कि नही।

शिक्षक परामर्शदाता के रूप में:–

शिक्षा के क्षेत्र में योग्य शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है और शिक्षा को गुणात्मक बनाने के लिए छात्र तथा माता–पिता का समय–समय पर परामर्श होना अत्यन्त आवष्यक है। शिक्षक परामर्शदाता के रूप में निम्न तरीके से माता–पिता को परामर्श दे सकता है–

- यदि माता–पिता आर्थिक रूप से सक्षम नही है तो अपने बच्चे के लिए शिक्षा तथा श्रवण यन्त्र, वाणी प्रशिक्षण आदि का खर्च वहन करने में असमर्थ होते है। इस सम्बन्ध में शिक्षक उनको बहुत सी छात्रवृत्ति की जानकारी दे सकता है।
- शिक्षक परामर्शदाता माता–पिता को वैक्तिक निर्देशन भी दे सकता है।

- माता–पिता को समय–समय पर शिक्षक अभिभावक कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए प्रेरित कर सकता है।
- छात्र के लेखन तथा वाणी त्रुटियों को घर पर कैसे सुधारा जाये, यह माता–पिता को समझा सकता है।
- माता–पिता अपने सभी बच्चों में सामंजस्य स्थापित कैसे करें, इसकी जानकारी दे सकता है।
- बच्चा सामान्य विद्यालय में रहने लायक है कि नही इसका परामर्श माता–पिता को दे सकता है।
- शीघ्र हस्तक्षेप के महत्व को समझा जा सकता है।
- माता–पिता के साथ मिलकर बच्चे का उचित निदान की व्यवस्था कर सकता है।
- श्रवण दिव्यांगों में वाणी प्रशिक्षण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। किन्तु इसको केवल विद्यालय की चाहरदीवारी में कराकर ही इसके लक्ष्यों को प्राप्त नही किया जा सकता है। परामर्श की सहायता से माता–पिता को वाणी प्रशिक्षण की श्रवण दिव्यांग बच्चे के लिए आवश्यकता को समझाया जा सकता है। माता–पिता घर पर भी बच्चे की वाणी विकास को निदानात्मक रूप में करा सकते है। उससे अधिक से अधिक बात कर सकते है।
- यदि छात्र का किसी विषय पर मूल्यांकन करने पर उसकी निष्पत्ति असन्तोषजनक है तो शिक्षक माता–पिता की सहायता प्राप्त कर सकता है और उसको यह परामर्श दे सकता है कि घर पर बच्चे की शिक्षा पर किस प्रकार ध्यान देना है।
- माता–पिता समय–समय पर डाक्टर व अध्यापक से मिलने के महत्व के बारे में परामर्श दे सकता है।

परामर्शदाता को ध्यान रखने योग्य बातेः–

- छात्र क्या है? और वह क्या कर सकता है। यह माता–पिता को परामर्श के द्वारा समझाया जाये।
- परामर्शदाता को बच्चे के माता–पिता से भावनात्मक रूप ये जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए।
- परामर्शदाता को सर्वप्रथम श्रवण दिव्यांग बच्चे से सम्बन्धित सभी सूचनाओं को एकत्रित कर लेना चाहिए।
- परामर्श पूर्ण जानकारी के बाद ही आरम्भ करना चाहिए।
- परामर्श बच्चे तथा माता–पिता दोनों के समस्याओं को ध्यान में रखकर देना चाहिए।
- परामर्श केवल साकारात्मक होना चाहिए तथा नाकारात्मक शब्दों का प्रयोग नही करना चाहिए।
- परामर्शदाता तथा माता–पिता के बीच विश्वसनीय सम्बन्ध होना चाहिए।
- परामर्शदाता को सभी सूचनाएं गोपनीय रखना चाहिए।
- परामर्श की सहायता से माता–पिता को समावेशन के अर्थ को समझाया जा सकता है। इससे माता–पिता बच्चे के लिए विशेष विद्यालय या समावेशी विद्यालय आसानी से चुन पाते है।
- परामर्शदाता माता–पिता को घरेलू प्रशिक्षण के महत्व को समझा सकते है।

समेकित शिक्षा : वाक् श्रवण दिव्याँग बच्चों की शिक्षा हेतु 05 दिवसीय सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम

दिन एवं समय	पूर्वान्ह 10:00–11:00	पूर्वान्ह 11:00–12:00	दोपहर 12:00–1:00	अपरान्ह 1:00–1:30	अपरान्ह 1:30–2:30	अपरान्ह 2:30–3:30	अपरान्ह 3:30–4:30
प्रथम दिवस	विषेष आवष्यकता वाले बच्चेःएक परिचय	अध्यापकों की भूमिका	कान की संरचना, कार्य, श्रवण अक्षमता के कारण एवं रोकथाम	भोजन अवकाश	श्रवण वाक् दिव्याँग बच्चों की स्क्रीनिंग	विविध श्रवण परीक्षण एवं ऑडियोग्राम	विविध श्रवण परीक्षण एवं ऑडियोग्राम
द्वितीय दिवस	सुविधायें / रियायतें (शैक्षणिक, वित्तीय व अन्य) तथा श्रवण वाक् दिव्याँगों के लिए प्रमुख संस्थान	श्रवण यन्त्र के प्रयोग, देखभाल एवं रखरखाव	श्रवण प्रशिक्षण (लिसनिंग एंड हियरिंग ट्रेनिंग)	भोजन अवकाश	भाषा विकास के विभिन्न सोपान (सामान्य एवं श्रवण बच्चों के संबंध में)	सम्प्रेषण के विभिन्न माध्यम	श्रवण क्षतिग्रस्तता के मनोसामाजिक प्रभाव
तृतीय दिवस	सुगम्य वातावरण –भौतिक एवं अधिगम	थेरेपेटिक सेवाएं –स्पीच, फिजियो, मनोचिकित्सा व मनोसामाजिक	शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रदर्शन एवं प्रयोग (कक्षा–शिक्षण में)	भोजन अवकाश	पाठ्य पुस्तक अनुकूलन	वैयक्तिक शैक्षणिक कार्यक्रम (आई0ई0पी0) एवं विविध शिक्षण विधियां	कक्षा कक्ष प्रबन्धन (अनुकूल वातारण के संदर्भ में)
चतुर्थ दिवस	समावेशित शिक्षा, प्रमुख राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय अधिनियम / विधान	मॉडल लेसन प्लान	श्रवण वाक् दिव्याँगों के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाएं	भोजन अवकाश	सामाजिक सम्प्रेषण में साइन लैंग्वेज	शैक्षणिक सम्प्रेषण में साइन लैंग्वेज	शैक्षणिक मापन एवं मूल्यांकन
पंचम दिवस	अधिगम के लिए सार्वभौमिक अभिकल्प	लेखन एवं वाचन कौशल का विकास	ट्रांजिसनल प्लानिंग	भोजन अवकाश	अभिभावक परामर्श	फीडबैक (मौखिक एवं लिखित)	समापन